खण्ड-232, अंक-5
शुक्रवार, 12 श्रावण, शक संवत् 1884
(3 अगस्त, 1962 ई0)

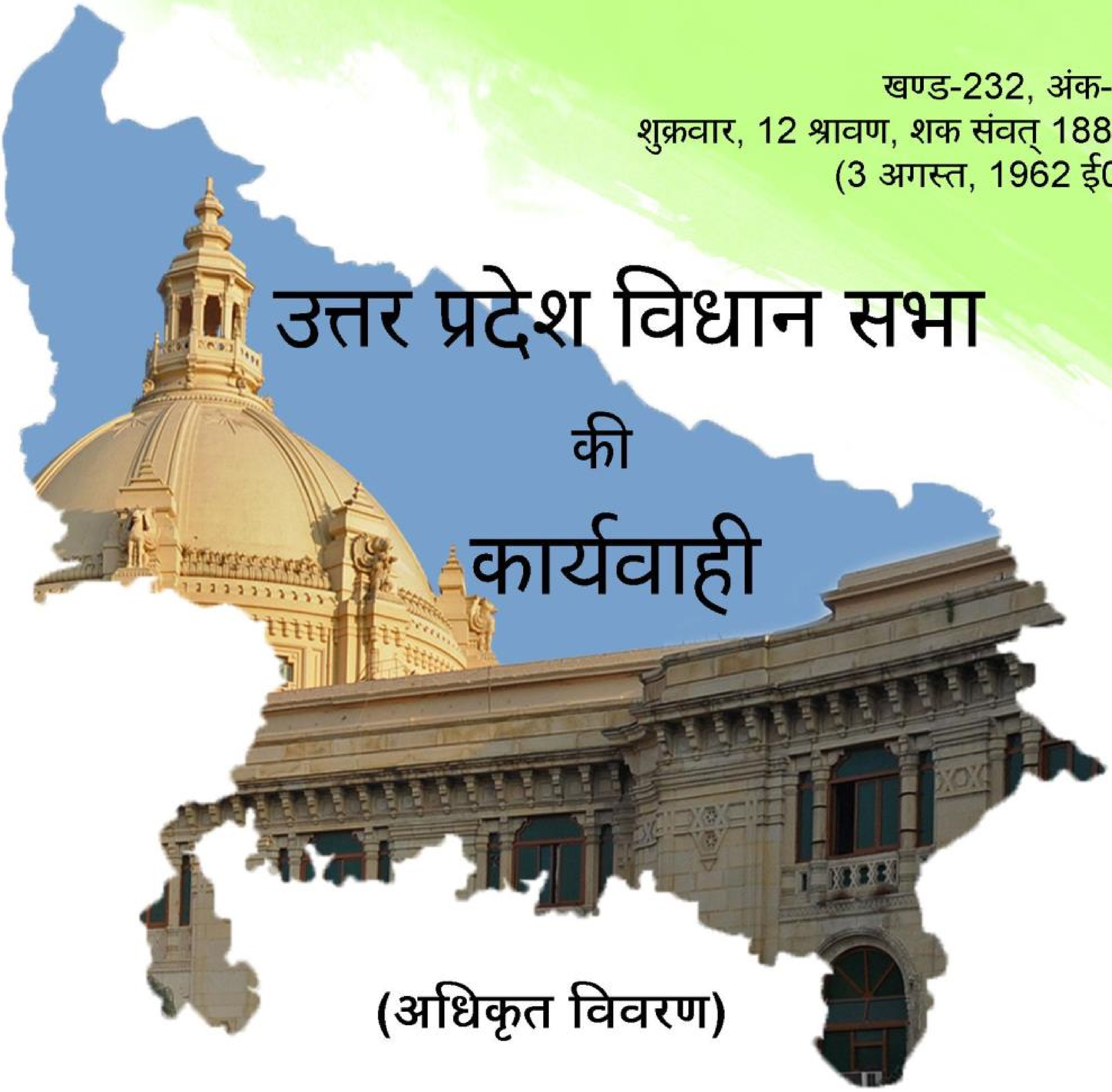

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 232 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३ अगस्त, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३८४

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
उदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिथौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री

पशुपतिनाथ सरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पित्तईराम, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंफटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महाबीरप्रसाद, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री

रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
बिश्वनाथ पांडेय, श्री 'प्रणव'
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रताप सिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री

शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
श्रीराम, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—वन मंत्री, श्री अलगू राय शास्त्री, नियोजन मंत्री, श्री हरगोविंदसिंह तथा लघु उद्योग उप-मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ३ अगस्त, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जिला परिषद्, चमोली के अध्यापकों को वेतन मिलने में विलम्ब

*१.—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)—क्या शिक्षा मंत्री को विदित है कि उत्तराखंड प्रशासन के अधीन अन्तरिम जिला परिषद्, चमोली के अध्यापकों का मास अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, सन् १९६१ और जनवरी, सन् १९६२ का वेतन माह मार्च, सन् १९६२ में दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री अजीज इमाम)---जी हां ।

*२---श्री गंगाधर---क्या शिक्षा मंत्री को यह भी जानकारी है कि उत्तराखंड प्रशासन के अधीन चमोली अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों को माह फरवरी, १९६२ से अभी तक वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अजीज इमाम---माह फरवरी का वेतन २४ मई, १९६२ को पूर्ण रूप से दे दिया गया था । आगामी महीनों के व्यय के लिये आवश्यक अनुदान इस मास दे दिया गया है । आशा है कि वेतन भुगतान की कार्यवाही हो रही होगी ।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अनुदान कितने रुपये का है ?

श्री अजीज इमाम---पिछले साल सरकार की तरफ से ३,८०,५०४ रुपया दिया गया था वह इस साल बढ़ा कर ५,१०,२२० रु० कर दिया गया है ।

श्री गंगाधर मैठाणी---मंत्री जी बतायेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद् चमोली के अध्यापकों के वेतन पर कितना खर्चा आता है ?

श्री अजीज इमाम---इसकी सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---मंत्री जी कारण बतायेंगे जो इतने दिनों तक वेतन नहीं दिया जा सका ?

श्री अजीज इमाम---इसकी जिम्मेदारी जिला परिषद् पर है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि सरकार से जो अनुदान क्वार्टरली मिलता है परिषद् को, सरकार ने उसको ठीक समय से नहीं दिया, इसीलिये परिषद् ने वेतन देने में देर की ?

श्री अजीज इमाम---नहीं । इसके खिलाफ है । जो सरकार को दिसम्बर और जनवरी में देना चाहिये था अनुदान वह अभी दे दिया गया ।

श्री गंगाधर मैठाणी---मंत्री जी बतायेंगे कि जिला परिषद् को किस आधार पर, किस रेशियो पर आप अनुदान देते हैं ?

श्री अजीज इमाम---इसकी सूचना चाहिये ।

बलरामपुर तहसील में बाढ़ से बचने के लिये कार्य

*३---श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रतिवर्ष गोंडा जिले के तराई क्षेत्र में मुख्यतः बलरामपुर ब्लाक एवं हरैया सतघरवा ब्लाक के अन्दर कितने गांव बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं और उनके बचाव हेतु इस बार सरकार नाव आदि के अलावा क्या कोई ठोस कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक इसका प्रबन्ध हो जायेगा ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)---गोंडा जिले के तहसील बलरामपुर के तराई क्षेत्र में ८२ ग्राम हैं । जिनमें प्रति वर्ष बलरामपुर ब्लाक के २८ तथा हरैया सतघरवा ब्लाक के १० ग्राम बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं । तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में गोंडा जिले में जिन गांवों को ऊंचा करना है उसके बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है ।

*४---श्री सुखदेवप्रसाद---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष नाव न होने से जो परेशानी उठानी पड़ी है उसके लिये इस वर्ष कोई प्रबंध किया गया है ? यदि हां, तो कितनी नावों का और कहां से ?

श्री बृजबिहारी---राज्य सरकार ने देशी नावों के निर्माण की अपनी सब्सीडाइज्ड योजना के अन्तर्गत, जिसके अन्तर्गत नाव की लागत मूल्य का ६० प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है १५ देशी नावों के निर्माण के लिये ७,२०० रु० की धनराशि स्वीकृत की है ।

*५---**श्री सुखदेवप्रसाद**---क्या सरकार ने उक्त बाढ़ पीड़ितों के लिये कोई प्रबंध गल्ले आदि का अभी से कर लिया है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कितना ?

श्री बृजबिहारी---इस वर्ष बाढ़ पीड़ितों के लिये निम्नलिखित बाढ़ सेक्टरों व बाढ़ पोस्टों पर पहले से गल्ला आदि रखने का प्रबंध किया जा रहा है:

बाढ़ सेक्टर	बाढ़ पोस्ट
१---बलरामपुर	१---सहेट महेट
२---महाराजगंज	२---सेखरपुर
३---नचौरा	३---विजुलीपुर
४---आदमतारा	४---लिलवा
५---ललिया ।	५---झुनझुनिया
	६---महाराजगंज
	७---नचौरा
	८---आदमतारा
	९---ललिया ।

श्री सुखदेवप्रसाद---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो हर्रैया सतघरवा ब्लाक में १० ग्राम बाढ़ पीड़ित हैं उनके क्या-क्या नाम हैं और उनको ऊंचा करने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जैसा जवाब में बतलाया है अभी तक निर्णय नहीं किया है कि कौन ऊंचे किये जायेंगे और कौन नहीं । नामों के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---जैसा अभी मंत्री जी ने बतलाया है कि एक ब्लाक में २८ और दूसरे में १० गांव बाढ़ पीड़ित रहे हैं तो उनको ऊंचा करने के लिये कोई समुचित योजना बनाई गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसका उत्तर मैं दे चुका हूं कि अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---इन गांवों को ऊंचा करने की योजना नहीं बनाई जा सकी है, उसका कारण यह है कि सिंचाई विभाग ने एक साल पहले यह निश्चय कर लिया था कि गांवों को ऊंचा करने की योजना जो पहले से चली थी उसको रोक दिया जाय और उस पर अब पुनर्विचार किया जा रहा है कि ऊंचा करने की योजना चालू की जाय अथवा न की जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मेरा खयाल यह है कि ऊंचा करने की योजना लेजिस्लेचर ने बजट में मंजूर की है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या इन गांवों में बाढ़पीड़ित जनों को बचाने के लिये अब तक नावों का प्रबंध नहीं है, यदि हां तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिले के अधिकार में नावें रहती हैं । जिले के अधिकारी उनको डिस्ट्रिब्यूट करते हैं ।

श्री नरसिंहनारायण---इस बात को देखते हुए कि बाढ़ आ गयी है और अभी तक उन गांवों में नावों का इन्तजाम नहीं हो पाया है तो क्या इसकी समुचित व्यवस्था करने के लिये सरकार विचार कर रही है कि उन गांव वासियों को ऊंचे स्थानों पर ले जाने के लिये नावों की व्यवस्था कर दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी कोई एलार्मिंग रिपोर्ट हमें नहीं मिली है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जिले में प्रबन्ध होता है ऐसा माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, लेकिन हमारी यह जानकारी है कि जिले में प्रबन्ध नहीं होता है । हर गांव सभा को जो बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में हैं उनको नावें सुपुर्द कर दी जाती हैं और उसके लिये सरकार कुछ हिस्सा देती है और गांव सभाओं वाले कुछ हिस्सा दे कर नावें खरीदते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमारे गोंडे जिले में ५० नावें सरकारी और ४६ गांव सभाओं की हैं ।

आंधी से क्षति

*६---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २८ अप्रैल, १९६२ की रात को आयी हुई भीषण आंधी से प्रदेश के किन-किन जिलों में जन-धन की कितनी-कितनी हानियां हुई हैं ?

श्री बृजबिहारी---आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५३२ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतलायेगी कि टेहरी गढ़वाल की प्रतापनगर तहसील के ३५ गांवों में अनुमानतः ७५ नये पैसे से १०० नये पैसे का नुकसान हुआ है और देवप्रयाग के १९ गांवों में २५ नये पैसे से ९४ नये पैसे का नुकसान हुआ है तो इन गांवों में किन किन को कौन कौन सी सहायता दी गयी और कितने-कितने रुपये की सहायता सरकार की ओर से दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसका विवरण बतलाना संभव नहीं है, लेकिन कायदे की पाबन्दी जरूर की गयी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---कायदे की पाबन्दी में कौन-कौन-सी मदें शामिल हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---५० नये पैसे से अधिक का नुकसान होता है तो रेवेन्यू में छूट दी जाती है और ग्रेचुटी रिलीफ दी जाती है ।

श्री गंगाधर मैठाणी---जोशीमठ तहसील में एक स्त्री और उसके दो बच्चे इस तूफान में बह गये क्या इसकी सूचना सरकार को है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सूची के अलावा और कोई सूचना मुझे नहीं है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय मंत्री को रुपये की तादाद नहीं मालूम है लेकिन कायदे की पाबन्दी हुई है । तो रुपये पैसे के मामले में बेकायदगी हुई है इसकी क्या उनको जानकारी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत—जो कायदा मदद देने का बना हुआ है उसके अन्तर्गत अगर मकान उड़ जाय या खपरैल उड़ जाय तो उसके लिये कोई सहायता नहीं दी जाती तो क्या माननीय मंत्री जी नियमों में परिवर्तन करने की कृपा करेंगे कि गरीबों के अगर मकान गिर जाते हैं तो उनको सहायता दी जा सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हाउस सबसिडी देने का तो नियम है, परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जिन जिलों या गांवों में नुकसान हुआ है वहां हम छूट देने जा रहे हैं, तो उनके छूट देने के क्या नियम हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नियम की तरफ़ में उनकी तवज्जह दिलाता हूं, वह पढ़ लें।

जाट लखावटी डिग्री कालेज के कुछ लेक्चरारों के विरुद्ध कथित कार्यवाही

*७—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में जाट लखावटी डिग्री कालेज के इस वर्ष चुनाव में भाग लेने वाले लेक्चरारों को कालेज से निकालने का नोटिस दिया गया था ? यदि हां, तो अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—जी नहीं।

बर्डघाट पुल पर व्यय

*८—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में जनवरी, १९६२ से लेकर मार्च, १९६२ तक कितना रुपया नये बनाये जाने वाले बर्डघाट पुल पर खर्च हुआ है और किस-किस मद में ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)—उक्त अवधि में कुल १,६८,४३६ रुपया खर्च हुआ है। खर्च का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५३३ पर)

*९—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उक्त धनराशि खर्च करने के पूर्व इसकी स्वीकृति ली गई थी ? यदि हां, तो किससे तथा उक्त धनराशि खर्च करने का माध्यम कौन सा था ?

श्री गनेशीलाल—जी हां, स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से प्राप्त है तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा धनराशि खर्च हुई।

*१०—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या उक्त अवधि में बर्डघाट पुल पर जो खर्च हुआ है उसमें खर्च की गड़बड़ी तथा फर्जी पेमेंट की कोई शिकायत सरकार को मिली ? यदि हां, तो क्या ?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १ लाख ६८ हजार रुपये की धनराशि जो इस तीन माह के बीच खर्च की गयी जबकि उक्त पुल का निर्माण कार्य बन्द था तो इसका क्या कारण है ?

श्री गनेशीलाल—जैसा कि माननीय सदस्य की मेज पर रखी गयी सूची में दिया हुआ है विभिन्न कार्यों में यह रुपया खर्च किया गया और उन विभिन्न कार्यों की आवश्यकता थी, इसलिए खर्च किया गया।

श्री कल्पनार्थसिंह—विभिन्न कार्यों के व्यय पर साढ़े ७ परसेंट अधिक खर्चे की एक मद है जिसमें १३,४२९ रुपया खर्च हुआ। तो यह खर्च करने के नियम क्या हैं और क्या यह रुपया वहीं खर्च हुआ या इसका कोई कायदा है ?

श्री गनेशीलाल—खर्च तो रूल के मुताबिक होता है, वह खर्च किया गया।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—जैसा कि मैंने प्रश्नों से समझा शायद काम नहीं हो रहा था उस बीच में खर्चा हुआ। जो सूची है उसमें आकस्मिक व्यय ६,१४८ रुपये ९७ न० पै० का कंटिन्जेन्सी में खर्च दिया हुआ है। तो जब काम नहीं हो रहा था तो कंटिन्जेन्सी कहां से आ गयी ?

श्री गनेशीलाल—और भी काम उसके हो रहे थे।

श्री नरसिंहनारायण—लाखों रुपये का सामान आज भी बाढ़ आने के समय नदी के किनारे पड़ा हुआ है और वह सामान इसी ६ लाख रुपये के अन्दर है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि स्टोर में कितना सामान है और उसमें से कितना खर्च हुआ ?

श्री गनेशीलाल—जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, सामान तो है ही।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुल का एक्जीक्यूशन नहीं हो रहा था, लेकिन और भी काम हो रहे थे, तो और भी काम कौन-कौन से हो रहे थे ?

श्री गनेशीलाल—यह सूची में दिया हुआ है कि टेस्टिंग का काम चल रहा था जिसमें ३,२९३ रुपये खर्च हुआ। पायसं के ऊपर के भाग में ७२२ रुपये ५२ नये पैसे खर्च किये गये, मिसलेनियस में २,४०८ रुपये ४९ नये पैसे खर्च किये गये, वर्क चार्ज और टूल्स और प्लान्ट्स में ६,१४८ रुपये खर्च किये गये और १,३२,१४७ रुपये ५५ नये पैसे का और भी सामान खरीदा गया।

तो इस तरह से अलग-अलग खर्चा उसका भी चल रहा था।

श्री यादवेन्द्रदत्त—यह जो दो हजार के लगभग मिसलेनियस खर्चा हुआ है यह मिसलेनियस खर्चा किस विषय पर हुआ, जब कि एग्जिक्यूटिव वर्क हो नहीं रहा था ?

श्री गनेशीलाल—फुल डिटेल्स के लिए तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी सूची में एक आइटम है जिसमें स्पैन की जांच में ३२९३.५७ रु० खर्च हुआ है, उस स्पैन की क्या जांच हो रही है, जिसमें इतना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री गनेशीलाल—फुल विवरण इस समय नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मंत्री जी के पास यह सूचना है कि एक लाख से अधिक रुपये का सामान खरीदा गया वह कहां से खरीदा गया और किसकी स्वीकृति से खरीदा गया ?

श्री गनेशीलाल—डिपार्टमेंट ने खरीदा है। इसकी सूचना तो नहीं है कि कहां से खरीदा गया ?

श्री नरसिंहनारायण—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो खर्चा मिसलेनियस बताया गया है, क्या इसमें वह भी मद शामिल है जो डाइनेमाइट पर पुल के तोड़ने में खर्च किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—जब एक मर्तबा उन्होंने कह दिया कि मिसलेनियस की सूचना नहीं है, तो आपका यह पूछना कि मिसलेनियस में यह शामिल है या नहीं, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस पुल की जो जांच कमेटी बनायी गयी है, उस जांच कमेटी ने यह आदेश दिया था कि जब तक कि पुल की पूर्ण रूपेण जांच न हो जाय तब तक उसका कोई सामान न छुआ जाय, और जिस समय खर्च हुआ है उस समय कमेटी ने अपनी जांच पूरी नहीं की थी, तो किस नियम के अन्तर्गत खर्चा किया गया ?

श्री गनेशीलाल—जांच कमेटी की रिपोर्ट तो अभी आयी नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण—मैंने जो सवाल किया है वह दूसरा है और जवाब दूसरा है।

श्री अध्यक्ष—इनका कहना यह है कि यह आदेश दिया गया था या नहीं कि जब तक जांच कमेटी अपनी इनक्वायरी करे तब तक इस सम्बन्ध में कोई व्यय न हो और अगर ऐसा आदेश था तो क्यों खर्चा हुआ ?

श्री गनेशीलाल—ऐसे आदेश की सूचना तो नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—पुल के निर्माण का किसी ठेकेदार को ही ठेका दिया गया होगा और ठेका दिया जाता है तो विद मैटीरियल दियाजाता है, तो जो सामान सरकार ने खरीदा, क्या वह उसी ठेकेदार से उस सामान को खरीदा गया ?

श्री गनेशीलाल—यह तो फुल विवरण की बात है, इस वक्त तो नहीं मालूम है।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि एक आइटम उनकी सूची में है—सामान जो पुल बनने में प्रयोग होगा—१,३२,१४७.५५ रु०, तो यह विवरण खर्चे का है कि इतना खर्चा हो गया, तो खर्चा "होगा" कहां से शरीक कर दिया गया, और आया तो क्यों आया ?

श्री अध्यक्ष—इसमें जो आइटम है वह इस प्रकार से लिखा है अंग्रेजी में—(material at site account) जो वहां पर सामान मौजूद है उसका है, और हिन्दी में जरूर लिखा है 'सामान जो पुल बनने में प्रयोग होगा'। तो 'material at site account' का मतलब मैं समझता हूं कि जो मैटीरियल मौजूद है उसका।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—पुल आदि बनाने के लिए सामग्री पहले इकट्ठी कर ली जाती है, उसमें पैसा खर्च हो जाता है, तो खर्च तो हो गया, लेकिन पुल बनेगा बाद में, मैटीरियल पहले से इकट्ठा कर लिया जाता है। यह सारे इंजीनियरिंग विभागों में होता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

श्री गेंदासिंह—यह सामान क्या था ? कौन-कौन सा सामान खरीदा गया और दूसरी बात उसी के साथ-साथ यह कि यह सामान खरीदने के लिए क्या उच्च अधिकारियों के द्वारा इजाजत मिली थी ? किसने खरीदा और किसकी इजाजत से खरीदा ?

श्री गनेशीलाल—यह तो एक बड़ी लिस्ट होगी....

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इसकी सूचना आपको है या नहीं ?

श्री गनेशीलाल—इस वक्त तो सूचना नहीं है।

श्री गेंदासिंह—मैं तो समझता हूं, श्रीमन्, कि यह सवाल मुल्तवी किया जाय। पूरी सूचना के साथ फिर हाउस के सामने वह आये।

श्री अध्यक्ष—माननीय गेंदा सिंह जी, इतना विवरण माननीय मंत्री जी को प्राप्त करना आवश्यक था या नहीं जिस प्रकार के प्रश्न किये गये हैं, इसमें मुझे शंका है।

श्री नरसिंहनारायण—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल पर कुल कितनी लागत खर्च करने का अनुमान था और आज तक कितना खर्च हुआ ?

श्री गनेशीलाल—इसका तो अनुमान ४१.४३ लाख रु० का था और इसकी इस वक्त मेरे पास सूचना नहीं है कि अब तक कितना खर्च हुआ।

कुंवर श्रीपालसिंह—इस प्रश्न के अन्दर काफी चीजें एसी हैं कि जिनमें सदस्यों के हृदय में काफी भ्रम है और काफी रहस्य इसमें है, इसलिए उनको आज्ञा दी जाय कि वह इस पर तैयार होकर आयें और इस वक्त इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—श्रीपाल सिंह जी, आप तो नये नहीं हैं। इसके लिये और कितने तरीके हैं, वह आपको मालूम हैं जिससे आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं बराबर खड़ा हुआ, आपने मुझे मौका नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—आप अपनी जगह पर नहीं बैठे थे, पीछे बैठे थे।

श्री रामायणराय—श्रीमन् इसी सम्बन्ध में २८१ नम्बर पर तीन मेरे बहुत ही महत्व के सवाल थे, लेकिन एक भी सवाल मुझे पूछने का मौका नहीं दिया गया और जवाब भी मुझे नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—अच्छा, यह सवाल फिर आ जायगा।

उजियारघाट नौका पुल की नावें डूबना

*११—**श्री मान्धातासिंह** (जिला बलिया)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उजियार घाट नौका पुल की नावें दिनांक ६ मई, १९६२ की रात्रि में डूब गईं ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री गनेशीलाल—जी हां। पांच नावें।

श्री मान्धातासिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नावों के डूबने से कितने आदमी मरे हैं ?

श्री गनेशीलाल—१ मनुष्य की मृत्यु हुई।

श्री मान्धातासिंह—क्या सरकार बतायेगी कि नावों के डूबने का कारण क्या था ?

श्री गनेशीलाल—भयंकर तूफान आ गया था।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

भरथना तहसील में लेखपालों को वेतन वृद्धि न मिलने की शिकायत

*१—**श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले की भरथना तहसील में चकबन्दी लेखपालों को तो पांच रुपया मासिक नई स्वीकृत वृद्धि मिल गई है परन्तु नियमित (Regular) लेखपालों को अब तक क्यों नहीं मिली है ?

श्री बृजबिहारी—सभी नियमित लेखपालों को वृद्धि मिल रही है।

*२—श्री सहदेवसिंह—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लेखपालों की जो एक रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि होती है वह इटावा जिले की भरथना तहसील के लगभग एक तिहाई लेखपालों को गत लगभग चार साल से नहीं प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

श्री बृजबिहारी—केवल ५ लेखपालों को वार्षिक वृद्धि ४ वर्ष तक नहीं मिली थी, अब मिल चुकी है। इनमें से एक लेखपाल को गैर आबाद होने, दूसरे को सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने, तीसरे को उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चालू रहने, चौथे को उसकी सेवा चकबन्दी में तथा अन्य पदों पर सत्यापित (Verify) न होने और पांचवें को उसके चकबन्दी में होने और छुट्टी के सम्बन्ध में कार्यवाही समाप्त न होने के कारण इतने समय तक वार्षिक वृद्धि नहीं दी गयी थी।

श्री सहदेवसिंह—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इटावा जिले की भरथना तहसील में दो या तीन साल से काम करने वाले लेखपाल तो स्पष्ट रिक्त स्थानों पर कार्य कर रहे हैं और स्थायी होने जा रहे हैं जब कि सात आठ साल से काम करने वाले लेखपाल अस्थायी तौर पर अस्थायी रिक्त स्थानों पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने लेखपाल हैं और इस अनियमिता का क्या कारण है ?

श्री बृजबिहारी—ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री सहदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि अप्रैल के प्रारम्भ में ४ महीने पहले जब यह प्रश्न दिया गया था तो उसके बाद यह वेतन वृद्धि उनको दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त दी जा रही है ?

श्री सहदेवसिंह—क्या माननीय माल मंत्री जी बतलायेंगे कि फिर किस तारीख को यह वेतन वृद्धि दी गई, इसकी सूचना उनके पास है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने जवाब दे दिया। इसके अलावा और कोई जवाब इस समय मैं देने की पोजीशन में नहीं हूं।

छाता तहसील में अतिवृष्टि से कुओं का पानी खराब होना

*४—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मथुरा, तहसील छाता में अतिवृष्टि के कारण जो फसलें नष्ट हुई हैं और कुओं का पानी खराब हो गया है उसके सम्बन्ध में क्या कोई शिकायत सरकार के पास आई है, क्या यह सच है कि मुख्य मन्त्री जी ने उक्त शिकायत के उत्तर में सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश मार्च, सन् १९६२ में दे दिये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार अब तक की गई कार्यवाही के विवरण देने का कष्ट करेगी ?

श्री बृजबिहारी—जी हां। उक्त शिकायती पत्र अप्राप्य है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि मुख्य मन्त्री जी ने उस सम्बन्ध में क्या आदेश दिये थे।

अतिवृष्टि के कारण नष्ट हुई फसलों तथा कुओं के खराब हो गये पानी के सम्बन्ध में जिलाधीश से पूछ-ताछ करने पर मालूम हुआ है कि इस सम्बन्ध में निम्न सहायता दी गई :—

			रु०
(१) संकट कालीन तकावी	..	..	४८,०००
(२) गृह निर्माण अनुदान	..	..	५,०००
(३) अहेतुक सहायता	..	..	३,०००
(४) मालगुजारी में छूट	..	..	१,४५,३४७

(५) जिन गांवों में कुओं का पानी खराब हो गया था उनमें से कुछ गांवों में तो ग्रामीणों ने स्वयं कुयें साफ किये। इसके अतिरिक्त स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा भी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की सूचना मिली है।

श्री लखीसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कौन-कौन गांव में ऐसे कुएं थे और किन-किन कुओं के पानी की गांव वालों ने सफाई की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---१०८ कुल गांव अफेक्टेड थे। कौन-कौन कुएं अफेक्टेड थे और कौन-कौन कुओं की गांव वालों ने सफाई की इसकी फेहरिस्त इस समय मेरे पास नहीं है। इसलिये इसके लिये मुझे खेद है।

श्री लखीसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि विभागीय कार्यवाही किन-किन कुओं में की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने बतलाया कि वह फेहरिस्त इस समय मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं बतला देता।

श्री अध्यक्ष---वह यह पूछना चाहते हैं कि किस विभाग द्वारा वहां पर काम हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुछ गांव वालों ने सफाई की है और बाकी एल० एस० जी० विभाग के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा काम हुआ है।

श्री लखीसिंह---आपके उत्तर से मेरी संतुष्टि नहीं हुई। आप कृपया अपने शब्दों की व्याख्या करें कि कहां-कहां पर कैसा काम हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वहां पर कुछ काम हुआ है। वह पूरी फेहरिस्त इस समय मेरे पास नहीं है। बस यही व्याख्या मैं कर सकता हूं।

श्री नरसिंहनारायण---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मास स्केल पर जब इतने कुएं खराब हुए थे १०८ गांवों में और उसके बाद अतिवृष्टि से क्षति हुई तो इसको देखते हुए क्या तात्कालिक सहायता और पहुंचाई गई, जिससे उन गांव वालों का ठीक से उपचार हो सकता ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---१०८ गांवों के कुएं नहीं, बल्कि कुछ गांवों के कुएं फ्लड से एफेक्टेड हुए थे। जो सहायता दी गई है वह मुनासिब सहायता दी गई है। इससे ज्यादा वह नहीं हो सकती।

राजस्व विभाग के पुराने अस्थायी कर्मचारी

*५---श्री बेदराम (जिला एटा), श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) तथा श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)---क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो १० साल से अधिक समय से नौकरी कर रहे हैं तथा उन्हें अभी स्थायी नहीं किया गया ? उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री बृजबिहारी---६८१। अधिकांश लोगों की निकट भविष्य में स्थायी होने की सम्भावना है।

*६---श्री बेदराम, श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री बसन्तसिंह---क्या यह सही है कि जिला कलेक्टरों को कोई सरकारी आदेश है कि २१ वर्ष से अधिक उम्र के लिपिक जिला कचेहरियों में भर्ती न किये जायें ?

श्री बृजबिहारी—जिला कलक्टरियों में पेड अप्रेन्टिसों की नियुक्ति के लिये ऐसे आदेश हैं।

श्री रामायण राय--प्रश्न ६ के उत्तर में जो आदेश की बात है वह तो विशेष आदेश हैं। वे क्यों और किस परिस्थिति में दिये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—न बिल्कुल नाबालिग लिये जा सकते हैं न बुड्ढे।

श्री रामायण राय—आम तौर से १८ और २५ वर्ष की आयु होती है सरकारी नौकरियों के लिये। यह २१ वर्ष क्यों रखी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१८ वर्ष का तजुर्बा कुछ गड़बड़ मालूम होता है, इसलिये २१ कर दिया गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार—जो ६८१ व्यक्ति १० वर्ष से स्थायी नहीं किये गये उनमें कौन-कौन विभागों के लोग हैं, क्या उसकी कोई सूची है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—राजस्व परिषद् में १ मिनिस्टीरियल और १९ इंपीरियल, इस तरह से कुल २० आदमी। बन्दोबस्त में ३८, जिला आफिसेज में ६०६ और इम्पीरियल १९, डिवीजनल आफिसेज में ३ मिनिस्टीरियल और इंपीरियल १, लैंड रेकार्ड्स में सुपर-वाइजर कानूनगो ३, गवर्नमेंट स्टेट ड्यूटी में १७, कालोनाइजेशन में २ और पावर हाउस में ६ हस्तिनापुर में।

श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि राजस्व विभाग में स्थायीकरण के नियम क्या हैं और १० वर्ष तक नौकरी करने के बाद भी इन लोगों को स्थायी क्यों नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां तक नियमों का ताल्लुक है उन्हें आप लाइब्रेरी में जा कर पढ़ लें। नियम वहां मौजूद हैं। और बहुत से स्थायी किये जाने वाले हैं और बहुत जल्दी ही हो जायेंगे।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि जिन नियमों का हवाला माननीय मन्त्री जी ने दिया है वह लाइब्रेरी में ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलते ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरे पास आ जाइये, मैं दिखा दूंगा।

श्री चन्द्रजीत—क्या राजस्व मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जिन नियमों की जानकारी उनको है उनको जानकर भी इन लोगों को दस साल तक स्थायी क्यों नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यदि आज्ञा हो तो वजह बतला दूं।

श्री अध्यक्ष—बतलाइये।

श्री ब्रजबिहारी—कारण यह दिया हुआ है कि राजस्व परिषद् में जो २० आदमी हैं वह शीघ्र ही कन्फर्म कर दिये जायेंगे। सेटिलमेंट में जो ३८ हैं उनके लिये कहा गया है "This department is temporary and therefore question of making any of them permanent does not arise."

श्री अध्यक्ष—इसका अनुवाद आप हिन्दी में कर दें।

श्री ब्रजबिहारी---यह कहा जाता है कि यह विभाग अस्थायी है और इसलिये इनको स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता। डिस्ट्रिक्ट आफिसेज में कहा गया है जिनमें ६०६ हैं कि इनमें ५४७ के निकट भविष्य में स्थायी होने की संभावना है और बाकी को स्थायित्व नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वे अस्थायी पदों पर नियुक्त हैं। इन्फीरियर १९ जो हैं उनमें १८ को निकट भविष्य में स्थायी कर दिया जायगा और १ को कोई चांस नहीं है।

श्री अध्यक्ष---लिस्ट बहुत लम्बी है। जो सदस्य देखना चाहें, देख सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत---मैंने यह प्रश्न किया था कि वे कारण बताये जायं पर जो आपने ३-४ कारण पढ़े वे कोई कारण नहीं हैं कि उनके निकट भविष्य में स्थायी करने की सम्भावना है। कायदा तो यह है कि जो तीन साल तक काम करे उसे स्थायी कर दिया जाय, परन्तु जो दस साल से काम कर रहे हैं उनको क्यों नहीं स्थायी किया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उसके योग्य वे नहीं समझे गये।

श्री कल्पनार्थसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां-जहां यह कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हीं स्थानों में स्थायी स्थान अभी भी रिक्त हैं, परन्तु जो काम कर रहे हैं उन्हें क्यों अस्थायी रखा गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो अभी नहीं किये गये हैं वे आइन्दा कर दिये जायेंगे यदि वे योग्य समझे गये।

श्री कल्पनार्थसिंह---परमानेन्ट पोस्ट इग्जिस्ट करती हैं जो कि वैकेन्ट हैं, रिक्त पड़ी हैं, लेकिन उन्हीं जगहों पर काम करने वाले आदमी टेम्पोरेरी हैं। ऐसा क्यों है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी मुझे कोई सूचना नहीं है, इस समय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय मन्त्री जी ने योग्यता से सम्बन्धित प्रश्न उठाया। क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो सरकार की कमेटी बनी थी, जिसने यह निर्णय दिया था कि तीन वर्ष तक एक पद पर काम करने वाले कर्मचारी स्थायी किये जायेंगे, परन्तु उसके बाद भी योग्यता का प्रश्न है कि जब वे योग्य होंगे तभी स्थायी किये जायेंगे, यह कहां तक उचित है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हर अप्वाइन्टमेन्ट में योग्यता तो देखी जाती ही है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह अकेले डिपार्टमेन्ट का कसूर नहीं कि दस साल तक काम करने के बाद भी वे गैरमुस्तकिल रहें, बल्कि यह सरकार की नीति है कि लोगों को वह ज्यादा से ज्यादा गैरमुस्तकिल रखे। कुछ लोग तो दस साल से भी ज्यादा से अस्थायी हैं। ऐसा क्यों है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह बात गलत है।

श्री गेंदासिंह---क्या यह फिगर्स इस वक्त माननीय राजस्व मन्त्री जी के पास हैं कि इस राज्य में कितने ऐसे मुलाजिम हैं जो दस बरस से ज्यादा से गैर मुस्तकिल हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आप क्वेश्चन दे दीजिये मैं ढूंढ़वा लूंगा।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---मैं माननीय मन्त्री जी को जानकारी के लिये एक बात बताना चाहता हूं कि प्राइवेट फैक्टरियों में, मिलों में २४० दिन लगातार काम करने के बाद एक आदमी परमानेन्ट हो जाता है तो आप यहां ऐसा क्यों नहीं करते?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं इत्तला दे सकता हूं, इत्तला लेने के लिये रूल्स हमें बाध्य नहीं करते।

इलाहाबाद के डिमान्स्ट्रेशन स्कूल तथा माडल स्कूल के ग्रीष्मावकाश में असमानता

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या शिक्षा मन्त्री कृपा कर यह बतायेंगे कि गवर्नमेंट माडल स्कूल, जो विभिन्न ट्रेनिंग संस्थाओं से संलग्न है, उनमें ग्रीष्मावकाश में समानता क्यों नहीं है?

श्री अजीज इमाम—गवर्नमेन्ट माडल स्कूल जो विभिन्न ट्रेनिंग संस्थाओं से संलग्न है उनमें ग्रीष्मावकाश समान रूप से १ जून से ३० जून तक दिया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में असमानता का प्रश्न नहीं उठता।

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार को पता है कि इलाहाबाद गवर्नमेंट डिमांस्ट्रेशन स्कूल सी० पी० आई० में २ माह का अवकाश होता है जब कि गवर्नमेंट माडल स्कूल, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद में १ माह का? ऐसा अन्तर क्यों है?

श्री अजीज इमाम—जी हां, यह ज्ञात है। अन्तर का कारण यह है कि डिमान्स्ट्रेशन स्कूल शिक्षा संहिता के अन्तर्गत माडल स्कूल नहीं हैं।

*९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या अवकाश में समानता लाने का प्रयास आगामी ग्रीष्मावकाश में किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अजीज इमाम—प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि राजकीय स्कूलों में छुट्टी की सीमा एक ही है या उनमें कोई अन्तर है?

श्री अजीज इमाम—राजकीय स्कूलों में छुट्टी की सीमा एक ही प्रकार है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—प्रश्न संख्या ८ के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि "जी हां" और अभी उत्तर दिया कि छुट्टी की सीमा एक ही प्रकार है, तो इन दोनों में अन्तर क्यों है?

श्री अजीज इमाम—असल में वाक्या यह है कि यह जो डिमान्स्ट्रेशन स्कूल हैं सी० पी० आई०, इलाहाबाद में वहां रिसर्च का काम होता है और इसलिये यह अन्तर है।

श्री सहदेवसिंह—क्या मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि गवर्नमेंट नार्मल स्कूलों में जितनी छुट्टी होती है उससे कम माडल स्कूलों में क्यों होती है जब कि दोनों ही सरकारी हैं?

श्री अजीज इमाम—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मन्त्री जी यह कहते हैं कि सब स्कूलों में एक प्रकार की छुट्टी होती है दूसरी तरफ यह अन्तर भी स्वीकार करते हैं.....

श्री अध्यक्ष—उनका मतलब यह है कि समान स्कूलों में समान छुट्टी होती है।

हीरालाल वैश्य नेशनल कालेज, छिबरामऊ में कुछ विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

*१०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हीरा लाल वैश्य नेशनल इन्टर कालेज, छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में कौन-कौन किस-किस क्लास के लड़के इस साल परीक्षा देने से रोके गये और क्यों?

श्री अजीज इमाम—सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५३४ पर)

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन लड़कों में किस लड़के को एक दो परचे करने के बाद उसे परीक्षा से रोका गया?

श्री अजीज इमाम—लिखित परीक्षा में कोई भी छात्र एक भी पर्चा देने के पश्चात् नहीं रोका गया।

*१२—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**—अगर हां, तो क्या इन लड़कों के जो एक-एक साल बरबाद हुए मन्त्री जी इस सम्बन्ध में कोई उचित व्यवस्था करेंगे, ताकि कोई कालेज इस प्रकार की मनमानी न कर सके?

श्री अजीज इमाम—यह छात्र बोर्ड के विनियमों के अन्तर्गत रोके गये हैं। अतः कोई व्यवस्था किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रैक्टिकल परीक्षा के बाद कौन-सा छात्र परीक्षा से रोका गया और उस परीक्षा में वह छात्र उत्तीर्ण हुआ?

श्री अजीज इमाम—प्रैक्टिकल परीक्षा की जो लिस्ट दी हुई है इसमें इन्टरमीडिएट कालम में ५वें नम्बर पर राज बहादुर राठौर का नाम है जिन्होंने प्रैक्टिकल परीक्षा दी थी। उसके बाद उनको रोका गया, इसलिये कि जब प्रैक्टिकल परीक्षा होती है अगर उस वक्त तक प्रिंसिपल इस बात का निर्णय नहीं कर सकता कि किस छात्र का क्या परसेन्टेज है हाजरी का। इसलिये जो प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होते हैं उनसे लिखवा लिया जाता है कि अगर वह परीक्षा में पास भी हो गये हैं और उनकी हाजरी कम है तो बाद में उनको रोक लिया जायगा और उनको कोई एतराज नहीं होगा। इस छात्र ने भी पहले लिख दिया था और उसकी हाजरी कम है, इसलिये उनको प्रिंसिपल ने इम्तहान में बैठने की इजाजत नहीं दी।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—एक राज बहादुर सिंह छात्र थे, उनकी हाजरी कम नहीं है, क्या मन्त्री जी को जानकारी है इसकी?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बता दिया कि उनकी हाजरी कम है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—राज बहादुर की प्रैक्टिकल परीक्षा कब हुई थी?

श्री अजीज इमाम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री उग्रसेन—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि राज बहादुर की हाजरी कितनी मीटिंग कम है?

श्री अजीज इमाम—जी नहीं, कोई सूचना नहीं है।

श्री उग्रसेन—तब तो प्रश्न स्थगित कर दिया जाय।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, शिक्षा बोर्ड का नियम है कि जिस समय फार्म भरे जाते हैं तो जिनका परसेन्टेज कम होता है वह रोक लिये जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल तक अगर कम नहीं था परसेन्टेज तो प्रैक्टिकल के बाद में किस तरह से लड़का रोका गया?

श्री अजीज इमाम---असल में प्रैक्टिकल परीक्षा, लिखित परीक्षा के दो-तीन महीने पहले होती है और उसके बाद भी पढ़ाई होती है। इसलिये हाजरी उसी वक्त जोड़ी जा सकती है जब पढ़ाई अन्तिम रूप से समाप्त हो जाय। इसलिये उसका बाद का भी परसेन्टेज जोड़ा जाता है और उसके बाद ही इजाजत दी जाती है।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया---फार्म्स किस महीने में भेजे जाते हैं?

श्री अजीज इमाम---अक्तूबर-नवम्बर में भेजे जाते हैं। प्रैक्टिकल परीक्षाएं फरवरी में होती हैं और परीक्षाएं मार्च में।

श्री कल्पनाथसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो उक्त छात्र का परसेंटेज कम हुआ वह प्रैक्टिकल परीक्षा के पहले हुआ या बाद में हुआ? कितने दिनों उसकी औसत हाजरी घटी?

श्री अध्यक्ष---शिक्षा मन्त्री जी, आप जरा ठहरिये। आपने जो नोट दिया है वह कुछ गलत मालूम होता है। इन्टर परीक्षा में पहले चार नाम जो हैं, चन्द्रभानु सिंह, सुरेशकुमार सिंह, वीरदास जैन तथा श्रीमती किरण किशोरी, इनके सम्बन्ध में लिखा हुआ है: उपस्थिति में कमी तथा असंतोषजनक कार्य के कारण। बोर्ड के कैलेन्डर के अध्याय १२ के विनियम ५ (३) तथा ५ (११) के अन्तर्गत और फिर ५, ६, ७ नम्बर पर श्री राजबहादुर सिंह राठौर, हेमराज सिंह और धनीराम जाटव के सामने लिखा हुआ है (असंतोषजनक कार्य के कारण) बोर्ड के विनियम ५ (११) अध्याय १२ के अन्तर्गत। अब या तो आपका नोट गलत है या फिर आप गलती से उत्तर दे गये।

श्री अजीज इमाम---नोट तो सही है। असल में मैंने ऊपर का हिस्सा देख लिया था, इसलिये वह गलती हो गई।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं आप सदन से क्षमा मांगें।

श्री अजीज इमाम---जी हां, मैं क्षमा मांगता हूं।

दुवारी निवासी श्री मंगलसिंह का मालगुजारी में छूट के लिये आवेदन-पत्र

*१३---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दुवारी, जिला आजमगढ़ के कुछ किसानों का आवेदन-पत्र ५ मार्च, १९६२ का भेजा हुआ उन्हें तथा जिलाधीश को प्राप्त हुआ है जिसमें बाढ़ क्षति होने के कारण भी मालगुजारी में छूट न देने की शिकायत की गई है? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई है?

श्री बृजबिहारी---जिला आजमगढ के दुवारी ग्राम के कुछ किसानों का नहीं, बल्कि केवल एक किसान श्री मंगला सिंह का ५ मार्च, १९६२ ई० को भेजा हुआ एक व्यक्तिगत आवेदन-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी खरीफ, १३६९ फसली की फसल बरबाद होने और मालगुजारी में छूट न देने की शिकायत की थी। इस प्रार्थना-पत्र पर जांच करने पर यह ज्ञात हुआ है कि श्री मंगला सिंह की फसल को खरीफ १३६९ फसली में प्रति रुपया ६० नये पैसे की क्षति पहुंची है। जिलाधीश ने अपने जिले के खरीफ १३६९ फसली के सहायता के प्रस्तावों में श्री मंगला सिंह के खाते की प्रस्तावित छूट की धनराशि भी शामिल कर दी थी। शासन ने हाल ही में जिला आजमगढ़ के खरीफ १३६९ फसली के सहायता के प्रस्ताव स्वीकार कर दिये हैं जिनमें श्री मंगलासिंह के खाते की मालगुजारी में छूट की ५४ रु० ६८ न० पै० की धनराशि भी सम्मिलित है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---माननीय माल मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि खरीफ की वसूली में जमाबन्दी में इस रुपये की छूट नहीं दी गई थी बल्कि कुर्क-अमीन वसूल करने के लिये क्या तो मालूम हुआ कि जमाबन्दी में पूरी रकम नहीं लिखी है इस वजह से दरख्वास्त दी गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—किस वजह से दरख्वास्त दी यह नहीं मालूम, लेकिन उनका रेवेन्यू ससपेंड हो गया था कलेक्टर ने ससपेंड किया था।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—जब मालगुजारी ससपेंड हो गई तो फिर उनको कैसे मालूम हुआ कि हमारी मालगुजारी में छूट नहीं हुई। सही बात तो यह है कि मालगुजारी में छूट नहीं दी थी, बल्कि जमाबन्दी में रकम पूरी नहीं लिखी गई थी कुर्क-अमीन जब वसूल करने गया तब मालूम हुआ कि पूरी रकम नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत सम्भव है ऐसा हुआ हो, लेकिन उनके दिल की बात हम कैसे बतला सकते हैं कि कैसे मालूम हुआ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय माल मंत्री जी तहसीलदारों और जिलाधीशों को इस प्रकार के आदेश देंगे कि वह स्वयं मौके पर जायं तब जमाबन्दी बनाई जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सही जमाबन्दी बनाने के आदेश पहले से ही हैं।

गोहदा विशुनपुरा में मिट्टी के नीचे दब कर मरने वालों के परिवारों को सहायता

*१४—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को पता है कि ५ अप्रैल सन् १९६२ को जमानिया तहसील जिला गाजीपुर के गांव विशुनपुरा में भूधरा के अचानक बैठ जाने से बहुत से व्यक्तियों की दबकर मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो मरे हुये लोगों की संख्या क्या है ? क्या सरकार ने मरे हुये लोगों के घरवालों को कुछ आर्थिक सहायता भी दी है ?

श्री बृज बिहारी—दिनांक ५-४-६२ को ग्राम गोहदा विशुनपुरा, तहसील जमानिया, जिला गाजीपुर में पोतनी मिट्टी खोदते समय अचानक खोदान का ऊपरी भाग पैठ जाने से ६ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मृतकों के परिवारों को ९० रु० की अहेतुक सहायता दी गई।

श्री ऊदल—६ व्यक्ति मरने पर परिवार वालों को केवल ९० रूपये की मामूली सहायता दी गई तो इस बात को देखते हुये कि वे बहुत गरीब हैं और कुछ कर्जा भी हो गया है कुछ और अधिक सहायता देने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—किसी परिवार वालों को ३० किसी को १५ और किसी को ५ रुपये इस प्रकार से दिये गये हैं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक ....

श्री अध्यक्ष—ऊदल जी का प्रश्न यह है कि कुछ और सहायता देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस वक्त तो मैं विचार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री चन्द्रजीत—५ और ३ रुपये की जो सहायता दी गई तो क्या उनके परिवार वालों ने कफन के लिये सरकार के पास दरख्वास्त दी थी, किस मद में वह रुपया दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुकामी अफसरों ने दी। दरख्वास्त पर दी या कैसे दी, मैं नहीं कह सकता।

श्री उग्रसेन—यह ९० रुपये तथाकथित सहायता दी गई या क्षतिपूर्ति की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—न मालूम कितने आदमी रोज मरते हैं, हम कैसे क्षतिपूर्ति करेंगे ? कोई मद हमारे पास ऐसी नहीं है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--३ रुपये और ५ रुपये तो जले पर नमक छिड़कने के समान है, तो सरकार कम से कम नियमों में ऐसा परिवर्तन करेगी कि ऐसी सहायता दी ही न जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिन्होंने लिया है खुशी से लिया है। ३ रुपया मैंने नहीं कहा। उन्होंने जले पर नमक महसूस नहीं किया है।

कुंवर पुरवा निवासी श्री गंगा शुक्ल की जमाबन्दी में गलती

*१५--**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुंवरपुरवा, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के कुछ किसानों का २२ मई, १९६१ का लिखा हुआ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें अधिक मालगुजारी वसूल करने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी से कराई गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री बृजबिहारी--श्री गंगा शुक्ल, निवासी ग्राम कुंवरपुरवा, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ का दिनांक २२-५-६१ का पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था। जिलाधीश आजमगढ़ के तहसीलदार घोसी द्वारा मामले की जांच कराने पर यह ज्ञात हुआ कि श्री गंगा शुक्ल और उनके भाई श्री जंगी शुक्ल का खाता एक ही था। किन्तु १३६० फसली में गलती से जमाबन्दी में दो अलग-अलग खातों में पूर्ववर्ती मालगुजारी की रकम दर्ज हो गई। इस कारण वसूली अलग-अलग प्रत्येक दोनों खातों से की गई। इस गलती को अब श्री शुक्ल के भाई के खाते को काट कर ठीक कर दिया गया है। जो धनराशि अधिक वसूल की गई थी उसको अगली फसल की मालगुजारी में मिनहा कर दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि १३६० फसली के बाद प्रार्थियों ने कई बार सरकार के पास, जिलाधिकारियों के पास, सुधार के लिये आवेदन-पत्र दिये, लेकिन वह नहीं किया गया और बारबार उन्हें तंग किया गया, इसका कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुझे नहीं मालूम कि कितनी मर्तबा उन्होंने दरख्वास्त दी। एक बार दरख्वास्त दी जिस पर कार्यवाही करके गलती दुरुस्त की गई और तहसील में बुलाकर उन्हें समझा दिया गया। वे सन्तुष्ट होकर वापस गये।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बलिया में इंटर कक्षाएं न होना

*१६--**श्री मैनेजर** (जिला बलिया)--क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बलिया में ११ वीं तथा १२ वीं कक्षा की शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयत्न सरकार करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--निकट भविष्य में सम्भव नहीं है।

*१७--**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)--[८ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

धानी-उस्का-गोरखपुर-नौतनवा सड़क तथा हड़हवा पुल का निर्माण

*१८--**श्री नरसिंहनारायण**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आनन्दनगर-धानी-उस्का रोड, जो गोरखपुर जिले में है, उस पर हड़हवा के ऊपर पुल कब तक बन जाएगा ?

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या १५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—इस पुल का निर्माण सरकार ने इस वर्ष स्वीकृत किया है। सर्वे के बाद निर्माण-कार्य आरम्भ होगा, इस समय निश्चित रूप से यह बतलाना सम्भव नहीं है कि पुल के निर्माण में कितना समय लगेगा।

*१९—**श्री नरसिंहनारायण**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सड़क की क्या स्थिति है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क पर निर्माण-कार्य जारी है।

*२०—**श्री नरसिंहनारायण**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की गोरखपुर से नौतनवां जाने वाली सड़क का जीर्णोद्धार कब तक हो जाएगा ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क के ३३ मील का जीर्णोद्धार अप्रैल, १९६४ तक हो जायेगा। शेष सड़क की आधुनिकीकरण की इस समय कोई व्यवस्था नहीं है।

ज्ञानपुर तहसील में दाखिल खारिज के मुकदमें

*२१—**श्री गयाप्रसाद** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि वाराणसी जिले के ज्ञानपुर तहसील में दाखिल खारिज के करीब दो ढाई हजार ऐसे मुकदमें हैं जो ५-६ साल पुराने हैं और आज तक उनके फैसले नहीं किये जा सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा एक भी मुकदमा नहीं है ?

*२२—**श्री गयाप्रसाद**—किसान पांच साल से ज्ञानपुर की कचहरी की दौड़ लगाते लगाते परेशान हो गये और इतने नाजायज पैसे खर्च कर चुके फिर भी उनकी दाखिल खारिज नहीं हो पाई, क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करना चाहती है जिससे किसानों को राहत मिले और उनकी जमीनों की दाखिल खारिज हो जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वहां की दाखिल खारिज के मुकदमों की तादाद नजर में रखते हुए जो एडीशनल स्टाफ जरूरी समझा गया वह दे दिया गया है।

राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय, बिसवां के उच्चीकरण की मांग

*२३—**श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा** (जिला सीतापुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसवां, जिला सीतापुर में राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय को कब तक उच्चतर माध्यमिक स्तर प्रदान करने का विचार कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में १० राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल स्तर प्रदान करने का प्राविधान है। उन दस विद्यालयों में बिसवां का नाम शामिल नहीं है, अतः यह कहा नहीं जा सकता है कि इस स्कूल का उच्चीकरण कब सम्भव होगा।

*२४—**श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसवां की जनता ने बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की लगातार पिछले कई वर्षों से बराबर मांग की है और पर्याप्त मात्रा में चन्दा देने का भी आश्वासन दिया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। जनता ने पिछले वर्षों से यह मांग की है और ५ एकड़ भूमि देने का आश्वासन भी जून, १९६२ में दिया है, किन्तु चन्दे की धनराशि विशेष का कोई आश्वासन अब तक नहीं मिला है।

*२५—श्री गयाप्रसाद महरोत्रा—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर अन्तरिम जिला परिषद् का कोई प्रस्ताव इस निमित अभी हाल में आया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय को कायम करने में सीतापुर जिले में बिसवां को प्राथमिकता दी जाय ?

आचार्य जुगल किशोर—जी नहीं।

हरदोई-उन्नाव सड़क के कुछ भाग को ऊंचा करने की प्रार्थना

*२६—श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार को पता है कि हरदोई-उन्नाव रोड मील नम्बर ४३, ४७ व ४९ नीचे होने के कारण बरसात में ३ से ४ फर्लांग तक जलमग्न हो जाते हैं और यातायात बन्द हो जाता है ? क्या सरकार इसका तत्काल प्रबन्ध बरसात के पहिले करने को तैयार है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, इन मीलों के कुछ फर्लांग अत्यधिक वर्षा होने पर जल मग्न हो जाते हैं । मील ४३ में नीचे भागों को ऊंचा कर दिया गया है और मील ४९ के पानी की निकासी का उचित प्रबन्ध किया जा रहा है । मील ४७ में पड़ने वाले नीचे भाग कभी कभी ही पानी में डूब जाते हैं और इनको अगले वर्षों में ऊंचा करने का प्रस्ताव है ।

*२७—श्री जे०पी० मिश्र—क्या सरकार को मालूम है कि इसी सड़क के मील नम्बरान ३० से ४० तक आज ५ वर्षों से कंकड़ नहीं डाला जाता है और एक फुट से अधिक गहरे गड्ढे पूरी सड़क पर हैं और कोई भी बस ,कार या ट्रक ५ मील से अधिक नहीं चल सकते और अंधेरी रातों में यात्रियों के लुट जाने का डर है ? क्या माननीय मंत्री महोदय स्वयं इसका निरीक्षण करने को तैयार है ?

श्री गिरधारीलाल—३७ वें मील को छोड़ कर शेष मीलों पर कंकड पिछले पांच वर्षों में समय-समय पर डाला गया है, किन्तु सड़क पर अधिक यातायात के कारण कंकड़ दो वर्षों से अधिक नहीं रुकता और सड़क में गड्ढे हो जाते हैं । इन की मरम्मत का उचित प्रबन्ध किया जा रहा है ।

दूसरा भाग :—यदि आवश्यकता समझी गई तो निरीक्षण किया जायेगा ।

बलिया जिले के कुछ गांवों का रेवेन्यू रिकार्ड छपरा जिले में होना

*२८—श्री काशीनाथ—क्या सरकार को पता है कि घाघरा नदी की ध्रुवधारा के बलिया तरफ में बांसडीह तहसील के अन्तर्गत रेवती दोआरा में लघुदी, अरी, आसमापर, चतुर्भुजपुर, गोविंदपुर, गोपालपुर, जजीरा,रामनगर ,महाजीरामनगर, महाजी वशीष्ट नगे, मौजे पर बलिया जिले के किसानों का कब्जा दखल है और इन गांवों का रेवेन्यू रेकार्ड छपरा जिले में है ? यदि हां,तो सरकार उन रेवेन्यू रेकार्डों को कब तक बलिया जिले में मंगायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम अलख दिअरी (लघुदीअरी जिस का उल्लेख प्रश्न में है नाम का कोई गांव नहीं है) आसमापुर, चर्तुभुजपुर, गोविन्दपुर तथा गोपालपुर घाघरा नदी की १९६१–६२ की धाराधूरा की सीमांकन के फलस्वरूप तहसील बांसडीह, जिला बलिया की तरफ है और उनकी अधिकांश भूमि जिला बलिया के निवासियों के कब्जे में है । ग्राम जजीरा, रामनगर शुमाली, महाजी (नौबरार), रामनगर और महाजी (नौबरार), वशिष्ठ नगर उक्त धारधूरा की सीमांकन के अनुसार जिला सारन (छपरा) बिहार की ओर है उनकी अधिकांश भूमि बिहार के निवासियों के कब्जे में है । इन सभी ग्रामों के रेवेन्यू रोल छपरा जिले में है ।

जो ग्राम बलिया जिले की ओर हैं उनके रेवन्यू रोल को फिलहाल बलिया जिले में मंगाने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

*२९–३०—श्री जगन्नाथ चौधरी—[हटा दिये गये ।]

बाराबंकी जिले में डिनेचर्ड स्प्रिट की दूकानें

*३१—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के किन-किन स्थानों पर डिनेचर्ड स्प्रिट की कितनी कितनी दूकानें मार्च सन् १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में थीं और सन् १९६२ के नये वर्ष में कितनी नई दूकानें खोली जा रही हैं ?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—बाराबंकी जिले में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में १८ डिनेचर्ड स्प्रिट की दूकानें १४ स्थानों पर थीं जिनकी स्थिति व स्थानानुसार संख्या संलग्न नक्शा नं० १ में अंकित है। सन् १९६२ के नए वर्ष में केवल ३ नई दूकानें और खोली गई हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५३५ पर)

*३२—श्री मुकुट बिहारी लाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार को पता है कि डिनेचर्ड स्प्रिट बहुत अधिक मात्रा में नशा लाने के लिये पीने के काम में लाई जाती है अगर हां, तो यह नई दूकानें क्यों खोली जा रही हैं ?

डाक्टर सीताराम—बाराबंकी जिले में इस बात की कोई शिकायत नहीं हुई है कि डिनेचर्ड स्प्रिट नशा लाने के लिये पीने के काम में लाई जाती है। यह प्रश्न नहीं उठता।

*३३—श्री मुकुटबिहारी लाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिनेचर्ड स्प्रिट की मार्च, अप्रैल, सन १९६२ में खुलने वाली दूकानें किन-किन स्थानों पर खोली जा रही हैं और क्या यह सही है कि यह दूकानें स्थानिक लोगों के आवेदन-पत्र होने के बाद भी वहाँ के लोगों को रिश्वत के आधार पर दी जा रही हैं ?

डाक्टर सीताराम—बाराबंकी जिले में मार्च, अप्रैल, १९६३ में डिनेचर्ड स्प्रिट की तीन नई दूकानें निम्नलिखित स्थानों पर खोली गई हैं:—

(१) रुदौली—१
(२) हैदरगढ़—१
(३) भीखरपुर—१

इन दूकानों का लाइसेंस एक्साइज मैनुअल धारा ६१५ के अन्तर्गत जिलाधीश द्वारा किसी भी उचित व्यक्ति के हक में तै किया जा सकता है। रिश्वत के आधार पर उनके दिये जाने की कोई शिकायत सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई है।

देवप्रयाग में कन्याओं के लिये हाई स्कूल की आवश्यकता

*३४—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि टेहरी-गढ़वाल जिले के देवप्रयाग नामक स्थान पर कन्याओं के लिये एक हाई स्कूल की स्थापना की कोई व्यवस्था है, यदि हाँ, तो कब तक होगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

कीर्तिनगर-बडियार मोटर मार्ग का निर्माण

*३५—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—क्या निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि टेहरी-गढ़वाल में कीर्ति नगर-बडियार मोटर मार्ग के निर्माण के लिये सन १९६१-६२ के बजट में जो २ लाख रुपया रखा गया था वह सब प्रयुक्त हो चुका है कि नहीं ?

श्री गिरधारीलाल--इस सड़क के निर्माण के लिये ६१-६२ के बजट में १,४०,००० रुपया रखा गया था, जिसमें से ७,५०० रुपये व्यय हुये।

*३६--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--क्या निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि टेहरी गढ़वाल में बनने वाले कीर्तिनगर-बडियार मोटर मार्ग को कहाँ तक बढ़ा ले चलने का प्रस्ताव शासन के सामने है ?

श्री गिरधारीलाल--सिन्दरी तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

झांसी जिले में सड़कों तथा कालपी में यमुना पुल निर्माण-योजना

*३७--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत झांसी जिले में कितने मील पक्की सड़कें बनाने का निश्चय किया गया था और उनमें से कौन-कौन-सी सड़कें कितने मील बनाई गईं ?

श्री गिरधारीलाल--आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी अनुसूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५३६ पर)

*३८--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत झांसी जिले में कौन-कौन-सी कितने मील पक्की सड़कें बनाने का निश्चय किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल--जिला झांसी में तृतीय पंचवर्षीय योजना की चालू योजना के अन्तर्गत १९.५४ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर ५५ मी० २ फ० लम्बी सड़कों को पूरा किया जा रहा है और नई योजना के अन्तर्गत मऊ-गरोथा सड़क, जिस की लम्बाई ३४ मी० ४ फ० है, बनाई जा रही है।

*३९--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में कालपी पर जमुना नदी का पुल बनाने की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उक्त पुल कब तक बनेगा और उस पर कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल--कालपी में जमुना नदी पर सड़क यातायात के लिये अलग पुल बनाने की कोई योजना नहीं है। वर्तमान रेलवे पुल पर ही सड़क यातायात के लिये रास्ता बनाने का प्रस्ताव है, जिस पर ८६ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। यह कहना अभी सम्भव नहीं है कि यह रास्ता कब तक बनेगा।

आजमगढ़ जिले में मझुई नदी पर पुल की आवश्यकता

*४०--श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ में मझुई नदी पर खुरासो और शम्शाबाद तथा पहाड़पुर और मित्तूपुर गाँवों के बीच पुल बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो पुल कब तक बनने की सम्भावना है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उतरौला तथा तरबगंज तहसीलों में दाखिल खारिज के मुकदमों के फैसलों पर अमलदरामद

*४१—श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला गोंडा के तहसील उतरौला और तरबगंज में जो मुकदमे दाखिल खारिज के जनवरी सन् १९६० से ३० अप्रैल, १९६२ तक फैसल हो चुके हैं उनका अमलदरामद कागजात देही में हो गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हाँ ।

*४२—श्री विष्णुप्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन मुकदमों के अमलदरामद की पन्द्रह रोजा अथवा माहवारी सूची (नक्शा) तहसील से जिले में भेजी जाती है ? यदि हाँ, तो उनकी संख्या जनवरी सन् १९६० लगायत ३० अप्रैल, १९६२ तक क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हाँ । दाखिल खारिज के मुकदमों के अमलदरामद की प्रगति के बारे में माहवारी सूचना तहसील से जिलाधीश को भेजी जाती है । जनवरी, १९६० लगायत ३०-४-६२ तक तहसील उतरौला में २,८२४ तथा तहसील तरबगंज में २०४ दाखिलखारिज के मुकदमे फैसल हुये और उन सबका अमलदरामद कागजातदेही में हो गया है ।

अप्रशिक्षित लेखपालों का हटाया जाना

*४३—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विज्ञप्ति संख्या २६-२७ मार्च, १९५२ के अनुसार स्थायी लेखपालों की नियुक्ति हुई और उक्त विज्ञप्ति में लेखपालों के साथ प्रशिक्षित होने की कोई पाबन्दी नहीं थी ? यदि हाँ, तो डी० ओ० संख्या १८६५१, दिनाँक ३० सितम्बर, १९५९ के अन्तर्गत उन्हें अप्रशिक्षित घोषित कर और नाममात्र की विभागीय कार्यवाही करके सेवा से पृथक करने का आदेश जिलाधीशों को क्यों दिया गया और प्रदेश में तहसीलवार कितने लेखपाल उक्त आदेश से प्रभावित हुये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—राजस्व विभाग की विज्ञप्ति नहीं, बल्कि राज्यादेश संख्या २६२७/१-ख, दिनाँक ७ मार्च, १९५३, में लेखपाल के पद पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के प्रशिक्षित होने की कोई पाबन्दी नहीं थी, किन्तु अप्रशिक्षित लेखपालों में से बहुतों को बाद में अयोग्य पाया गया, अतः जिलाधीशों को राजस्व परिषद् के आलोच्य डी० ओ० द्वारा निदेश दिया गया कि अप्रशिक्षित लेखपालों में से, जो लेखपाल अयोग्य पाये जायं, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके, यदि आवश्यक हो तो, उन्हें सेवा से पृथक कर दिया जाय । उक्त निदेश से प्रभावित लेखपालों की तहसीलवार संख्या सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५३७-५३८ पर)

अलीगढ़ व बुलन्दशहर जिलों में मालगुजारी न वसूल करने का आदेश

*४४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माल मन्त्री दिनाँक ४ मई, १९६२, तारांकित प्रश्न संख्या १६ एवं ३९ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जिन गाँवों में रबी की फसल की बर्बादी ५० नये पैसे से ऊपर की है वहाँ रबी की फसल की मालगुजारी की वसूली न करने का आदेश जिलाधीश प्रादेशिक सरकार द्वारा कब दिया गया तथा आदेश का पालन किस तिथि से प्रारम्भ हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मालगुजारी की वसूली न करने का आदेश जिलाधीशों को राजस्व परिषद् द्वारा दिनाँक १९-५-६२ को दिया गया, जिसका पालन बुलन्दशहर जिले में दिनाँक ३१-५-६२ से तथा अलीगढ़ जिले में दिनाँक २-६-६२ से प्रारम्भ हुआ।

गरुड़-बागेश्वर के बीच गोमती पर पुल की आवश्यकता

*४५--श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के गरुड़ से बागेश्वर के बीच (१६ मील के फासले में) गोमती नदी में यातायात की सुविधा हेतु कोई पुल निर्माण की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक वह कार्य आरम्भ किया जायगा?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

बुन्देलखंड छत्रसाल म्यूजियम, बांदा को अनुदान

*४६--श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बाँदा)--क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड छत्रसाल म्यूजियम, बाँदा के लिये कितना रुपया अब तक अनुदान दिया गया है?

डाक्टर सीताराम--राज्य सरकार द्वारा उक्त म्यूजियम को अब तक १,००० रुपये का अनुदान दिया गया है।

*४७--श्री बृजमोहन लाल गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस म्यूजियम की कोई कमेटी है या एक ही आदमी के द्वारा कार्य संचालन होता है तथा इस कार्य में क्या प्रगति हो रही है?

डाक्टर सीताराम--जी हाँ। म्यूजियम की एक कमेटी है, जिसके द्वारा कार्य संचालन होता है। प्राचीन वस्तुयें संग्रह की गई हैं।

आजमगढ़ जिले के कुछ गांवों में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने की प्रार्थना

*४८--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या शिक्षा मन्त्री ४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन बारह जिलों के किन-किन स्थानों पर कन्या राजकीय जूनियर हाई स्कूल खोलने जा रहे हैं और प्रत्येक पर सरकार का कितना-कितना रुपया व्यय होगा?

आचार्य जुगलकिशोर--सन् १९६२-६३ में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल खोले जाने की योजना शासन के विचाराधीन है।

सैदपुर तहसील में अग्नि पीड़ितों को सहायता

*४९--श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिले गाजीपुर के सैदपुर तहसील में फरवरी, १९६२ से मई, सन् १९६२ तक कितने मकान तथा खलिहान अग्निकाँड से भस्म हुये और उनमें क्या-क्या सहायता दी गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन--९ मकान तथा ६ खलिहान इन अग्निकाँडों में जले थे। पीड़ितों में २७५ रुपये अहेतुक सहायता के रूप में बाँटा गया।

*५०--श्री कमलासिंह यादव--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मौजा बरवा कलाँ तथा औरिहार, तहसील सैदपुर में जो अग्निकाँड हुए उसमें क्या क्षति हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उक्त अवधि में इन ग्रामों में अग्निकाँड की कोई सूचना नहीं है।

इलाहाबाद में दारागंज का पैन्टून ब्रिज हटाकर लोहे का पुल बनाने की जानकारी

*५१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि केंद्रीय सरकार ने इलाहाबाद के दारागंज से झूंसी जाने वाले गंगा जी के पैन्टून ब्रिज को हटाकर लोहे का पुल यातायात हेतु बनाने के लिये प्रदेशीय सरकार को लिखा है कि उस पुल को तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया जाय ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उस पुल को तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*५२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद दारागंज के Pantoon Bridge बनाने में प्रत्येक वर्ष कितना व्यय होता है ?

श्री गिरधारीलाल—लगभग ७२,३०० रुपया ।

जौनपुर कलेक्ट्रेट कचहरी में परिगणित तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारी

*५३—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर कलेक्टरेट कचहरी में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनमें कुल कितने परिगणित व पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तृतीय श्रेणी के १३० कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिनमें ३ परिगणित जाति के तथा ४ पिछड़ी जाति के हैं । चतुर्थ श्रेणी के २२६ हैं जिनमें १३ परिगणित जाति के तथा २ पिछड़ी जाति के हैं ।

*५४—श्री माताप्रसाद—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि वाराणसी के कमिश्नर का यह आदेश होते हुये भी कि खाली होने वाले स्थानों पर जौनपुर के क्लेक्टरेट में, परिगणित जाति के व्यक्ति रखे जायें, पालन नहीं किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल तथा टेहरी-गढ़वाल जिलों की सड़कें

*४५—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और टेहरी-गढ़वाल जिलों में सन् १९५७ जनवरी से पहले, कितने मील—(क) मोटर, (ख). पी० डब्ल्यू० डी०, (ग) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें थीं, और अब जनवरी, १९६२ तक कितने मील मोटर P.W.D और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें हैं ?

श्री गिरधारीलाल—आवश्यक सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुई सूची में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ. ५३९ पर)

लोकमान्य तिलक कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, झांसी की अध्यापिका के बहाली आदेश का पालन न होना

*५६—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि लोक मान्य तिलक कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल झांसी, की किसी अध्यापिका को मई, सन् १९५८ में उनके पद से हटा दिया गया था ? यदि हाँ, तो उन्हें बहाल किसकी आज्ञा से किया गया ? क्या बहाली का हुक्म अध्यापिका पर दिया जा कर उन्हें उनके पद पर काम करने का मौका दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हाँ । वह बहाल नहीं की गई । मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका ने उस अध्यापिका के बहाल करने के लिये प्रबन्धक को आज्ञा दी थी, लेकिन प्रबन्धक ने कारण बताते हुये उसका बहाल करना स्वीकार नहीं किया ।

*५७--श्री लखपतराम शर्मा--अध्यापिका को यदि बहाल कर दिया गया था तो क्या उन्हें उनका वेतन इत्यादि भी दिया गया ? यदि दिया गया, तो किस माह, किस सन् और किस तारीख से कितना दिया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं । जैसा ऊपर कहा गया है अध्यापिका न तो बहाल हुई, न उसे कोई बकाया वेतन दिया गया । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*५८--श्री लखपतराम शर्मा--क्या यह सही नहीं है कि अध्यापिका के हक में बहाली का आदेश व पूर्ण वेतन दिये जाने का आदेश दिनाँक १६ जनवरी, १९५९ को रीजनल इन्स्पेक्ट्रस आफ गर्ल्स स्कूल्स, थर्ड रीजन, इलाहाबाद द्वारा दिया जा चुका था फिर भी आज्ञा की अवहेलना अब तक होती आई है ? यदि यह सत्य है, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही उस पर की ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां, यह सही है। लेकिन प्रबन्धक ने अभी तक उसे बहाल नहीं किया । अब मंडलीय विद्यालय निरीक्षिका ने प्रबन्धक समिति को अंतिम नोटिस दी है कि वे १५ अगस्त, १९६२ तक इस अध्यापिका का अवशेष वेतन उस समय तक का जब तक कि उसकी नियुक्ति दूसरे स्कूल में नहीं हुई है, भुगतान कर दें और यदि वे ऐसा न करेंगे तो उन पर बालिका विद्यालय निरीक्षिका ने अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये संस्तुति की है ।

बलरामपुर क्षेत्र में सड़क निर्माण योजना

*५९--श्री सुखदेवप्रसाद--क्या सरकार बतायेगी कि प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में बलरामपुर उत्तरी निर्वाचन क्षेत्र में कोई सड़क पक्की करने हेतु लक्ष्य था ? यदि हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक कौन-कौन सड़कें कितनी हुईं और तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा है और कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--जी हाँ । प्रथम, द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में बलरामपुर क्षेत्र में जो सड़कें बनाई जा रही है उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ज'. आगे पृष्ठ ५४०-५४१ पर।)

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, लखीमपुर में हाई स्कूल कक्षायें खोलने का आदेश

*६०--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर के राजकीय कन्या पाठशाला जूनियर हाई स्कूल को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक बढ़ाने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त हो गई है और एक वर्ष पूर्व उसके लिये अनुदान भी दिया जा चुका है ?

आचार्य जुगलकिशोर--तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्कीम स्वीकृत हुई है और योजनानुसार जुलाई, १९६२ से राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, लखीमपुर में हाई स्कूल कक्षायें खोलने का आदेश मय तत्सम्बन्धी व्यय की स्वीकृति २० जून, १९६२ को दिया जा चुका है ।

*६१--श्री मन्नालाल--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यालय में आवश्यक धन मिलने के बाद भी, अभी तक हाई स्कूल कक्षायें क्यों नहीं खोली जा सकी हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---उपर्युक्त विद्यालय में हाई स्कूल कक्षायें खोलने का आदेश हुआ है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

*६२---श्री मन्नालाल---क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उक्त विद्यालय में हाई स्कूल कक्षायें सरकार कब से खोलने का विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है हाई स्कूल कक्षाओं का आरम्भ इस सत्र से होगा ।

तीसरी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत पुलों का निर्माण

*६३---श्री गेंदासिंह---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में किन-किन नदियों पर एक लाख रुपये से अधिक धन व्यय करके पुल बनाने का विचार है, दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में कहाँ बनाये जा चुके हैं ?

श्री गिरधारीलाल---आवश्यक सूचना† संलग्न तालिका अनुसूची 'अ' तथा अनुसूची 'ब' में दी हुई है ।

*६४---श्री गेंदासिंह---घाघरा में दोहरी घाट, छोटी गंडक में सलेमपुर-मझौली के बीच, कालपी में जमुना तथा मुजफ्फरनगर में कहीं जमुना पर पुल बनाने के प्रश्न पर भी कुछ कार्यवाही हो रही है ? यदि हाँ, तो उसकी क्या प्रगति है ?

श्री गिरधारीलाल---घाघरा नदी पर दोहरी घाट में तथा छोटी गंडक पर सलेमपुर-मझौली के बीच कोई पक्का पुल बनाने की योजना इस समय नहीं है । कालपी में यमुना के ऊपर पुल के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है । मुजफ्फरनगर में कैराना के समीप यमुना नदी पर पुल स्वीकृत है, कार्य १५ प्रतिशत हो चुका है ।

*६५---श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि दोहरी घाट के पुल बनाने के कुछ सामान भी आ गये थे जो फिर वापस कर लिये गये और मझौली-सलेमपुर के बीच छोटी गंडक पर एक पुल बनाया है जो बरसात में पानी के भीतर रहता है ?

श्री गिरधारीलाल---दोहरी घाट पर पुल बनाने के लिये कोई सामान नहीं आया । था, मझौली-सलेमपुर के बीच छोटी गंडक पर एक submersible पुल अस्थायी रूप से ट्यूबवेल्स के निर्माण का सामान ले जाने के लिये कुछ समय पूर्व बनाया गया था ।

ऐठान के अग्नि-पीड़ितों को सहायता

*६६---श्री गुलाबसिंह (जिला देहरादून)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६२ ई० माह जनवरी में जिला देहरादून के चकरौता तहसील में ग्राम ऐठान में कितने व्यक्तियों के मकान आग लगने से जले हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---१५ व्यक्तियों के मकान उक्त अग्निकांड से प्रभावित हुये ।

*६७---श्री गुलाबसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हर परिवार को आग लगने से कितना नुकसान हुआ है और सरकार की ओर से हर परिवार को कितनी-कितनी सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वाँछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ. ५४२ पर)

---

†सूचना छापी नहीं गई ।

[३ अगस्त, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कोसी तहसील से सड़क निर्माण के विरुद्ध शिकायत

*१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम नकवासराय, भौपौरा और रेऊडीह के किसानों का प्रार्थना-पत्र ११ अप्रैल, १९६२ का भेजा हुआ उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें सड़क निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत की गई है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हाँ ।

ग्राम समाज, मन्सूरपुर-आलापुर संबंधित भूमि की गलत पड़ताल करने की शिकायत

*२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम समाज मन्सूरपुर-आलापुर में कुल कितने एकड़ परती भूमि है और क्या उसकी हाल ही में कुछ परती भूमि का वितरण हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त ग्राम समाज में ६४.९८० कड़ी परती भूमि है जिसमें से ११.२४९ कड़ी का वितरण हुआ है ।

*३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम समाज के कितने एकड़ भूमि पर गलत पड़ताल करने की शिकायत जनता द्वारा तहसीलदार, घोसी को दी गई और जाँच किसके द्वारा कराई गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई ।

गंगा और घाघरा के धूरधारा का निर्णय

*४—श्री मैनेजर—उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत पिछली विधान सभा के अन्तिम सत्र में उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से सम्बन्धित वक्तव्य के सन्दर्भ में राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री को समर्पित उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा के प्रश्न पर क्या प्रगति अब तक हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रधान मंत्री जी ने श्री सी० एम० त्रिवेदी को जो प्लानिंग कमीशन के सदस्य हैं, Arbitrator नियुक्त किया है ।

*५—श्री मैनेजर—क्या राजस्व मंत्री जी वर्तमान वर्ष के बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा सम्बन्धित गंगा और घाघरा की धूरधारा के निर्णय के विवरण से अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गंगा और घाघरा के धूरधारा के निर्णय के विवरण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५४३-५४५ पर ।)

*६—श्री गणेशचन्द (जिला मैनपुरी)—[२० वें गुरुवार के लिये प्रश्न ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

परगना कछन्दऊ के किसानों का बकाया माफ करने की प्रार्थना

*७—श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार को पता है कि हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील का परगना कछन्दऊ लगातार सैलाब के कारण बहुत कर्जदार हो गया है क्योंकि हर साल कई-कई बार पानी भर जाता है और काश्तकार सरकारी कर्जा व बीज किसी भी हालत में अदा करने के काबिल नहीं हैं ? क्या बकाया माफ हो सकता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला हरदोई की बिलग्राम तहसील के परगना कछन्दऊ में बरसात में प्रायः पानी भर जाता है जिससे उस क्षेत्र के किसानों की आर्थिक दशा पर कुप्रभाव पड़ता रहता है। प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को सहायता पहुंचाने के लिये मालगुजारी में नियमानुकूल छूट दी जाती है तथा तकावी और अहेतुक सहायता भी वितरित की जाती है।

बकाया की माफी सम्भव नहीं है।

*८—श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार इसी परगने में जितनी भूमि हर साल डूबी रहती है उसका लगान उस समय तक माफ करने को तैयार है जब तक गौरा ड्रेन गहरी न हो जाय और पानी निकाल न दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

बाराबंकी जिले की कुछ सड़कों को पक्की करने की प्रार्थना

*९—श्री मुकुटबिहारी लाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हदौली से रेध घाट, जिला बाराबंकी जाने वाली सड़क तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पक्की करने जा रही है ? अगर हाँ, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*१०—श्री मुकुटबिहारी लाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मवई, जिला बाराबंकी से पटरंगा तक जाने वाली सड़क पक्की कराने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*११—श्री मुकुटबिहारीलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हदौली, जिला बाराबंकी से अमानीगंज होते हुये मिलकीपुर, जिला फैजाबाद जाने वाली सड़क पक्की करने का विचार कर रही है, अगर हाँ, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*१२-१४—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

एटा-अलीगंज सड़क की पटरियों से मिट्टी उठाना

*१५—श्री गणेशचन्द—क्या सरकार को पता है कि एटा जिले में एटा से अलीगंज को जाने वाली पी० डब्ल्यू० डी० की रोड के पहले मील में शहर की आबादी के अन्दर दोनों पटरियों की बगल में से सड़क ऊंची करने के लिये इतनी मिट्टी उठा ली गई है, कि दोनों तरफ तालाब बन गये हैं ? क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र उन तालाबों को बन्द कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—एटा-अलीगंज सड़क की पटरियों की बगल से मिट्टी उठाने के कारण किसी प्रकार के तालाब नहीं बने हैं, अतः उन को बन्द कराने का प्रश्न नहीं उठता।

*१६—१७—श्री नरसिंहनारायण—[हटा दिये गये।]

*१८—श्री लखीसिंह—[१० वें गुरुवार के लिये प्रश्न ५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बांसडीह पूर्वी क्षेत्र में अग्नि पीड़ितों को सहायता देने की प्रार्थना

*१९—श्री काशीनाथ तथा श्री मैनेजर—क्या सरकार को पता है कि बलिया जिला अन्तर्गत बाँसडीह पूर्वी चुनाव क्षेत्र में श्री इन्द्रदेव पाँडेय, जनाडी और श्री राधा कृष्ण तिवारी प्रधान, गाँव मूनछपरा के सम्पूर्ण खलिहान आग लगा कर जला दिये गये ? यदि हाँ, तो आग लगाने वालों पर मुकदमा क्यों नहीं कायम किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दिनाँक २-४-६२ को श्री इन्द्रदेव पाँडेय के तथा १२-१३ अप्रैल, १९६२ की रात्रि में श्री राधाकृष्ण के खलिहानों में अग्निकाँड की घटनायें हुई जिनकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हुई । इनकी जाँच की गई परन्तु सबूत न मिलने के कारण, इन दोनों मामलों में पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई ।

*२०—श्री काशीनाथ तथा श्री मैनेजर—क्या सरकार उपर्युक्त व्यक्तियों के जिनकी साल भर की कमाई हुई फसल जला दी गयी, परिवार के भरणपोषण की जिम्मेदारी ले सकती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित परिवारों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी लेना सरकार के लिये सम्भव नहीं है । वस्तुतः असहाय व निर्धन पीड़ितों को आपत्तिकाल तथा उसके तुरन्त बाद के कठिन समय में जीवन निर्वाह को और अपने पैरों पर खड़े होने के लिये तात्कालिक सहायता दी जाती है जो इन मामलों में भी नियमानुसार दी गई ।

पस्ता प्राइमरी स्कूल

*२१—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के रुदौली ब्लाक का एक प्राइमरी स्कूल पस्ता पो० शुजागंज को किस कारण तोड़ दिया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—पस्ता का प्राइमरी स्कल तोड़ा नहीं गया ।

हरिजन तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा कानूनगो

*२२—श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रान्त भर में कितने तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कानूनगो हैं तथा प्रत्येक में हरिजनों की कितनी संख्या है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—सूचना इस प्रकार है:—

	कुल संख्या	हरिजनों की संख्या
तहसीलदार	२६९	७
नायब तहसीलदार	३०८	२१
कानूनगो	७८७	१४

*२३—२५—श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी (जिला नैनीताल)—[१०वें गुरुवार के लिए प्रश्न १२६-१२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२६—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—[हटा दिया गया ।]

पी० डब्ल्यू० डी० वर्क चार्ज स्टाफ की मांगों पर विचार

*२७—श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या ४ मई, १९६२ के प्रश्न संख्या ५० के उत्तर के क्रम में सरकार कृपया बतायेगी कि वर्क चार्ज के वे किन-किन श्रेणियों के कर्मचारी हैं जो १ अप्रैल, १९६१ से नियमित अधिष्ठान में ले लिये गये हैं तथा शेष की बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उक्त सिफारिश पूरे कर्मचारियों पर क्यों नहीं लागू की गई ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी नियमित अधिष्ठान में लिए गए हैं :—

१—रोलर ड्राईवर
२—ट्रक ड्राईवर
३—ट्रक क्लीनर
४—सीमेंट कांक्रीट मिक्श्चर ड्राईवर
५—रोलर फोरमैन
६—जीप ड्राईवर
७—डिजिल आयल रोलर क्लीनर
८—चौकीदार (निरीक्षण गृह)
९—चौकीदार (गोदाम)
१०—एलेक्ट्रीशियन
११—वायरमैन ।

द्वितीय भाग—शेष का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

तृतीय भाग—धनाभाव के कारण ।

टेहरी-गढ़वाल जिले में प्रताप इन्टर कालेज की इमारत तथा अन्य स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

*२८—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी प्रताप इन्टर कालेज टिहरी, गढ़वाल की इमारत काफी टूट गई है और बरसात में बच्चों को बैठाने की जगह नहीं रह गई ? क्या इस कालेज के लिये २ लाख के करीब रुपया निर्माणार्थ एक वर्ष से मंजूर है ? यदि हां, तो इमारत अब तक न बनने का कारण क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। कुछ हिस्सा टूट जाने से विद्यार्थियों के लिये असुविधा हो गई है। भवन में विशेष मरम्मत हेतु गत वर्ष एक लाख सत्तर हजार की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है और मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द भी हो चुका है। ठेकेदार न मिलने से निर्माण-कार्य में विलम्ब हुआ है लेकिन अब काम दो-दो कमरों का पीस-वर्क में हो रहा है।

*२९—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी सन् १९६२ में एक राजाज्ञा इस आशय की निकाली गयी है कि टिहरी गढ़वाल के समस्त सरकारी स्कूल अन्तरिम जिला परिषद् को दे दिये जायं, जिसकी वजह से टिहरी गढ़वाल के ४०० अध्यापकों की नौकरी को एक माह की तनख्वाह देकर खत्म करने के आदेश दे दिये गये हैं और जो रिटायर होंगे उन्हें नये पे स्केल के हिसाब से पेंशन न देकर रियासत की पेपर पेंशन दिया जायेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—१ जनवरी, १९६२ से टिहरी-गढ़वाल जिले के जूनियर हाई स्कूल तथा प्राथमिक स्कूलों को अन्तरिम जिला परिषद् को हस्तान्तरित करने की राजाज्ञा संख्या बी० पी०-१४४/१५-७०० (२)/५९, दिनांक २३ जनवरी, १९६२ की प्रति† संलग्न है। इस राजाज्ञा में अध्यापकों के स्थानान्तरण की शर्तें (terms and conditions) दी गई हैं। यह राजाज्ञा ३१ दिसम्बर, १९६२ तक के लिये स्थगित कर दी गई है।

*३०—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रियासत टिहरी-गढ़वाल के विलीन हो जाने पर जो अध्यापक सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे थे, उन्हें रियासत की तनख्वाह तथा महंगाई अब तक दिया जाता रहा है और जो नये अध्यापक रियासत विलीन होने के बाद रक्खे गये थे उन्हें नया वेतन व महंगाई का भत्ता दिया जाता रहा है ऐसा क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—विलीनीकरण के पूर्व जो अध्यापक सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे थे उन्हें वेतन (Merger Agreement) के अनुसार दिया जाता है। अन्तरिम जिला परिषद् को स्कूलों के स्थानान्तरण के प्रश्न पर परिषद् के अध्यक्ष तथा शिक्षा अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया। अध्यक्ष तथा शिक्षा अधिकारियों ने शासन के समक्ष स्कूलों के स्थानान्तरण में कुछ कठिनाइयां बताईं जिनमें विलीनीकरण से पूर्व अध्यापकों के वेतन-क्रम तथा महंगाई का भी प्रश्न सम्मिलित है। इन सब मामलों की छानबीन करने के लिये शासन सरकारी अधिकारियों की एक कमेटी नियुक्त करने पर विचार कर रही है।

तालबेहट स्टेशन की सड़क पर डामर न पड़ना

*३१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तालबेहट स्टेशन की सड़क (जिला झांसी) को कब सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने अधिकार में लिया था और इस सड़क को कब तक डामर की सड़क बनाने की योजना थी तथा अब तक न बन सकने का क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नवम्बर, १९६० में निर्माण के लिये लिया था और यह कार्य जून, १९६२ तक पूरा हो जाना था, परन्तु झांसी में रोड रोलर की कमी के कारण इस कार्य में कुछ विलम्ब हो गया। अब वह सड़क मार्च, ६३ तक पूरी डामर की तैयार हो जायगी।

*३२—श्री कल्पनार्थसिंह—[हटा दिया गया।]

खेखरा नाला पुल का ध्वस्त होना

*३३—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में खेखरानाला पर कोई पुल सरकार द्वारा बनवाया जा रहा था जो ध्वस्त भी हो गया। यदि हां, तो क्या उक्त पुल के ध्वस्त होने की कोई जांच कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—पहिला भाग—जी हां।

दूसरा भाग—जी हां, जांच कराई गई।

*३४—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यदि जांच हुई तो जांच किस व्यक्ति या कमेटी ने की और क्या सरकार उक्त जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेगी और यह भी बताने का कष्ट करेगी कि उक्त पुल ध्वस्त होने से कितनी हानि रुपयों में हुई?

---

†प्रति छापी नहीं गई।

श्री गिरधारीलाल—पहिला भाग—घटना की जांच अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खण्ड द्वारा क्षेत्रीय विधायक महोदय के साथ दिनांक २२-४-६२ को की गई थी। इसके लिये कोई समिति नियुक्त नहीं की गई। इस जांच की कोई रिपोर्ट नहीं तैयार की गई।

दूसरा भाग—ठेकेदार ने क्षतिग्रस्त पाइल्स को अपने खर्च से हटा दिया है। अतः हानि का प्रश्न नहीं उठता।

*३५-३६—श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

चकबन्दी विभाग से जीपों का कथित विक्रय

*३७—श्री यादवेन्द्रदत्त तथा श्री नरसिंहनारायण—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जुलाई, १९६१ से लेकर ३० जून, १९६२ तक कितनी जीपें, चकबन्दी विभाग से बिकीं और कितनी कीमतों पर ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—१ जुलाई, १९६१ से लेकर ३० जून, १९६२ तक चकबन्दी विभाग की कोई भी जीप नहीं बिकी, अतएव कीमत का प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने के संबंध में सिफारिशें

*३८—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व उप-शिक्षा मंत्री श्री रामस्वरूप यादव की अध्यक्षता में शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने के नियमों को बनाने एवं परिवर्तन तथा परिवर्द्धन के लिये गत वर्ष कोई कमेटी बनायी गई थी ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की पटल पर रखने की व्यवस्था सरकार द्वारा होगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। रिपोर्ट अभी शासन के विचाराधीन है। इसलिये सम्प्रति इस सदन की मेज पर रखना शासन उचित नहीं समझता।

यू० पी०, पी० डब्ल्यू डी० एम्पलाईज यूनियन, आगरा ब्रांच का कथित पत्र

*३९—श्री संतसिंह यूसुफ—क्या मुख्य मंत्री को यू० पी०, पी० डब्लू० डी० इम्पलाइज यूनियन, आगरा ब्रांच से ए० ई० ई०, पी० डब्ल्यू० डी० सेकिन्ड सर्किल, आगरा के नाम वर्क, चार्ज वर्कशाप, हेड रोलर, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर से अपाइंटमेंट डिक्लेरेशन फार्म पर हस्ताक्षर के सम्बन्ध में दिनांक १ अप्रैल, १९६२ के पत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं उचित कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है ?

श्री गिरधारीलाल—यू० पी०, पी० डब्ल्यू० डी० इम्पलाइज यूनियन, आगरा ब्रांच का दिनांक १-४-६२ का कोई पत्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

*४०—श्री सन्तसिंह यूसुफ—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारियों से किस प्रकार से फार्म पर हस्ताक्षर कराने के आदेश दिये गये हैं और क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता।

*४१—श्री संतसिंह यूसुफ—क्या सरकार इस प्रकार के अधिकारियों द्वारा फार्म भरवाने के प्रयासों को रोकने का आदेश देगी ?

श्री गिरधारीलाल--मुख्य अभियन्ता द्वारा उक्त फार्म अब रद्द (Cancel) कर दिया गया है।

*४२--श्री काशीनाथ--[८ वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

अमर शहीद इन्टर कालेज, बेवर के अध्यापकों की स्थिति

*४३--श्री राजेन्द्रसिंह--क्या शिक्षा मंत्री को २ मई, १९६२ को अमर शहीद इंटर कालेज, बेवर, जिला मैनपुरी के अध्यापकों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु सुझाव-पत्र प्रश्नकर्ता की ओर से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या हुआ ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां, २८ अप्रैल, १९६२ को अध्यापकों और प्रबन्धकों के बीच एक समझौता हो गया। अध्यापकों को अप्रैल, १९६२ तक का वेतन दिया जा चुका है। अब इस समय उनमें कोई असन्तोष नहीं है।

मथुरा जिले में अमीनों को नोटिस

*४४--श्री लखीसिंह--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा के अमीनों को हाल में नौकरी से अलग करने की कोई नोटिस दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, मथुरा जिले के आठ अमीनों को नौकरी से अलग होने की नोटिस दी गई थी क्योंकि उनका कार्य सन्तोषजनक नहीं था। किन्तु उक्त अमीनों की प्रार्थना पर, जिसमें उन्होंने जिलाधीश, मथुरा को भविष्य में अपने कार्य को सन्तोषजनक करने का आश्वासन दिया था, वह नोटिस वापिस ले ली गई है और उक्त सभी अमीन नौकरी पर बहाल हैं।

बिलारी एवं शिवगढ़ में ए० सी० ओ० की ट्रेनिंग

*४५--श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी ट्रेनिंग सेन्टर एवं बिलारी, शिवगढ़ में ए० सी० ओ० की ट्रेनिंग में किस योग्यता के अभ्यर्थी लिये गये हैं तथा अब तक कितने अभ्यर्थी ए० सी० ओ० की ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--चकबन्दी ट्रेनिंग सेंटर, बिलारी एवं शिवगढ़ में ए० सी० ओ० की ट्रेनिंग के लिये निर्धारित योग्यता की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। उपर्युक्त ट्रेनिंग सेंटरों में ३६१ अभ्यर्थियों को ए० सी० ओ० की ट्रेनिंग अब तक दी जा चुकी है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५४६ पर)

*४६--श्री ज्वालाप्रसाद--उक्त ट्रेनिंग प्राप्त कितने ए० सी० ओ० चकबन्दी विभाग में अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं ? क्या इस प्रकार से अस्थायी तौर से काम करने वाले ए० सी० ओ० को रेगुलर लाइन में स्थायी पद देने पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उक्त ट्रेनिंग प्राप्त ३२० ए० सी० ओ० इस समय चकबन्दी विभाग में, जो कि अस्थायी हैं, कार्य कर रहे हैं। इन अस्थायी कर्मचारियों के लिये रेगुलर लाइन में कुछ प्रतिशत स्थान सुरक्षित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

गर्ल्स इन्टर कालेज, धामपुर के लिये भूमि की अध्याप्ति

*४७—श्री बसन्तसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गर्ल्स इन्टर कालेज, धामपुर, जिला बिजनौर को जमीन एक्वायर करने की अनुमति प्रदान कर, २-२ तथा ३-३ बीघा जमीन के मालिक बागवानों की जमीन छीन कर, उन्हें क्यों बेरोजगार बनाया जा रहा है जब कि उक्त कालेज के पास काफी खाली जमीन पड़ी है और पहले एक्वायर की हुई भूमि उक्त कालेज ने कुछ लोगों को व्यक्तिगत मकान बनाने के लिये ऊंचा मूल्य लेकर बेंच दी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस विद्यालय के लिये शासन ने केवल २ बीघा १७ बिस्वा भूमि की अध्याप्ति के आदेश दिये हैं। यह भूमि सात खातेदारों की है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि इन खातेदारों की भूमि अध्याप्त कर लेने के पश्चात् भी उनके पास जीविकोपार्जन के लिये पर्याप्त भूमि अवशिष्ट रहे।

विद्यालय के पास कोई भी खाली जमीन नहीं है और न पहिले की अध्याप्त की गई भूमि को विद्यालय ने बेंचा ही है।

चायल तहसील से चकबन्दी संबंधी शिकायतें

*४८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों में चकबन्दी का कार्य हो चुका और किन-किन जिलों में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार करने जा ही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रदेश के किसी भी जिले में चकबन्दी का कार्य अभी तक पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ है। इस समय चकबन्दी का कार्य प्रदेश के ३७ जिलों में चल रहा है जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

अभी यह निश्चयपूर्वक नहीं बताया जा सकता कि तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में चकबन्दी का कार्य किन-किन नये जिलों में प्रसारित किया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५४७ पर)

*४९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जिले की कौन-कौन सी तहसीलों में चकबन्दी हो चुकी है और कौन-कौन-सी तहसीलों में अब करने का इरादा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इलाहाबाद जिले की तहसील सोरांव में चकबन्दी कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। तहसील चायल में इस समय कार्य चल रहा है। चायल में कार्य समाप्त होने पर अगली तहसील में प्रारम्भ किया जायेगा और इसी प्रकार बाकी तहसीलों में चकबन्दी करने का आयोजन है।

*५०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के चायल तहसील में जो कार्य चकबन्दी का हो रहा है उसमें कितनी शिकायतें चकबन्दी अधिकारी के पास गलत चक बनाने की आईं और उसमें कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार हुए ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मई, १९६२ के अन्त तक तहसील चायल में चकों से सम्बन्धित कुल १,७०८ आपत्तियां चकबन्दी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गईं, जिनमें से ९८७ आपत्तियां स्वीकार की गईं।

आजमगढ़ जिले में सड़कों व पुलों की निर्माण-योजना

*५१—**श्री भीमाप्रसाद** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सन् ६२–६३ में आजमगढ़ जिले में किन-किन सड़कों के तथा किन-किन पुलों के निर्माण की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ५४८ पर)

*५२–५३—**श्री राजेन्द्रसिंह**—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

तराई भावर के भूमिहीन, जोत सीमा आरोपण से प्राप्त भूमि तथा कुमायूं बन्दोबस्त नियमों में संशोधन

*५४—**श्री हिम्मतसिंह, श्री बेदराम** तथा **श्री शारदाभक्तसिंह** (जिला हरदोई)—क्या राजस्व मंत्री, श्री गोविन्दसिंह बिष्ट, एम० एल० ए० के पत्र संख्या २७२/६१, दिनांक ११ अगस्त, १९६१ तराई भावर में भूमिहीनों को भूमि देने के विषय में लिखे गये पत्र की एक प्रतिलिपि मय संलग्न लिस्ट के सदन की मेज पर रखते हुए बतायेंगे कि सरकार ने उस पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—श्री बिष्ट के पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। उक्त पत्र से संलग्न लिस्ट लम्बी है। सदस्य महोदय उस लिस्ट को सचिवालय में मेरे कमरे में देख सकते हैं।

उक्त पत्र के विषय पर सरकार ने जिलाधीश, नैनीताल से रिपोर्ट मंगवाई थी। उस रिपोर्ट से पता चलता है कि श्री बिष्ट का यह आरोप कि सहकारिता के आधार पर खेती करने वालों के साथ पक्षपात किया जाता है, निराधार है।

जहां तक श्री इन्द्रसिंह के कत्ल का प्रश्न है, इसका जमीन के एलाटमेन्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

जिन लोगों को भूमि दिये जाने की सिफारिश श्री बिष्ट ने की थी, उनमें से वह लोग जो तराई और भावर राजकीय आस्थान में भूमि मिलने के लिये हकदार हैं, वह भूमि एलाट करने वाली समिति के सम्मुख निर्धारित तरीके से अपनी प्रार्थना प्रस्तुत कर सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ५४९–५५१ पर)

*५५—**श्री हिम्मतसिंह, श्री बेदराम** तथा **श्री शारदाभक्तसिंह**—क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के लागू करने के फलस्वरूप अब तक कितनी अतिरिक्त भूमि कहां-कहां मिली है तथा सरकार ने उसका क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—अब तक (३० जून, १९६२) ऐसी भूमि कुल १९,२५३ एकड़ राज्य भर में घोषित की जा चुकी है। इसका जिलेवार विवरण संलग्न है। उपरोक्त भूमि में से कितनी भूमि पर कब्जा मिल गया है यह सूचना जिलों से अपेक्षित है। सरकार को प्राप्त हुई भूमि के प्रबन्ध के लिये नियम ५७ तथा ५८ लागू हैं जिनके अन्तर्गत जिलाधीशों को आदेश दे दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ढ़' आगे पृष्ठ ५४९–५५१ पर)

*५६—श्री हिम्मतसिंह, श्री बेदराम तथा श्री शारदाभक्तसिंह—क्या राजस्व मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र १९६१ के दवें गुरुवार के प्रश्न १२७ के उत्तर के सम्बन्ध में बतायेंगे कि कुमायूं के बन्दोबस्त के नियमों में क्या संशोधन किया है ? संशोधित नियमों की एक प्रतिलिपि मंत्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस सम्बन्ध में उत्तराखंड, कुमायूं भू-राजस्व बन्दोबस्त नियमावली के नियम ११ तथा १६ में जो संशोधन किये गये वे इस प्रकार हैं :—

(१) नियम ११ के उपनियम (१) में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं :—

"जिस भूमि पर फलोद्यान हों तथा आलू पैदा होते हों उसे तलाऊ के रूप में वर्गीकृत किया जायगा।"

(२) नियम १६ में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं :—

"फलोद्यान तलाऊ के रूप में वर्गीकृत किये जायेंगे और उनका इसके लिये सम्बद्ध मिट्टी की दर के अनुसार निर्धारण किया जायगा"। इस सम्बन्ध में संशोधित नियम ११ (१) तथा १६ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ५४९–५५१ पर)

निघासन तहसील के लेखपालों का बकाया

*५७—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी) तथा श्री मन्नालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील निघासन, जिला खीरी के लेखपालों का सन् ५३–५४ तथा ५४–५५ व ५५–५६ तक का रुपया सरकार ने नहीं दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आलोच्य अवधि का वेतन वृद्धि का रुपया देना शेष है।

*५८—श्री रामचरण शाह तथा श्री मन्नालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील निघासन जिला खीरी के लेखपालों को सन् ५३ से ५६ तथा मार्च, ६० से सन् ६२ तक वेतन वृद्धि का कितना धन अभी देना बाकी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्रमशः १५,३५७ रुपया ४४ नये पैसे तथा ४८५ रुपया ५६ न० पै०।

पहली धनराशि के बकाया होने का कारण यह है कि तहसील निघासन, जिला खीरी के पटवारियों ने सन् १९५३ में त्याग-पत्र नहीं दिया था। ऐसे पटवारियों का वेतन लेखपालों के नये वेतन-क्रम में निर्धारित करना था जो कि बहुत अधिक काम था और इस सम्बन्ध में तहसील, महालेखापाल, आयुक्त तथा शासन से पत्रव्यवहार करना पड़ा। दूसरी धनराशि के बकाया होने का कारण वेतन वृद्धि के सर्टिफिकेट देर से बनना, सदर कानूनगो के कार्यालय में कार्य अधिक होना व पर्याप्त कर्मचारियों का न होना है।

*५९—श्री रामचरण शाह तथा श्री मन्नालाल—क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त धन सरकार कब तक देने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त दो धनराशियों में से १५,३५७ रुपया ४४ न० पै० का बिल खजाना से पास करा कर तहसीलदारों को भुगतान के लिये भेज दिया गया है और ४८५ रुपया ५६ न० पै० की धनराशि में से २३ रुपया ६५ न० पै० का बिल खजाना में पास होने के लिये भेजा गया है और शेष धनराशि का बिल महालेखापाल को प्री-आडिट के लिये भेजा गया है।

मरदह से कलेक्शन नायब तहसीलदार के विरुद्ध शिकायत

*६०—श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में मरदह क्षेत्र के कलेक्शन नायब तहसीलदार के जुल्मों तथा अशिष्ट व्यवहारों के बारे में और खास तौर पर मरदह ग्राम के श्री शिवजोर यादव के साथ, के बारे में मण्डल कांग्रेस कमेटी, मरदह का दिनांक ३० मार्च, १९६२ को भेजा गया प्रस्ताव, मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में उक्त सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, मण्डल कांग्रेस कमेटी, मरदह, के दिनांक ३०-३-६२ के प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त हुई थी। जांच कराने पर उसमें उल्लिखित आरोप निराधार पाये गये। अतः सम्बद्ध कलेक्शन नायब तहसीलदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सिधौली में दूकानों का हटाया जाना

*६१—श्री बैजूराम (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक ८ अप्रैल, १९६२ ई० को ग्राम सिधौली, जिला सीतापुर में लखनऊ से सीतापुर जाने वाली पक्की सड़क पर लगी हुई दुकानें, परगनाधीश, सिधौली के नेतृत्व में सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, थाना अध्यक्ष, सिधौली, नायब तहसीलदार, सिधौली के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग के गैंग और पुलिस की सहायता से उठवा कर दो-दो फर्लांग के फासले पर फेंकवा दी गई हैं?

श्री गिरधारीलाल—सिधौली कस्बे के भीतर सरकारी सड़क की भूमि पर नाजायज अस्थाई कब्जे के रूप में जो दुकानें स्थित थीं, उनको कथित अधिकारियों की सहायता से सावधानी से हटवा कर सरकारी भूमि की हद के बाहर रखवा दिया गया था।

*६२—श्री बैजूराम—क्या मंत्री बतानेकी कृपा करेंगे कि उपरोक्त गम्भीर मामले के कारण ग्राम सिधौली में कितने दिन तक हड़ताल रही और किस दिनांक को जिलाधीश, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने घटना का निरीक्षण किया तथा सम्बन्धित मामले की सूचना प्रधान ग्राम सभा, सिधौली ने तार द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय उप-मन्त्री गृह, माननीय मंत्री जी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्री आई० जी० पुलिस, लखनऊ को देने के साथ ही जिलाधीश, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीतापुर को भी भेजी है? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री गिरधारीलाल—इस मामले के कारण उक्त ग्राम में दो दिन हड़ताल रही तथा स्थानीय अधिकारियों ने दिनांक १० अप्रैल, १९६२ ई० को मामले का निरीक्षण किया। इसकी सूचना ग्राम प्रधान ने सरकार को तार द्वारा ९-४-१९६२ ई० को दी थी। तार प्राप्त होते ही सम्बन्धित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई थी।

बिजनौर जिले में गंगा खादर के किसानों की स्थिति

*६३—श्री सत्यवीर कुंवर (जिला बिजनौर)—क्या राजस्व मंत्री बतलायेंगे कि वालावाली (बिजनौर) से लेकर दारानगर तक गंगा के खादर में खेती करने वाले व्यक्तियों के निवास के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बालावाली (बिजनौर) से ले कर दारानगर तक गंगा के खादर में खेती करने वाले व्यक्तियों को अन्यत्र बसाने के लिये कई वर्षों से प्रयत्न किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जो भूमि प्रस्तावित की जाती है वे उसको लेना नहीं चाहते और जो भूमि वे चाहते हैं वह उपलब्ध नहीं है।

*६४--**श्री सत्यवीर कुंवर**---क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त गंगा खादर क्षेत्र का बहुत-सा हिस्सा वर्ष में ६ मास तक जलमग्न रहता है जिसमें किसान केवल रबी तथा गन्ने की उपज के लिये वहां पड़ा रहता है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---गंगा खादर क्षेत्र का कोई भाग ६ माह तक जलमग्न नहीं रहता। इस क्षेत्र के रहने वाले निम्न स्तर पर बसे होने के कारण तथा बाढ़ की संभावना से गन्ने और धान के अतिरिक्त खरीफ की अन्य फसल बोते ही नहीं हैं।

*६५--**श्री सत्यवीर कुंवर**---क्या सरकार को पता है कि इस इलाके के उन किसानों से भी मालगुजारी वसूल की जाती है जिनकी जमीन गंगा में पूर्णतया ग्रस्त हो गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिन ग्रामों की भूमि नदी में कट कर विलीन हो गई है उनको नियम २०५-बी, जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली के अन्तर्गत निरन्तर छूट दी जाती है।

पडरौना तहसील में लेखपालों का निष्कासन

*६६--**श्री राजदेव** (जिला देवरिया)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में तहसील पडरौना के चौदह लेखपालों को भूमि लेखा नियमावली की धारा १५-डी के अन्तर्गत दिनांक ३ जुलाई, १९६० को क्यों हटाया गया जबकि भूमि लेखा नियमावली से यह धारा मई, सन् १९५८ ई० में ही निकाल दी गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आलोच्य लेखपालों को जिन आदेशों से निकाला गया उनमें भूमि लेख नियमावली की धारा १५ (डी) के स्थान पर नये नियमों का उल्लेख होना चाहिये था। तथापि पुराने नियमों के उल्लेख से स्थिति में कोई अन्तर नहीं होता, क्योंकि दोनों नियम प्रायः समान हैं।

*६७--**श्री राजदेव**---यदि हां, तो राजस्व मंत्री उन निकाले हुए लेखपालों की नियुक्ति करने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसा कोई विचार नहीं है।

महाराजगंज कानूनगो द्वारा गलत इन्दराज

*६८--**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)---क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जिला आजमगढ़ के महाराजगंज कानूनगो ने अपने कार्य-काल में अपने लेखपालों को मिला कर जनता के खेतों पर काबिज वर्ग ९ लिखवा लिया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस बात का प्रमाण तो नहीं मिला, किन्तु एक प्रार्थना-पत्र की जांच के समय यह पाया गया कि उन्होंने लेखपाल के किये हुए काबिज इन्दराज का समर्थन करते हुए वर्ग ९ में दर्ज करने का आदेश दिया था तथा वर्ग ९ में दो गलत इन्दराज स्वयं किये थे।

आजमगढ़ जिला कचेहरियों में हरिजन कर्मचारी

*६९—श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ कलेक्टरी और जजेज कोर्ट में कितने कर्मचारी हैं और उन में हरिजनों की कितनी संख्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आजमगढ़ कलेक्टरी में १४६ तथा जजेज कोर्ट में ७० कर्मचारी हैं, जिनमें से प्रत्येक में तीन कर्मचारी हरिजन हैं।

सहकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिपराइच के आय-व्यय की जांच

*७०—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि सहकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिपराइच, जिला गोरखपुर की प्रबन्ध कमेटी द्वारा बिना टेण्डर आमंत्रित किये १९ हजार रुपये का सामान कालिया साइन्टिफिक कारपोरेशन से लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है और उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, इस विद्यालय ने केवल ० ८६९८.७८ नये पैसे का सामान बिना टेन्डर आमंत्रित किये खरीदा है। इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायती-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। अतः इस पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठा।

*७१—श्री बांकेलाल—क्या सरकार यह बतायेगी कि सहकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चलाने के लिये गन्ना किसानों से १२ नये पैसे और २५ नये पैसे क्रमशः प्रति बैलगाड़ी और प्रति डनलप केन सोसाइटी काटती है? यदि हां, तो—

(अ) अब तक कुल कितना रुपया किसानों से इस मद में प्राप्त हुआ है?

(ब) प्रतिवर्ष कितना रुपया खर्च हुआ है और किस-किस मद में?

(स) उक्त धनराशि खर्च करने की स्वीकृति किस बैठक में कमेटी ने दिया है और किस-किस मद के लिये तथा कितना-कितना प्रत्येक वर्ष के लिये?

(द) क्या उक्त खर्चे का कभी कोई आडिट हुआ है? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट गत ३ वर्ष की क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, सोसायटी इस दर से पैसा काटती है तथा उसे जोन (Zone) के विविध विद्यालयों को बांटती है।

(अ) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ब) केन यूनियन से प्राप्त धन से इस विद्यालय में जो पिछले तीन वर्षों में व्यय हुआ है वह संलग्न तालिका 'क' में दिया गया है।

(स) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(द) जी हां, तीन वर्षों की आडिट रिपोर्ट की एक-एक प्रति† स्पीकर महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ५५२ पर)

गंगा में वाराणसी तक पाइलेट सर्विस

*७२—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार को मालूम है कि सरकार ने पटना से इलाहाबाद तक गंगा नदी द्वारा यातायात जारी करने के लिये कोई सर्वे कराया है? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है?

---

†प्रति छापी नहीं गई।

श्री गिरधारीलाल—ऐसा कोई सर्वे राज्य सरकार ने नहीं करवाया है परन्तु गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रांसपोर्ट बोर्ड द्वारा ऐसा सर्वे अवश्य हुआ है। उस सर्वे के आधार पर बोर्ड का मत है कि अगर नदी की गहराई की पर्याप्त देखभाल रखी जाय तो बोर्ड द्वारा चालित पाइलेट सर्विस को गंगा के ऊपरी क्षेत्र में गाजीपुर तक बढ़ाया जा सकता है।

*७३—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पटना से इलाहाबाद तक यातायात चलाने के लिये भारत सरकार के पास अपना रिकमेंडेशन भेजा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—राज्य सरकार ने गंगा में वाराणसी तक अपनी पाइलेट सर्विस बढ़ाने के लिये गंगा, ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रांसपोर्ट बोर्ड से सिफारिश की है।

*७४—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या यह सही है कि गंगा नदी के यातायात से मडुवाडीह का ट्रांशिपमेंट हल्का हो जायगा और बलिया, गाजीपुर सैदपुर, वाराणसी, इलाहाबाद शहर की आर्थिक दशा ठीक हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—वास्तविक अनुभव बगैर इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक कहना सम्भव नहीं है।

फैजाबाद डिवीजन में तहसीलदारों के विरुद्ध आरोपों की जांच

*७५—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा), **श्री काशीनाथबहादुर** (जिला बस्ती) तथा **श्री मुन्नूसिंह** (जिला बहराइच)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फैजाबाद डिवीजन के अन्तर्गत कितने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार या अनुचित कार्य के बारे में जांच हो रही है, जो तहसीलदार के पदों पर काम कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसे दो व्यक्ति थे।

*७६—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री काशीनाथबहादुर** तथा **श्री मुन्नूसिंह**—क्या प्रत्येक तहसीलदार के बारे में यह बतलाने की कृपा सरकार करेगी कि उन पर क्या आरोप हैं और अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक स्थानापन्न तहसीलदार के विरुद्ध यह आरोप है कि जिला सहारनपुर में जब वे देवबन्द के स्थानापन्न तहसीलदार थे तो उन्होंने अधिवासी प्रतिकर (Adhivasi Compensation) के वितरण में अनियमिततायें की थीं। मामले की जांच अभी जारी है। उन्हें नायब तहसीलदार के पद पर प्रत्यावर्तित करके दूसरे मंडल में भेज दिया गया है।

दूसरे स्थानापन्न तहसीलदार के विरुद्ध यह आरोप था कि सन् १९५७ में जब वे जिला गोरखपुर में नायब तहसीलदार थे तो उन्होंने कुछ दाखिल खारिज के मुकदमों को वादी की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया था यद्यपि मुकदमों में साक्ष्य पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था। उचित जांच के बाद उनके चरित्र पंजी में निन्दा प्रविष्टि (Censure entry) कर दी गई है।

गूंदी निवासिनी, श्रीमती सरजूदेई के बैल कुर्क करने की शिकायत

*७७—**श्री श्यामलाल** (जिला बस्ती)—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के सदर तहसील के गूंदी गांव की रहने वाली विधवा गरीब औरत, श्रीमती सरयू देई, जो स्वर्गीय श्री रघुवीरप्रसाद की पत्नी है, ने किस तारीख को मालगुजारी बेबाक की ? क्या यह सत्य है कि मालगुजारी जमा करने के बाद भी उसके बैलों को कुर्क अमीन ने ढाठर कराया और उसको परेशान किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमती सरजू देई ने ९ अप्रैल, १९६२ को मालगुजारी बेबाक की और मालगुजारी बेबाक हो जाने के बाद उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

*७८—**श्री श्यामलाल**—क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके बावजूद कि उक्त बेवा ने मालगुजारी अदा कर दिया था, तब भी उसके ढाठर कराये गये तीन बैलों में से केवल दो को ही मुक्त किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमती सरजू देई के, जिन्होंने मालगुजारी जमा कर दी थी, कोई बैल नही कुर्क किये गये। अतएव उनके बैलों को मुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों संबंधित विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के लिये प्रार्थना-पत्र

*७९—**श्री रामसुन्दर शास्त्री**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष ६१–६२ में इस प्रदेश में स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों से सम्बन्धित विद्यार्थियों की कितनी दरख्वास्तें जिलेवार छात्रवृति के लिये आई थीं ?

आचार्य जुगलकिशोर—२,८१६ नयी दरख्वास्तें।

तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ५५३–५५४ पर)

चारा की सप्लाई तथा वितरण

*८०—**श्री चन्द्रबली** (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६१ की बाढ़ के बाद चारा सप्लाई के लिये किसी ठेकेदार की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो उसने किन-किन जिलों में किन-किन स्टेशनों पर, कितनी-कितनी चारे की गाठें सप्लाई कीं तथा चारे की वे गांठें किन-किन को, किस-किस परमिट पर बांटी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। चारे की सप्लाई तथा वितरण का विवरण संलग्न तालिका में दे दिया गया है। चारा परमिट पर नहीं दिया गया।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ५५५ पर)

*८१—**श्री चन्द्रबली**—क्या सरकार चारा वितरण का विवरण जिले बार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न ८० के उत्तर के सम्बन्ध में तालिका प्रस्तुत कर दी गई है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ५५५ पर)

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*८२—**श्री चन्द्रबली**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१ ई० के बाढ़ के बाद, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की निम्न कक्षाओं से लेकर इंटरमीडियेट कक्षाओं तक पढ़ने वाले छात्रों के लिये, छात्रवृति के रूप में ३,७०,००० रुपये राज्य भर में दिये गये हैं ? यदि हां, तो जिलेवार, शिक्षा संस्थावार विवरण क्या सदन की मेज पर रखने का कष्ट गवारा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह धनराशि ३,७०,००० रुपये नहीं थी वरन् ३,८०,००० रुपये थी। जिलों की विवरण तालिका† सदन की मेज पर रखी है।

---

†तालिका छापी नहीं गई।

डलमऊ तहसील के लेखपाल की मुअत्तली

*८३—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत स्थान तहसील डलमऊ में २२ अप्रैल, १९६२ से ३० अप्रैल, १९६२ तक कितने लेखपाल रिश्वत लेते हुये कम्पलेंट आफीसर, रायबरेली द्वारा रंगे हाथों पकड़े गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक लेखपाल पकड़ा गया।

*८४—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पकड़े गये लेखपालों में ऐसे लेखपाल कितने हैं जिनकी जमानतें तुरन्त ले ली गई और उनके कागजात दाखिल तहसील कराये गये या नहीं ? और जमानत होने का समय क्या था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त लेखपाल की जमानत तुरन्त हो गई और उसके कागजात दाखिल करा लिये गये। जमानत होने का समय ६ बजे शाम था।

*८५—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पकड़े गये लेखपालों की मुअत्तली की गयी या नहीं ? अगर की गई, तो किस तारीख में ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त लेखपाल की मुअत्तली पकड़े जाने के दिन अर्थात २३ अप्रैल, १९६२ को ही कर दी गई।

फैजाबाद ब्रिज डिवीजन के अन्तर्गत पुलों का निर्माण

*८६—श्री मुन्नूसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद ब्रिज डिवीजन के अन्तर्गत कौन-कौन से पुल बन रहे हैं, और उनमें से कौन-कौन से तैयार हो गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल—फैजाबाद ब्रिज डिवीजन के अन्तर्गत बन रहे पुलों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी है जिस में प्रत्येक पुल के निर्माण पूर्ति की तिथि उसके सामने लिखी है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ५५६ पर)

*८७—श्री मुन्नूसिंह—इसी डिवीजन के अन्तर्गत भिन्गा-बहराइच रोड पर जो पिपरा घाट का पुल बन रहा है, उसका काम कब तक खत्म हो जाना चाहिये था और अब कब तक उस पुल के खुलने की सम्भावना है ?

श्री गिरधारीलाल—यह पुल ३१ जुलाई, १९६१ तक पूरा होना चाहिये था। किन्तु यह १ जुलाई, १९६२ को पूरा हुआ और यातायात के लिये खोला गया।

*८८—श्री मुन्नूसिंह—क्या सरकार को पता है कि इस पुल को मेन रोड से मिलाने वाली सड़क पर सोलिंग करने के लिये ५०,००० ईंट पहुंचाने का ठेका दिया गया था, जो फाइनल भी हो गया किन्तु ईंटें इस तादाद से बहुत ही कम पहुंची ?

श्री गिरधारीलाल—५०,००० ईंटों का ठेका दिया गया था। यह कुल ईंटें सड़क पर आ गये हैं और बांड फाइनल (bond final) हो गया है।

गौसगंज पुल बनवाने की प्रार्थना

*८९—श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार को यह मालूम है कि हरदोई जिले की भैंसरा नदी कितनी खतरनाक है और सन्डीला-मेहदीघाट सड़क पर गौसगंज में पुल ठीक न होने के कारण पुल के पार सेकेंडरी व जूनियर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नावों पर उतरते हैं और जान जोखिम लेते हैं ?

श्री गिरधारीलाल—बरसात में कभी-कभी गौसगंज के पास पुल पर नदी का पानी बहने लगता है जिसके कारण यातायात नावों के द्वारा होता है और ऐसे समय विद्यार्थी भी नाव द्वारा नदी पारकर पाठशाला जाते हैं, परन्तु ऐसा साधारणतया नहीं होता।

*९०—**श्री जे० पी० मिश्र**—क्या सरकार गौसगंज पुल बनवा देने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*९१—**श्री जे० पी० मिश्र**—क्या सरकार इसी सन्डीला—मेंहदीघाट सड़क पर ग्राम पुखांया के पास एक छोटा पुल बनवा देने की कृपा यातायात के हित व जनहित में कर सकी है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

सहारनपुर-झबरेड़ा सड़क

*९२—**श्री रामसिंह** (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर से झबरेड़ा जाने वाली सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की है अथवा अन्तरिम जिला परिषद की ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं, यह सड़क अन्तरिम जिला परिषद की है।

*९३—**श्री रामसिंह**—यदि उक्त सड़क जिला परिषद की है तो क्या सरकार सड़क के महत्व को देखते हुये उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—उक्त सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेने की अभी कोई योजना नहीं है।

*९४—**श्री रामसिंह**—यदि सरकार ने उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ले लिया है तो क्या सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में उसको जनता की परेशानी को देखते हुये बनवाने का इरादा किया है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता।

मोहम्मदाबाद गोहना तहसील में चकबन्दी संबंधी मुकदमे

*९५—**श्री सुरजन** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील मुहम्मदाबाद गोहाना के चकबन्दी सेंटर छपरा, उमरपुर, कोईलारी तथा सत्यगांव में कुल कितने उज्रदारी (तनाजा) के मुकदमें जनवरी सन् १९६२ से १५ अप्रैल, १९६२ तक कायम किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न में उल्लिखित अवधि में तहसील मोहम्मदाबाद-गोहना के विभिन्न चकबन्दी क्षेत्रों में प्राप्त तथा निर्णीत मुकदमों की एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ५५७ पर)

मोहम्मदी–पसगवां––अमीरनगर सड़क बनाने की प्रार्थना

*९६––श्री मन्नालाल––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में निम्नलिखित सड़कों को तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूरा करने की योजना है––

(क) मोहम्मदी से पसगवां जाने वाली ८ मील सड़क,

(ख) मोहम्मदी से अमीरनगर कुम्भी जाने वाली ५ मील सड़क। यदि हां, तो क्यों नहीं?

श्री गिरधारीलाल––जी नहीं। धनाभाव के कारण।

बांसी व नवगढ़ तहसीलों में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*९७––श्री जगदीशप्रसाद (जिला बहराइच)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांसी और नवगढ़ तहसीलों में बाढ़ में कितने गांवों में कितनी-कितनी क्षति हुई थी? और उन्हें लगान में कुल कितनी छूट दी गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन––जिला बस्ती की तहसील बांसी व नवगढ़ में खरीफ १३६९ फसली में बाढ़ से क्रमशः ४१४ व ४८० ग्राम प्रभावित हुये थे। इनमें से तहसील बांसी के ३७४ ग्रामों में तथा तहसील नवगढ़ के २८० ग्रामों में फसल को क्षति प्रति रुपया ५० नये पैसे या उससे अधिक की क्षति पहुंची है और दोनों तहसीलों के इन क्षतिग्रस्त ग्रामों के लिये खरीफ १३६९ फसली की मालगुजारी में क्रमशः १,६४,१९८ रु० १० न० पै० और १,१८,१०० रु० ५६ न० पै० की छूट स्वीकृत की गई है। शेष प्रभावित ग्रामों में क्षति की मात्रा रुपये में ५० न० पै० से कम होने के कारण नियमानुकूल छूट नहीं दी गई।

*९८––श्री जगदीशप्रसाद––अबकी बार बाढ़ से बचाने के लिये गांवों को क्या सुविधायें दिये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन––उक्त क्षेत्रों के गांवों में अब की बार बाढ़ से बचाने के लिये जिन सुविधाओं का प्रबन्ध किया जा रहा है वे इस प्रकार हैं:––

(क) गोवर्धन बांध और डुमरियागंज बुजुर्ग के निकट बांसी पनघटिया बांध बनाये जा रहे हैं जो कि अब करीब-करीब पूरे होने वाले हैं।

(ख) नगवा ग्राम की सुरक्षा के लिये ठोकरें तैयार की जा रही हैं और यह कार्य अभी समाप्त नहीं हो पाया है।

(ग) ऐसे ग्रामों की आबादी को जिनकी आबादी का भाग कट गया है या जिनके कट जाने का भय है अन्य ऊंचे स्थानों पर बसाने का विचार है।

(घ) वर्षा शुरू होने से पूर्व फ्लड पोस्टों में बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिये नावों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध किया जा रहा है।

*९९–१०१––श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर––[१०वें गुरुवार के लिये प्रश्न १३१–१३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

देहली–आगरा सड़क में मथुरा जिले के किसानों की भूमि

*१०२––श्री लखीसिंह––क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहली से आगरा तक जो सीमेंट की सड़क बनाई जा रही है उसमें जिला मथुरा के किसानों की कितनी एकड़ भूमि ली गई है?

श्री गिरधारीलाल---३६.९९ एकड़ ।

*१०३---श्री लखीसिंह---क्या यह सत्य है कि उक्त सड़क पर एक साल पहले से काम हो रहा है ? यदि हां, तो अब तक जमीन लेने से किसानों की पैदावार में कितनी क्षति हुई ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां, सड़क के केवल १ मील के टुकड़े में पैदावार का मुआवजा दिया जा चुका है इसलिये क्षति का प्रश्न नहीं उठता ।

कोसी नदी पर रामनगर पुल की आवश्यकता

*१०४---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कोसी नदी पर राम नगर जिला नैनीताल में पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने रुपये की योजना है और कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं ।

गाजीपुर जिले के बाढ़ क्षेत्रों में गृह निर्माणार्थ सहायता

*१०५---श्री झिलमिट राम (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में १९५६ की बाढ़ के फलस्वरूप सरकार ने जिले के किन-किन गांवों में कितनी-कितनी आर्थिक सहायता मकान बनाने के लिये दी ? उपर्युक्त सहायता से कितने गांवों में कितने मकान बनाये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुल ३,६०,२९७ रु० की आर्थिक सहायता ७३१ ग्रामों में दी गई थी जिससे ९,३८७ मकानों का पुनः निर्माण तथा मरम्मत की गई । विस्तृत विवरण की सूची बहुत बड़ी है जो कार्यालय में देखी जा सकती है ।

*१०६---श्री राम किशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---[७वें शुक्रवार के लिये प्रश्न २६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बुन्देलखंड म सड़क निर्माण कार्य

*१०७---श्री शिव सम्पति शर्मा (जिला जालौन)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंच वर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखंड खास कर जालौन व झांसी जिले को कितनी मील पक्की सड़कें दी गई और उसमें कितनी पूरी हुई कितनी अधूरी रह गई तथा उनके नाम ?

श्री गिरधारीलाल---यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी अनुसूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ५५८-५५९ पर)

*१०८---श्री शिवसम्पति शर्मा---जालौन जिले में प्रस्तावित कालपी-मदारीपुर रोड व कालपी-राठ रोड का प्रदेश स्तर पर क्या नम्बर है? क्या सरकार इस पिछड़े भू-भाग को जो गल्ले के उत्पादन में सबसे आगे हैं और यातायात साधन में वर्गमीलों में सबसे पीछे है विशेष ध्यान देकर विशेष रूप से विचार करने का विचार रखती है ? तो कब शुरू करेगी ?

श्री गिरधारी लाल---प्रदेशीय स्तर पर सड़कों को नम्बर नहीं दिये जाते हैं, जिले के स्तर पर इन सड़कों का क्रमशः ४ था तथा ५ वां नम्बर है । धनाभाव के कारण इन सड़कों का निर्माण इस समय सम्भव नहीं है ।

*१०९—श्री शिवसम्पति शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि यह दोनों क्षेत्र ऐसे हैं कि इस बीसवीं सदी में भी इस इलाके की जनता को १६ या २० मील पैदल चलने के बाद ही सड़क मिलती है ?

श्री गिरधारीलाल—इस क्षेत्र में सड़कों की कमी अवश्य है ।

सगड़ी तहसील में टेस्ट वर्क

*११०—श्री इन्द्रासन (जिला आजमगढ़)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला के अन्तर्गत सगड़ी तहसील में किन-किन सड़कों और स्थानों पर टेस्ट वर्क हुआ है ? क्या सरकार की तरफ से यह भी आदेश था कि बांध और नदी के बीच में ग्रामों के रास्ते बांध तक ऊंचा कर दिये जायें ताकि बरसात में गांवों के लोगों को आने-जाने की सुविधा हो जाय ? यदि यह सही है, तो सरकार ने कितने गांवों के रास्ते बनवाये और यदि ऐसा नहीं हुआ तो सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन— जिन सड़कों तथा स्थानों पर टेस्ट वर्क चलाये गये थे, उनकी सूची संलग्न है । बांध और नदी के बीच के ग्रामों के रास्तों को बांध तक ऊंचा करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिये गये । ऐसा करने में पानी के बहाव में बाधा पड़ने और सड़कें बह जाने की भी आशंका समझी गई है ।

(देखिये नत्थी 'प' आगे पृष्ठ ५६० पर)

*१११—११२—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*११३—श्री अब्दुल समी (जिला सुल्तानपुर)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

ढेला नदी के पुल में दरार

*११४—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार को ज्ञात है कि ढेला नदी का पुल जो कि मुरादाबाद काशीपुर सड़क पर बना हुआ है उसमें दरारें पड़ गई हैं ? यदि हां, तो सरकार उस पर कौन सी कार्यवाही कर रही है, जिससे उक्त पुल को खतरे से बाहर किया जा सके ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां, पुल की आवश्यक मरम्मत कर दी गई है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन-वृद्धि न मिलना

*११५—श्री दयाराम (जिला फर्रुखाबाद)—शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त अनेक विद्यालयों के कक्षा ६ के विद्यार्थियों को १९६१-६२ की शुल्क क्षतिपूर्ति नहीं की गई जिसके कारण अनेक सम्बन्धित विद्यालयों के अध्यापकों को नियमित वेतन भी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है तथा सरकार उसके भुगतान का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—मांगी गई सूचना समस्त प्रदेश से एकत्रित करने में जो श्रम और व्यय लगेगा वह उसके लाभ के समतुल्य न होगा ।

कक्षा ६ की फीस माफी की रकम अनुपालन अनुदान आंकते समय उसमें सम्मिलित हो जाती है । अलग से उसका भुगतान नहीं होता, जिससे प्रबन्धकों को यह भ्रम रहता है कि माफी की रकम उन्हें नहीं मिली ।

*११६—श्री दयाराम—क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियमित वेतन-वृद्धि नहीं मिल रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—मांगी गई सूचना एकत्रित करने में जो समय और धन का व्यय होगा वह उसके परिणाम के समतुल्य न होगा ।

*११७—श्री दयाराम—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार नये अधिनियम के आधार पर अध्यापकों को नियमित वेतन-वृद्धि दिलाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

आचार्य जुगलकिशोर—इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट के अधीन इस सम्बन्ध में उचित विनियम बना दिये गये हैं और अध्यापकों को वेतन-वृद्धि भी उन्हीं के अनुसार मिल रही है। यदि कहीं कोई शिकायत है तो उस पर कार्यवाही करने का भी नियम बना हुआ है ।

*११८—१२०—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२१—१२२—श्री हरगैनराम (जिला वाराणसी)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२३—श्री रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—[७ वें सोमवार के लिये प्रश्न १०१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बहापुर के अग्निपीड़ितों को सहायता

*१२४—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बहापुर, तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में अप्रैल, सन् १९६२ को खलिहानों में आग लगी है? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, उक्त अग्निकांड ९—४—६२ को हुआ था । पीड़ित व्यक्तियों को १०० रु० अहेतुक सहायता के रूप में बांटा गया तथा १५३.९२ न० पै० की लगान में छूट दी गई । पीड़ित व्यक्तियों ने तकावी लेना स्वीकार नहीं किया ।

रौसड़ ग्राम समाज की भूमि

*१२५—श्री उमाशंकर—क्या माल मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के ग्राम सभा पचखोरा के ग्राम रौसड़ में सन् १९५२ में ग्राम समाज के पास कितनी भूमि परती, ताल, ऊसर, बंजर, मजरूआ और जंगल के रूप में थी और इस समय १९६२ में कितनी भूमि है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९५२ में कुल ९८.६१६ एकड़ भूमि थी तथा सन् १९६२ में कुल ९३.१७६ एकड़ भूमि है।

*१२६—श्री उमाशंकर—क्या यह सच है कि उक्त ग्राम समाज की जमीन को ग्राम समाज के प्रधान ने अनियमित ढंग से किसी के साथ प्रबन्ध कर दिया है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी नहीं ।

*१२७—श्री उमाशंकर—क्या मंत्री जी कोई आदेश भेजकर जिला अधिकारियों को प्रेरित करेंगे कि ग्राम समाज की जिले भर में जितनी भूमि अनियमित तरीके से किसी को दी गई है वह वापस लेने की तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं, ऐसे आदेश भेजने के लिये कोई कारण नहीं है।

*१२८-१३०---**श्री सूबेदारसिंह** (जिला मैनपुरी)---[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

तरया सुजान सर्किल के लेखपाल के विरुद्ध गलत इन्दराज की जांच

*१३१---**श्री गेंदासिंह**---क्या राजस्व मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि देवरिया जिले के तरया सुजान कानूनगो सर्किल के कागजात लेखपाल के संबंध में कोई जांच पड़ताल इस वर्ष जिले के किसी अधिकारी ने की है? यदि हां, तो उन रिपोर्टों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, किन्तु जांच की रिपोर्टों की प्रतिलिपियों का सदन में प्रस्तुत करना जनहित में न होगा।

*१३२---**श्री गेंदासिंह**---क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्टों में ग्रामीण कागजों में पचास, चालीस प्रतिशत गलतियां पाई गयीं हैं? यदि नहीं, तो कितनी गलतियां पायी गयी हैं और वह किस प्रकार की हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तहसीलदार पडरौना ने भू-चित्र, खसरा एवं खतौनी में क्रमशः दशमलव ३६ प्रतिशत, २४.७३ प्रतिशत एवं शून्य प्रतिशत गलतियां पायीं तथा नायब तहसीलदार पडरौना ने क्रमशः १२.३३ प्रतिशत, ३९.४१ प्रतिशत एवं ५९.४२ प्रतिशत गलतियां पायीं। भू-चित्र में क्षेत्रों के विभाजन का चिन्ह गलत लगाया गया है। कछारी मवाजियात में भू-चित्र संशोधन का कार्य नहीं किया गया है। खसरे के खाना ३ में खाता दर्ज नहीं है। पेड़ों का इन्द्राज छूटा हुआ है। बाढ़ क्षति ग्रस्त ग्रामों के खतरे में खरीफ फसल का नुकसान खाना के कैफियत में दर्ज नहीं है। खतौनी में मृतक व्यक्तियों का नाम कई वर्षों से दर्ज चला आ रहा है। वारिसान का नाम दर्ज नहीं है। पुरानी खतौनी में प० क० ११ का चस्पा होना नहीं पाया जाता है।

*१३३---**श्री गेंदा सिंह**---उक्त कानूनगो सर्किल तथा दुदही कानूनगो सर्किल में सी० एल० आर० डी० के अनुसार कितने व्यक्तियों पर अब तक बकाया निर्धारित हुआ है? ऐसी रकम कितनी है और अब तक कितनी रकम वसूल हो सकी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सुपरवाईजर कानूनगो सर्किल, तरया सुजान तथा दुदही में सी० एल० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत क्रमशः १३,३८२ एवं ८२३४ खातेदारों पर क्रमशः ७२,४२२ रुपया एवं ४२,५२८ रुपया बकाया निर्धारित हुआ है। इसकी वसूली सालाना मालगुजारी के साथ हुई है तथा हो रही है। अतः यह बताना संभव नहीं है कि उपरोक्त बकाया रकम में से कितनी रकम अबतक वसूल हो सकी है।

बस्ती जिले की सड़कें

*१३४---**श्री रणबहादुरसिंह** (जिला बस्ती)---क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में तीसरी योजना में कुल कितनी मील पक्की सड़कें बनेंगी?

श्री गिरधारीलाल---११३ मील ७ १/२ फर्लांग।

*१३५---**श्री रणबहादुरसिंह**---क्या निर्माण मंत्री यह बतायेंगे कि जिला बस्ती में तीसरी योजना में प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर कौन-कौन सड़कें हैं? क्या किसी पर काम शुरू हो गया है?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम सड़क सिकरीगंज घनघटा मुश्वलिशपुर १६ मील १ फर्लांग लम्बे टुकड़ा का निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है और कार्य आरम्भ हो गया है। दूसरी सड़क का निर्माण-कार्य इस वर्ष स्वीकृत हुआ है और शीघ्र चालू हो जायेगा। प्रथम स्थान राम जानकी सड़क (छावनी दबरौला, कलवारी, घनघटा मुसलिशपुर) ५५ मील, दूसरी हरैया बभनान सड़क के ७वें मील से परसरामपुर सड़क ११ मील।

एरच घाट पर पुल की आवश्यकता

*१३६---**श्री काशीप्रसाद द्विवेदी** (जिला झांसी)---क्या सरकार को पता है कि जिला झांसी में एरच घाट कितना महत्वपूर्ण यातायात की दृष्टि से है, यदि हाँ, तो सरकार उस घाट पर पुल बनाने की व्यवस्था कर रही है?

श्री गिरधारीलाल---सरकार एरच घाट पर पुल बनाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में जागरूक है, परन्तु धनाभाव के कारण इस पुल का बनाना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है।

*१३७-१३८---**श्री गिरवरप्रसाद** (जिला एटा)---[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*१३९-१४१---**श्री शिवनाथप्रसाद** (जिला वाराणसी)---[हटा दिये गये।]

*१४२---**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)---[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

प्रदेश में डिग्री कालेज

*१४३---**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी योजना में प्रदेश के प्रत्येक तहसीलों में एक डिग्री कालेज अवश्य खुलने वाला है?

आचार्य जुगल किशोर---जी नहीं।

तिबाहा गांव में अग्निकांड से क्षति

*१४४---**श्री बनवारीलाल विप्र** (जिला आगरा)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा, तहसील फतिहाबाद क्षेत्र के गाँव तिबाहा में दिनाँक १८ अप्रैल, १९६२ दिन बुधवार को जो भीषण अग्निकाँड हुआ तो उसमें कितने घर जल कर भस्म हुये और कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई?

श्री हुकुम सिंह विसेन---उक्त गाँव में १८ अप्रैल, १९६२ को जो अग्निकाँड हुआ, उसमें ४२ घर जल गये और अनुमानित ७४,२१७ रु० की सम्पत्ति की क्षति हुई।

*१४५---**श्री बनवारीलाल विप्र**---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गाँव के क्षति-ग्रस्त ऐसे परिवारों को जिनका सर्वस्व स्वाहा हो गया, उन्हें किस-किस प्रकार की अविलम्ब सहायता प्रदान की गयी? यदि हाँ, तो कब?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उक्त अग्निकाँड में क्षति-ग्रस्त व्यक्तियों में से कुल १३ व्यक्तियों को ७ मई, २१ मई और १ जून, १९६२ को अहेतुक सहायता के रूप में धन वितरित किया गया, ४१ व्यक्तियों को ५ जून, १९६२ को आपत्तिकालीन तकावी दी गई, और ३६ व्यक्तियों को १० और ११ जुलाई, १९६२ को मकान बनाने के लिये सहायता के रूप में धन बाँटा गया।

प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की आवश्यकता

*१४६--श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षण पद्धति सेवाकालीन प्रशिक्षण शिविरों में सीनियर बेसिक विद्यालयों के भाग लेने वाले अध्यापकों को वेतन के अतिरिक्त कितना भत्ता शिविर काल में दिया जाता है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं। इस प्रकार के प्रशिक्षण की कोई योजना नहीं है।

*१४७--श्री श्रीराम तिवारी--क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों के प्रशिक्षित होकर अपने विद्यालयों में वापस आने पर उनके वेतन-क्रम अथवा महंगाई में कुछ वृद्धि होगी ?

आचार्य जुगलकिशोर-- प्रश्न नहीं उठता।

*१४८--श्री श्रीराम तिवारी--क्या सरकार उत्तरोत्तर महंगाई में वृद्धि को देखते हुये प्राइमरी अध्यापकों के वेतन-वृद्धि के प्रश्न पर विचार करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--प्राथमिक अध्यापकों की वेतन-वृद्धि का प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है।

पी० डब्ल्यू० डी० विभाग, बनारस डिवीजन में रहने वाले तीन साल से अधिक इंजीनियर्स

*१४९--श्री सोहनलाल घुसिया (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्लू० डी० विभाग में बनारस डिवीजन में ऐसे कितने इंजीनियर्स है जिनको रहते वहाँ तीन साल या उससे अधिक हो गया है ?

श्री गिरधारीलाल--कोई नहीं।

*१५०--श्री होरी लाल यादव--[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

खीरी कलेक्ट्रेट की नई इमारत पर व्यय

*१५१--श्री तेजनारायण त्रिवेदी (जिला खीरी)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला खीरी नव-निर्मित कलेक्ट्रेट इमारत में कितना व्यय हुआ, और क्या कारण है कि अभी तक उक्त इमारत का प्रयोग पूर्णरूप स नहीं हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला खीरी की कलेक्ट्रट के लिये कोई नई इमारत नहीं बनी है। सन् १९५७-५८ में वहां विटनेस शेड बनाया गया था जिस पर ९७०० रु० व्यय हुआ। इस विटनेस शेड का प्रयोग अदालत आने वाले लोगों द्वारा अधिक नहीं होता है क्योंकि वे अदालत क सामने बरामदे में ही ठहरना पसन्द करते हैं।

खम्हरिया-ईसानगर सड़क के निर्माण की आवश्यकता

*१५२--श्री तेजनारायण त्रिवेदी --क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला खीरी लखीमपुर-नौआपुर सड़क पर बरसात में रास्ता बन्द हो जाता है, बसें चलना बन्द हो जाती है, जनता को अत्यधिक परेशानी होती है, यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, सुधार इस समय सम्भव नहीं है।

*१५३--श्री तेजनारायण त्रिवेदी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खम्हरिया ईसानगर खीरी की ९ मील की सड़क का निर्माण कितने समय में हो सकेगा ?

श्री गिरधारीलाल--अभी इस सड़क के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

*१५४-१५५--श्री गुलाबसिंह--[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५६-१५७--श्री होरीलाल यादव--[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

आगरा विश्वविद्यालय के शारीरिक-शिक्षा अध्यापकों का वेतन-क्रम

*१५८--श्री हरीशकुमार गंगवार--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा आगरा विश्वविद्यालय के सीनेट ने आगरा विश्वविद्यालय के शारीरिक-शिक्षा के अध्यापकों के वेतन-क्रम के बारे में कोई सुझाव दिये हैं? यदि हां, तो उनको लागू क्यों नहीं किया गया?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां, आर्थिक कठिनाइयों के कारण सुझावों को लागू नहीं किया जा सका।

*१५९--श्री झिलमिट राम--[८ वें बुधवार के लिए प्रश्न ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

घाड़ क्षेत्र में सड़क की आवश्यकता

*१६०--श्री जगदीश नारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि देहली-देहरादून सड़क तथा देहली-हरद्वार सड़क के बीच स्थित घाड़ क्षेत्र में कोई भी पक्की या कच्ची सार्वजनिक सड़क नहीं है जिससे जनता को बड़ी तकलीफ है? इस संबंध में सरकार क्या करने जा रही है?

श्री गिरधारी लाल--जी हां, इस क्षेत्र में सड़क-निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

*१६१--श्री जगदीश नारायण सिनहा--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहली हरद्वार-बदरीनाथ सड़क स्थित रुड़की नहर गंगा पुल तथा सोलानी एक्योडेक्ट पर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं?

श्री गिरधारी लाल--इस समय सरकार के पास इन स्थानों पर किसी दुर्घटना की सूचना नहीं आई है।

*१६२-१६४--श्री कमलासिंह यादव--[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*१६५--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इंटरमीडियेट शिक्षा परिषद् में कितने सदस्य हैं और उनमें से कितने अछूत सदस्य हैं?

आचार्य जुगलकिशोर--परिषद् के वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या ३२ है जिसमें एक अनुसूचित जाति की सदस्या हैं।

*१६६--श्री रघुवीर सहाय कैथवार--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल व इन्टरमीडियेट की प्रयोगात्मक व लिखित परीक्षा लेने वाले कितने परीक्षक हैं और उनमें कितने अछूत वर्ग के परीक्षक हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—परिषद् के १९६२ की परीक्षा में प्रयोगात्मक एवं लिखित परीक्षाओं में कुल परीक्षकों की संख्या हाई स्कूल के लिये ७०६९ तथा इन्टरमीडियेट के लिये ४२५३ थी ।

इन परीक्षकों का जाति या वर्ग के अनुसार कोई रिकार्ड नहीं रक्खा जाता । अतः सूचना एकत्रित करने में जो श्रम और धन व्यय होगा उससे लाभ उसके समतुल्य न होगा ।

*१६७—**श्री रघुवीर सहाय कैथवार**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल व इन्टरमीडियेट बोर्ड में कितने टेबुलेटर कोलेटर तथा स्क्रुटनी अफसर हैं और उनमें से प्रत्येक में कितने अछूतवर्ग के अफसर हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—इन कार्यों के लिये पृथक से कोई अफसर नहीं नियुक्त किया जाता । १९६२ की परीक्षा में टेबुलेटर, कोलेटर तथा स्क्रूटीनाइजरों की संख्या निम्नवत थी:

टेबुलेटर	कोलेटर	स्क्रुटिनाइजर
५७४	१९२	५७२

इनका भी जाति या वर्ग के अनुसार रिकार्ड नहीं रखा जाता । सूचना एकत्रित करने में जो श्रम लगेगा और व्यय होगा वह उसके लाभ के समतुल्य न होगा ।

जालौन जिले में निर्माण-कार्य

*१६८—**श्री विजयसिंह** (जिला जालौन)—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में नदी गांव में पहूज नदी पर पुल बनवाये जाने की व्यवस्था है, यदि हां, तो वह कार्य कब से प्रारम्भ हो रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं ।

*१६९—**श्री विजय सिंह**—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में उरई-कोंच रोड तथा एट-कोंच रोड को पी० डब्ल्यू० डी० में लेने की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं ।

*१७०—**श्री विजय सिंह**—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक जालौन-कोंच-रोड पर कितना कार्य हो चुका है और कितना अभी शेष है ? अब तक कितना रुपया उस रोड पर व्यय हो चुका है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क पर १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक १,२०,१०६ रु० की लागत का कार्य किया गया था और अब ४७,७५० रु० की लागत का कार्य बाकी रह गया है । ३० जून, १९६२ तक इस सड़क पर कुल ५,६६,२५० रु० व्यय हो चुका है ।

*१७१—**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) तथा **श्री ऊदल**—[८ वें बुधवार के लिए प्रश्न ८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१७२—**श्री माधो नारायण** (जिला मैनपुरी)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

ढेला के पुल की मरम्मत

*१७३—**श्री हरीशकुमार गंगवार**—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा रोड पर १९५७ में जो ढेला का पुल बना था उसकी मरम्मत आजकल कराई जा रही है? यदि हां, तो सरकार ने इस अल्पावधि में उसके क्षति ग्रस्त हो जाने के कारणों की क्या जांच की ? और उसकी मरम्मत पर क्या व्यय होगा ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां, क्षति का कारण Plate bearings का ठीक काम न करना था. पुल की मरम्मत में ११,९८३ रुपया व्यय हुये।

मऊ–गरौठा रोड का पक्का करना

*१७४—**श्री काशीप्रसाद द्विवेदी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में जो मऊ-गरौठा कच्चा रोड पक्का बन रही है उस रोड के किनारे कौन-कौन से ग्राम हैं जहां होकर रोड जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी अनुसूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'फ' आगे पृष्ट ५६१ पर)

नशा बन्दी प्रचार हेतु नियुक्त एक्साइज सुपरिन्टेंडेंट

*१७५—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सम्पूर्ण प्रदेश में आबकारी से वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में कितनी आय हुई और उक्त वर्ष में कितना धन नशाबन्दी के प्रचार में व्यय किया गया ?

डाक्टर सीताराम—वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में सम्पूर्ण प्रदेश में आबकारी से ७,६०,३६,७९४ रुपये की आय हुई तथा २,००,६०२ रुपया नशाबन्दी के प्रचार में व्यय हुआ।

*१७६—**श्री इन्द्रासन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने एक्साइज सुपरिन्टेन्डेन्ट रक्खे गये हैं और उनका कर्तव्य क्या है और इन कर्मचारियों से सरकार का क्या विशेष लाभ हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—प्रदेश में कुल २३ सुपरिन्टेन्डेन्ट एक्साइज हैं। इनमें से ५ सुपरिन्टेन्डेन्ट एक्साइज स्पेशल गांजा स्क्वायड ड्यूटी पर हैं और शेष १८ बड़े जिलों में अपराध निरोधक ड्यूटी पर हैं।

गांजा स्क्वायड के सुपरिन्टेन्डेन्ट के अधीन आबकारी निरीक्षकों तथा आबकारी चपरासी का स्टाफ नैपाल तथा सीमावर्ती राज्यों से गांजा और चरस के स्मगलिंग को रोकथाम के लिये नियुक्त हैं। ये सुपरिन्टेन्डेन्ट अधीनस्थ अधिकारियों पर नियन्त्रण रखते हैं। इनसे प्रदेशीय चरस, गांजा निषेध योजना को सफल बनाने में काफी सहायता मिली है।

अन्य सुपरिन्टेन्डेन्ट एक्साइज जो १८ बड़े जिलों में नियुक्त हैं, ये अपने-अपने जिले के आबकारी कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखते हैं तथा जिलाधीश एवं सहायक आबकारी कमिश्नर के कार्य में सहायता करते हैं। ये अपने क्षेत्र में आबकारी अपराध की रोकथाम मादक वस्तुओं की खपत, आबकारी राजस्व की वसूली, आबकारी दूकानों के नीलाम तथा अन्य आबकारी मामलों के लिये उत्तरदायी हैं। इनकी नियुक्ति के कारण पूर्व वर्ष के मुकाबले में राजस्व में काफी वृद्धि हुई है।

ग्राम-समाज द्वारा कृषि-योग्य भूमि का एलाटमेंट

*१७७—**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्राम-समाज को जो पड़ती कृषि योग्य भूमि के एलाट करने का अधिकार दिया गया है उसका सही रूप से पालन नहीं हो रहा है जिससे खेतिहर मजदूरों व भूमिहीनों को भूमि नहीं मिल पा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां तक सरकार की जानकारी है ऐसी बात नहीं है।

*१७८—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि भूमि का सही एलाटमेन्ट वितरण हो इस बात को ध्यान में रखते हुए भूमि व्यवस्था कानून में संशोधन करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। क्योंकि संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

*१७९—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

अछल्दा-विधूना रोड का सरकार द्वारा हस्तांतरण

*१८०—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८-५९ में तत्कालीन जिलाधीश इटावा ने सरकार का ध्यान अछल्दा-विधूना रोड की खराब दशा की ओर आकर्षित किया था? यदि हां, तो क्या जिलाधीश ने सरकार को यह भी लिखा था कि रेलवे स्टेशन से विधूना तहसील पहुंचने के लिये केवल यही एक मार्ग है?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—जी हां।

*१८१—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या यह भी सच है कि इटावा अन्तरिम जिला परिषद् ने सर्वसम्मति से उसी समय सरकार यह प्रार्थना की थी कि वह इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग के सुपुर्द कर दे और जिलाधीश को यह अधिकार दिया था कि वह स्वयं लखनऊ जाकर या पत्र-व्यवहार द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें और इस सड़क का स्थानान्तरण सार्वजनिक निर्माण विभाग को करा दें?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—ऐसा अधिकार अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद्, इटावा को दिया गया था।

*१८२—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या यह सच है कि इसपर सरकार की ओर से यह आदेश आया था कि इस सड़क के महत्व को देखते हुये सरकार शीघ्रातिशीघ्र इसे अपने प्रबंध में ले लेगी? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—तृतीय पंचवर्षीय योजना का सीमित आकार होने के कारण कथित सड़क को योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

*१८३—श्री सुरजन—]२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१८४—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

तहसील छिबरामऊ के लेखपाल के विरुद्ध शिकायत

*१८५—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या राजस्व मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले की तहसील छिबरामऊ में बदन सिंह लेखपाल के विरुद्ध कुछ शिकायतें उस हल्का के काश्तकारों की तरफ से चल रही थीं और आम चुनाव में भी उसने भाग लिया था, रूपपुर पोलिंग स्टेशन छिबरामऊ क्षेत्र पर भी उसकी शिकायत हुई थी और उस शिकायत पर ही उसे ड्यूटी से अलग किया गया था? अगर यह सही है तो अब तक बदन सिंह लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त लेखपाल के विरुद्ध केवल एक शिकायती-पत्र-खंड विकास अधिकारी छिबरामऊ ने २९ मई, १९६२ को हाकिम परगना, छिबरामऊ के पास जांच के हेतु भेजा था जिससे विदित होता है कि ग्राम विविया जलालपुर, रूपपुर तथा बिर्रा के प्रधानों ने क्षेत्रीय विकास समिति की बैठक दिनांक २० अप्रैल, १९६२ में उक्त लेखपाल के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया था। उक्त लेखपाल ने ग्राम चुनाव में कोई अनुचित कार्य नहीं किया था। रूपपुर पोलिंग स्टेशन पर उसकी कोई शिकायत नहीं हुई थी और न ही उसे उक्त पोलिंग स्टेशन पर से हटाया गया था। लेखपाल के विरुद्ध उक्त शिकायत की जांच हो रही है।

*१८६—**श्री नाथूराम शिक्षक** (जिला इलाहाबाद)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१८७-१८९—**श्री शिवनाथसिंह** (जिला कानपुर)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

अतरौली में ओलावृष्टि से हानि और सरकारी सहायता

*१९०—**श्री बाबूसिंह** (जिला अलीगढ़)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ में जो ओला वृष्टि के कारण किसानों की क्षति पूर्ति करने के लिये तहसीलदार अतरौली को रुपया दिया गया था तो क्या यह सच है कि वह रुपया तहसीलदार अतरौली ने मनमाने ढंग पर कुछ किसानों में बांट दिया और जिसके फलस्वरूप नियमानुसार उस रुपये के अधिकारी अनेक गरीब किसान वंचित रह गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्षति पूर्ति के लिये जिलाधीश अलीगढ़ को कोई धन नहीं दिया गया था। परन्तु हां, क्षतिग्रस्त लोगों को अहेतुक सहायता देने के लिये ७५,००० रु० तथा उनमें तकावी बांटने के लिये १,५०,००० रु० स्वीकृत किया गया था। यह समस्त धनराशि बांटी जा चुकी है किन्तु यह सही नहीं है कि तहसीलदार ने इस धन को मनमाने ढंग पर बांटा। केवल दो एक गांव में तकावी का वितरण अनुपात के अनुकूल नहीं पाया गया, जिसके लिये तहसीलदार की चरित्र पंजी में प्रतिकूल अभ्युक्ति (adverse remark) कर दी गई है।

*१९१—१९२—**श्री गयाप्रसाद**—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना

*१९३—**श्री गयाप्रसाद**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना कब से चालू की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—जुलाई, १९५४ से।

*१९४—**श्री रघुनाथ**—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

ग्राम पांडसर में आग लगने से हानि और सरकारी सहायता

*१९५—**श्री जयगोपाल** (जिला सहारनपुर)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पांडसर परगना व जिला सहारनपुर में आग लगने से कितना नुकसान हुआ है और क्या मदद उन लोगों को जिनके यहां आग लगी, की गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त अग्निकांड में अनुमानित ४,५०० रु० की हानि हुई। क्षतिग्रस्त व्यक्तियों में केवल एक व्यक्ति साधनहीन होने के कारण आर्थिक सहायता का पात्र समझा गया और उसे २० रु० अहेतुक सहायता के रूप में प्रदान किये गये।

घिरोर-एकाबफरया सड़क का पी० डब्ल्यू० डी० में लेना

*१९६—**श्री बलवीरसिंह** तथा **श्री रामसिंह** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला मैनपुरी में पक्का कराने के लिये कौन-कौन-सी सड़कें ली गई थीं और उनमें से कौन-कौन-सी पूरी हो गईं तथा शेष कब तक पूरी होंगी ?

श्री गिरधारीलाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस जिले में किसी नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ। करहल-सिरसागंज सड़क जो पहिली योजना में ली गई थी उसको पूरा किया गया।

*१९७—**श्री बलवीरसिंह** तथा **श्री रामसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घिरोर से एकाबफरया सड़क पी०डब्ल्यू०डी० में लेने की योजना चल रही है। यदि हां, तो कब तक ले ली जायगी ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

छिबरामऊ में कन्या विद्यालय व हाई स्कूल खोलने की आवश्यकता

*१९८—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद में हाई स्कूल तक कन्या विद्यालय खोलने की योजना सरकार के सम्मुख विचाराधीन है ? और अगर हां, तो अब तक सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*१९९—**श्री द्विजेन्द्रनारायण**—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

नाद नदी पर पुल की आवश्यकता

*२००—**श्री रघुनाथसिंह** (जिला वाराणसी)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी से सारनाथ तक की पक्की सड़क को आगे बढ़ा कर गोला, जयरामपुर होते हुये मुनारी तक पक्की किया जावेगा ?

श्री गिरधारीलाल—इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

*२०१—**श्री रघुनाथसिंह**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह महसूस करते हैं कि वाराणसी के रजलानियार से पहडिया (सारनाथ से १ मील पश्चिम) के बीच की कच्ची सड़क पर रोना के पास नाद नदी पर पुल न होने के कारण आवागमन के विचार से यह सड़क बिल्कुल निरर्थक है ? यदि हां, तो वहां पुल निर्माण के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—यह सड़क अन्तरिम जिला परिषद् के अधीन है और इस पर स्थित पुल के निर्माण का उत्तरदायित्व परिषद् का है।

*२०२—**श्री रघुनाथसिंह**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इधर १४-१५ वर्षों में सार्वजनिक निर्माण के रूप में कटेहर विधान सभा क्षेत्र से एक भी नवनिर्माण का कार्य क्यों नहीं हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—इस क्षेत्र में बनारस-बलिया सड़क तथा बनारस-आजमगढ़ सड़क के कुछ भागों का आधुनीकरण हुआ है। कैथी के पास गोमती नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है।

एटा-घुमरी रोड को नव-निर्मित कराने की आवश्यकता

*२०३—श्री सियाराम (जिला फर्रुखाबाद)—क्या निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जिले के फर्रुखाबाद कायमगंज रोड पर स्थित ग्राम हथियापुर से वाया नवाबगंज होती हुई एटा जिले की नव-निर्मित एटा-घुमरी रोड से मिला देने से मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, देहली आदि स्थानों की दूरी फर्रुखाबाद तथा आस-पास के जिलों के नगर निवासियों के लिये यातायात में निकटतम एवं विशेष हितकारी हो सकती है? यदि हां, तो क्या सरकार इस छोटे से मार्ग को नव-निर्मित कराने तथा जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो किन कारणों से ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां ।

द्वितीय भाग:—जी नहीं ।

तृतीय भाग—धनाभाव के कारण ।

सरायन नदी के पुल को बाढ़ से क्षति

*२०४—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर-शाहजहांपुर रोड पर सरायन नदी पर जो पुल बनाया गया है उस पर कितना पैसा खर्च हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—इस पुल के निर्माण पर कुल ५,१३,७६४.०० रुपया व्यय हुआ है ।

*२०५—श्री शारदानन्द—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर में सरायन नदी पर बने पुल को बाढ़ से कुछ क्षति पहुंची है ? यदि हां, तो क्या तथा किस कारण ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*२०६-२०८—**श्री शिव सम्पति शर्मा**—[७वें सोमवार के लिये प्रश्न ९६-९८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२०९-२१०—**श्री जगन्नाथ** (जिला जौनपुर)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स, बस्ती के विरुद्ध शिकायत

*२११—**श्री जगदीशप्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स को वहां रहते कितने दिन हो गये ? इतने समय में इनकी कितनी शिकायतें हुई ? फिर भी एक स्थान पर ही रहने देने का क्या कारण है ?

आचार्य जुगल किशोर—१७ जुलाई, १९६२ से कार्य कर रहे हैं ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम समाज बक्सापुर की परती भूमि पर अनधिकार कब्जा करने के विरुद्ध शिकायत

*२१२—श्री परमाई (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम समाज बक्सापुर मजरा दौलतपुर, जिला हरदोई में जो ग्राम समाज की परती भूमि पड़ी थी उस परती भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर के श्री राम नारायण वल्द कामता प्रसाद ने प्रधानों या पंचगणों को बन्दूकों की धमकी देकर मकान बनवा रहे है और श्री रोहन प्रधान ने दो दरख्वास्तें तहसील हाकिम, हरदोई को इस विषय पर दी हैं ? क्या इस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिस भूमि पर मकान बना है उसको ग्राम समाज व श्री रामनारायण दोनों ही अपनी-अपनी बतलाते हैं। ग्राम समाज के आवेदन-पत्रों पर जांच हुई। ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया जिसमें पुलिस हस्तक्षेप कर सकती। प्रधान को राय दी गई है कि वह दीवानी में कार्यवाही करें ?

*२१३—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—[१४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

ग्राम खोरी पाकड़ एवं आदर्शनगर में आग

*२१४—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार को विदित है कि बलिया जिले के अन्तर्गत ग्राम खोरी पाकड़ एवं आदर्शनगर में कुछ माह पूर्व आग लग गई जिस कारण बहुत से लोग गृह-विहीन हो गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

प्रदेश में आबकारी से आय

*२१५—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में आबकारी मद से सरकारी खजाने में १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में पृथक-पृथक आय के रूप में कितना धन प्राप्त हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—इस प्रदेश में आबकारी मद से वित्तीय वर्ष १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में क्रमशः ५,९४,४४,७३७ रु०, ६,६९,९९,७९२ रु० व ७,६०,३६,७९४ रु० सरकारी कोष में आय के रूप में प्राप्त हुआ है।

*२१६-२१७—श्री सुरजन तथा श्री ऊदल—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*२१८-२२०—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*२२१-२२३—श्री मुन्नूसिंह तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

ग्राम सोनपुर में आग से क्षति व सरकारी सहायता

*२२४—श्री नवरंग सिंह (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ४ या ५ अप्रैल, १९६२ को ग्राम सोनपुर मसमूजे पूरे पंडित विन्द्राबन तहसील के परगना के जिला गोंडा में आग लगने से कितने लोगों पर उस गांव में असर पड़ा ? उसमें नुक्सान का क्या अन्दाजा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त ग्राम में दिनांक ४ अप्रैल, १९६२ को आग लगी थी, जिससे १२ परिवार प्रभावित हुए और अनुमानतः ४,७६७ रु० की हानि हुई।

*२२५—**श्री नवरंगसिंह**—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पीड़ित परिवारों की सहायता के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है, अगर हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इन पीड़ित परिवारों को पुनः मकान बनाने के लिये २४० रु० के मूल्य की लकड़ी निःशुल्क दिये जाने का प्रबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार तकावी भी दी जायगी।

*२२६-२२७—**श्री रामसूरतप्रसाद** (जिला गोरखपुर)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*२२८—**श्री छांगुर**—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

सई नदी के पुलों का नव-निर्माण

*२२९—**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली में सई नदी के दोनों पुल जो रायबरेली एवं प्रतापगढ़ रोड पर स्थित हैं और जो बरसात में बह गये थे उनको पूर्ण रूपेण वह कब बनवा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—दोनों पुलों में से कोई पुल भी वर्षा में नहीं बहे थे। सन् १९६१ ई० की बाढ़ में इन पुलों के आगमन अवश्य बाढ़ के कारण टूट गये थे जिनकी मरम्मत हो चुकी है।

*२३०—**श्री हिम्मत सिंह**—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*२३१-२३२—**श्री हिम्मतसिंह**—[१२वें मंगलवार के लिए प्रश्न २५-२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मैनपुरी जिले के माल विभाग में अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*२३३—**श्री रामसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के माल विभाग में नीचे लिखे पद पर कितने व्यक्ति कार्य करते हैं, उनमें से क्रमशः कितने अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के हैं ? (क) कलेक्शन, नायब तहसीलदार, (ख) अमीन, (ग) कलेक्शन चपरासी (घ) लेखपाल, (ङ) स्याह नवीस (च) रेगुलर चपरासी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पद	कुल संख्या	अनसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या	पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की संख्या
(क) कलेक्शन नायब-तहसीलदार	११	३	१
(ख) अमीन ..	१०८	..	२२
(ग) कलेक्शन चपरासी ..	१०८	२१	५०
(घ) लेखपाल ..	२६९	१३	४७
(ङ) स्याह नवीस ..	५	..	१
(च) रेगुलर चपरासी ..	१५५	२०	६६

तहसील कार्यालय, खीरी का स्थानान्तरण

*२३४—**श्री छेदालाल चौधरी** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उसके पास तहसील लखीमपुर-खीरी जिला खीरी के कार्यालय को जनता के समक्ष तथा धन की बचत की दृष्टि से जिलाधीश, खीरी के कार्यालय के पास-पड़ोस ले जाने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें क्या हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

*२३५—**गंगाधर मैठाणी**—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*२३६—**श्री लखपतराम शर्मा**—[११वें सोमवार के लिए प्रश्न ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२३७-२३८—**श्री जगन्नाथ चौधरी**—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२३९-२४०—**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)—[८वें सोमवार के लिए प्रश्न २८-२९ के अंतर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

किसानों के लगान की वापसी

*२४१—**श्री धूमप्रसाद** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो किसान अपने खाते का लगान १० साल से अदा करते आ रहे हैं और खेत उनके कब्जे से जबरदस्ती लोगों ने छीन लिये थे, उस अदा किये हुए लगान की क्या व्यवस्था है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यदि किसी किसान के खेत पर किसी दूसरे व्यक्ति ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २०९ के अन्तर्गत मुकदमे द्वारा बेदखल किया जा सकता है। यदि धारा २०९ की कार्यवाही न की गई तो उस व्यक्ति को जिसने कब्जा कर लिया है धारा २१० के अन्तर्गत सीरदारी अधिकार प्राप्त हो जावेंगे और वह व्यक्ति लगान देने का जिम्मेदार हो जायेगा। लगान उन्हीं से लिया जावेगा जिनका नाम कागजात में दर्ज होगा तथा इसके पूर्व की अवधि को अदा किये गये लगान को लौटाने का प्रश्न नहीं उठता।

*२४२—**श्री धूमप्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन किसानों का जो १० साल से लगान दिया गया है वह लगान वापस होगा या उन्हें सरकार खेत दिलायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जैसा कि कहा जा चुका है अनधिकार खेती कब्जा करने वाले को धारा २१० में सीरदार घोषित होने के पूर्व की अवधि के अदा किये हुए लगान को वापस करने का प्रश्न नहीं उठता। खेत वापस दिलाने का भी प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कानूनन खेत उनका है जिन्होंने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम २१० के अन्तर्गत सीरदारी अधिकार प्राप्त कर लिया है।

घाघरा नदी पर पुल की आवश्यकता

*२४३—**श्री शान्तिचन्द** (जिला गोंडा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-गोंडा रोड पर घाघरा नदी पर कोई पुल बनाने की योजना विचाराधीन है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

नैपाल सीमा पर नया जिला संस्थापित करने की आवश्यकता

*२४४—श्री शान्तिचन्द—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच, गोंडा, बस्ती जिले का कुछ भाग एक में मिला कर नैपाल सीमा पर कोई नया जिला संस्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२४५-२४७—कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—[हटा दिये गये।]

*२४८—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—[१२वें शुक्रवार के लिए प्रश्न ८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गाजियाबाद को नया जिला बनाने की योजना

*२४९—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—क्या सरकार मेरठ व बुलन्दशहर जिलों में तहसीलों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२५०—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—क्या सरकार गाजियाबाद को अलग प्रशासनिक जिला बनाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२५१-२५२—श्री हरीशकुमार गंगवार—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*२५३—श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

रामनगर तहसील की सड़क के टुकड़े को मरम्मत कराने की आवश्यकता

*२५४—श्री बैजनाथसिंह वैद्य—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामनगर, तहसील अमेठी, जिला सुल्तानपुर में मलिक मुहम्मद जायसी की कब्र तक पहुंचने के लिये लगभग ५ फर्लांग तक बैलगाड़ी भी नहीं जा सकती ? यदि हां, तो क्या उक्त ५ फर्लांग के सड़क के टुकड़े को शीघ्र ही बनवाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—अभी इस सड़क को पक्का बनाने की कोई योजना नहीं है।

*२५५-श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*२५६-२५७—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

दरियाबाद-रामनगर सड़क का पक्की करना

*२५८—श्री घनश्यामदास (जिला बाराबंकी)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी से सिद्धौर तक पक्की सड़क बनाने की योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*२५९—**श्री घनश्यामदास**—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दरियाबाद से रामनगर, जिला बाराबंकी तक सीमेंट रोड बनाने की योजना है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

सई नदी के पुल की मरम्मत में बलूही मिट्टी का प्रयोग

*२६०—**श्री रतीपाल**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली में सई नदी का ुल जो टूट गया है उसके निर्माण में बाहर से मिट्टी लाकर प्रयोग करने का आदेश था ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं, ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये थे ।

*२६१—**श्री रतीपाल**—क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि उस आदेश के विपरीत पुल के पास ब लूही मिट्टी ठेकेदार प्रयोग कर रहे हैं, फलस्वरूप वह मिट्टी बह जाती है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता ।

*२६२—**श्री महरामसिंह** (जिला फर्रुखाबाद)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२६३—२६४—**श्री भगौतीदीन** (जिला जौनपुर)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२६५—२६७—**श्री चन्द्रबली**—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रदेश में मद्य-निषेध योजना

*२६८—**श्री झारखंडेराय**—क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति का सुविचारित मत है कि भारत में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में भी तृतीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के पहले पूर्ण मद्य-निषेध हो जाना चाहिये ?

डाक्टर सीताराम—केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति ने सिफारिश की है कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेशों में मद्य-निषेध हो जाना चाहिये ।

*२६९—**श्री झारखंडेराय**—क्या आबकारी मंत्री को इस विषय का कोई निषेद अथवा अ ुरोध उक्त समिति से प्राप्त हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां ।

*२७०—**श्री झारखंडेराय**—यदि हां, तो राज्य सरकार आगामी चार साल में ूर्ण-मद्य-निशेध को लागू करने हे ु कार्यवाही करने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—राज्य सरकार मद्य-निषेध करना चाहती है, परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण विवश है । अतः राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि मद्य-निषेध के फलस्वरूप जो राजस्व की हानि तथा मद्य-निषेध को सफलता पूर्वक लागू करने में व्यय हो उसे केन्द्रीय सरकार स्थायी रूप से दे, तब राज्य सरकार ूर्ण मद्य-निषेध को लागू करने का प्रयास कर सकेगी ।

जहानाबाद-शहवाजपुर तथा जहानाबाद-अमौली सड़क बनाने हेतु किसानों की भूमि का मुआवजा

*२७१—**श्री रामकिशोर वर्मा**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के अन्तर्गत नव-निर्माण होने वाली जहानाबाद-शहवाजपुर वाया अमौली सड़क पर ठेकेदारों द्वारा मिट्टी भराई का कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ? क्या यह सही है कि जब मिट्टी उठाने का कार्य प्रारंम्भ हुआ था उस समय किसानों की जमीन सरकार द्वारा एक्वायर नहीं की गई थी ? यदि हां, तो जमीन कब एक्वायर की गई ?

श्री गिरधारीलाल—पहला भाग—जहानाबाद-अमौली सड़क पर ३१ अगस्त, १९६० से, अमौली-शहवाजपुर सड़क पर २९ दिसम्बर, १९६० से ।

दूसरा भाग—जी हां ।

तीसरा भाग—जहानाबाद अमौली सड़क के लिये स्थायी भूमि जनवरी, १९६१ तथा अस्थायी भूमि अप्रैल, १९६२ में प्राप्त की गई । अमौली-शहवाजपुर सड़क के लिये भूमि-प्राप्ति हेतु विज्ञप्ति अभी जारी नहीं हुई है ।

*२७२—**श्री रामकिशोर वर्मा**—क्या यह सही है कि बिना एक्वायर किये भूमि से मिट्टी उठाने में ठेकेदारों को परेशानी आई और उन पर जुर्माने किये गये ? यदि हां, तो किस-किस ठेकेदार को कब-कब और कितना-कितना जुर्माना हुआ तथा किस अभियोग में ?

श्री गिरधारीलाल—पहला भाग—जी हां ।

दूसरा भाग—सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दी हुई है ।

तीसरा भाग—क्योंकि ठेकेदारों ने समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं किया ।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ५६२ पर)

*२७३—**श्री रामकिशोर वर्मा**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों ने भूमि एक्वायर होने के पूर्व मिट्टी उठाने में ठेकेदारों से आपत्ति की, क्योंकि उनकी फसल खड़ी हुई थी और तमाम प्रार्थना-पत्र फसल मुआविजे के दिये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई, और क्या किसानों को फसल तथा जमीन का अलग-अलग मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो भिन्न-भिन्न फसलों पर किस अनुपात से तथा भूमि का किस रेट से मुआवजा दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—पहला भाग—अधिकतर किसानों ने आपत्ति नहीं की । जहां आपत्ति हुई वहां ठेकेदारों ने काम नहीं किया । काश्तकारों के कुछ प्रार्थना-पत्र आये । संबंधित अधिकारियों ने उनसे बातचीत की और किसान सन्तुष्ट हो गये । मिट्टी ऐसे स्थानों से ली गई जहां से किसानों को कोई हानि न हो ।

दूसरा भाग—जहानाबाद-अमौली सड़क के हेतु प्राप्त की गई जमीन व फसल का मुआवजा अलग-अगल बांटा गया । फसलों का मुआवजा, उनकी दशा और बाजार भाव को ध्यान में रखकर बांटा गया तथा भूमि का प्रतिकर संबंधित नियमानुसार दिया गया । अमौली-शहवाजपुर सड़क से संबंधित भूमि के मुआविजे के कागज भूमि-प्राप्ति के लिये आवश्यक विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात बनाये जायेंगे ।

*२७४-२७६—**श्री सहदेवसिंह**—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

भीमताल–रानीबाग सड़क का निर्माण

*२७७—श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भीमताल–रानीबाग मोटर मार्ग बन कर तैयार हो चुका है ? यदि नहीं, तो सरकार इसे पूर्ण कराने के लिये कौन-कौन से आवश्यक कदम उठा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—बलिया नदी के पास एक मील लम्बाई छोड़ कर शेष सड़क १४ फीट चौड़ी कच्ची मोटर सड़क के रूप में बनकर तैयार हो चुकी है । इसके ८ मील को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है ।

*२७८—श्री देवेन्द्रसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भीमताल-रानीबाग मोटर मार्ग के बनाने में अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है ?

श्री गिरधारीलाल—३,०३,६१८ रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

*२७९—श्री देवेन्द्र सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भीमताल-रानीबाग मोटर मार्गों की कुल लम्बाई क्या है और कितने वर्षों से इस सड़क पर कार्य हो रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—इस मार्ग की कुल लम्बाई ११ मील है । कार्य सर्व प्रथम १९५६ में आरम्भ किया गया था ।

*२८०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—[९वें गुरुवार के लिये प्रश्न २०७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

राप्ती नदी पर वर्ड घाट में बनने वाले पुल का टूटना

*२८१—श्री रामायणराय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के निकट राप्ती नदी पर वर्ड घाट में बनने वाला पुल जो टूट गया था उसके लोहे आदि बचे हुये समान को निकालने का प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां, तो विभाग को इस दिशा में कहां तक सफलता मिली है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां । पाया तोड़ने से कुछ बियरिंग पिंस प्राप्त हुई थीं । इसके अतिरिक्त २,००० घन फुट मैसनरी भी प्राप्त हुई है ।

*२८२—श्री रामायणराय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह ज्ञात है कि उक्त कार्य हेतु लगभग ४० हजार रुपये से कोई प्लेट फार्म बनाया गया था जो बह गया ?

श्री गिरधारीलाल—४० हजार का नहीं बल्कि १४,००० रुपये की लागत का प्लेट फार्म बनाया गया था जो नदी में पानी बढ़ जाने से डूब गया है, वह बहा नहीं है ।

*२८३—श्री रामायणराय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त टूटे हुये पुल को गिराने के काम के लिये जो इक्स्प्लोसिव मेटेरियल जैसे डाइनामाइट आदि, कहां से किसके द्वारा मंगाया जाता है ? क्या यह सही है कि यह सामान विभागीय कर्मचारी द्वारा सवारी वाली रेल गाड़ियों से मंगाया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—विस्फोटक पदार्थ में डाइनामाइट नहीं मंगाई थी, वरन् कुछ जेलिगनाईट निम्नलिखित स्थानों से मंगाई गई थी:—

नरेन्द्र एण्ड को, देहरादून २० पौंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नैनीताल ५पौंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, टनकपुर २५पौंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मऊ ६ पौंड, यह सामान विभागीय कर्मचारियों द्वारा मोटर साईकिल, तथा रेल से अपनी जिम्मेदारी पर लाया गया था तथा देहरादून से यह पार्सल द्वारा आया था । इसके अतिरिक्त कुछ सामान मिलिटरी कर्मचारी, इलाहाबाद से अपने साथ रेल द्वारा लाये थे । कार्य को सुचारु रूप से समय के अन्दर समाप्त करने के लिये यह सारे प्रयत्न किये गये ।

नैलचा भी हिन्दाव को प्रतापनगर तहसील में शामिल करने की आवश्यकता

*२८४---**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन**---क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टेहरी गढ़वाल की नैलचा भी हिन्दाव और ग्यारह गांव पट्टियों की जनता की सरकार से मांग है कि उन्हें देवप्रयाग तहसील से पृथक कर प्रतापनगर तहसील में शामिल किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं ।

*२८५---**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन**---क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस मांग के औचित्य अथवा अनौचित्य का मूल्यांकन करने की सरकार ने अब तक क्या-क्या कोशिश की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रश्न नहीं उठता ।

*२८६--२८७---**श्री राजनारायण मिश्र** (जिला कानपुर)---[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

जैन विद्या मन्दिर हायर सेकेन्डरी स्कूल, नहयैर की मैनेजमेंट कमेटी के विरुद्ध श्री बाबूराम अध्यापक की शिकायत

*२८८---**श्री मन्नालाल**---खीरी-लखीमपुर के अध्यापकों के बारे में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १८ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २७ की सूचना एकत्रित हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां । सूचना के अनुसार अध्यापकों पर दबाव डाल कर पिछले आम चुनाव में उनसे प्रचार कार्य कराये जाने एवं इस सिलसिले में उन्हें दूर-दूर स्थानान्तरित किये जाने की शिकायत प्रमाणित नहीं हो सकी ।

*२८९---**श्री बसन्तसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाबूराम अध्यापक ने जैन विद्या मंदिर हायर सेकेन्ड्री स्कूल नहयैर (जिला बिजनौर) के मैनेजमेंट के विरुद्ध कौन से भ्रष्टाचार सबन्धी आरोप सरकार के पास भेजे हैं जिसके फलस्वरूप उक्त अध्यापक को निलम्बित कर दिया गया है और ग्रीष्मावकाश में उसे स्टेशन लीव करने की अनुमति नहीं दी जा रही है ? सरकार उक्त मैनेजमेन्ट के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---आरोपों की सूची संलग्न है । श्री बाबू राम को स्टेशन छोड़ने की आज्ञा ३१ मई, १९६२ को प्रदान कर दी गई थी । विद्यालय के प्रबन्धक से समस्त अनियमिततायें दूर करने के लिये कहा गया है । विद्यालय का प्रथम तथा द्वितीय त्रैमासिक अनुदान अभी नहीं दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'भ' आगे पृष्ठ ५६३ पर।)

सिकरोढ़ा, रबेड़ी तथा गणेशपुर ग्रामों में भयंकर आग से क्षति और सरकारी सहायता

*२९०---**श्री जगदीशनारायण सिनहा**---क्या सरकार को ज्ञात है कि परगना भगवानपुरवा रुड़की जिला सहारनपुर के आने की सिकरोढ़ा, रबेड़ी, गणेशपुर ग्रामों में भयानक आग अप्रैल व मई मास, ६२ में लगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां । इन ग्रामों में आग लगी, पर ग्राम गणेशपुर रुड़की में नहीं वरन् तहसील सहारनपुर में है ।

*२९१—श्री जगदीशनारायण सिनहा—यदि हां, तो कितना नुकसान हुआ और क्या यह सच है कि यह ग्राम घाड़ में स्थित है जहां मिट्टी खराब होने के कारण मकानों में छत नहीं डाली जा सकती ? अतः छप्परों का प्रबन्ध करना होता है जिससे अग्निकांड प्रतिवर्ष होते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१,१७,३६७ पये की अनुमानित हानि हुई । २ पशु जल गये तथा ६३३ मकान प्रभावित हुये ।

यह सच है कि घाड़ क्षेत्र में मिट्टी इस प्रकार की है कि मकानों में छत नहीं डाली जा सकती केवल छप्परों के अथवा पक्के मकान ही ठहर सकते हैं ?

*२९२—श्री जगदीशनारायण सिनहा—क्या सरकार इस क्षति से बचाने के लिये घाड़ के क्षेत्र जिला सहारनपुर के रहने वालों को कीमत पर टीन देने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, अग्निकांड से प्रभावित गांवों को टिन का कोटा देने में विशेष ध्यान रखा जा रहा है, तथापि सरकार के लिये एक ही बार में ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि पूरे क्षेत्र के लिये बहुत बड़ी मात्रा में टीन की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही इस क्षेत्र के निवासियों की आर्थिक दशा ऐसी नहीं है कि एक बारगी ही टीन का क्रय कर सके ।

*२९३-२९४—श्री विष्णुप्रताप सिंह—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

नवाबगंज-तुलसीपुर सड़क के निर्माण में विलम्ब

*२९५—श्री विष्णुप्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में नवाबगंज से मौजा तुलसीपुर जो सी० सी० सड़क बन रही है उसमें क्या विलम्ब है और यह कब तक तैयार हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—पहला भाग—इस सड़क के निर्माण में कोई विलम्ब नहीं हो रहा है। कार्य तेजी से प्रगति में है।

दूसरा भाग—आशा है सड़क मार्च, १९६४ तक पूर्ण हो जावेगी।

*२९६-२९७—श्री किसुना (जिला देवरिया)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२९८-२९९—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—[हटा दिये गये।]

सादातवाड़ी ग्राम में अग्निकांड से क्षति व सरकारी सहायता

*३००—श्री विशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मुरादाबाद जिले की सम्भल तहसील के सादातवाड़ी नामक ग्राम में मई मास, १९६२ में भीषण आग लग गई। यदि हां, तो अनुमानतः धन की कितनी हानि हुई है और सरकार द्वारा ग्रामीणों को क्या सहायता प्रदान की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हाँ। लगभग २७,००० रु० की हानि हुई है। तीन असहाय पीड़ित विधवाओं को ६० रु० की अहेतुक सहायता दी गई तथा अन्य पीड़ितों में २,००० रु० की तकावी बाँटी गई।

खेड़ा खास गांव में अग्निकांड से क्षति व सरकारी सहायता

*३०१—श्री हेतरामसिंह (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील के खेड़ा खास नामक गाँव में मई मास, १९६२ में भीषण आग लग गई है ? यदि हाँ, तो अनुमानतः कितनी हानि हुई है और सरकार द्वारा ग्रामीण को क्यों सहायता प्रदान की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त ग्राम में मई में नहीं, किन्तु १३ अप्रैल, १९६२ को आग लगी थी जिसमें अनुमानतः १५,०८१ रु० की हानि हुई।

प्रभावित व्यक्तियों को सहायतार्थ ३,००० रु० आपत्तिकालीन तकावी के रूप में दिया गया।

*३०२—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

ग्राम रियोना में भीषण आग लगने से हानि व सरकारी सहायता

*३०३—श्री हेमराज (जिला बरेली) तथा श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनाँक ५ मई, १९६२ को १० बजे दिन में ग्राम रियोना परगना व तहसील फरीद पुर, जिला बरेली में भयंकर आग लग गई जिससे अपार धन-जन की हानि हुई और सम्पूर्ण ग्राम जल कर भस्म हो गया ? यदि हाँ, तो इस विषय में क्या कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—५ मई, १९६२ को ग्राम रियाँना कलाँ में आग लग गई जिसमें ५० घर जल गये और १ व्यक्ति तथा २ पशुओं की जलकर मृत्यु हो गई। पीड़ित व्यक्तियों को निम्नलिखित सहायता दी गई:—

	रु०
अहेतुक सहायता	४८०
गृह निर्माण सहायता	६००
गृह निर्माण तकावी	१,०००

इसके अतिरिक्त लगान की वसूली स्थगित करने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है। परोपकारी संस्थाओं द्वारा पीड़ितों को कपड़ा दिलवाने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

*३०४—श्री हेमराज तथा श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार व संबंधित अधिकारियों को इस आग की घटना के संबंध में ग्रामवासियों द्वारा कोई सहायता के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पत्र की प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखेगी जिससे वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हाँ, उक्त प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'म' आगे पृष्ठ ५६४ पर)

किरावली खैरागढ़ तहसील की पत्थर की खदानों का नीलाम

*३०५—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १० मई, १९६२ को आगरा जिला में किरावली, खैरागढ़ तहसील की पत्थर की खदानों stone mines quarries का नीलाम किस नियम के अन्तर्गत किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आगरा जिले में किरावली, खैरागढ़ तहसील की पत्थर की खदानों (stone mines & quarries) का कोई नीलाम १० मई, १९६२ को नहीं किया गया।

*३०६—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में जिला अधिकारियों को कोई विशेष अधिकार दिये गये थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

मैनपुरी जिले के राजनीतिक पीड़ितों को भूमि का दिया जाना

१—श्री गणेशचन्द—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४७—४८ या १९४९ में जो भूमि मैनपुरी के राजनीतिक पीड़ितों को जिला नैनीताल के काशीपुर स्थान में दी गई थी वह पृथक्-पृथक् किन-किन को दी गई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैनपुरी के राजनैतिक पीड़ितों को जिला नैनीताल के काशीपुर स्थान में कोई जमीन सन् १९४७-४८ या ४९ में नहीं दी गई।

२—श्री गणेशचन्द—उपरोक्त लोगों में से किन-किन की भूमि उनसे छुड़ा कर दूसरे लोगों को दे दी गई है ? और वह कब दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता।

३—श्री गणेशचन्द—उपरोक्त भूमि के संबंध में लगान व आबपाशी कब से ली जावे इसके विषय में सरकार ने क्या आज्ञा जारी की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता।

४—श्री गणेशचन्द—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त भूमि के संबंध में लगान व आबपाशी की वसूली रोक देने के लिये जो प्रार्थना पत्र मैनपुरी के राजनैतिक पीड़ितों ने तारीख १ सितम्बर, १९६१ ई० को माननीय मुख्य मंत्री जी को दिये उनमें अब तक क्या हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैनपुरी के राजनीतिक पीड़ितों ने तारीख १-९-६१ को कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र नहीं दिया।

बांगरमऊ-संडीला कच्ची सड़क को पक्की करने की आवश्यकता

५—श्री सेवाराम (जिला उन्नाव)—क्या सार्वजनिक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव में बांगरमऊ से जो कच्ची सड़क जगतनगर गंगा नानामऊ घाट तक जाती है जिसको सरकार ने तीसरी पंच-वर्षीय योजना में पक्की बनाने का आयोजन किया है, यदि हां, तो कब तक काम शुरू होगा ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, बांगरमऊ-जगतनगर मार्ग का निर्माण योजना में सम्मिलित किया गया है।

दूसरा भाग—आशा है इस वर्ष कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

६—श्री सेवाराम—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव बांगरमऊ से संडीला कच्ची सड़क जाती है जो मध्य में बहुत बिगड़ी है क्या सरकार उसको पक्की बनाने का इरादा करती है, यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

गोरखपुर जिले में आग लगने की घटनायें

७—श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में सन् १९६१ से लगायत मई, सन् ६२ तक किन-किन गांवों में आग लगी और सरकार की तरफ से उन पीड़ित लोगों को क्या-क्या सहायता दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना †संलग्न है।

८—श्री दुर्योधन—[२४ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

९-१०—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—[हटा दिये गये।]

आगरा में यमुना नदी पर National High Way के आधार पर पुल निर्माण—कार्य

११—श्री छत्रपति अम्बेश—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में जो यमुना पर National High Way के आधार पर पुल निर्माण द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित था, उसके कब तक बनने की आशा है?

श्री गिरधारीलाल—(१) धनाभाव के कारण इस पुल के निर्माण को केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय मार्गों की द्वितीय पंचवर्षीय योजना से निकाल दिया था।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

कठिनों नदी के पुल की मरम्मत

१२—श्री रामभजन (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मोहम्मदी तथा गोलाकोकरण नाथ के जनमार्ग पर बनने वाला गोमती नदी का पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेगा?

श्री गिरधारीलाल—यह पुल सन् १९६३ तक बन कर तैयार हो जावेगा।

१३—श्री रामभजन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कठिनों नदी का पुल जो कि औरंगाबाद चपरतला रोड पर जीर्णशीर्ण अवस्था में है, कब तक बन सकेगा?

श्री गिरधारीलाल—इस समय इस पुल को बनाने की कोई योजना नहीं है।

बड़ौत—अमीनगर सराय सड़क को पक्की करने की आवश्यकता

१४—श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़ौत से जो कच्ची सड़क अमीनगर सराय को आती है उसके पक्का बनाने की कोई स्कीम है?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। इस समय इस सड़क के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न १४२ से २५३ को सरकार को भेजने की तिथि १६ जुलाई और २५४ से ३०४ तक की तिथि १७ जुलाई लिखी है। मेरे प्रश्न १५८ पृष्ठ २४ पर और ३०३ व ३०४ पृष्ठ ३६ पर हैं। मैंने मई में दिये हैं। तो यह जुलाई में सरकार को भेजे, कैसे छप गया?

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आ जावें तो मैं देख लूंगा कि कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है।

---

†सूचना छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष द्वारा असरकारी प्रस्ताव के संबंध में नियम ३१५ की प्रक्रिया न अपनाये जाने के बारे में कथित व्यवस्था का प्रश्न

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि कल आपने सदन में यह घोषणा की थी कि प्रत्येक सदस्य को नियमों का पालन करना चाहिये। एक असरकारी प्रस्ताव को लेने के संबंध में ३१५ नियम का आपने संबोधन किया। मेरा उसमें व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एक सर्टेन प्रोसीज्योर फालो होना चाहिये। मैंने प्रोसीडिंग्स को पढ़ा। उसमें यह है कि All rules barring consideration of this question are suspended उसके बाद ३१५ का प्रोसीज्योर फालो नहीं किया। आपने उसे मत के लिये नहीं रखा। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस नियम के आधार पर आपको अधिकार है कि आप किसी रूल को स्वयम् सस्पेन्ड कर दें ?

दूसरी बात यह है कि नियमों का, सेक्शन्स का, उनकी संख्या का, उल्लेख नहीं किया जिनको आपने सस्पेंड किया। यह महत्वपूर्ण बात है।

जब आप व्यवस्था दे रहे थे तो मैं यह आपत्ति करने के लिये खड़ा हुआ लेकिन आपने कहा कि मैं बैठ जाऊं और मैं बैठ गया।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न कल उठाया जा चुका था और माननीय उपाध्यक्ष ने इस पर निर्णय दे दिया है। अब यह नहीं उठाया जा सकता।

प्वाइंट आफ आर्डर का नियम यह है कि जिस समय वह पैदा हो उसी समय सदन में आना चाहिये। अगर उस वक्त नहीं आता है तो आपने ठीक ही किया कि जब वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तब आपने उसे उठाया। उसके बाद उपाध्यक्ष ने उसे रूल आउट कर दिया। इस समय मैं उसे डिसएलाऊ करता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—विशेषाधिकार की अवहेलना की मेरे पास २ सूचनायें आई हैं, एक तो माननीय काशीनाथ की और दूसरी माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी की। दोनों से मेरा निवेदन है कि वे कृपया मुझसे मिल लें। इस संबंध में मुझे उनसे बातचीत करना है।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—तरीका यह है कि अगर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय तो मैं आपसे बातचीत कर सकता हूं। उसमें अगर कुछ स्पष्टीकरण चाहूं तो ले सकता हूं।

श्री काशीनाथ—यह मेरा और आपका श्रीमन्, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह तो आदरणीय सदन के अवमान का सवाल है। इसलिये मुझे अभी यहां दो मिनट निवेदन कर लेने दें। परसों टम्बेश्वरीप्रसाद जी के विरुद्ध जो निष्कासन का प्रश्न पेश किया गया था उस पर वोटिंग नहीं हुआ और उस पर माननीय दुबे जी ने अखबारों में बयान दिया कि वोटिंग नहीं हुआ और कार्यवाही में यह बात दर्ज कर दी गयी, जो घटना कि सदन में हुई ही नहीं। यह सदन के अवमान का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—आप नियम ६४ देख लें। मैं इस बारे में आपसे बाद में बातचीत कर सकता हूं। पूर्व इसके कि सदन में इस बारे में कोई फैसला हो, आप मेरे पास आ जायं और हम आपस में बातचीत कर लें। यदि आप संतुष्ट हो जायं, तो ठीक है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय काशीनाथ जी ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, उस पर कल आपने कहा था कि आप उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—मैंने कल कहा था कि मैंने उसको देखा नहीं है। आज जब मैंने उसे देखा तो मैं समझता हूं कि उसके संबंध में आपसे थोड़ा स्पष्टीकरण कर लूं आप से बातचीत करके, तदुपरान्त कोई व्यवस्था दूं।

श्री उग्रसेन—जो कुछ हुआ है वह सदन के समक्ष हुआ है। सब कुछ सदन के समक्ष हुआ है और वह सदन के अवमान का सवाल है इसमें तो हाथ कंगन को आरसी क्या है।

श्री अध्यक्ष—मैं उस पर बातचीत कर लूंगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—अध्यक्ष महोदय, कल माननीय गेंदासिंह जी ने जो सदन में गलत बयानी की थी, उसके बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करने का नोटिस मैं देता हूं, लिख कर बाद में दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

श्री काशीनाथ—मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप प्रिविलेज कमेटी में भेजने की आज्ञा दे दें।

श्री अध्यक्ष—आप मुझसे बातचीत कर लीजिये।

श्री काशीनाथ—मैं बहुत ही नम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि सदन का अवमान हो चुका है, ऐसा मैं समझता हूं और अवमानित सदन में बैठना मैं अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझता हूं और माननीय सदस्यों को भी अवमानित सदन में बैठना उसकी प्रतिष्ठा और परम्परा के विरुद्ध समझना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं अभी व्यवस्था दिये देता हूं। काशीनाथ जी का प्रश्न इस प्रकार है—

"कल दिनांक १-८-६२ को विधान सभा के अन्दर घोर शोर-गुल के दरमियान माननीय राजस्व मंत्री श्री हुकुमसिंह ने माननीय सदस्य श्री टम्बेश्वरीप्रसाद के निलम्बन का प्रस्ताव पेश किया। माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे का बयान जो आज के 'स्वतंत्र भारत' में प्रकाशित है और जिसकी कटिंग साथ में संलग्न है, व्यक्त करता है कि माननीय अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव पर बगैर सदन का मत लिये श्री टम्बेश्वरीप्रसाद को बाहर जाने का आदेश दिया। यह निश्चित है कि सदन में प्रस्ताव पर मत नहीं लिया गया और कल १-८-६२ की विधान सभा की कार्यवाही में यह दर्ज कर दिया गया है कि निलम्बन का प्रस्ताव पेश हुआ और पारित हुआ।

सदन के अन्दर जो कार्यवाही नहीं हुई, उसका सदन की कार्यवाही में दर्ज हो जाना, सदन का अवमान है जिसकी जिम्मेदारी विधान सभा सचिव की है। आदरणीय सदन का अवमान विशेषाधिकार का सवाल उत्पन्न करता है।

अतः मैं आपकी आज्ञा से इस सूचना द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।"

इसके ऊपर मैं अपनी यह व्यवस्था देना चाहता हूं..... ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—जहां मेरे नाम का प्रश्न है जो इसमें आया है, उसके बारे में मैं कुछ पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। श्रीमन्, जिस बयान का जिक्र है, उस समय हम लोग सभी विरोधी दल के नेता सदन में थे जब कि यह घटना घटित हुई। उस विषय पर हम लोगों ने विचार किया था और जहां तक मेरी जानकारी व्यक्तिगत तौर पर है,

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

मुझे ऐसा लगा कि आप उस दिन सदन में खड़े अवश्य हुए, परन्तु वह प्रस्ताव पारित हुआ या नहीं हुआ, उसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ। उसी आधार पर मेरा और सभी विरोधी दल के नेताओं का वह वक्तव्य है कि आपने प्रस्ताव को सदन के सामने रखा और वह पारित नहीं हुआ, उसी बीच में व्यवधान हो गया और आपने सदन को ऐडर्जन कर दिया। इसीलिये हम लोगों ने यह वक्तव्य दिया है जिसका कि उल्लेख माननीय सदस्य सोशलिस्ट पार्टी ने किया।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, उसी विषय पर कुछ मेरी बात भी सुन लें। श्रीमन्, जब कि यह घटना सदन में घटी और उसके बाद तीन बजे अन्तिम रूप से आपने सदन को स्थगित कर दिया, तो उसके बाद सभी विरोधी दल के नेता जमा हुए और उन्होंने आपस में विचार-विनिमय करके उस दिन की सदन की प्रोसीडिंग्स देखने के लिये मंगायी ताकि मालूम हो सके कि वह प्रस्ताव पास हुआ या नहीं। श्रीमन्, जो कार्यवाही प्राप्त हुई उसमें लिखा हुआ था कि प्रश्न उपस्थित किया गया और पारित हुआ। श्रीमन्, प्रस्ताव उपस्थित किया गया लेकिन पारित नहीं हुआ, यही देख कर हम लोगों ने आपको पत्र लिखा और हम लोगों ने सब के दस्तखत से प्रेस में भी यह वक्तव्य दिया जिसका कि दुबे जी ने जिक्र किया। हाउस आफ कामन्स में भी कभी ऐसी घटना नहीं घटी है। बिलकुल इस सदन के सामने जब वह घटना घटी तो उसके लिये सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सदन का अवमान हुआ है और सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। इसके लिये जो भी अधिकारी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। इस संबंध में आप माननीय गेंदासिंह, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री राहत मोलाई, श्री भगवान सहाय से भी पूछ सकते हैं। यह बड़े महत्व का प्रश्न है और इतनी गलत चीज इस सदन के इतिहास में कभी नहीं हुई कि सदन की प्रोसीडिंग्स को बाद में बदला गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है यह एक अभूतपूर्व एतिहासिक घटना है।

श्री अध्यक्ष—अब आप कृपया बैठ जायं, जो कुछ कहना था आपने कह लिया।

श्री काशीनाथ—श्रीमन्, मुझे भी कुछ कहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें।

पहली अगस्त, ६२ को जो सदन में घटनायें हुईं उसके संबंध में सदन के अन्दर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है .....।

(व्यवधान)

आप बैठें दीपनारायणसिंह जी, इस वक्त मैं बोल रहा हूं। आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ—श्रीमन्, मुझे भी बोलने का जनतांत्रिक हक है, इसलिये मुझे भी कुछ कहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आपको बोलने का अधिकार जरूर था लेकिन आप नियम को पढ़ लीजिये। मेरे कमरे में भी आप अपनी बात कह सकते थे, उसको यहां कहने की जरूरत नहीं थी।

१ अगस्त, १९६२ के दिन जो सदन में घटनायें हुईं, उनके संबंध में सदन के अन्दर पर्याप्त चर्चा हो चुकी और वह अध्याय भी अब समाप्त हो चुका। २ अगस्त, १९६२ को माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद के विरुद्ध निलम्बन के प्रस्ताव को यथोचित मान कर उसके वापसी का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो चुका। जो जानकारी मैंने प्राप्त की उस जानकारी के आधार पर मेरा मत है है कि सदन की कार्यवाही दिनांक १-८-६२ का अभिलेख सही है और विधान सभा सचिव का

कोई हाथ उस दिन की कार्यवाही के अंकित करने में नहीं है। अब चूंकि सदन ने भी विचाराधीन प्रस्ताव को सही स्वीकार कर लिया है अतः विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—मैंने अब व्यवस्था दे दी, आप बैठ जायं।

माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद कृपा कर के मुझसे मिल लें, हम बातचीत कर लेंगे।

श्री काशीनाथ—मेरा प्रस्ताव तो अभी खुला हुआ है।

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा तो कि आप मुझसे बातचीत कर लें।

(श्री नेकराम शर्मा तथा श्री दीपनारायणसिंह के व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर)

श्री अध्यक्ष—श्री दीपनारायणसिंह कहें, क्या कहना है, श्री नेकराम शर्मा बैठ जायं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की राय की इज्जत करता हूं और मैं ३–४ प्रश्न बड़े गम्भीर स्वस्थ संसदीय प्रणाली के प्रचलन के लिये आप के सम्मुख उपस्थित कर रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष—आप कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं।

श्री दीपनारायणसिंह—जी हां, वही उठा रहा हूं। मेरा कहना यह है कि सदन के समक्ष गलतबयानी करना सदन के मान अवमान का प्रश्न है या नहीं, अगर यह सही है तो कल माननीय गेंदासिंह जी ने जब यहां कहा कि वह सदन के बाहर थे जब कि श्री लखीसिंह आप के आसन पर विराजमान थे.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आर्डर आर्डर, आप बैठें, सुनिये।

माननीय लखीसिंह ने जब सूचना दे दी है कि वह माननीय गेंदासिंह जी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठायेंगे तो आप भी उसमें सम्मिलित हो जायं, उसका निर्णय हो जायगा।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं तो यह चाहता हूं कि इस तरह की गलतबयानी करना अवमान का प्रश्न है या नहीं इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री काशीनाथ—अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष यह साफ व्यक्त कर देना चाहता हूं कि उस दिन श्री टम्बेश्वरीप्रसाद के सम्बन्ध में कोई भी निलम्बन का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री नेकराम शर्मा—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं, मैं बोल रहा हूं।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, आप घोषणा कर चुके हैं कि नियमों का पालन होना चाहिये.....।

श्री अध्यक्ष—कहिये क्या कहना है।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्,मैं यह कहना चाहता हूं कि कल मैंने निलम्बन समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं रखा, वह माननीय शान्तिप्रपन्न का प्रस्ताव था और वही पास हुआ, मैंने तो केवल इतनी प्रार्थना की थी कि इस प्रश्न को लिया जाय। अगर उस तरह से है तो प्रोसीडिंग में गलत लिखा है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, सदन में श्री टम्बेश्वरीप्रसाद का निलम्बन पारित नहीं हुआ, कार्यवाही में गलत लिखा गया है ।

एक सदस्य—श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि वह पारित नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं, मैंने आप को इजाजत नहीं दी, श्री यादवेन्द्रदत्त जी कहें क्या कहना चाहते हैं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, यह प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है कि जिस के ऊपर एक आनस्ट डिफरेंस आफ ओपीनियन है । जिस समय यह प्रश्न उपस्थित हो रहा था उस समय काफी व्यवधान हो रहा था और मेरा यह निश्चित मत है कि उस समय आपने यह नहीं कहा कि जो सदस्य इस के पक्ष में हों वह "हां" कहें और जो विपक्ष में हों वह "नहीं" कहें । यह चीज उस समय स्पष्ट नहीं हुई और व्यवधान की दशा में आपने सदन को एडजर्न कर दिया । उस के बाद फिर जब सदन बैठा तो उस समय श्री टम्बेश्वरीप्रसाद जी फिर सदन में आये, लेकिन अगर वह प्रस्ताव पारित हो गया होता कि वह निलम्बित किये जायं तो जब वह खड़े होकर कुछ बोलना चाहते थे तो आप उनसे खड़े होकर यह न कहते कि तुम बैठ जाओ, श्रीमन् का निर्णय तो उस समय ठीक ही होगा, आपने उस समय स्वयं ही श्री टम्बेश्वरीप्रसाद से कहा था कि आप बैठ जाइये । इस पर श्री टम्बेश्वरीप्रसाद ने कहा था कि मैं अपनी बात कह रहा हूं । मेरी अतः श्रीमन् से प्रार्थना है कि सदन में उस समय व्यवधान के कारण जो गड़बड़ी थी उससे ऐसा हुआ है और मेरा विनम्र निवेदन है कि श्रीमन् इस प्रश्न पर इतनी जल्दी न करें । इसके लिये श्रीमन्, सब को बुला कर बात कर लें, समझ लें प्रश्न को और फिर उसके बाद अपना निर्णय दें ।

श्री अध्यक्ष—मुझे बड़ा खेद है । एक मर्तबा नहीं १० मर्तबा कहा कि आकर कमरे में बातचीत करलें । वह हमारे सोशलिस्ट पार्टी के मित्र को स्वीकार नहीं था, और मैं पूरी बातचीत करना चाहता था । जैसा माननीय यादवेन्द्रदत्त जी कहते हैं इसमें आनेस्ट डिफरेंस आफ ओपीनियन हो सकता है । अब ओनेस्ट डिफरेंस आफ ओपीनियन है तो मेरी एक ओपीनियन आनेस्टली है वह मैं दे रहा हूं । आप मुझसे बातचीत नहीं करना चाहते तो मैंने अपनी ओपीनियन दे दी । अब टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने फिर कहा है, वह मुझ से मिलें और मिल सकते हैं, लेकिन जब आप नहीं मिलना चाहते तो फिर मुझे मजबूरी थी कि अपनी आनेस्ट ओपीनियन के अनुसार एक व्यवस्था दे दूं ।

श्री काशीनाथ—श्रीमन्, अभी आपने व्यवस्था दी कि बोलने का हक नहीं है । तो मैं नियम ६७ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें हम को पूरा हक है कि आप हमें सुन लें उसके बाद अपनी रूलिंग दें । नियम ६७ में दिया हुआ है:

"There upon the member shall read his complaint as well as the documents, if any, before the House and may make a short statement. The Speaker, after hearing any other member if necessary, shall decide if the complaint is in order."

हमको आप सुन लें, मौका दें कहने का और अगर कोई सदस्य बोलना चाहे उसके बाद आप अपनी राय देंगे । यह इसका अर्थ है....।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, अभी आपने सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य के प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है । मैं समझता हूं माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी का प्रस्ताव मौजूद है और उस पर, अगर आप हमारी राय मान लें, अपने चेम्बर में बुलाकर इस विषय पर राय कर लें तब व्यवस्था दें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—जहां तक माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद का संबंध है मैंने उनको बुलाया है। और जहां तक यह मिश्र जी के विशेषाधिकार का प्रश्न है इसको मैं अस्वीकार कर चुका हूं ।

श्री काशीनाथ—नियम ६७ के बारे में आपने क्या कहा ? आपने नियम के बिलकुल विपरीत अपनी राय दी। जानकारी रहते हुये आपको इस तरह की बात कहना कि हमको कोई हक नहीं है .....

श्री अध्यक्ष—आप नियम ६४ देखें।

"64. A question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a Committee thereof may, with the consent of the Speaker, be brought to the notice of the House by——

(i) a complaint from a member;
(ii) a report from the Secretary;

....

Provided that if the breach is committed in the actual view of the House, the House may take action without any complaint: Provided further that if the complaint is against a member the Speaker may hear him before giving his consent."

अब मुझे कन्सेंट देनी है। कन्सेंट देने के बाद में सदन में लाऊं या न लाऊं यह मेरी कन्सेंट पर निर्भर है। मैंने आपको अनुज्ञा नहीं दी इसलिये यह समाप्त हो गया।

श्री काशीनाथ—जब आपने उसको सदन में पढ़ दिया तो इसके माने यह हुए कि आपकी आज्ञा हो गई। उस पर माननीय यादवेन्द्रदत्त और उग्रसेन जी ने राय जाहिर कर दी है।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आइये, यह मैंने कहा। अब आप आये नहीं, इसलिये मैंने उसको अपनी राय के अनुसार डिसएलाऊ कर दिया।

श्री काशीनाथ—यह तो सदन का मामला है, व्यक्तिगत तो है नहीं।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। एक तो आपने माननीय काशीनाथ के प्रिवलेज के प्रस्ताव पर व्यवस्था दे दी और चूंकि माननीय सदन के सम्मुख घटना हुई उसके ऊपर आपने व्यवस्था दी। तो आपको उसी तरीके का जो दूसरा प्रस्ताव है जो माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद पेश करना चाहते हैं उसके लिये आपका कथन है वह मुझसे विचार-विमर्श मेरे कमरे में आ कर करें। तो क्या मैं जान सकता हूं कि आखिर जब आपने एक विषय पर, जो विषय कि सदन के सम्मुख रखा गया हो और उसके बाद उस पर आपने व्यवस्था दे दी तो आप किस नियम के अन्तर्गत उसी तरह के विषय पर अपनी व्यवस्था देने के पहले माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद को अपने कमरे में बुलाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—आपने माननीय दुबे जी की बात नहीं सुनी। माननीय दुबे जी ने जो कहा उसको ध्यान में रखना है "डिफरेंस आफ ओपीनियन हो सकती है।" आप बोलिये और सुनिये। हो सकता है कि इसमें मेरा जो उस संबंध में विचार हो उसमें परिवर्तन आ जाय तो क्या मैं उसे बदल नहीं सकता ? इसीलिये मैंने कहा है कि माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद मेरे पास आ सकते हैं और मैं पोजीशन को समझ लूं। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री उमाशंकर—तो आप जो व्यवस्था करते रहते हैं वह मुस्तकिल मिजाजी से नहीं होती, वह बदल भी सकती है।

श्री अध्यक्ष—आप एक बात जो अन्तरभेद करती है उसको समझने का प्रयत्न नहीं करते। एक बात तो यह है कि कुछ तथ्यों पर एक व्यक्ति अपना निर्णय और विचार व्यक्त कर सकता है। अगर वह तथ्य जिनके आधार पर विचार व्यक्त किये गये हैं, वे तथ्य जिनको मैं मानता हूं कि ठीक है, अगर उन तथ्यों के विरुद्ध कोई बात सिद्ध हो जाय और यह बात सिद्ध हो जाय कि जिसको मैंने तथ्य समझा है वह गलत है, तो उस पर पुनर्विचार हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उग्रसेन—आपने सदन के समक्ष कहा कि आ कर कमरे में बातचीत कर ली जाय, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कमरे में बातचीत कर ली जाती तो आप ऐसी गलत रूलिंग न देते ?

श्री अध्यक्ष—आपकी समझ में यह बात आती है तो ठीक है। आप बैठें।

श्री नेकराम शर्मा—हमारे दल को बड़ा अफसोस है कि अध्यक्ष महोदय नियमों का पालन स्वयं नहीं करते और आपके रवैये से हमको बड़ी शिकायत है। इसलिये १ घंटा के लिये हम सदन का परित्याग करते हैं।

(इसके पश्चात् निर्दलीय सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री काशीनाथ—अभी हमारे विशेषाधिकार के सवाल पर जो आपने व्यवस्था दी है उस पर आप पुनः विचार करें और उस समय तक के लिये उसे वापस ले लें जब तक कि टम्ब्रेश्वरीप्रसाद जी से आपके कमरे में बातचीत न हो जाय।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मुझे बड़ा दुख है कि अभी इस प्रकार यहां व्यवधान हुआ। श्रीमन् को मैं अपनी ओर से और सबकी ओर से यह आश्वासन देता हूं कि श्रीमन् की मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिये किसी तरह हम पीछे नहीं रहेंगे। मैं श्रीमन् से फिर निवेदन करूंगा कि माननीय काशीनाथ जी का जो प्रस्ताव है, जिस पर आपने व्यवस्था दी है उसको भी आप पुनर्विचार के लिये रख लें।

श्री अध्यक्ष—मैं विचार करूंगा। अभी निर्णय नहीं दे रहा हूं।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—अभी नेकराम शर्मा जी ने यह कहा कि उन्होंने उस प्रस्ताव को नहीं रखा बल्कि माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जी ने रखा और आपने व्यवस्था में कहा है कि नेकराम शर्मा जी ने रखा है। आप उसे देख लें और यह व्यवस्था दें कि शान्तिप्रपन्न शर्मा जी ने नहीं, नेकराम शर्मा जी ने ही उसे रखा था।

श्री अध्यक्ष—मैं स्वयं मौजूद था। जो रिपोर्ट है वह इस प्रकार है :

नेकराम जी शर्मा कहते हैं :

> "आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हुये हैं। कल टम्ब्रेश्वरीप्रसाद जी के बारे में जो प्रस्ताव आया था उस पर मत लिया गया या नहीं लिया गया यह तो विवाद का प्रश्न है, लेकिन मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि उनके विरुद्ध कल जो यहां आदेश दिया गया था उस को वापस ले लिया जाय जिससे वह आकर सदन में कार्यवाही में भाग लें। माननीय मुख्य मंत्री से तथा अन्य नेताओं से मेरी बातचीत हो चुकी है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उस आदेश को वापस लिया जाय।"

माननीय यादवेन्द्रदत्त जी दुबे ने कहा है :

> "मैं समझता हूं कि यह भी उचित होगा कि जो माननीय नेकराम का प्रस्ताव है उसको यह सदन स्वीकार करे।"

यह हमारा रेकार्ड है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, यह बात आपकी बिलकुल सही है। इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो डिस्प्यूट है वह जैसा मैंने पहले कहा था कि आनेस्ट डिफरेन्स आफ ओपीनियन.....

श्री अध्यक्ष—इस वक्त जो सवाल पैदा किया जा रहा है वह यह किया जा रहा है.....

श्री यादवेन्द्रदत्त—वह सवाल मैं समझता हूं उचित भी नहीं है और यह बात सत्य है।

एक सदस्य—अब इसके बाद शान्तिप्रपन्न शर्मा जी का प्रस्ताव पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष—वह भी है।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—कल जो माननीय नेकराम जी ने सुझाव दिया था वह केवल सुझाव के रूप में था और फार्मल प्रस्ताव शान्तिप्रपन्न जी ने पेश किया था। इसमें जरा गलतफहमी है।

श्री उग्रसेन—जरा माननीय शान्तिप्रपन्न जी का प्रस्ताव पढ़ दीजिये वह मूल है।

श्री अध्यक्ष—नेता विरोधी दल ने कहा है कि उस संबंध में हम कोई विवाद नहीं उठाना चाहते। खत्म हुआ।

जे० के० जूट मिल की श्रमिक विरोधी नीति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—अब कार्य-स्थगन के प्रस्ताव और नियम ५२ की सूचनायें दो आयी हैं। कार्य-स्थगन की सूचना को मैंने अस्वीकार किया है। नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय कल्पनाथसिंह द्वारा जो सूचना दी गयी है उसको मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं—

"जे० के० जूट मिल के मालिकों की श्रमिक विरोधी नीति जिसके कारण मिल मालिकों ने मिल में तालाबन्दी की घोषणा कर दी है उक्त मिल के तीन हजार मजदूर बेकार हो गये हैं जिससे प्रदेश के मजदूरों में रोष एवं क्षोभ का वातावरण व्याप्त हो गया है और प्रदेश में श्रमिक अशांति फैलने की सम्भावना है। मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर विधान सभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं।"

इसको मैंने स्वीकार कर लिया है। कल्पनाथसिंह जी, इसमें ८ अगस्त मैंने जवाब देने के लिये मुकर्रर किया है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मैंने एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव और एक दफा ५२ का प्रस्ताव जो कि कानपुर के ही मजदूरों के संबंध में थे, दिया था.....

श्री अध्यक्ष—इसी मिल के बारे ?

श्री नरसिंहनारायण—जी हां। आप देखिये तो। दो तीन मिलों के बारे में है। वहां पर ५० साल से ज्यादा उम्र वाले मजदूरों की छटनी की जा रही है..

श्री अध्यक्ष—तो वह इसमें आ जायगा।

श्री नरसिंहनारायण—आप उसको पढ़ तो लें।

श्री अध्यक्ष—जो मैंने आदेश दिया है उसको आपदेख लीजियेगा। कार्य-स्थगन से लाभ नहीं होता। आप उसको और तरह से ला सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण—दफा ५२ और कार्य-स्थगन अलग-अलग हैं।

श्री अध्यक्ष—जूट मिल का दो, तीन दिन से आ रहा है। मैं उसे कल नहीं ले सका इसलिये कि गेंदासिंह जी का उससे शायद अधिक महत्व का था....

श्री नरसिंहनारायण—मेरा तो कानपुर की मिलों के संबंध में है।

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ में जब देंगे.....

श्री नरसिंहनारायण—मैंने तो दिया है।

श्री अध्यक्ष—आज तो एक ही हो सकता था।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने भी एक सूचना दी थी। गृह मंत्री जी को भी लिख कर दिया था और कल प्रश्नों के संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया था कि उनके पास सूचना नहीं है। बुलन्दशहर जिले में कत्ल और डकैतियां पड़ रही हैं और दिल्ली पुलिस ज्यादती कर रही है। तो श्रीमन्, हमारे पास ध्यान आकर्षित करने का कौन-सा चारा रह जाता है? नियम ५२ में मैंने पहले दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया और आज भी कर दिया।

श्री अध्यक्ष—रिजेक्ट करने का सवाल नहीं है। एक दिन में सिर्फ एक ही स्वीकार कर सकता हूं। अब सवाल यह रह जाता है कि प्रिफ़ेंस किसको दें। यह बात नहीं है कि उसको महत्वपूर्ण नहीं समझता, बल्कि ूसरा अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। रिजेक्शन का कोई सवाल नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—मैंने पहले भी दिया था और गृह मंत्री जी को लिख कर दिया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—मैं एक ही स्वीकार कर सकता था और जिसको मैंने महत्वपूर्ण समझा स्वीकार कर लिया।

किसानों के गन्ने का मूल्य चीनी मिल मालिकों से सरकार द्वारा न दिलाये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह वक्तव्य देता हूं—

श्री गेंदासिंह द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर १९६१–६२ सीजन का किसानों के गन्ने के मूल्य का लगभग ५१ करोड़ २० लाख पया ३० जून तक वाजिब हुआ और उसमें से मिलों द्वारा ४५ करोड़ ९२ लाख पया निर्दिष्ट तारीख तक भुगतान किया जा चुका है। केवल लगभग ५ करोड़ २८ लाख पया बकाया रह गया था न कि १० करोड़ रुपया। प्राप्त सूचनानुसार जुलाई मास में इस बकाया रकम अर्थात् ५ करोड़ २८ लाख पये में से लगभग १ करोड़ ५० लाख पया और किसानों को भुगतान हो गया है और शेष करीब ३ करोड़ ८० लाख पया रह गया है। इस १ करोड़ ५० लाख पये के मिलवार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार कुल देय धनराशि के साथ जो शेष का प्रतिशत निकलता है वह लगभग ७ प्रतिशत है।

कानूनन गन्ने का मूल्य मिलों को गन्ना पहुंचा ने पर किसानों को देय ो जाता है और एक पखवारे के बाद मिलें उस पर साढ़े सात प्रतिशत की दर से ब्याज की ेनदार हो जाती हैं। वर्तमान सीजन में चीनी मिलों को गन्ने के मूल्य पर ब्याज के रूप में लगभग ९ लाख २९ हजार रुपया भुगतान करना है। गन्ने के बकाया मूल और ब्याज की रकम मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल करने के लिये गन्ना आयुक्त ने अब तक ४१ चीनी मिलों के विरुद्ध रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। १९६१–६२ सीजन से ूर्व सीजनों के गन्ने का बकाया मूल्य ३० जून, १९६२ को लगभग १५ लाख ६१ हजार शेष रह गया था और इसकी वसूली के लिये भी संबंधित २७ मिलों के विरुद्ध रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। चीनी के मूल्य व वितरण पर से नियंत्रण हटने व चीनी की बिक्री व निर्यात के साथ-साथ मिलों की आर्थिक स्थिति सुधरने से अब यह आशा की जाती है कि गन्ना-किसानों की बकाया रकम शीघ्र वसूल हो जायगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—यह ३ करोड़ ५० लाख पया जो बकाया रह गया है वह किन कारखानों पर बकाया रह गया है। इसकी सूचना मंत्री जी देने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—मेरठ जिले में मोहियुद्दीनपुर, मवाना और सकौती कांडा। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि ५ करोड़ २८ लाख रुपये के आंकड़े मौजूद हैं और एक करोड़ ५० लाख रुपये के मिलवार आंकड़े जो ३० जुलाई तक अदा हो चुका है, नहीं हैं। इसलिये जो रकम बताऊंगा वह ५ करोड़ २८ लाख पये के हिसाब से होगी। मोहियुद्दीनपुर में ७ लाख २५ हजार रुपया बकाया है। मवाना में १७ हजार रुपया और सकौती कांडा ५ लाख ३१ हजार पया। बुलन्दशहर में १ लाख २१ हजार पया बकाया है। मुजफ्फरनगर जिले में मंसूरपुर पर ९ लाख ३४ हजार, खतौली पर १ लाख ७८ हजार, रोहनकलां पर ३ लाख ५३ हजार, शामली पर २९ लाख ५८ हजार। सहारनपुर जिले में, सहारनपुर मिल पर १ लाख ७७ हजार, देवबन्द पर १७ लाख ५३ हजार, इकबालपुर पर २ लाख ५१ हजार, सरसावां पर ७८ हजार। देहरादून में डोईवाला पर १ लाख ४८ हजार। बरेली जिले में बरेली मिल पर ८ लाख ३७ हजार, बहेड़ी पर ११ लाख ३१ हजार। बिजनौर जिले में बिजनौर मिल पर ७ लाख ८९ हजार, धामपुर पर १८ लाख ६० हजार, सेवराहा पर ४ लाख ४५ हजार। नैनीताल जिले में काशीपुर पर ७ लाख ५३ हजार, बाजपुर पर ५ लाख ६९ हजार। रामपुर जिले में रामपुर पर ४ लाख २ हजार, पीलीभीत जिले में पीलीभीत पर २० हजार। एटा जिले में नेवली पर ७ लाख ६७ हजार। मुरादाबाद जिले में अमरोहा पर ७ लाख ६२ हजार, बिलारी पर ११ लाख ६४ हजार। शाहजहांपुर में रौजा पर ३ लाख ६३ हजार, सीतापुर में हरगांव पर ३ लाख ८८ हजार, महोली पर ३ हजार और बिसवां पर १ लाख ५६ हजार।

श्री अध्यक्ष—बहुत लम्बी लिस्ट है।

श्री दाऊदयाल खन्ना—तो किसी विशेष जिले के सम्बन्ध में पूछें तो अच्छा होगा।

श्री गेंदासिंह—जरा देवरिया, गोरखपुर की मिलों का बतला दें।

श्री दाऊदयाल खन्ना—देवरिया की १३ मिलों पर १ करोड़ ९० लाख रुपया है उसमें से करीब २ लाख पया जुलाई के अन्त तक वसूल हो चुका है। गोरखपुर की पांच मिलों पर ७७ लाख २९ हजार है जिसमें ५ लाख ११ हजार पया ३० जुलाई तक वसूल हो चुका है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि देवरिया की सेवरही मिल पर कितना बकाया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—सेवरही मिल पर २८ लाख ७९ हजार था। उसमें जुलाई के अन्त तक जो वसूल हुआ है वह रकम शामिल नहीं है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—अमरोहा मिल पर कितना बकाया है ?

श्री गेंदासिंह—मेरी राय है कि वह फेहरिस्त पढ़ ही दी जाय, तो अच्छा है। उसमें कम वक्त लगता है।

श्री अध्यक्ष—बहुत अच्छा।

श्री दाऊदयाल खन्ना—बाराबंकी में बाराबंकी पर ५ लाख ९ हजार, बुढ़वल पर ३ लाख ७० हजार। लखीमपुर खीरी में गोला मिल पर १० लाख ६० हजार, ऐरा मिल पर कुछ नहीं। हरदोई जिले में, हरदोई मिल पर १४ हजार। गोंडा जिले में, बलरामपुर पर ५२ हजार, तुलसीपुर पर १ लाख ५३ हजार, बभनान पर ५ हजार और नवाबगंज पर ६ लाख १८ हजार। बहराइच में जरवल रोड पर १८ लाख ५४ हजार। बस्ती

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

में खजीलाबाद पर कुछ नहीं, मुंडेरवा पर कुछ नहीं, बस्ती पर २ लाख ५८ हजार और वाल्टर-गंज पर कुछ नहीं। फैजाबाद जिले में, मसोधा पर ५ लाख ३३ हजार। जौनपुर में शाहगंज पर ५ हजार। गोरखपुर जिले में, पिपराइच पर १३ लाख १० हजार, घुगली पर १७ लाख ६७ हजार, सिसवाबाजार पर ११ लाख, सरदारनगर पर ३४ लाख ८५ हजार, आनन्दनगर पर ६७ हजार। देवरिया जिले में, गौरीबाजार पर ६ लाख १८ हजार, बैतालपुर पर ९ लाख ८१ हजार, देवरिया पर १३ लाख २३ हजार, भटनी पर ९ लाख ५८ हजार, छितौनी पर १५ लाख ४२ हजार, खड्डा पर ८ लाख ६१ हजार, कैप्टेनगंज पर ११ लाख ३९ हजार, लक्ष्मीगंज पर १५ लाख २९ हजार, रामकोला (पी) पर १९ लाख २९ हजार, रामकोला (के) पर २० लाख २७ हजार, पडरौना पर २० लाख ८७ हजार, कठकुइयां पर ११ लाख ४२ हजार, सेवरही पर २८ लाख ७९ हजार।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लिस्ट उन्होंने पढ़ी उसमें सबसे ज्यादा बकाया सेवरही मिल पर २८ लाख १९ हजार. . . .

श्री अध्यक्ष—आपकी सूचना गलत है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—मान्यवर, जो सूची पढ़ी गई है उससे ऐसा लगता है कि देवरिया जिले की मिलों पर सबसे ज्यादा काश्तकारों का पैसा बकाया है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि रिकवरी सर्टिफिकेट ईश्यू किये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि रिकवरी की वसूली में जो और कोअर्सिव मेथड्स अप्लाई किये जाते हैं इन मिलों से गन्ना काश्तकार का पैसा दिलाने में क्या, उन कोअर्सिव मेथड्स को इस्तेमाल करने की बात माननीय मंत्री जी सोच रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—कानून में जितनी इजाजत होगी वह अमल में आ सकती है।

श्री गेंदासिंह—क्या अब तक इस बात की सूचना सरकार को मिली है कि यह जो इतनी बड़ी-बड़ी रकम बकाया रखने वाले लोग हैं इनमें से किसी के खिलाफ वारन्ट गिरफ्तारी जारी हुआ है या नहीं ? कोई अब तक गिरफ्तार हुआ या नहीं ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना—जैसा मैंने अभी अर्ज किया था कि ५१ करोड़ २० लाख पया वाजिब था। उसमें से इतनी रकम दी जा चुकी है। तीन करोड़ कुछ लाख बाकी रह गया है। उसके लिए कहीं-कहीं पर स्टाक भी कुड़क कर लिया गया है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर को हिदायत कर दी गई है कि जल्दी पया वसूल करें। इससे ज्यादा और जो चीज सजेस्ट करें वह किया जाय।

श्री गेंदासिंह—क्या इस बात की जानकारी माननीय मंत्री जी को है कि सेवरही फैक्ट्री पर २८ लाख से कुछ ज्यादा बकाया है, माननीय श्रीपाल सिंह ने एक सवाल किया लेकिन सरदारनगर हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री है इसलिए उस पर ३४ लाख बकाया है, तो २८ लाख पया उसके ऊपर बकाया को देखते हुए उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—रिकवरी सर्टिफिकेट उसके खिलाफ ईश्यू हो गया है।

श्री रामायण राय—यह रिकवरी सर्टिफिकेट सेवरही मिल पर कब जारी हुआ है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इसकी तारीख तो मुझे पता नहीं है।

श्री रामायण राय—उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—उसका परिणाम यह होगा कि गन्ने की कीमत जो किसानों की है वह पूरी अदा हो जायगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---भटनी चीनी मिल पर रिकवरी सर्टिफिकेट कब जारी हुआ और किसानों को कब तक पया मिल जायगा, इसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---रिकवरी सर्टिफिकेट की तारीख तो मुझे मालम नहीं है। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि बहुत जल्दी हम रुपये की अदायगी करायेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि ५१ मिलों के विरुद्ध सर्टिफिकेट जारी किया गया है तो जब से जारी किया गया तब से जिस तारीख का वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने दिया है उस समय तक कितना पया वसूल हुआ ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---यह अगर आप नोटिस दें तो मैं इसकी जानकारी हासिल कर लूंगा।

श्री गेंदासिंह---यह सूचना जो माननीय मंत्री जी ने दी उससे ज्ञात होता है कि बहुत सी फैक्ट्रियों ने अपनी कीमत अदा कर दी है, कुछ फैक्ट्रियों ने जो इतनी बड़ी रकम बकाया अपने ऊपर रखी है उसकी वजह जानने की सरकार ने कोशिश की और अगर वजह कुछ मालूम हुई, तो वह क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---उसकी जाहिरा वजह यही है कि उनका चीनी का स्टाक उनके पास है। ६१-६२ की चीनी १०-१५ प्रतिशत के बीच बिक पाई है, गवर्नमेंट इस बात की कोशिश कर रही है कि जहां तक हो सके जल्द से जल्द उनकी चीनी का स्टाक खाली हो। जो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हुये हैं उनके अनुसार जब चीनी बिकती है तो जितनी चीनी बिकती है उसके अनुसार किसानों को गन्ने की कीमत मिलती है।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो रिकवरी सर्टिफिकेट पये की वसूलयाबी के लिये जारी हुये हैं, यह बकाया की वसूलयाबी के लिये जारी हुये हैं तो किसानों को इतने दिनों के बाद यह पया दिया जायगा तो उसके लिये कुछ सूद भी उनको दिलाया जायगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---गवर्नमेंट की तरफ से जो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हुये हैं उनमें यह हिदायत दे दी गई है कि उनसे असल पया मय सूद के वसूल किया जाय।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो उन्होंने स्टाक अटैच किया है वह किस-किस मिल का है और कितनी-कितनी कीमत का है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---जिस मिल पर जितना बकाया है उसके खिलाफ ही उसके अनुसार रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हुये हैं।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद---मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस मिल का स्टाक जितना अटैच किया गया है उतना पया उस स्टाक से वसूल हो सकेगा ?

श्री अध्यक्ष---जितना ड्यू जिसके ऊपर है उसके अनुसार स्टाक अटैच किया है।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद---मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया गया है कुर्की का, क्या उसके अनुसार मिल के पास स्टाक है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---जहां तक चीनी का ताल्लुक है चीनी तो उनके पास है ही और उसके अलावा उनकी मिल भी तो खड़ी है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---मंत्री जी ने बतलाया था कि उनसे ७।। परसेन्ट सूद वसूल होगा। मगर मैंने यह पूछा है कि किसानों को वह पया इतने दिनों के बाद दिया जायगा तो उसके साथ उनको सूद का भी भुगतान किया जायगा या नहीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---यह जो गन्ने की सप्लाई होती है यह केन सोसायटी के द्वारा होती है। इसका सूद केन सोसाइटी को मिलता है। अब वहां केन सोसाइटी जिस तरह से तय करें। वह खुद किसानों को दें या सोसाइटी पर छोड़ दें।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---जितना बकाया वसूल हो चुका है उसमें किसी सोसाइटी को कोई सा सूद की मद में दिया गया है या नहीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---सूद का जिक्र रिकवरी सर्टिफिकेट में है। अब जो पया वसूल होगा वह मय सूद के होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मन्त्री जी इस वसूलयाबी के लिये कोई समय निश्चित करने की कृपा करेंगे कि इतने समय के अन्दर जो बकाया रकम है वह मिल मालिक अदा कर दें ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---मैं यह उम्मीद करता हूं कि जो हमारा आने वाला सीजन शुरू होगा उससे पहले ही यह सब पया हम अदा कराने की कोशिश करेंगे।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)---मंत्री जी ने बतलाया कि ऐरा मिल पर कोई बकाया नहीं है मैं यह समझता हूं कि ऐरा मिल पर किसानों का काफी पया बकाया है। तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

श्री अध्यक्ष---जो सूचना उनके पास है उसके अनुसार उन्होंने बतला दिया।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह---उत्तर के पैरा दो में लिखा हुआ है कि कानूनन गन्ने का मूल्य मिलों को गन्ना पहुंचाने के बाद देय हो जाता है और एक पखवारे के बाद....। श्रीमन्, कहते हैं रिकवरी के बाद, लेकिन उत्तर में लिखा है एक पखवारे के बाद मिलों से उस पर साढ़े सात परसेंट ब्याज की दर से मूल्य देय हो जाता है। तो दो अलग-अलग चीजें बतलायी गयीं।

श्री दाऊदयाल खन्ना---माननीय सदस्य ने ही समझने में कमी की है। मैं अर्ज कर दूं, इसमें लिखा है कि जब गन्ना सप्लाई कर दिया मिल को किसान ने, तो अगर १५ दिन के अन्दर मिल किसान को पैसा नहीं देती है तो उस पर सूद लगना शुरू हो जायगा। और जो रिकवरी सर्टीफिकेट हम जारी करते हैं उसमें हमने यह आदेश दे दिया है कि जिस मिल पर जितना सूद वाजिब है वह असल के साथ वसूल किया जाय। यह दो चीजें हैं।

श्री अध्यक्ष---जो मैं समझा हूं वह बतला दूं। उन्होंने बतलाया कि जो रिकवरी सर्टिफिकेट से रुपया वसूल होता है उसमें सूद लिया जाता है और असल के साथ-साथ सूद भी अदा किया जायगा।

श्री दाऊदयाल खन्ना---हमने जो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किये हैं उसमें अगर किसी मिल पर २० लाख रुपया बाक़ी है तो वह सूद के साथ वसूल किया जायगा और सूद वहीं केल्कुलेट होगा।

श्री अध्यक्ष---सूद जिस रोज से सर्टिफिकेट जारी हुआ है उस रोज से लगेगा या शुरू से ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---नहीं, शुरू से।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह---इसके पहले भी गन्ने की रकम बकाया रह चुकी है। क्या इसके पहल भी कभी सोसाइटी को या गन्ना किसानों को उनका रुपया मय सूद के दिया गया है या नहीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जिस मिल के मुताल्लिक आप जानना चाहते हों, नोटिस दे दें। मैं सूचना मंगा कर पेश कर दूंगा।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बक़ाया रक़म है उसके कुल का ५० फ़ीसदी देवरिया और गोरखपुर ज़िले में है और वे अभावग्रस्त ज़िले हैं और रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद भी वसूली के लिये कुछ जल्दी नहीं की जा रही है। तो क्या सरकार ऐसे आदेश देगी कि वह रुपया जल्दी से जल्दी वसूल किया जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—बहुत सख्ती से आदेश जारी किये जायंगे।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मैंने जो सरदार नगर के बारे में सवाल किया था कि रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसका कुछ असर नहीं हुआ और आज भी वह जवाब है सरकार का। तो जिन किसानों की गन्ने की क़ीमत बाक़ी है, राजस्व मंत्री जी से कह कर क्या उनकी मालगुजारी और तकावी वह मुल्तवी कराने की कृपा करेंगे और वहां की वसूली स्थगित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—कह तो दिया गया है कि जो संभव कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं वह करेंगे।

(व्यवधान)

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार जो इस रुपये को वसूल करने में असमर्थ रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या सरकार लैंड रेवेन्यू की वसूलयाबी को सस्पेंड करने का कोई आर्डर देने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा है कि कानूनी कार्यवाही करेंगे।

श्री दाऊदयाल खन्ना—इतना और अर्ज़ कर दूं कि अगर माननीय सदस्य इस प्रकार के केसेज़ मेरे पास भेज देंगे कि अमुक काश्तकार का इतना पैसा फलां मिल पर बाक़ी है और उसे इतनी मालगुजारी या तकावी देनी है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह हिदायतें भिजवा दूं कि वह रुपया उससे वसूल न किया जाय।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं फिर इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार को यह निश्चित तौर पर मालूम है कि किस फैक्टरी के ऊपर किसानों का कितना रुपया बाक़ी पड़ा हुआ है। उनके ऊपर रोज सरकारी देयों के संबंध में सख्ती की कार्यवाही हो रही है। चाहे कोआपरेटिव बैंक का सवाल हो, चाहे तकावी का हो और चाहे मालगुजारी का हो, ऐसा किसानों के लिए संभव नहीं है और यह माननीय सदस्यों के लिये संभव नहीं है कि हर मामला मंत्री जी की सेवा में रख सकें। तो क्या सरकार ने कोई इस प्रकार का आम आदेश दिया है और यदि नहीं दिया है तो आज देने की कृपा करेगी कि उन इलाकों में जहां गन्ने का दाम बाक़ी है उन पर कोअर्सिव मेजर इस्तेमाल न किये जायं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—मैंने इस सिलसिले में कहा है कि कुल किसानों का ७ परसेंट पैसा बाक़ी रह गया है, ९३ परसेंट मिल चुका है लोगों को एवरेज के रूप में। सारे प्रदेश के लिए मैं बतला रहा हूं। इसलिये सरकार जनरल आर्डर दे नहीं सकती कि हर किसान के लिये ऐसा किया जाय। जिस किसान का पैसा मिल के ऊपर बाकी रह गया है तो उसे वह सरकार की नोटिस में लाये। उसके ऊपर फिर ऐक्शन लिया जायगा।

श्री रामायणराय—मान्यवर, बहुत स्पष्ट बात है। सदन को बताया गया कि २८ लाख रुपया सेवरही और कटकुइयां मिल पर बकाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मालगुजारी की वसूली मुल्तवी करने में दिक्कत हो तो यह आदेश दिया जा सकता है कि जो पुरजी गन्ना काश्तकार को कलेक्शन अमीन देता है उससे लगान का भुगतान मान लिया जायगा।

श्री दाऊदयाल खन्ना—यह तो तभी हो सकता है कि जब किसानों की फ़रदन फ़रदन अर्जी हमारे सामने आए कि १० रुपये हमें देना है सरकार को और १० रुपये की पुरजी है।

श्री अध्यक्ष—जो लगान वसूल करने जाय उसके सामने वह यह भी दें, तो स्वीकार कर लेंगे?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जनरल आर्डर नहीं हो सकता।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—श्रीमन्, गन्ने की जो पुरजी मिलती है उस पर अगर किसान इंडोर्स करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भुगतान कर दे तो क्या हर्ज है? किसी आदमी को भी वह पेमेन्ट सोसाइटी से हो सकता है। इसमें सरकार को क्या कठिनाई है कि सरकार माल मुहकमें को यह आदेश दे दे कि मालगुजारी के भुगतान में यदि किसान बजाय रुपये के पुरजी इंडोर्स करके दे दे तो वह भुगतान मान लिया जाय?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—यह तो अलग-अलग डिपार्टमेन्टस की कार्यवाहियां हैं। इस तरह के सजेशन का जवाब माननीय मंत्री जी नहीं दे सकते कि रेवेन्यू विभाग क्या करेगा, क्या नहीं। मेरे ख्याल में यदि आप लिख कर के भेज दें तो उस पर विचार किया जायगा और आप का जवाब दे दिया जायगा। एक बात और मैं कह दूं कि यह जो सवालात किए जाते हैं यह तो इनफारमेशन के लिए किए जाते हैं जो आपको कांक्रीट सजेशन करना है वह आप दूसरे फार्म में करिए।

श्री अध्यक्ष—बहुत से प्रश्न हो रहे हैं और हो चुके हैं। अगर आप लोग माननीय मंत्री जी से डिसकस कर लें इस संबध में तो ज्यादा अच्छा है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी सदन के सम्मानित सदस्यों की कमेटी बनावेंगे?

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, सूचना है कि उन्हीं मिल मालिकों पर गन्ने का दाम ज्यादा बाक़ी है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुनाव फंड में ज्यादा रुपया दिया था।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी रेवेन्यू विभाग को यह लिखने की कृपा करेंगे कि गन्ना विभाग की तरफ से किसानों को जो पुरजियां दें, उनको नकदी के तरीके पर अपने यहां मान लिया करें और उसको मालगुजारी में मुजरे कर दें। क्या वे ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने स्वयं कह दिया है।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से एक बात मैं अर्ज कर दूं और गालिबन सभी माननीय सदस्य जानते भी होंगे कि अगर कोई परची गन्ने की ४० रुपये के भुगतान के लिये है और ४० रुपये ही किसान को लगान आदि के देना है तब तो उसका एडजस्टमेंट हो सकता है आसानी से, मगर अगर वह परची ४०रुपये ६० नये पैसे की है तो उस ६० पैसे के एडजस्टमेंट में रेवेन्यू विभाग को इतनी परेशानी होगी कि वह सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी और गन्ना विकास मंत्री जी अपनी सूचना के आधार पर यह बता सकेंगे कि जिन दो मिलों पर सब से अधिक बकाया है उनमें एक का तो संबंध केन्द्रीय सरकार के मंत्री महोदय से है तथा दूसरे का संबंध प्रश्न-कर्त्ता महोदय से। इसमें पहले को तो छूट रिआयत के रूप में दे गयी है और दूसरे को, प्रश्नकर्त्ता को अगली बार चुनाव में हराने के खयाल से। क्या यह सही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---यह बेजा लांछन है जो बिल्कुल गलत है।

श्री रामायण राय---श्रीमन्, माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा कि यह प्रश्न दो विभाग से संबंधित है, किन्तु यहां पर कोई भी मन्त्री जो उत्तर या आश्वासन देता है तो वह समूची सरकार का माना जाता है .....

श्री अध्यक्ष---वह प्रश्न अब समाप्त हो गया, आप कृपया बैठिये।

श्री कमलासिंह के १८ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २१ से संबंधित श्री गेंदासिंह द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के संबंध में शोधन वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब आइटम नं० ८ के संबंध में राजस्व मंत्री के सभासचिव अपना शोधन वक्तव्य देंगे।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)---अध्यक्ष महोदय, दिनांक १८ मई, १९६२ को श्री कमलासिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१ के सम्बन्ध में श्री गेंदा सिंह ने यह अनुपूरक प्रश्न पूछा था :

> "शिकायतों की बहुत बड़ी संख्या मालूम होती है यह ३,९०० से भी ऊपर है तो क्या इसकी कोई सूचना है कि वहां कितने चक बनाये गये, चकों के हिसाब से शिकायतों का प्रतिशत बहुत ज्यादा मालूम होता है।"

उस समय सदन में यह उत्तर दिया गया था:

> "ये १,१०६ गांव हैं और ८,८६,०६२ नम्बरान थे, जिनमें से १,८१,१८४ एकड़ कल्टिवेटेड क्षेत्र था, जिसमें से ३१,३६३ एकड़ पर कब्जा दे दिया गया है और जिन गांवों में चकबन्दी के बारे में चकों का पजेशन दिया गया है वह हैं ८५,४६३।"

उक्त उत्तर में कुछ अशुद्धियां हो गई थीं, जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर इस प्रकार से है :

> "ये १,१०६ गांव हैं और ८,८६,०६२ नम्बरान थे, जिनमें से १,८१,१५४ एकड़ कल्टिवेटेड क्षेत्र था। १,१०३ गांवों के अन्तर्गत १,८०,४४१ एकड़ क्षेत्र में चकों पर पजेशन दे दिया गया है।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्नोत्तर के लिये देखिये नत्थी 'य' आगे पृष्ठ ५६५ पर)

*उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६२† (क्रमागत)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है इसकी भावना का मैं स्वागत करता हूं। जिस प्रकार ग्राम विकास के सम्बन्ध में हम कम्युनिटी डेवलपमेंट की स्कीम सोचते हैं उसी प्रकार नगरों के विकास के सम्बन्ध में हम स्लम क्लियरेंस और उनके रि-डेवलपमेंट की स्कीम सोचते हैं। पिछली १९वीं शताब्दी में जब उद्योग बढ़ने लगे तो बड़े-बड़े नगरों में आ-आकर ग्रामों से लोग बसने लगे।

(इस समय १ बज कर ११ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

उन्हें जहां कहीं भी अवसर मिला उन्होंने बसना आरम्भ किया। इसका नतीजा यह हुआ कि बस्तियां बहुत गन्दी हो गईं। न उनके रहने के लिये मकान का ठीक प्रबन्ध था, न सड़कें थीं, न शौचालय का प्रबन्ध और न शिक्षा का इंतजाम। प्रधान मंत्री जब कानपुर गये थे तो उन्होंने वहां की दशा देख कर कहा कि मुझे ऐसा लगता है ऐसी मलिन बस्तियों को मैं गोली से उड़ा दूं। कहने का तात्पर्य यह था कि हृदय में दुःख होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। अतः उन्होंने एक ऐडवाइजरी कमेटी कायम की स्लम्स की क्लियरेंस के सम्बन्ध में। उसने जो सलाह दी उसका परिणाम यह हुआ कि स्लम क्लियरेंस और रि-डेवलपमेंट की स्कीम बनी, जो हमारे प्रदेश में आयी और जहां तक मुझे मालूम है प्रवर समिति के सम्मुख उपस्थित भी की गयी थी। वह केन्द्रीय सरकार द्वारा एक मार्ग दर्शन के लिए आयी और उसी के अनुसार सरकार अपना विधेयक लायी। परन्तु इस विधेयक के देखने से ऐसा पता चलता है कि इसमें बहुत सी खामियां रह गयी हैं। जिस उद्देश्य के लिये वह स्कीम सामने आयी—गरीबों, हरिजनों, मेहतरों के लि ;, जिनके पास कोई धन और साधन नहीं, उस उद्देश्य की पूर्ति होती दिखाई नहीं देती। उन खामियों का उल्लेख मैं आपके सामने करता हूं।

पहली बात तो यह है कि इसमें कहीं यह प्रावीजन नहीं है कि जो भवन निर्माण होंगे उनका किराया क्या होगा जिसमें ऐसे लोग रह सकें और उनका किराया इतना न हो कि वह उनकी सामर्थ्य से बाहर हो। दूसरे, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार से ५० फीसदी लोन और सब्सिडी मिलेगी और कुछ सरकार की तरफ से लगेगा और जहां तक मुझे खयाल है थर्ड फाइव ईयर प्लान में ३ करोड़ रुपये का प्रावीजन है। तो जो लोन की उसमें व्यवस्था की गई है, जब हम इस विधेयक को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने सारा कार्यभार अपने ऊपर उठा लिया और अपने अधिकारियों पर छोड़ दिया। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि उनको कर्जा दिया जाय, उनको भी एक अवसर दिया जाय। एक स्कीम बनाई जाय, उनके सामने नकशा रखा जाय और उनको अवसर दिया जाय। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपने पैसे से मकान बना सकें तो उनको कर्जा दिया जाय और स्कीम के मुताबिक वह मकान बनायें। लेकिन ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तजुर्बे में ऐसा आया है कि बड़े-बड़े शहरों में म्युनिसिपैलिटीज द्वारा या अन्य स्थानीय निकायों द्वारा जो जमीनें ली गईं और उन पर भवन निर्माण किया गया उसमें ग़रीब तो विस्थापित हो गये और ऊंचे तबके वाले ऊंचे किराये देकर उसमें आ गये और ग़रीब आदमियों को फिर दूसरी जगह मलिन बस्तियों में बसना पड़ा।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, एक और दो के बीच म कोरम का प्रश्न नहीं उठता है।

---

*१६ अप्रैल, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

†२ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही से।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर दूं कि जहां तक नियमों का प्रश्न है आजकल नियमों को बहुत स्ट्रिक्टली फालो किया जा रहा है। नियमों में यह नहीं है कि एक से दो के बीच में कोरम का प्रश्न नहीं उठेगा बल्कि परम्परा यह है कि इस समय में कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जायगा परन्तु यदि कोई सदस्य यह प्रश्न उठा देता है तो फिर आपको उचित कार्यवाही करनी पड़ेगी . .

श्री उपाध्यक्ष—जब सब पार्टीज की तरफ से यह एग्रीमेन्ट है तो फिर माननीय सदस्यों में इतना रेस्ट्रेन होना चाहिये कि वे प्रश्न न उठायें।

श्री चन्द्रजीत—यह तो ठीक है, लेकिन अगर कोई सदस्य प्रश्न उठा देता है तब फिर, जब तक कि कोरम पूरा न हो जाय कार्यवाही नहीं चलनी चाहिये, या फिर आप माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करें कि वह उसको वापिस ले लें. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—यह तो पार्टीज के लीडर्स का एग्रीमेन्ट है तो फिर मैं समझता हूं कि उसको फालो करना चाहिये हर माननीय सदस्य को।

श्री चन्द्रजीत—उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो नियम है वह मैंने कहा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि इस चीज को वह खत्म करें।

(श्री मंगलदेव खड़े हुये तथा बैठ गये)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—वह खड़े हुये थे, उन्होंने वापस ले लिया है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—तो मैं कह रहा था कि इस स्कीम में यह रखा गया कि जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होगी कि वह खुद मकान बना सकें या आदेशानुसार सुधार कर सकें तो उसको सरकार बनवा कर किश्तों में क़र्ज़ा वसूल करेगी। इसका तात्पर्य यह है कि ४ रुपये की चीज सरकारी अधिकारियों द्वारा १० रुपये में तैयार होगी जिसका परिणाम यह होगा कि उसका किराया बढ़ेगा और जिस गरीब के लिये व्यवस्था की जा रही है वह उतना किराया नहीं दे सकेगा। इस परिस्थिति पर इस विधेयक में कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि जो संबंधित व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं जिनके लिये यह चीज बन रही है उनके लिये कर्ज की व्यवस्था की जाय, चाहे मैटीरियल के रूप में या रुपये के रूप में। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के सुझाव की भी अवहेलना की गई है और जो स्कीम है उसकी भी अवहेलना की गई है। पहले उन्हें अवसर दिया जाय कि वह बनायें और यदि वह न बना सकें तब सरकार बनाये।

दूसरी बात इस विधेयक में यह है कि यदि यह देखा जायगा कि कोई मकान रहने योग्य नहीं है तो उसके सुधार करने की नोटिस दी जायगी और उसमें कुछ विशेष सुविधा, सड़क, नाली या और चीजें प्रदान की जायंगी और अकूपायर जिसको कि अध्यासी कहते हैं उससे वह रकम वसूल की जायगी जो उसमें खर्च होगी। इसका नतीजा यह होगा कि व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं है कि वह किराया दे सके, उससे यह भी वसूल किया जायगा जिसको वह दे नहीं सकता। यदि ऐसा था तो सरकार को उसके लिये किस्त करनी चाहिये थी, लेकिन उसमें इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसका यह नतीजा होगा कि सरकार उसमें अपनी तरफ से सुधार करायेगी जिसमें मनमाना खर्चा होगा और उससे वह रुपया लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल किया जायगा जिसमें उसकी घर की चीजें भी कुर्क हो जायंगी।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

दूसरी बात यह है कि इस ऐक्ट को पढ़ने से ऐसा लगता है, यद्यपि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यूनियन टेरीटरीज के लिये जो ऐक्ट बना है उसको देख कर इसको बनाया है, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मुझे मालूम हुआ कि १९५७ के यू० के० के हाउसिंग ऐक्ट को देखकर उसको बनाया गया है। जब मैंने इसके अंग्रेजी के अनुवाद को पढ़ा तो उसके बहुत से सेक्शन मुझे इसमें मिले। उसमें भी यह है कि जो विस्थापित हों उनको हटाया जाय। इसके पहले क्लीयरेंस एरिया डिक्लेयर हो उन लोगों को बसाने का कोई प्रबन्ध किया जाय और इसके साथ ही साथ यह भी देखा जाय कि वे जिन उद्योग-धंधों में लगे हुए हैं उनसे वे अपरूटेड न हों क्योंकि उनको कहीं से तनख्वाह तो मिलती नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं कि इसका इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है जैसा कि दूसरे इस प्रकार के विधेयकों में रखा जाता है।

इसके देखने से यह पता भी नहीं चलता कि जब मकान बन कर किसी भी स्थिति में तैयार होगा तो जिन लोगों के लिये ये मकान बनाये जा रहे हैं उनको प्रायोरिटी दी जायगी, यानी मेहतरों हरिजनों और ग़रीब आदमियों को ही इन मकानों को दिया जायगा। इसको भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। यह एक ऐसी खामी है कि जहां कहीं इस प्रकार के मकान बने हैं वे दूसरे लोगों को ही दे दिये गये हैं, चाहे तो उनका किराया ज्यादा हो या वहां उनके लिये सुविधायें कम हों, यह बात निश्चित है कि वे मकान उन लोगों को न मिलकर दूसरे लोगों को दिये गये। इस बिल को तो बड़ा काम्प्रीहेंसिव होना चाहिये था। मेम्बरों ने जो उन लोगों की तकलीफें सरकार को बतायीं उनका ध्यान इस बिल में रखा जाना चाहिये था। यह एक ऐसी खामी है जिसके वही लोग शिकार होंगे कि जिनकी सुख-सुविधा का इसमें प्रयत्न किया जा रहा है।

तीसरी बात यह है, जो एक बड़ी घातक चीज है। सरकार ने इसमें उनको बनाने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को दिया है। इस युग में जब कि सब जगह विकेन्द्रीकरण की बात कही जाती है और सारे अधिकार स्थानीय निकायों को सुपुर्द किये जा रहे हैं, लेकिन इसमें सभी अधिकार सक्षम प्राधिकारी को दिये गये हैं। सक्षम प्राधिकारी वह व्यक्ति है जिसके हृदय में वहां के निवासियों के लिये कोई दर्द नहीं है। वह तो सरकार की आज्ञा का ही पालन करेगा। लेकिन वहां के ही लोग होंगे तो वे उनकी तकलीफों से परिचित होंगे क्योंकि वे उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको यह भी डर होगा कि यदि वे उन लोगों का खयाल नहीं करते तो जनता आगे उनको अपना प्रतिनिधि नहीं बनायेगी। इसलिये यह चीज सरकारी आफीसर के हाथ में न देकर स्थानीय निकायों के हाथ में देनी चाहिये। लेकिन सरकार ने इस बिल में डेफीनीशन देते समय स्थानीय निकायों का ध्यान ही नहीं रखा। अधिकारी तो वही करेगा जैसा कि उसके मन में आ जायगा, उसकी भावना में आ जायगा।

मुझे इस बात को पढ़ कर आश्चर्य हुआ कि वहाँ से एक स्कीम आयी और उस स्कीम के अनुरूप ही यह विधेयक बनाया गया। जहां-जहां लोन देने की बात आती है वहाँ-वहाँ तो लोकल बाडीज का नाम ला दिया गया है, लेकिन जहाँ कहीं काम सौंपने की बात आयी सरकार ने सारे अधिकार सक्षम अधिकारी के हाथ में दे दिये। म्युनिसिपल बोर्डस् में, जैसा कि एक दफा इसी के अन्त में है कि यदि सरकार को अपना निर्णय लेना हो तो उस कार्य को करने के लिये किस अधिकारी के सुपुर्द उसे किया जाय। जैसा कि जिला परिषद् ऐक्ट में है वैसा ही इसमें भी आप कर सकते थे लेकिन यह न करके सारा अधिकार सक्षम प्राधिकारी को दे दिया गया है। अगर आप सक्षम अधिकारी को सारा अधिकार देते भी हैं तो उसके ऊपर कोई रोक होनी चाहिये थी लेकिन इस पर कोई रोक नहीं है। छोटे-छोटे रिपेयर्स के संबंध में यह हो सकता है कि अधिकारी का अनुमान गलत हो या नोटिस गलत हो या मकान गिराने का आदेश गलत हो या सुधार करने का आदेश गलत हो, तो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ करने का प्रोवीजन होना चाहिये ताकि वह फैसला कर सके कि जो कार्य हुआ है वह मुनासिब है या नहीं। या जिस

मकान को गिराने का आदेश दिया गया है वह मुनासिब है या नहीं है। लेकिन इस विधेयक में ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ ये चीजें जायेंगी तो वर्षों लग जायेंगे। मेरी समझ में वर्षों तो नहीं लगेंगे क्योंकि आजकल उनके पास काम भी बहुत कम हैं और अगर समय की एक सीमा निश्चित कर दी जाय तो ५-६ महीने में फैसले अवश्य हो जायेंगे। और इससे जो आदमी संबंधित रहेगा उसे भी यह विश्वास रहेगा कि मेरे साथ इन्साफ हुआ है। और मनमानी बात नहीं हो सकेगी। हमारे सक्षम अधिकारी जिनको सरकार ने सारा अधिकार दिया है उन पर भी यह रोक रहेगी कि अगर हमने गलत काम किया या उचित फैसला नहीं किया तो वह डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाकर उलट जायगा। लेकिन इसकी अपील के लिये कोई प्रोवीजन नहीं है। एक जगह कमिश्नर के यहाँ भेजने का मंशा सरकार का मालूम पड़ता है।

यह भी अनुभव में आया है कि बड़े-बड़े शहरों में चार-चार और दस-दस वर्षों तक मकान गिरे हुये हो गये और वह जमीन वैसी की वैसी पड़ी है। मुझे याद है कि माननीय राजाराम शास्त्री जी ने कानपुर का उदाहरण दिया था कि मकानों के लिये जो जमीन ली गयी थी उसे फिर मिल मालिकों के हाथ अधिक दाम पर बेचा गया। आज भी बहुत सी जमीन ऐसी पड़ी हैं कि जो स्लम क्लीयरेंस के निमित्त ली गयी थीं। सरकार इसका कारण अपनी आर्थिक असमर्थता बतला सकती है। लेकिन इसका नतीजा यह है कि जितने विस्थापित हैं उनके लिये रहने तक का प्रबन्ध नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये। सरकार को चाहिये कि जब वह किसी एरिया को स्लम्स क्लीयरेंस एरिया डिक्लेयर करे तो उसी के साथ ही गजट में वह यह भी घोषणा करे कि हमारी आर्थिक क्षमता ऐसी है जिससे कि एक साल या ६ महीने के अन्दर हम वहाँ मकान बना सकते हैं। इस तरह की घोषणा करने की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बात की घोषणा भी गजट में होनी चाहिये कि अमुक एरिया को सरकार स्लम्स एरिया डिक्लेअर करना चाहती है और वहाँ के मकान ध्वस्त किये जायेंगे। इससे यह होगा कि उस एरिया में भी बहुत से ऐसे मकान हो सकते हैं जो गिराने योग्य न हों। इसका भी कोई प्रोवीजन इसमें नहीं है। फिर उसी चीज को कोट करूंगा कि इसी विषय पर जो विधेयक दूसरी जगहों में बने हैं वहाँ उसमें यह रखा गया है कि जब गजट में प्रकाशन होगा तो उसमें पूरे स्थल का जिक्र होगा कि अमुक-अमुक चीजें उससे मुक्त रहेंगी और साथ ही उस में एक नक्शा भी अटैच रहेगा जिससे कि पता चल जायगा कि यह यह उसमें लिया जायगा। अगर ऐसा यहाँ भी न किया जायगा तो निश्चय है कि उसमें आपत्ति पैदा होगी।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि जब यह बिल प्रवर समिति के सामने आया था उस वक्त माननीय शर्मा जी मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जब नियम बनेंगे उनमें इन चीजों का विचार कर लिया जायगा, जैसे प्रायटी के बारे में, या किराया क्या हो उन रेजीडेन्सेज का। नियम बनाने का जो अधिकार इसमें दिया गया है उस को मैंने पढ़ा, मेरा विचार है कि जिन चीजों का इसमें प्राविधान नहीं है अगर उनके विषय में नियमों में समावेश किया गया तो मुझे डर है कि वह अल्ट्रावायरस हो जायेंगे। मकानों के बारे में कहीं जिक्र नहीं, है, कैसे गिराये जायेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है, आर्थिक क्षमता के बारे में भी कोई जिक्र नहीं है, कैसे मकान खाली कराये जायंगे, विस्थापितों के विषय में रखने की उनकी क्या व्यवस्था होगी, पहले से उनके रखने का क्या प्रबन्ध होगा इन सब बातों का पेरेन्ट ऐक्ट में कोई जिक्र नहीं है कि इन विषयों पर नियम बन सकें। अगर मनमाने नियम बनाये गये तो उससे जो लोग प्रभावित होंगे उनके लिये ठीक न होगा और झगड़े पैदा होंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर इस तरह का रास्ता खोल दें तो तमाम मुकदमेबाजी होने लगेगी। जहाँ तक मुकदमेबाजी की बात है उसे कौन रोक सकता है, कोई भी रिट फाइल करके मुकदमेबाजी कर सकता है। मैं चाहता हूं कि हमारा ऐक्ट काम्प्रीहेंसिव हो ताकि जो लोग उसके लूपहोल्स का लाभ उठाना चाहते हैं उनकी दाल न गले। अतः जो उद्देश्य इसमें दिये गये हैं

[श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी]

यदि इन बातों पर पूरा विचार न किया जायगा और उनका पूरा प्राविधान कानून में न रखा जायगा और इसको इसी रूप में रखा जायगा तो निश्चित ही जिस उद्देश्य के लिये यह बनाया गया है इसका वह उद्देश्य ही खत्म हो जायगा और कोई मतलब सिद्ध न होगा ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत है मैं उस के समर्थन में यहाँ खड़ी हुई हूं । मुझ से पहले विरोधी दल की तरफ से माननीय त्रिपाठी जी बोले, उन्होंने इस विधेयक की आत्मा और रूह का जो स्वागत किया उस के लिये मैं उन को धन्यवाद देती हूं । लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है यदि उन्होंने पूरे तौर से इस को पढ़ा होता तो जो तीन चौथाई आपत्तियाँ उन्होंने पेश की हैं उन का आप ही समाधान हो जाता । इसलिये मेरे मन में आशंका होती है कि शायद उन्होंने पूरे बिल पर विचार नहीं किया । यदि उन की आपत्तियाँ मुझे समझ में नहीं आईं तो वह क्षमा करें । मैं आरम्भ में ही इतना कहूंगी कि यह प्रश्न हमारी जिन्दगी के एक ऐसे पहलू से संबंधित है जिस की एक बड़ी करुण कहानी है । मैं भावावेश में जाना नहीं चाहती और न यहाँ सदन में इतना समय है कि मैं पूरे तौर से वह दुखगाथा यहाँ प्रस्तुत करूं, लेकिन सबको मालूम है कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि केन्द्रीय सरकार ने अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पर बड़ा महत्व दिया और सारे भारतवर्ष के लिये ९.९ करोड़ की स्कीम बनाई गई थी और अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह रकम बढ़ाकर २८.९ करोड़ कर दी गई है । इसी से हमको अन्दाज हो जायगा कि यह स्कीम कितनी महत्वपूर्ण है और इस पर सरकार कितना ध्यान दे रही है ।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने इसका महत्व देखते हुये एक एडवाइजरी कमेटी आन स्लम क्लीयरेंस बनायी थी जब प्लान प्रोजेक्ट पर विचार हो रहा था । एक स्टडी ग्रुप बनाया गया, स्टडी कमेटी बनायी गई और इन दोनों की रिपोर्ट अलग-अलग आयी और रिपोर्ट को पढ़ने के बाद दो चीजें आधारित की गई । एक यह कि लॉंग टर्म प्लान होना चाहिये जिसमें ज्यादा समय लगता है, जिसमें भूमि का अर्जन करना पड़ता है और दूसरी चीज यह कि एक शार्ट टर्म प्लान बनाया जाय और इसके लिये आवश्यक था कि जब तक स्लम क्लीयरेंस का पूरी तरह से काम न हो सके तब तक कम से कम वह लोग जो दुखी हैं उनको राहत पहुंचायी जा सके । इसलिये शार्ट टर्म प्लान के आधार पर कुछ चीजें, जिसको स्लम इमप्रूवमेंट स्कीम कहते हैं, वह हों ।

मैं ऐसे शहर से निर्वाचित हो कर आयी हूं, जिसका जिक्र माननीय विरोधी दल के एक भाई ने किया, वह है कानपुर जहाँ एक तरफ ग्लेमर है, स्प्लेन्डर है दूसरी तरफ वह तबका है जो बेजुबान है, दुखी है, परेशान है और कुछ नहीं कह सकता । आज जो विधेयक पेश हुआ है वह उन बेजुबान लोगों को जबान देने को आया है । और यह चुनौती है हम सब को हम उन लोगों को वह जबान दें जिससे बुलन्दी के साथ वह हमारे सामने आ सकें और उनकी गरीबी और कष्ट दूर हो सके ।

कुछ दिक्कतें हमारे सामने उत्पन्न हुईं और इसी कारण भारत सरकार ने ६ शहरों को प्राथमिकता दी, देहली, बम्बई, मद्रास, कानपुर अहमदाबाद और कलकत्ता, स्लम क्लीयरेंस के मामले में तथा इसके लिये खास तौर से सब्सिडी और लोन का इन्तजाम किया गया । तृतीय योजना में १९६ लाख रुपया उत्तर प्रदेश ने अपनी इस योजना में लगाया, जिसमें से १२५ लाख रुपया सिर्फ कानपुर के लिये लगाया गया था और विचार किया गया था कि ६,९५० टेनेमेन्ट्स, यू०पी० भर में बन जायेंगे जिनमें से ४,०३० अकेले कानपुर के लिये सेकेन्ड प्लान में रखे गये थे । इसका जो टार्गेट था वह बहुत कुछ पूरा हुआ । फिर भी कुछ ऐसी अड़चनें आ गई जिसके कारण पूरा न हो सका । खास कारण क्या है ? उसी को दूर करने के लिये यह विधेयक आया है । सबसे बड़ी दिक्कत ऐक्वीजीशन आफ लैंड की थी । ऐक्सपीडियन्सी होनी चाहिये, लैंड ऐक्वीजीशन प्रोसीजर सिम्पलीफाई होना चाहिये जिससे जमीन को जल्दी लिया जा सके और नये मकान बना दिये जाँय या गरीबों को दूसरी जगह रखा जाय । इस विधेयक से जो संतोष है वह यह है कि गरीबों के लिये जो दिक्कतें सामने थी उनको दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है जिसमें

लैंड ऐक्वीजीशन की कार्यवाही जल्दी से जल्दी कार्यान्वित हो सके। अभी जो हमारे भाई बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जिन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है तो विधेयक में यह प्राविधान नहीं किया गया कि उन्हीं को वहाँ बसाया जायगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। इस विधेयक में खास तौर पर यह जोर दिया गया है कि जो लोग यहाँ से हटाये जायेंगे उनको पहले प्रायरटी दी जायगी और यदि वह लोग १ महीने के अन्दर नहीं राजी होते वहाँ आने के लिये तो दूसरे लोगों को जगह देने के पहले फिर से उनसे पूछा जायगा। इसलिये मेरी अपने विरोधी भाई से प्रार्थना है कि समाजवाद के नाम पर वह पुनः विचार कर लें।

मैंने कानपुर में देखा कि जो लैंड ऐक्वायर हो जाती है बड़ी दिक्कतों के बाद, तो उन लोगों को जो कम्पेनसेशन दिया जाता है उसकी वजह से रेंट बहुत ऊंचा लगाया जाता है और यह सही बात है कि गरीब आदमी ज्यादा रेंट नहीं दे सकता। तो कारण यह होता है कि श्रमिकों के लिये जो घर बनाये जाते हैं वह खाली पड़े रह जाते ह। इसी को दूर करने के लिये यह विधेयक आया है। इससे आघात एक सेक्शन को पहुंचेगा, लेकिन यह आघात उस गरीब तबके को पहुंचने वाला नहीं है। इस विधेयक के द्वारा एक आघात पहुंचेगा एक बड़े भारी सेक्शन को जो मध्यम श्रेणी का है जो एफोर्ड कर सकता है। लेकिन इससे गरीब तबका फायदा उठायेगा। लेकिन जिनके हाथ में यह स्लम्स हैं और जिनको कम कम्पेनशेसन मिलेगा यह आघात उनको पहुंचेगा।

कल विरोधी दल के एक भाई भानुप्रताप सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार शाइलाक बन कर पाउंड आफ फ्लेश मांग रही है। ये शब्द कानों में गूंज रहे हैं। वह मौजूद नहीं हैं, लेकिन अन्य विरोधी दल के भाई उन तक मेरी यह बात पहुंचा देंगे कि कांग्रेस सरकार शाइलाक बन कर पाउंड आफ फ्लेश मांगने नहीं आई है बल्कि पोर्शिया बन कर जस्टिस मांगने आई है, क्वालिटी आफ मर्सी मांगने आई है। क्वालिटी आफ मर्सी के नाम पर हम उस गरीब तबके की मदद करना चाहते हैं :

"The quality of mercy is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes"

तो मैं यह कह रही थी कि जो आघात पहुंचेगा वह यहां के मध्यम श्रेणी के लोगों को पहुंचेगा जिनके पास थोड़ा बहुत रुपया है और जो देशभक्ति के नाम पर थोड़ा नुकसान जरूर गवारा कर सकेंगे। ये लोग थोड़ी बहुत तपस्या करें, इतना आघात बर्दाश्त करने के लिये तत्पर रहें। इससे गरीब लोगों को जरूर थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। इसलिये मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं।

तीसरी चीज जो मैं देखती हूं कानपुर में विस्थापितों के सबंध में वह यह है कि जो हमारे भाई एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किये जाते हैं उनको ज्यादातर जगह दूसरी जगह मिलती नहीं और अगर मिलती है तो इतनी दूर मिलती है कि उनका सारा व्यवसाय पट हो जाता है। एक तो उनकी गरीबी की हालत, फिर ऊपर से रोज की रोजी छीन ली जाती है। बेचारे क्या करेंगे ? इसमें किसी निर्णय पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। यह भी खुशी का विषय है कि जो लोग हटाये जायेंगे कुछ हद तक उनको इसी जगह पर या इससे नजदीक से नजदीक स्थान पर विस्थापित किया जायगा। यह निर्णय बहुत अच्छा है। तो मैं सोचती हूं कि समाजवाद के नाम पर यह जरूरी और अवश्यक चीज थी। इसका हम सब स्वागत करेंगे।

एक चीज और है। जब तक लोगोंको इस प्रकार की कोई जगह नहीं मिलती है तब तक उन लोगों को रिलीफ चाहिये, हमदर्दी चाहिये। सरकार ने बाकायदा इसका इन्तजाम कर दिया है कि गर्मी की कड़कती धूप में सर्दी में, बरसात में बेचारे बिना छत के नहीं पड़े रहेंगे। तो यह कांग्रेस सरकार का एक क्रान्तिकारी कदम है। समाजवाद व्यवस्था या सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाने का जो निर्णय लिया गया है उसी सिद्धान्त पर आधारित है।

मैं एक बात और आपके सामने पेश करना चाहती हूं। स्लम क्लीयरेंस और स्लम इम्प्रूवमेंट एक चीज है। जाहिर है कि जहां पर यह गन्दगी है उसको हटाना है। मेरे भाई ने

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

कहा कि जब पंडित जी कानपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि इन बस्तियों को बिल्कुल जला देना चाहिये। मैंने कारपोरेशन की जब बात आई थी तो चर्चा की थी कि कुछ बस्तियां ऐसी हैं जिनको डायनेमाइट कर दिया जाय। वास्तविकता यह है कि मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसी बस्तियां हैं जाजमऊ में, मोतीमुहाल में, सिविल लाइन में, शहर के बीच में जहां हमारा सदर बाजार है, जनरलगंज में जहां बड़ी बड़ी इमारतें हैं ५, ६ मंजिल की उनके नीचे गरीब भाई कैसे निर्वाह करते हैं? यह बड़ी शोचनीय बात है कि इन्सान इन्सानियत भूल जाता है। यह विधेयक है जो हम सबकी आंखे खोलेगा। यह समानता और समाजवाद का सबसे बड़ा संदेश है। नीचे और ऊंचे तबके को यह समानता पर लाने वाला कदम है। इस तरह यह एक क्रान्तिकारी कदम है। कानपुर में मैंने देखा है कि एक-एक घनी बस्ती में १०, ११ स्लम्स बने हुये हैं। रोज की जो बेसिक आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति करने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक जो खास चीज है वह यह कि ऐसी चीजें जिनका सुधार नहीं हो सकता उनका तुरन्त अर्जन करके यह विधेयक सस्ती से सस्ती जगह देने में और व्यापार तथा रोजी भी उनकी बनी रहे इसमें शीघ्रता करायेगा।

दूसरी चीज यह है जिसका सुधार करने से ही मलिन बस्तियां सुधर सकती हैं उस पर भी ध्यान दिया गया है। कारपोरेशन की सदस्य होने के नाते मैं जानती हूं कि किस तरह की आपत्तियां आती हैं। हर मामल में रिट पेटीशन फाइल हो जाती है। ठीक है कि जिसके पास प्रापर्टी हो वह उसको बचाये, परन्तु आज के समय का जो तकाजा है उसक विपरीत हम कैसे जा सकत हैं। तो रिट पेटीशन का हक अब चला गया है और कमिश्नर को ही सारी ताकत दी गयी है।

तीसरी बात एक और सुधार के संबंध में है। हमारे मंत्री महोदय यहां बैठे हुये हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि यह सही है कि म्युनिसिपैलिटीज को बाई लाज बनाने की ताकत मिली हुई है पर सरकार का भी कर्तव्य हो जाता है कि देखे कि जो म्युनिसिपल बाईलाज बने हैं वे कहां तक कार्यान्वित किये जात हैं। मैं कानपुर का नाम ले रही हूं। वहां १०लाख की आबादी है और हमारे बहुत से शरणार्थी भाई पंजाब से वहां आये हैं। उनको नक्शा पास कराने में इस कदर दिक्कत हो रही है कि ४–४, ५–५ वर्ष बीत गये हैं बराबर दफ्तर का चक्कर मारने पर भी उनके नक्शे पास नहीं हो पाये हैं। हार कर वे मास्टर प्लान के बिल्कुल विपरीत, सैनिटेशन और ड्रेनेज के बिल्कुल खिलाफ अपनी-अपनी जरूरत भर के मकान बना लेते हैं। नतीजा यह है कि एक तरफ तो सरकार लाखों रुपये सब्सिडी और लोन के दे रही है स्लम क्लीयरेंस के लिये और दूसरी तरफ म्यूनिसिपैलिटीज अपनी कम्प्लेसेंसी के कारण या किसी कारण से लोगों को मजबूर करती हैं मलिन बस्तियां बनान पर। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगी कि जहां इतना रुपया सरकार दे रही है वहां साथ में यह भी चेष्टा करे कि नयी मलिन बस्तियां हमारी कमी के कारण न बनें। साथ ही यह भी जरूरी है कि जो लोग वहां आये हैं और नक्शा पास कराने के लिये जो लोग एप्लीकेशन देते हैं उस पर शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही की जाय। यह नहीं कि जब तीन हिस्सा इमारत बन गयी हो, जब हजारों रुपये की लागत लग गयी हो, जो अपने प्रान्त को छोड़ कर आये हैं, उनकी सारी पूंजी जब लगी गयी हो तो एक दिन डिमालिशन आर्डर आ जाय। यह मानवता के खिलाफ है। इस पर ध्यान दिया जाय।

एक बात जो बहुत ही जरूरी है वह यह है कि कानपुर में कई समस्यायें ऐसी हैं, खासतौर पर मैं लक्ष्मी पुरवा का जिक्र करना चाहती हूं। वहां पर हरिजन भाई आबाद हैं। वह मेरे क्षेत्र में नहीं पड़ता है परन्तु किसी भी गरीब भाई के ऊपर अगर मुसीबत आती हो तो उस ओर ध्यान देना हमारा फर्ज है। कानपुर की लक्ष्मी पुरवा और मोतीमुहाल बस्ती में ४०, ५० वर्ष से लोग रह रहे हैं। अब उन लोगों पर आर्डर आया है और उनको कहा गया है कि आप यहां से छोड़ कर शहर से पांच मील दूर जा कर बसिये। आप सोचिये कि जो आदमी शहर के बीच में रह रहा

हो उससे कहा जाय कि तुम शहर से ५ मील दूर जा कर रहो तो वह किस प्रकार रहेगा, अगर उनका कोई प्रतिनिधि मंडल आता है तो सरकार को चाहिये कि बड़ी सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करे ।

इन सब बातों को ध्यान में लाते हुये मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं और अपने भाइयों से प्रार्थना करूंगी कि मर्सी के नाम पर, इन्सानियत के नाम पर इस विधेयक को बगैर किसी संशोधन के पास करें ।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, बहुत खुशी की बात है कि हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मंत्री एक ऐसा बिल लाये हैं । जिस बिल की बहुत ज्यादा जरूरत है जिसे हम लोग, जो कानपुर शहर में रहते हैं, महसूस करते हैं । खाली हम लोग नहीं, आपको याद दिलाने के लिये बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब सन् ५२ में कानपुर में आये थे तो चकरखट्टी एक मोहल्ला है जो खराब मोहल्ला नहीं है, उस मोहल्ले से कई गुना खराब मोहल्ले कानपुर में मौजूद हैं, लेकिन उस मोहल्ले को पंडितजी देखने गये । जाहिर बात है, पहले सफाई वगैरह करा ली गयी थी । लेकिन उसके बावजूद जवाहरलाल जी ने ५० हजार लोगों की मीटिंग में कहा था कि मैं यह नहीं समझ सकता कि इसमें इन्सान कैसे रहते हैं । इन मकानों को जला क्यों नहीं दिया जाता । यह जवाहरलाल जी ने कानपुर पब्लिक मीटिंग में कहा था जिसमें हमारे मुख्य मंत्री जी मौजूद थे ।

इसके पश्चात् १९६२ में इस चुनाव के मौके पर जब जवाहर लाल जी आये तो उनके लिये वहां के कारपोरेशन के मेयर ने मीटिंग की और उसमें उन्होंने यह समस्या रखी । जवाहर लाल जी ने कहा कि कानपुर में कुछ नहीं हुआ है और अभी कानपुर वैसा का वैसा ही है । तमाम हिन्दुस्तान में सब से गन्दा शहर कानपुर है । मेरी बहिन माननीया सुशीला जी ने भले ही कहा है कि कानपुर बहुत चमकने वाला और खूबसूरत है । ५ फीसदी लोगों के लिये वह स्वर्ग है, लेकिन ९५ फीसदी लोगों के लिये नरक है । वहां की हालत यह है कि ९० फीसदी लोग ऐसे मकानों में रहते हैं जिसमें न पानी है, न बिजली है और न सफाई का ही कोई इंतजाम है । वहां एक अहाता ऐसा है जिसमें १,००० आदमी रहते हैं और एक-एक कमरे में १०-१२ आदमी जानवरों की तरह से रहते हैं । मालिक मकान बिजली बंद कर देता है, पानी बंद कर देता है । मुख्य नगराधिकारी को चिट्ठी लिखी जाय तो वह उस को एकनालिज तक नहीं करता है । मुख्य मंत्री जी को लिखें तो वह कम से कम जवाब तो देते हैं, लेकिन मुख्य नगराधिकारी तो एम० एल० एज० और एम०पीज० तक को एकनालिज नहीं करता है । इन अहातों का मैला सड़क पर गिरता है और कोई देखने सुनने वाला नहीं है । मैं अभी वहां गया था तो वहां पर ३-४ फीट तक गन्दा पानी भरा हुआ है । कारपोरेशन में कोई सुनने वाला नहीं है । मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी एक बार हमारे साथ कानपुर चलें तो मैं उनको दिखाऊंगा कि वहां की क्या हालत है और किस हालत में लोग रहते हैं, यही कारण है कि हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा बच्चों की मौतें कानपुर में ही होती हैं । यह मानी हुई बात है कि दुनियां में सब से ज्यादा टी०बी० के केसेज हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा कानपुर में होते हैं । यह अकेले मैं नहीं कहता बल्कि यह यू०एन० ओ० की रिपोर्ट है । यह इसलिये है कि कानपुर बहुत गन्दा शहर है ।

यह बहुत ही सीरियस प्राब्लम है और मंत्री जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर इसमें ३-४ बातें नहीं करेंगे तो यह केवल कागज की पुर्जी रह जायगी । पहली बात यह है कि आज क्यों गरीब आदमी ३-४ रुपये के मकान में रहता है । इसलिये कि उसको गरीबी मजबूर करती है कि वह गन्दे मकान में रहे । वहां ८० फीसदी लोग ऐसे हैं जो नौकर हैं और जिनको ४०-५० रुपये से भी कम तनख्वाह मिलती है । अगर स्लम्स क्लियरेंस स्कीम में १२ रुपये के मकान बनेंगे तो बिचारा मजदूर वहां नहीं जा सकेगा और स्लम्स का क्लियरेंस नहीं हो सकता है । मैं भी यहीं पर हूं और मंत्री जी भी हैं और मैं दिखा दूंगा कि स्लम्स रहेंगे । ४०-५० रुपये पाने वाला १२ रुपये किराया नहीं दे सकता

[श्री संतसिंह यूसुफ]

है। रत्नपुरवा का स्लम गिराया गया, लेकिन उसके पड़ोस में ही दूसरी बस्ती बस गई। बाबूपुरवा का स्लम गिराया गया, लेकिन उसके पड़ोस में ही बस्ती बस गई। पहली बात यह है कि कानपुर की गन्दी बस्ती को खत्म कीजिये, लेकिन उसके रहने वालों के लिये टैम्पोरेरिली कोई इंतजाम कर दीजिये। आजकल क्या है? कारपोरेशन के अधिकारी जाते हैं और मकान गिरा देते हैं और सामान बाहर फेंक देते हैं और कह देते हैं जहां चाहे वहां रहो। कोई बिचारा कहीं झोपड़ी बनाकर रहता है, कोई अपने किसी रिश्तेदार के यहां रहता है। दिल्ली में स्लम क्लियरेंस हो रहा है, उनके लिये टैम्पोरेरी मकान बनाये गये हैं, उनके रहने के लिये पहले सुविधा दी गयी है, तब वह मकान गिराये गये हैं और जब मकान बन जायेंगे तो उन्हीं आदमियों को पहले प्रिफरेन्स दिया जायगा। इसलिये अब यह निश्चय है कि कोई एरिया स्लम क्लियरेंस में लिया जायगा तो पहले उनके रहने के लिये टैम्पोरेरी सुविधा की जाय। दूसरी बात यह है कि जब वह मकान बन जायं तो पहले उन्हीं को प्रिफरेन्स दिया जाय।

हमारी बहन जी बोल गयीं। उन्होंने बड़ी तारीफ की इस प्रस्ताव की। कानपुर में यह हुआ करता है कि गंदी बस्तियां तोड़ी गयीं। आठ आने गज के उनको दाम दे कर प्लाट बनाकर ५० रुपये, ६० रुपया ७० रुपये गज में जमीन बेंची गयी और बड़े-बड़े नगर बना दिये गये, अशोकनगर, पांडेनगर, लाजपत नगर वगैरह। मजदूरों को फैक्टरी से ६ मील दूर डाल दिया जाता है और वहां लोगों के बंगले बनाये जाते हैं। अगर आप समाजवादी समाज चाहते हैं, तो कार वालों से कहिये कि वह शहर के बाहर बंगले बनायें। उनके पास आने जाने के साधन हैं। दुनियां में यह होता है कि मजदूर का क्वार्टर फैक्टरी के पास होता है, ताकि छः बजे सुबह वह आसानी से फैक्टरी में पहुंच सके। हमारा कहना यह है कि आप खुशी से बनाइये, हम साथ देंगे, लेकिन स्लम गिराये जायं तो पहले उनके टैम्पोरेरिली रहने का प्रबंध कर दें। लेकिन उनसे उतना ही किराया लिया जाय यह मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे मंत्री जी जो यहां पांचों शहरों के मेयर्स की मीटिंग हुई थी उसमें मौजूद थे। उन्होंने निश्चय किया था कि उनको तीन चार रुपये किराये के मकान प्रोवाइड करने चाहिये। लेकिन कुछ नहीं। १२ रुपये का मकान अगर कर दिया तो वह मिल का छोटा मजदूर जो ४० रुपये पाता है, वह ठेले वाला, वह रिक्शे वाला, क्या १२ रुपये के मकान में रह सकता है? वहां जाकर मिडिल क्लास वाले रहते हैं और मजदूरों के नाम अलाट करवा लेते हैं। लेबर स्कीम में जो क्वार्टर बने उसमें भी यही हो रहा है। इसलिये जब मकान गिराये जायं तो पहले रहने के लिये टैम्पोरेरी मकान बनाये जायं। दूसरी बात यह है कि प्लाट बना कर न बेंचे जायं।

श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)--मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोरम है?

श्री उपाध्यक्ष--१ और २ बजे के बीच में माफ करें।

श्री संतसिंह यूसुफ--तो दूसरी बात यह है कि वह जगह जो खाली हो प्लाट बना कर नहीं बेची जायगी। मुझे इस बात का डर है और अब भी होगा। मैं इसलिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अभी एक हफ्ता पहले की खबर है कि कारपोरेशन ने तय किया है कि बाबूपुरवा और जगन्नाथ पुरवा में जो मजदूर रहते हैं उनके मकान गिराये जायेंगे और बस्ती की कम्पनियां वहां खोली जायंगी। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर मजदूरों के मकान गिराकर व्यापारियों को बाहर से लाकर वहां बसाया जायगा तो उसका विरोध होगा, बिलकुल होगा और यह आपकी नीति के खिलाफ भी है। अगर ऐसा है तो आप यह बिल न लाइये। वह जहन्नुम में हैं, रहने दीजिये। कभी न कभी उनका दिन भी आयेगा और जरूर आयेगा। यह चीज कारपोरेशन ने तय की है इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि वह जो जगह खाली हो, उसमें सस्ते किराये के मकान बनें, हायर परचेज के मकान बनें...

श्री उपाध्यक्ष--अब कोरम हो जाय, तब आप भाषण दीजियेगा।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री संतसिंह यूसुफ—मान्यवर, मैं आपके सामने यह प्रार्थना कर रहा था कि वहां हायर परचेज सिस्टम से मकान बनाये जायें । अंग्रेजों के जमाने में हायरपरचेज सिस्टम के क्वार्टर बने थे खलासी लाइन के क्वार्टर्स और मिल मालिकों ने भी बनवाये थे, लाल इमली के क्वार्टर्स हैं और भी दूसरी मिलों के भी क्वार्टर्स हैं । हैनेट के नाम से कुछ क्वार्टर्स बने थे जिनका किराया ५ रुपया था और अब भी ५ रुपया किराया उसका है । तो आप ऐसा प्रबंध कीजिये कि वहां पर हायर परचेज पर मकान बनाइये । मामूली बनाइये । बहुत ज्यादा रकम न खर्च कीजिये । इस तरह की बहुत सी स्कीमें, बहुत सी जगह दूसरे देशों में चली हैं । आप भी चलाइये और मकान बनवाकर उनको दीजिये । सस्ते मकान बनें, साफ सुथरे हों जिनमें आदमी रह सकें । इस तरह का इंतजाम कीजिये और दूसरी बात यह कि जो वहां के रहने वाले हैं, मजदूर गरीब हैं, जो १०० या १५० रुपये से कम तनख्वाह पाने वाले हैं उनको उसमें प्रिफरेन्स दीजिये, रहने के लिये उनको मकान दीजिये, उनको लोन दीजिये मकान बनाने के लिये । आप टाटा, बिरला, डालमिया जयपुरिया वगैरह को जो पूंजीपति हैं उनको तो करोड़ों रुपया लोन के रूप में देते हैं, गरीब को क्यों नहीं देते हैं ? उनका प्राविडेंट फंड है, चार, पांच हजार रुपये कम से कम होंगे, उसकी बुनियाद पर उनको लोन दीजिये । आज उनको सुविधा और मदद देने की जरूरत है । आप चाहते हैं कि आपकी पांच साला योजनायें कामयाब हों । अरे, कामयाब होने का तरीका है और यही तरीका है कि गरीब आदमियों को उठाइये, उनको प्रोत्साहन दीजिये, उनको मदद दीजिये । आपने बिरला को ३ करोड़ दे दिया, १ करोड़ जयपुरिया को दे दिया, एक करोड़ पदमपत को दे दिया । भले आदमी, कुछ गरीब को भी दो जिससे कि वह अपने मकान बना सकें । इसलिये आप उनको लोन दीजिये, हायर परचेज पर मकान बनाइये और जो खुद मकान बना सकें उनको सुविधा दीजिये और जो सरकारी क्वार्टर्स बनवाइये उसका किराया किसी हालत में भी ५ रुपये से ज्यादा न हो । नहीं तो स्लम क्लीअर नहीं होगा यह बात समझ लीजिये, यह बुनियादी बात मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं । किसी आदमी को यह शौक नहीं है कि वह गन्दी सड़ी बस्ती में जहां पर पेशाब और पाखाना पड़ा हो और गन्दी नाली हो, कूड़ा पड़ा हो वहां जाकर रहे । इसलिये कि पहले तो उसको तन ढांकने की फिकर है और पेट भरने का सवाल है उसके बाद उसके मकान का सवाल आता है । आज मजबूरी की वजह से वह वहां रहता है । आप सरकार में हैं । आपका यह काम है कि उसके लिये इंतजाम करें ।

दूसरी बात उसके सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब स्लम क्लियरेंस होगा तो उसके लिये एक अधिकारी नियुक्त किया जायगा जो यह डिक्लेयर करेगा कि यह एरिया स्लम एरिया है । उस आदमी को नोटिस दिया जायगा और उसके बाद वह मकान गिरा दिया जायगा । मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि आप एक आदमी के ऊपर इस मसले को मत छोड़िये । इसके लिये एक कमेटी बनाइये और उस कमेटी में बाहर के आदमियों को भी रखिये । खासतौर से उसमें मजदूरों के प्रतिनिधियों को जरूर रखा जाय । उस कमेटी का यह काम होगा कि वह स्लम एरिया को घोषित करे कि यह स्लम एरिया है । मैं इस बात को इसलिये कहता हूं कि मुझको इसके मुताल्लिक कुछ अनुभव है कि क्या उसमें दिक्कतें आती हैं । मैंने देखा है कि कानपुर में बाबूपुरवा में सड़क बन रही थी । उसके लिये जो नकशा बनाया गया तो उस सड़क बनाने में एक बड़े आदमी का मकान पड़ता था । उस मकान को भी गिराने की बात उसमें आती थी । उस आदमी ने इधर उधर दौड़ धूप करके अपने मकान को बचा लिया । उस सड़क को दूसरी तरफ से घुमाया गया और जिस तरफ से गरीब आदमियों की झोपड़ी पड़ती थी उस रास्ते से सड़क निकाली गई और उन ५,७ गरीब आदमियों की झोपड़ी गिराई गई । स्लम क्लियरेंस में ऐसा नहीं होना चाहिये जैसा कि वहां पर किया गया है । अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो मैं उनको नक्शा लाकर दिखा सकता हूं । आमतौर से यह होता है कि बड़े आदमी अपने मकान बचा लेते हैं । पहले नक्शा बना लिया जाता है और गरीब आदमी इसमें पिस जाते हैं । आगे भी यही होगा कि जब स्लम क्लियरेंस का मामला आयेगा तब यही होगा कि किसी नेता का मकान उस

[श्री संतसिंह यूसुफ]

रास्ते पर पड़ेगा या उस एरिया में पड़ेगा और वह मिनिस्टर के पास आयेगा और मिनिस्टर द्वारा उसके मकान को बचाने की कोशिश की जायगी। और वहां पर गरीब आदमियों के मकानों को गिरा दिया जायगा। जो स्लम एरिया हैं जो गन्दी बस्ती हैं उनको गिराना चाहिये इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती। चाहे किसी का मकान उसमें आता हो उसके लिये कोई रियायत नहीं होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि वह कमेटी इस वजह से बनाई जाय कि जो इन सब बातों की देख भाल करे और यह सब मामले तय करे कि कौन स्लम एरिया है। वहां पर जिन लोगों के मकान गिराये जायं उनको रहने के लिये दूसरी जगह मिलनी चाहिये। इस बिल के अन्दर जब तक ये ४,५ चीजें नहीं होंगी तब तक इस बिल से कोई फायदा गरीबों के लिये नहीं होने वाला है।

एक बात बहुत जरूरी है कि मकानों के गिराये जाने के पहले उनके लिये रहने की सुविधा होनी चाहिये। हायर परचेज सिस्टम से उनके लिये मकानों की सुविधा होनी चाहिये। वहां पर जो मकान बनें वे गरीब लोगों को दिये जायं। जब तक यह सुविधा नहीं होगी तब तक स्लम क्लियरेन्स नहीं हो सकता है। ऐसे ही होगा कि बस्ती तो गिराई गई, लेकिन वहां पर कोठियां बन गई। उससे गरीबों का लाभ कुछ भी नहीं हुआ। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि ऐसा न हो जैसा कि ट्रांसपोर्ट अड्डे को वहां से हटाने के बारे में हुआ। जहां पर बहुत से गरीब लोगों की बस्ती थी वहां पर उसको ले जाना चाहते हैं। वह इसलिये हुआ कि एक कांग्रेस के गुट ने धमकी दी थी कि हम सत्याग्रह करेंगे अगर शहर से ट्रांसपोर्ट को नहीं निकाला जायगा। वहां से ट्रांसपोर्ट को निकाला गया, लेकिन इतने मकानों को गिराकर उसको नहीं बनाना चाहिये। यह कहां का कायदा है। यह सब नहीं होना चाहिये। इन ५,७ सुझावों के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन सुझावों पर विचार किया जाय। मैंने इस बिल पर अपने अमेंडमेंट भी दिये हैं। जब उनका वक्त आयेगा तो मैं अपनी बात सदन के सामने रखूंगा। एक बात मैंने यह कही है कि जब मकानों को गिराया जाय तो उनका मुआविजा देने के सिलसिले में थोड़ा सुधार होना चाहिये। जो अमेंडमेंट मैंने दिया है उसके बारे में मंत्री जी से प्रार्थना की है कि जो गरीब आदमी १००,१५० या २०० रु० की तनख्वाह वाले हैं उनको ऐसा मुआविजा दिया जाय। साथ ही उनको रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट भी दी जाय।

तीसरी मेरी प्रार्थना यह है कि हातों को भी आप छुइये। हमारे लिये यह हाते मुसीबत हैं। कारपोरेशन के पास जाइये तो वह कहते हैं कि हम से इनसे मतलब नहीं। एक एक हाते में ८००–८०० लोग रहते हैं। वहां के पाखाने बंद हो जाते हैं, पानी बंद हो जाता है, लेकिन उनके लिये कारपोरेशन कुछ नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो ६ महीने बाद १० रुपया जुर्माना हो जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप हातों की मरम्मत, पानी और सफाई का भी इन्तजाम करायें।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं। कानपुर में पूंजीपतियों ने सैकड़ों बीघे जमीन ८ आने और ४ आने की दर पर मजदूरों के क्वार्टर बनाने के लिये ले रखी है और वह खाली पड़ी हुई है। यह जमीन उनके पास १९२८, १९३० और १९३४ से है और उन्होंने कोई उसके टर्म्स और कंडीशन्स पूरे नहीं किये हैं। इस तरह की जमीन पदमपत, रामरतन, जयपुरिया आदि सभी के पास है, और वह बेकार पड़ी है। आज उस जमीन की कीमत ७५ रुपये की दर से है। आप उसे लीजिये और उनमें क्वार्टर बनाइये। यह एक सिद्धांत पर होना चाहिये। उसमें आप भंगियों के लिये, मजदूरों के लिये घर बनायें और इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं। मंत्री जी में मेरी

आस्था है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैंने कही है उसे वह ध्यान में रखेंगे। वहां दर्शनपुरवा के आगे एक मंदिर है और उसके पीछे १ मील के करीब जमीन खाली पड़ी है। वह ४ आने गज के हिसाब से ली गयी थी और उन्होंने उसके एक भी टर्म्स और कंडीशन्स पूरे नहीं किये हैं। जैसा पुराने जमाने में रजवाड़ों में होता था वही हालत वहां है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस काम को अच्छी तरह से और मजबूती के साथ किया जाय। हम इसमें आप के साथ हैं। यह ठीक है कि हमारे मंत्री जी गांधीवादी हैं, लेकिन इंसानियत के नाते गरीब आदमी जो गंदगी में रहते हैं उनके लिये अच्छे मकानों के लिये उनको मजबूती से खड़े होना चाहिये। अगर वे अच्छा काम करेंगे तो वहां की जनता उनका साथ देगी और हम भी उनका साथ देंगे। इतनी ही मेरी प्रार्थना है।

श्री महेशसिंह (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक स्वायत्त शासन मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह बड़ी खुशी की बात है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक कुछ और पहले आना चाहिये था। हम बहुत पिछड़ गये हैं क्योंकि हमारे प्रदेश से पहले मैसूर, मद्रास, काश्मीर, बंगाल, पंजाब और दिल्ली में यह कानून बन गया था। वहां काम भी काफी जोरों से शुरू हो गया है। मंत्री जी ने भी अभी बताया कि दिल्ली में और कलकत्ते में बहुत जोरों से काम हो रहा है। बहुत खुशी हुई इस बात को सुन कर। काफी सुधरे रूप में यह विधेयक हमारे प्रदेश में आया है। हम जितना पिछड़ गये हैं उसके लिए हमें चाहिये कि जल्दी से जल्दी उसे पूरा कर लें। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये लगभग ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है कि मलिन बस्ती क्षेत्रों का सुधार किया जाय और उनके लिये नये मकान बनाये जायं।

जैसा कि अभी कहा गया कि जो हमारे बड़े-बड़े शहर हैं और खास करके कबाल टाउन्स जो हैं और उनमें भी विशेषकर कानपुर के लिये कहा गया कि वहां काम इस सिलसिले में बहुत तेजी से शुरू होना चाहिये। सक्षम प्राधिकारी के स्थान पर जो स्थानीय निकाय की बात कही उससे कोई लाभ नहीं होगा बल्कि जो काम की तेजी है उसमें भी गड़बड़ी पड़ेगी। इसमें यदि लोकल बाडीज को लगा दिया जायगा तो काम जल्दी नहीं हो सकता है। मैं तो यह समझता हूं कि अगर इसमें जो मेयर्स हैं और म्यूनीसिपैलिटीज के चेयरमैन हैं उनकी भी यदि राय ली जाय तो वे यही कहेंगे कि इस मामले में उनको न लाया जाय। जो संशोधन पेश किया गया है शुरू से देखने में तो बड़ा सुन्दर है। जो सरकार की डिसेंट्रलाइजेशन की नीति है वह भी ठीक है। पर इससे मलिन बस्तियों को दूर करने में और उनकी जगह साफ बस्तियां बसाने के काम में कोई सहायता नहीं मिलने वाली है।

दूसरी बात जो यहां पर कही गई और जिस पर जोर दिया गया प्रतिकर के सम्बन्ध में। किसी सज्जन ने कहा कि रकम कम है और किसी ने कहा कि ज्यादा है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि डेढ़ सौ गुने से ६० गुने तक दी गयी है। इसमें जरा हेर फेर होना चाहिये। प्रतिकर के जो साधन हैं वो एक से होने चाहिये चाहे वह गांव में हो और चाहे वह शहर में हो। एक बात कही गई कि प्रतिकर बाजार के भाव से दिया जाय। पर इसमें सरकार को नुकसान बैठेगा क्योंकि बाजार का भाव निश्चित नहीं होता है। जो बड़े २ हाते वाले लोग हैं उसमें मैनीपुलेट कर लेंगे। जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है उसने कहा कि प्रतिकर ६० गुना ही होना चाहिये इससे अधिक नहीं होना चाहिये। इस सिलसिले में सरकार को बहुत ही कड़ाई से देख-रेख करनी चाहिये। प्रदेश के योग्य और ईमानदार आदमियों को ही इस काम में लगाना चाहिये।

एक सुझाव गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की तरफ से आया है कि हर स्टेट में हाउसिंग बोर्ड बनें। मैं कहता हूं कि वह एक बहुत ही जरूरी चीज है। इस विधेयक के अन्दर बहुत सी बातें आई हैं उनसे यह काम पूरा नहीं हो सकता है। सरकारी तौर पर इस तरह से जो कानून बनेंगे उनसे इस

[श्री महेशसिंह]

पूरा नहीं पड़ेगा । श्रीमन्, आप जानते हैं कि बहुत दिनों से इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम, रूरल हाउसिंग स्कीम, तथा मलिन बस्ती आदि स्कीम, हमारे यहां चल रही हैं। केन्द्रीय सरकार इस ओर बहुत जोर दे रही है, किन्तु उत्तर प्रदेश में इस ओर प्रगति नहीं हुई है । मैं अपनी जानकारी से बता सकता हूं कि जहां जहां भी मकान बने वे या तो खाली पड़े हैं या अधूरे ही बने पड़े हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप कोई हाउसिंग बोर्ड या और कोई संस्था बना दें जिससे इस कार्य में अच्छी तरह प्रगति हो सके ।

एक बात और कहना चाहता हूं । अक्सर हम बहुत सी स्कीमें तो बना देते हैं मगर उनका पहले से कोई सर्वे आदि नहीं किया जाता । स्कीम हमारे सामने आ जाती है, उसके लिये धन भी रख दिया जाता है, लेकिन कोई सर्वे उस काम का नहीं होता । यह चीज बहुत जरूरी है और कम से कम कबाल टाउन्स और मलिन बस्ती आदि के सम्बन्ध में एक सर्वे रिपोर्ट अविलम्ब सरकार के सामने आनी चाहिये ताकि उसके हिसाब से काम हो सके ।

एक बात और कहना चाहता हूं । मलिन बस्ती के सम्बन्ध में ३ करोड़ के करीब का प्राविधान है । अकसर यह देखा गया है कि काफी रुपया खर्च होने से बच जाता है और काम पूरा नहीं हो पाता । इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम में यही हुआ । यह सोचा गया कि दूसरी योजना के अन्तर्गत हम बहुत सा रुपया खर्च कर लेंगे । लेकिन बहुत सा बच गया । इसलिये मैं चाहता हूं कि जैसे ही यह विधेयक पारित हो जाय, इस सिलसिले में काम शुरू कर दिया जाय । काफी प्रोसीजरल डिफीकल्टीज को दूर करने की इसमें कोशिश की गयी है, यह ठीक है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

*श्री मुलतानसिंह (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मलिन बस्ती का जो यह विधेयक आया है, यह बड़ी खुशी की बात है । लेकिन दुख की बात यह है कि इस विधेयक में देहातों के लिये कोई पैसा नहीं रखा गया है। दरअसल मलिन बस्ती या गरीब आदमी तो देहात में ही रहता है । मलिन बस्ती सुधार तो देहात में जरूरी है । मैं तो यह कहूंगा कि देहात में १०० बीघे वाले किसान का भी उतना अच्छा मकान नहीं होगा जितना कि शहर में एक झाड़ू देने वाले का। दरअसल आपको तो चाहिये यह कि यह सारा रुपया ३ करोड़ आप देहातों में खर्च कीजिये क्योंकि जितने भी टैक्स आप लगाते हैं वे सब देहाती जनता पर ही लगाये जाते हैं । टैक्स आप देहातों से लेते हैं और जितने भी प्लानिंग के कार्य होते हैं स्कूल्स खुलते हैं, अस्पताल खुलते हैं, सड़कें बनती हैं, या और भी जो कार्य होते हैं वे सभी शहरों में होते हैं। दरअसल यह हमारी सरकार इतनी निकम्मी है कि वह खाती खसम का है और गीत भाई के गाती है । यह वह काला कौवा है जो किसान के खेत में अनाज खा कर किसान को बीट भी नहीं देना चाहता कि कहीं खाद उसके खेत में न पहुंच जाय। इसलिये मैं यह कहूंगा कि दो तिहाई कम से कम देहात में और एक तिहाई शहर में रुपये लगाये जायं । जब वोट लेने का वक्त आता है तो कहते हैं कि सड़कें बनवायेंगे, बिजली लगवायेंगे, अस्पताल खुलवायेंगे कारखाने और इंडस्ट्री लगवायेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद माननीय विधायक और मिनिस्टर सब शहरों के ही गीत गाते हैं, देहात की तरफ नहीं देखते । यूसुफ साहब ने अपना करीब आध घंटे भाषण दिया जिसमें वह कानपुर से बाहर नहीं निकल पाये । कानपुर से आये होंगे, लेकिन उनके भाई देहात से भी आते हैं। देहात में ८५ परसेंट लोग रहते हैं, लेकिन जो लोन या सबसिडी दी जाती है तो शहर को दी जाती है, यह ुख की बात है।

अभी दो घंटे पहले यह सवाल था कि २–४ लाख पया गन्ना मिलों पर बाकी है । मैं देखता हूं कि आगरे में १० पया भी अगर किसान पर बकाया है तो उसका तवा, परात, करछुली कुर्क कर ली जाती है, लेकिन गन्ना मिलों की मशीनें कभी कुर्क नहीं होतीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---विधेयक के विषय पर आइये।

श्री मुलतानसिंह---हमारे आगरा डिट्रिक्ट में फीरोजाबाद में एक कालोनी बनायी गयी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें १२ से २० पये तक किराया रखा गया है। उसमें गरीब आदमी न रहकर, वहां मकानों को मालदार लोगों ने अपने नाम अलाट करा रखा है और दूसरे लोग बसा रखे हैं। क्योंकि १०-१२ पया कट कट करके कुछ सालों में वह मकान मालदार लोगों के हो जायेंगे। यानी गन्दी बस्तियों की कालोनी भी एक दिन मालदारों की होंगी। गरीब आदमी रिक्शा या तांगा चलाने वाले २-२, ५-५ पये से ज्यादा किराया नहीं दे सकते। यदि आप के पास कोई ऐसी स्कीम है कि दो पया ५ रुपया के मकान बन सकें तो आप शहरों में बनाइये वरना शहरों में बनाना बिलकुल बेकार है।

दूसरी बात यह है कि देहात में अगर सड़कों की, अस्पताल की, शिक्षा की फैसिलिटी दी जाय तो शहर की तरफ देहात से लोग न भागें, लेकिन वहां तो सिर्फ वोट मांगने के लिये, खून पीने के लिये जाते हैं। वहां के लोग तो गल्ला पैदा करने के लिये हैं, आप तो उनकी चांद पर बाल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और देहातों की कमाई खाने के लिये ही मिनिस्टर हैं और उनके रिश्तेदार हैं। आगरे में बड़े-बड़े आदमियों की एक एक की १०-१० कोठियां बनी हुई हैं और कोई बहू के नाम से, कोई भतीजे के नाम से २०-२० हजार पया लोन लिये हुये है।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)---कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---कोरम है।

श्री मुलतान सिंह---तो श्रीमन्, मैं तो यह कहूंगा कि इस संबंध में इंक्वायरी करा ली जाय कि कितना पया स तरह से लिया गया और कितने बड़े आदमी हैं और गरीब आदमियों ने कितनी दरख्वास्तें दीं मकान बनाने के लिये। मेरा खयाल है कि ९० फीसदी मालदार आदमियों को मिला है और १० फीसदी गरीबों को। गरीबों का नक्शा पास होने में ३ साल लग जाते हैं, लेकिन मालदारों को १५ दिन ही लगते हैं। तो श्रीमन्, जो भी लोन दिया जाय वह गरीबों को दिया जाय, मालदारों को न दिया जाय। इसके अलावा जिन मालदार लोगों ने लोन्स लेकर एक से ज्यादा मकान बना लिये हैं अपने रिश्तेदारों के नाम पर उनसे पया वसूल किया जाय। मैंने यह देखा है कि एक कोठी में दो पोर्शन बना देते हैं जिसमें एक पोर्शन के किराये से गवर्नमेंट की किश्त निकल आती है। इस प्रकार का एक बिजनेस बन गया है।

श्री उपाध्यक्ष---इस समय विषय यह है कि मलिन बस्तियों को हटाकर साफ बनाया जाय। उसी के बारे में आप बोलें।

श्री मुलतानसिंह---मैंने आपसे अर्ज किया कि मलिन बस्तियों के इस रुपये में से तीन हिस्सा देहातों को दिया जाय और एक हिस्से से शहरों में ऐसे मकान बनाये जायं जिनका किराया दो पये से लेकर ५ पये से ज्यादा न हो। क्योंकि इससे ज्यादा किराया होगा तो बड़े आदमी ही उसमें रह सकेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि इन मलिन बस्तियों से क्या मतलब है? इन बस्तियों में गरीब आदमी तो रह नहीं पाते हैं। आप ही बताइये कि लखनऊ या कानपुर में कितने गरीब आदमी इन नयी बस्तियों में रहते हैं, और कितने मालदार आदमी रहते हैं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, मैं ने यह आशा की थी कि कम से कम यह विधेयक ऐसा है जिसको जो गरीबों की दुहाई देते हैं, वह समझेंगे और ज्यादा विरोध न करके सरकार का समर्थन करेंगे। बहुत सी बातें कही गईं कि यह हो रहा है, वह

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

हो रहा है। मालूम होना चाहिये कि जो भी हो रहा है वह जो कानून अभी पास ही नहीं हुआ है उसके मातहत नहीं हो रहा है। जो पहले के कानून हैं, लैन्ड एक्वीजीशन, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह के उनको मार्फत वह हो रहा है। इस विधेयक को लाने का तात्पर्य यही था कि जैसा कि यहां पर चित्र खींचा गया।

मुझे दुख है कि युसुफ साहब इस समय यहां नहीं है, उन्होंने कहा कि जवाहरलाल जी ने एक अच्छी बस्ती देखी और उसको देखकर उन्होंने कहा कि इसमें इंसान कैसे रहते हैं। उससे भी खराब बस्तियां हैं जो कि नहीं होनी चाहिये, जिनका सुधार होना चाहिये। सब सको मानते हैं, वास्तव में स्थिति बहुत खराब है। हमारी ज्यादातर योजनायें ऐसी हैं कि जिनके पास कुछ है उनके पास कुछ और अधिक हो जाय। सिंचाई की योजनायें हैं जिनसे उन्हीं को लाभ पहुंच सकता है जिनके पास खेत हैं। हमारी योजनायें ऐसी हैं कि जिनसे जिनके पास कुछ न कुछ हो उन्हीं को कुछ न कुछ ज्यादा मिल सकता है और यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम कोई ऐसा तरीका नहीं निकाल सके हैं कि बिना सेक्योरिटी के पैसा दिया जाय ताकि जिनके पास कुछ नहीं है उनकी स्थिति भी ठीक हो जाय। कम से कम यही योजना ऐसी थी जिससे कि जो हैबनाट्स हैं, जो सड़कों पर पड़े हुये हैं, नर्क में हैं उनका कुछ हित किया जा सके। लेकिन जो तर्क दिये जा रहे हैं, जो बातें बताई जा रही हैं वह ऐसी हैं कि यह योजना कार्यान्वित न हो सके। अगर इस विधेयक को भी उतना ही मुश्किल उतना ही लम्बा और उतना ही पेचीदा बना दिया जाय जितना कि लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट है तो फिर इस विधेयक को लाने की जरूरत ही नहीं है। यह तो वास्तव में इसलिये लाया जा रहा है कि जो सर्वहारा वर्ग है उसके लिये कुछ किया जा सके। जिसकी प्रापरटी है वह कुछ प्रोटेक्शन चाहता है। इसमें हमारे दोस्त दिक्कतें डालते हैं कि उनको दूसरी जगह बनाकर तब हटाया जाय या मुआवजा कैसे दिया जाय। इस विधेयक में है कि यथा-शक्ति कोशिश की जायगी कि आल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो। आल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो मकान पहले से बने हैं उन्हीं में हो सकता है और अगर कहीं आल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हो सके तो ये नरक हटाये ही न जावें। ऐसा विशस सर्किल हमें नहीं बनाना चाहिये। इस बिल को प्राबीजन्स को सरकार या तो निकायों के मार्फत या बड़े-बड़े मिलों के मार्फत कार्यान्वित करावेगी जिनमें काम करने के लिये हजारों मजदूर आते हैं। उनके लिये लाजमी है कि मकानों का प्रबन्ध हो, तो ३७ १/२ परसेंट लोन लेकर वे इसका प्रबन्ध कर सकते हैं। यानी, इस स्कीम में ५० परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से और १२ १/२ परसेंट प्रादेशिक सरकार की ओर से सबसिडी का अंश है। सिर्फ ३७ १/२ परसेंट खर्चा करके ये मकान बनाये जाते हैं। उनके बारे में युसुफ साहब कहते हैं कि नामुमकिन है कि ८,९ रुपये किराया होगा। कौन जाकर उनमें रहेगा।

एक भाई यहां बैठे मुझसे कह रहे थे कि मासिक आय का १०० गुना बहुत कम मुआवजा है। अगर ज्यादा मुआवजा दिया गया तो कीमत बढ़ जावेगी। उससे किराया बढ़ेगा, तो घातक होगा इस विधेयक के लिये, इसकी स्प्रिट के लिये। जिस मकान पर १ लाख पया लगेगा, उसमें ६२ १/४ हजार रुपया तो सरकार की तरफ से छोड़ दिया जायगा और सिर्फ ३७ १/२ हजार इंटेरेस्ट अदा करने के लिये किराया रखा जायगा। अगर मुआवजा दिया गया ज्यादा, मान लीजिये सवा लाख पया, तो २५ हजार का ३७ १/२ परसेंट और बढ़ जायगा, जिस पर ब्याज लगाकर किराया बढ़ाया जायगा। इस समय सरकार निकायों को धन देना चाहती है मकान बनाने के लिये, परन्तु वे ले के लिये तैयार नहीं हैं। इन्हीं सब अड़चनों की वजह से जो मौजूदा कानून में शेष हैं। आज भी हम लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट से कुछ कर सकते हैं और किया भी गया। लेकिन वह जल्दी नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि मुआवजा रिजनेबिलि किया जाय, एग्जारबिटेंट न दिया जाय, ताकि सस्ते मकान बने जिनमें गरीब लोग रह सकें। यही सारा कंसेप्शन है। हमारे भाई इसके लिये आंसू तो बहाते हैं, लेकिन काम वह करते हैं

जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति में दिक्कत हो। तो मेरा निवेदन है कि दिमाग का काम लोग हृदय से न लें। हृदय की आवश्यकता ही नहीं है, यह मैं नहीं कहता। वास्तव में हृदय ही प्रधान होना चाहिये। लेकिन अगर हम हृदय से ही काम लेंगे और भले की जगह उलटा करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं है। या तो हम कहें कि इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं है और हमारे पास जो कानून इस वक्त हैं वे काफी हैं। लेकिन अगर यह तस्लीम करते हैं कि वास्तव में इस समय जमीन एक्वायर करने में दिक्कत होती है, मुआवजा ज्यादा देना पड़ता है, तो जिनके लिये यह कहा जाता है कि पानी बन्द कर देते हैं, बिजली काट देते हैं यूसुफ साहब यहां नहीं, लेकिन उनकी आत्मा यहां बैठी है और मैं समझता हूं कि वे उनको समझा देंगे उनके हित में अगर मैं छीन भी लूं यूसुफ साहब की कोठी अगर उनके पास है, तो उनकी शिकायत नहीं होनी चाहिये।

सर्वहारा जिसे हम कहते हैं, जिसका कोई नहीं है, यूसुफ साहब ने कहा कि ऐसे ९० फीसदी आदमी कानपुर में रहते हैं बहन सुशीला का जवाब देते हुये उन्होंने कहा था कि वह कह रही थीं कि कानपुर जगमगाता है, पर वह तो ५ फीसदी आदमियों के लिये है। मैं कहता हूं कि वहां ९५ फीसदी लोग गरीब हैं। लेकिन मेरा निवेदन तो यह है कि यह तस्वीर कानपुर की ही नहीं है, यह सारे हिन्दुस्तान की है। इसमें शक नहीं है कि आज हमारे देश में ९० और ९५ फीसदी लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर कुछ दिया जा सके तो जरूर दिया जाय। केवल ५ फीसदी आदमियों के बारे में आप कह सकते हैं कि उनका कुछ ले लिया जाय तो ठीक है। जिनका कोई नहीं है उन लोगों के बरखिलाफ आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं उनको जो उनका खून चूसते हैं, जो उनका पानी और बिजली बन्द कर देते हैं। क्या यह उचित है? आप इस कानून के पास होने में हर तरह की दिक्कत डालते हैं। इस विधेयक में तरीके को सिम्पलीफाई किया गया है। हर कदम पर अपील नहीं हो सकती। वाइटल चीजें हमने स्वयं रखी हैं। तिवारी जी ने फरमाया था कि जो रिट का अधिकार है उसे आप छीन नहीं सकते। तो जिसे हम छीन नहीं सकते वह तो रहेगा ही। परन्तु आप तो उसे और वेटेज देना चाहते हैं। यह डिसप्रोपोर्शनेट है। मैं चाहता हूं कि जमीन उनके लिये मकान बनाने के लिये मिले जिनका कोई नहीं है, जिनके लिये आप कहते हैं कि साढ़े ६२ परसेंट सबसिडी देने के बाद भी मकानों का किराया उनके लिये ज्यादा होगा, दे नहीं सकेंगे। अगर मुआवजा अधिक दिया गया तो जिस मकान के ८,९ रुपये पड़ेंगे उसके १२ और ११ रुपये या ज्यादा हो जावेंगे। और अगर आप कहें कि उनको छूट दीजिये और टैक्स पेयर से लीजिये, तो टैक्स पेयर कौन है? गरीब आदमी ही तो ज्यादातर हैं, विचित्र नारायण नहीं है। मेरे भाई भूल जाते हैं। आवेश में या जोश में आकर हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसका यानी जो कुछ हम कह जाते हैं उसका असर भी तो सोचना चाहिये कि क्या और किस पर पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को सोचते हुये हमने मुआवजा जो रखा वह रीजनेबिल ही रखा है। इसमें किसी को हानि नहीं होनी चाहिये और न किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिये।

अभी आज ही सुबह सदन में जिक्र आया था प्रश्नों के सिलसिले में कि लोग मर गये और उनकी कीमत सिर्फ ५ और ३ पये सरकार की दृष्टि में है। हमारी दृष्टि में उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन हम एक एक पैसा कहां से लेकर देते हैं? उन गरीबों से लेकर देते हैं जिनके लिये आप कहते हैं कि उनका आधा लगान कर दीजिये। जिनके लिये आप कहते हैं कि और बोझ नहीं पड़ना चाहिये। आपकी बात सही है। ऐसा पवित्र पैसा जो कि गरीबों से आना है, सरकार को उसके खर्च करने में बेरहमी नहीं करनी चाहिये। लेकिन एक तरफ तो आप कहते हैं कि इधर खर्चा ज्यादा कीजिये, उधर खर्चा ज्यादा कीजिये, उस तरफ के बैठने वाले कहते हैं कि स्कूलों को बढ़ाइये, उनकी ग्रांट को बढ़ाइये, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि वह पैसा आये कहां से। आप कहेंगे कि बड़े लोगों से ले लीजिये, लेकिन आपने स्वयं ही बताया कि कानपुर जैसे शहर में, जो यू०पी० का रिचेस्ट शहर है, केवल ५ प्रतिशत ही बड़े आदमी हैं। अब आप सब पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, हमें कोई ऐसा तरीका बता

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

दीजिये जिससे उस सारी कमी को इन ५ फीसदी लोगों से हम पूरा कर लें। आपके सामने सारी फिगर्स और फैक्ट्स हैं, इसमें लड़ने और झगड़ने की कोई बात नहीं है, हिसाब से सब बातें तय हो सकती हैं। यह भी जब कि इनकम टैक्स का अधिकार इस सरकार को नहीं है। यह एक ऐसा भोलापन है जिसके ऊपर निछावर हो जाने को जी चाहता है। ५ साल का बच्चा भी शायद ऐसा भोलापन नहीं करेगा। परमात्मा ने यूसुफ साहब को बहुत बड़ा दिल दिया है, लेकिन ऊपर चढ़ कर कुछ कमी कर दी और वे समझ की कमी भी दिल से पूरी करते हैं। यह मैं मानता हूं कि बिना दिल के जो स्कीम होगी उससे समाज का फायदा नहीं हो सकता। समाज की किसी भी रचना में हृदयहीन हाथों से समाज का सुधार नहीं हो सकता, लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे सारे कार्य खाली श्रद्धा और दिल से ही नहीं हो सकते। इसलिये मेरा नम्रता के साथ निवेदन है कि इसको समझें और जल्दी से पास करें।

यूसुफ साहब ने एक बात और कह दी कि एक आदमी के हाथ में सारे काम दे दिये गये हैं। लेकिन वह सक्षम अधिकारी बहुत थोड़ा काम करेगा। वह तो केवल जमीन लेकर किसी के हवाले कर देगा। उसका यह आशय नहीं है कि सरकार की तरफ से वह कोई मकान बनवा देगा। उसके लिये म्युनिसिपल बोर्ड को पैसा मिलेगा। यह मुमकिन है कि इस प्रकार से मजदूरों को मकान देने के लिये मिल मालिकों को तैयार किया जा सके। लेकिन इसके लिये किसी को प्रेस करना आसान नहीं है। इस हाउस के अन्दर जिस आसानी से मिनिस्टरों को प्रेस किया जा सकता है उसके बाहर न तो आप मुझे कर सकते हैं और न मैं आपको ही कर सकता हूं। लखपतियों और करोड़पतियों को आसानी से प्रेस कर लेंगे, यह कहना भोलेपन की निशानी है। अगर आप ऐसा कर सकें तो मैं आपका साथ देने के लिये तैयार हूं। इसलिये बड़ी नम्रता और आग्रह के साथ में यह निवेदन करूंगा कि इसको शीघ्रातिशीघ्र पारित किया जाय।

इसमें जो भी संशोधन दिये गये हैं, उनमें से एक भी संशोधन फिट नहीं बैठता है। बहुत गम्भीरता के साथ विचार करने के बाद कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जिस शक्ल में यह विधेयक आया उसी शक्ल में इसे पास किया जाय। सन् ५७ से यह शुरू हुआ और सन् ५७ से चलते चलते ६० गया और सन् ६१ में वह प्रवर समिति में गया, फिर किसी तरह से वहां से दूसरे हाउस में जाकर पास हुआ और अब यह आकर ताड़ के वृक्ष पर अटका हुआ है। प्रवर समिति में भेजने का संशोधन अबकी बार छोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आज शाम तक इस विधेयक को पास कर दिया जाय। अगर कोई संशोधन आप लायेंगे तो उसका जवाब मैं दूंगा ही लेकिन जितना मैंने मनन किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये संशोधन उसमें कहीं फिट इन नहीं होते हैं। जैसे माननीय यूसुफ जी के हाथ को तोड़ कर उसकी जगह कोई पतला हाथ या हाथी के पैर सा मोटा हाथ लगा दिया जाय तो यूसुफ साहब की शक्ल बदशक्ल हो जायगी। तो इस विधेयक की वह शक्ल आप न करें। यह ऐक्ट बहुत सोच समझ कर बनाया गया है ताकि इसे फिर दोबारा प्रवर समिति में या दूसरे हाउस में भेजने की जरूरत न पड़े। आपसे मेरी प्रार्थना है कि जो तमाम गरीब लोग जिनका कोई नहीं है उनके नाम पर यूसुफ साहब और त्रिपाठी जी अपने संशोधनों को वापस ले लें और इसको पास करें। इन शब्दों के साथ मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६२ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब खंड २ पर विचार होगा।

खंड २

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :—

(क) "मध्यस्थ" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इस रूप में नियुक्त किया हो ;

(ख) "भवन" में कोई संरचना या विनिर्माण अथवा उसका कोई भाग भी सम्मिलित है, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिये हो और किसी भी सामग्री से बना हो, किन्तु इसके अन्तर्गत भवन में स्थित संयंत्र या मशीनें नहीं हैं ;

(ग) "निपातन क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो धारा १० के अधीन इस रूप में घोषित किया जाय ;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिये जो उसमें निर्दिष्ट किया जाय इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त करे ;

(ङ) भवन के संबंध में प्रयुक्त "विनिर्माण" में विस्तार, परिवर्तन या पुनः विनिर्माण भी सम्मिलित है ;

(च) अध्यासी में निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(१) कोई व्यक्ति, जो तत्समय किसी ऐसी भूमि या भवन के संबंध में जिसका किराया दिया जाता हो या देय हो, किराया या किराये का कोई भाग स्वामी को दे रहा हो या उसका देनदार हो,

(२) स्वामी, जो अपनी भूमि या भवन में अध्यासीन हो अथवा अन्य रूप से उसे काम में लाता हो,

(३) किसी भूमि या भवन का किरायेदार, जो किराया देने से मुक्त हो,

(४) लाइसेंस ग्रहीता, जो किसी भूमि या भवन में अध्यासीन हो, तथा

(५) कोई व्यक्ति जिस पर किसी भुमि या भवन के उपयोग तथा अध्यासन के लिये स्वामी को क्षतिपूरक देने का दायित्व हो ।

(छ) 'स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो स्वयं अपनी ओर से अथवा अपनी तथा दूसरों की ओर से या अभिकर्त्ता अथवा न्यासधारी के रूप में किसी भवन या भूमि का किराया पाता हो या पाने का हकदार हो अथवा जो उस दशा में इस प्रकार किराया पाता या पाने का हकदार होता जब भवन अथवा भूमि किरायेदार को किराये पर उठायी गयी होती ;

(ज) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(झ) "मलिन बस्ती क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो धारा ३ के अधीन इस रूप में घोषित किया गया हो ;

(ञ) "मलिन बस्ती निपातन" का तात्पर्य किसी मलिन बस्ती क्षेत्र में भवनों को पूर्ण या आंशिक रूप से गिराकर अथवा उन्हें हटाकर उक्त बस्ती क्षेत्र की सफाई करने से है और उस क्षेत्र में विद्यमान भवनों या भूमि में सुधार कार्य करना भी उसमें सम्मिलित है ;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है; तथा

(ठ) मलिन बस्ती क्षेत्र में किसी भवन या भूमि के संबंध में प्रयुक्त "सुधार कार्य" में निम्नलिखित कार्यों में से कोई एक या अधिक करना सम्मिलित है, अर्थात् :—

(१) आवश्यक मरम्मत ;

(२) संरचना संबंधी परिवर्तन ;

(३) प्रकाश की व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत सड़कों पर प्रकाश करना भी है, और जल-सम्भरण की व्यवस्था ;

(४) सड़कों, पार्कों तथा खुली या ढकी हुई नालियों का निर्माण;

(५) शौचालयों की व्यवस्था करना ;

(६) अतिरिक्त या सुधरे हुये स्थायकों (Fixtures) अथवा साज-सामानों की व्यवस्था करना ;

(७) प्रांगण बनाना या उनमें खड़ंजा लगाना ;

(८) कूड़ा हटाना; और

(९) कोई अन्य कार्य, जिसमें किसी भवन या उसके किसी भाग को गिराना भी सम्मिलित है, जो सक्षम प्राधिकारी की राय में ऊपर उल्लिखित कोई कार्य करने के लिये आवश्यक हो ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, वैसे तो मैंने बहुत से इस तरह के संशोधन रखे हैं जिनमें से कुछ को मैं आपकी आज्ञा से नहीं पढ़ूंगा, बाकी जिनको मैं सिद्धान्ततः उचित समझूंगा उन्हीं को पेश करूंगा । क्योंकि मेरा ऐसा अभिप्राय नहीं है कि इसमें समय अधिक लगे, लेकिन जहां सिद्धान्त की बात है वैसे संशोधन को तो मैं रखूंगा ही ।

श्री उपाध्यक्ष—पहले आप अपने संशोधन को पेश कर दीजिये ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(घ) 'स्थानीय निकाय' का तात्पर्य नगर महापालिका, जिला परिषद् अथवा नगरपालिका, नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया, जैसी कि स्थिति हो, से होगा ।"

श्रीमन्, इस संबंध में मैं अपना और कोई तर्क नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि इसके बारे में मैंने अपने विचार पहले ही व्यक्त कर दिये हैं कि सक्षम प्राधिकारी को जो सर्व अधिकार दे रहे हैं, एक व्यक्ति को सारे अधिकार नहीं देने चाहिये । इसके पक्ष में अन्य माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं । सक्षम प्राधिकारी को ऐसे बेरोक टोक के अधिकार दे

रखे हैं कि वही सब कुछ समझा जा सकता है। इसके आदेश के विरुद्ध किसी अदालत में अपील का भी कोई प्रावीजन नहीं है जैसा कि मैंने डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील की बात कही थी। उसकी कोई भी सहानुभूति मलिन बस्ती वालों के साथ नहीं रह जायगी। हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि सक्षम अधिकारी तो हमें केवल जमीन अर्जित करके दे देगा। सम्भव है कि कहीं पर ऐसा हो लेकिन जो यह इतना डेलिगट करने वाला अधिकार है कि वह नगरपालिका को दे देगा या कारपोरेशन को दे देगा, मैं भी चाहता हूं कि नगरमालिका को वह मिले लेकिन इसका प्रावीजन इसमें कहां है। अगर कोई ऐसी कमेटी हो जिसमें जनता के प्रतिनिधि हों तो उससे मुझे सन्तोष होता और जैसा कि यूसुफ साहब ने कहा, उस समिति में जनता के प्रतिनिधि होने चाहिये और अगर ऐसा होता तो मैं सोचता कि सचमुच यह बहुत अच्छी बात है और मैं सोचता कि मैं अपने अमेंडमेंट को प्रेस न करूं। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे, श्रीमन् खेद है कि मैंने जो निवेदन किया था उस को पूरे तौर पर या तो मैं समझा नहीं पाया या माननीय सदस्य समझ नहीं सके, जो निर्दोष बात हो उसे मान लिया जाय। यदि सक्षम अधिकारी की जगह उन की बात मान लें तो इसका सारा मतलब ही खत्म हो जायगा। यह तो एक आदमी के करने की चीज है। बाकी जो आपत्ति की जाती है वह तो फिर भी म्युनिसपल बोर्ड करेंगे, वह पैसा मांगते हैं कि यह-यह करना है, यह बस्ती खाली कराना चाहते हैं, यहां मकान बनाना चाहते हैं, तमाम प्रार्थनायें आती हैं और इस तरह से वह सिलसिला शुरू होता है। तो सारी स्कीम का परपज यह है कि जो करोड़ों रुपया है उस का लाभ म्युनिसिपैलिटीज नहीं उठा पा रही हैं, पचासों झगड़े पैदा हो जाते हैं उन सब चीजों को फेसिलिटेट करने के लिये यह है। आप और भी तकलीफदेह तरीका बना दें, आज भी एक्वीजिशन का काम एक ही आदमी करता है, फैसला हो जाता है, कौन उसको रोक सकता है। यह ऐक्ट इसी लिये होते हैं कि कुछ आसानी हो जाय लेकिन वह उसको कठिन बनाना चाहते हैं। कदम-कदम पर आप अपील रखना चाहते हैं तो आज कहां अपील है, अपील वहां होनी चाहिये जहां अन्याय हो रहा है या जहां कोई चीज मिलने की बात हो। इस से तो हमारा परपज सिर्फ इतना ही है कि मकान जल्द बन जायं, पैसा उपयोग में आ जाय और सस्ते बन जायं, यही हमारा लालच है। वैसे तो सरकार के पास पहले से ही ऐक्ट बना है और अगर महंगे और देर में ही यह मकान बनाने हैं तो फिर इस तरह के बिल से लाभ ही क्या। अगर सदन समझता है और यूसुफ साहब जिनके लिये बड़े-बड़े आंसू गिराते हैं उन गरीबों का इंतजाम होना चाहिये तो इस की जरूरत है और वह होना चाहिये। म्युनिसिपल बोर्ड्स में डेवलपमेंट कमेटी है एग्जिक्यूटिव कमेटी है वह निश्चित करते हैं कि इतना रुपया लिया जाय, कर्ज लिया जाय, यहां बनाया जाय, सरकार से मांग की जाय—इन्हीं मामलों में आसानी पैदा करने के लिये यह बिल लाया गया है। इसमें २—४ और प्राविधान हैं लेकिन वह सब सेकेन्डरी चीजें हैं लेकिन खास बात यह है कि आसानी से जमीन एक्वायर हो कर मिल जाय और सस्ते मकान बन सकें। लेकिन अगर इस संशोधन को मान लेते हैं तो यह परपज पूरा न होगा और मेन परपज ही डिफीट हो जायगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, यदि सक्षम अधिकारी का काम सामूहिक रूप से मकान गिराने का न होता तब बात दूसरी थी लेकिन मुझे मालूम है कि लैंड एक्वीजिशन प्रोसीडिंग्स में देर होती है। उन्हें यह न सोचना चाहिये कि हम जल्दी नहीं चाहते। इसमें यह भी नहीं है कि मकान सुधार का काम सक्षम अधिकारी का है या क्या है। इतना बड़ा अधिकार एक आदमी के हाथ में देना उचित नहीं है, इससे यह भी डर है कि कहीं अच्छे मकान भी न गिर जायं और यह तो बनेंगे जब रिपोर्ट या मांग आयेगी कारपोरेशन से, म्युनिसिपल बोर्ड से। जैसा कि उन्होंने प्रारम्भ में ही कहा, मैं भी वकील हूं, सम्भव है कोई प्रावीजन हो और मेरी नजर में

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

आये तो मैं मंत्री जी की बात मान जाऊं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड रिप्रेजेन्टेशन करेंगे अपने यहां से किसी एरिया के लिये तब सक्षम अधिकारी के पास जायगा। अगर ऐसा होता तो मैं मान जाता। मगर ऐसा है नहीं इसलिये मैं ,अपने संशोधन को प्रेस करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं तो निवेदन कर चुका हूं। वास्तव में अभी तक वह नहीं समझ सके। अगर सक्षम अधिकारी को यहां न रखा तो सारा मतलब खत्म हो जायगा। जो बंदिश वह सक्षम अधिकारी के अधिकारों पर डाल रहे हैं यहां न डाल कर दूसरी जगह डालें। जहां अधिकार मकान गिराने के दिये हुये हैं वहा यह बंदिश लगायें तो ठीक है। लेकिन यहां अगर लगा दें तो सारा बिल ही फेल हो जायगा और कोई कमेटी इसको नहीं कर सकती। इसलिये मेरा निवेदन है या तो अपना संशोधन वापस ले लें नहीं तो मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मैं इसे वापस नहीं लेता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है खंड २ के उपखंड 'घ' के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(घ) 'स्थानीय निकाय' का तात्पर्य नगर महापालिका, जिला परिषद् अथवा नगर-पालिका, नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया, जैसी कि स्थिति हो, से होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

मलिन बस्ती क्षेत्र का घोषित किया जाना

३—(१) यदि सक्षम प्राधिकारी का, ऐसी सूचना के आधार पर जो उसे प्राप्त हो या अन्य रीत से उसके पास हो, किसी क्षेत्र के संबंध में यह समाधान हो जाय कि उस क्षेत्र में अधिकतर भवन—

(क) जीर्णावस्था, अतिसंकुलता, ऐसे भवनों के दोषपूर्ण विन्यास या प्ररचना, पथों की संकीर्णता या उनके दोषपूर्ण विन्यास, वातायान, प्रकाश या स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के अभाव या इनमें से एकाधिक दोष होने के कारण उस क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सदाचार के लिये हानिकारक हैं; या

(ख) मानव निवास के लिये अन्यथा किसी प्रकार से अनुपयुक्त हैं;

तो वह (सक्षम प्राधिकारी) सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर ऐसे क्षेत्र को मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित कर सकता है।

(२) यह अवधारित करने में कि कोई भवन मानव निवास के लिये अनुपयुक्त है या नहीं, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जायेगा :—

(क) आवश्यक मरम्मत की मात्रा ;

(ख) स्थायित्व ;

(ग) नमी की मात्रा ;

(घ) प्राकृतिक प्रकाश और वायु की उपलभ्यता ;

(ङ) जल-सम्भरण;

(च) शौचालय, जल-निकासी तथा स्वच्छता संबंधी प्रबन्ध ;

(छ) भोजन का संग्रह रखने, भोजन तैयार करने और पकाने तथा क्षेप्य पदार्थ और जल के निस्तारण करने की सुविधायें;

और यदि भवन उपर्युक्त किसी एक या अधिक बातों में इतना दोषपूर्ण हो कि उस दशा में वह अध्यासन के निमित्त यथोचित्त रीति से उपयुक्त न हो तो वह पूर्वोक्त रूप से अनुपयुक्त समझा जायेगा ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि---खंड ३ के उपखंड (१) (ख) के अन्त में विराम के पश्चात् निम्निलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :

'किन्तु यदि ऐसे क्षेत्र एक से अधिक हों तो उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी जिसमें हरिजन, मेहतर इत्यादि अधिकतर रहते हों या ऐसे लोग रहते हों, जिनके व्यवसाय के कारण भी गंदगी होने की संभावना होती हो ।'

मेरे कहने का मतलब यह है, पता नहीं मंत्री जी इससे सहमत होंगे कि नहीं, मैं और उधर बल देता हूं, यदि ऐसी ३,४ बस्तियां साथ में आवें जो मलिन बस्तियां घोषित होनी चाहिये तो उनको प्राथमिकता दी जाय जिनमें ऐसे गरीब लोग रहते हों जिनके लिये वह जमीन हो । क्योंकि उसमें यह नहीं लिखा कि ऐसे-ऐसे व्यक्ति रहेंगे तब मलिन बस्ती डिक्लेयर की जायगी । अगर साथ ही डिक्लेयर कर देंगे और हमारे पास आर्थिक कठिनाइयां हुईं तो उनमें काम होना बन्द हो जायगा, मकान बनने बन्द हो जायंगे । लेकिन अगर एक ही बस्ती चुनी जायगी तो कम से कम उसमें कार्य पूर्ण रूप से हो जायगा । आशा है मंत्री जी इसे मानेंगे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मुझे थोड़ी हंसी आती है । अभी यह कहा जा रहा था कि सक्षम अधिकारी को ऐसे अधिकार दिये गये कि वह लोगों को बरबाद कर दे और अब इस संशोधन के द्वारा यह मांग की जा रही है कि सबसे पहले किनको बरबाद करे, हरिजनों को । यह दोनों चीजें कैसे एक साथ मेल खाती हैं ? अगर २,४ मलिन बस्तियां हों तो होना यह चाहिये कि सबसे आखिर में ऐसे लोगों को, यानी हरिजनों को सताया जाय ।

लेकिन वास्तविकता यह है कि सताने का सवाल नहीं है । जो भी गंदी जगह में रहते हैं और यह व्यावहारिक बात है जहां ज्यादा बड़ी बस्ती होगी वहीं गंदगी होगी । ऐसी बस्ती में हरिजन रहते हों या और कोई रहते हों, उसको पहले लिया जाय । पहले उसको लेंगे ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर । कौन चीज अच्छी होगी पहले करने में उसे लिया जायगा, ऐसी चीजें डालने से रुकावटें पैदा होंगी, सहूलियत हासिल नहीं होगी । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी और मुझ में बहुत मतभेद है । मैंने नहीं कहा कि वह बरबाद हो जायेंगे । उनका ध्यान अन्यत्र रहा होगा । चार जगह बनानी हों, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाय, जहां कि एक ही बस्ती में हरिजन, मेहतर, कम तनख्वाह वाले लोग बसते हों तो उनको प्राथमिकता दी जाय । यह नहीं कहा कि बरबादी में पहले उन्हें लिया जाय । सरकार रुपया खर्च कर रही है, सुधार कर रही है तो पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाय । तीन, चार क्षेत्र हैं तो एक का नम्बर तो पहले आयेगा ही । उस दृष्टि से मैंने कहा था कि हरिजनों की बस्ती को प्राथमिकता दी जाय ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है । मैं इसका ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांउड्स पर विरोध करता हूं । पहले ही रुपया रुका पड़ा है, इसलिये और बंधन में नहीं डालना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) (ख) के अन्त में विराम के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :

"किन्तु यदि ऐसे क्षेत्र एक से अधिक हों तो उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायगी जिसमें हरिजन, मेहतर इत्यादि अधिकतर रहते हों या ऐसे लोग रहते हों, जिनके व्यवसाय के कारण भी गंदगी होने की संभावना होती हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

मानव निवास के निमित्त अनुपयुक्त भवनों का सुधार करने के लिये सक्षम प्राधिकारी का अधिकार

४—(१) यदि सक्षम प्राधिकारी का, ऐसी सूचना के आधार पर जो उसे प्राप्त हुई हो या अन्य रीति से उसके पास हो, यह समाधान हो जाय कि मलिन बस्ती क्षेत्र में कोई भवन मानव निवास के लिये किसी प्रकार से अनुपयुक्त है या उस क्षेत्र की किसी भूमि पर कोई सुधार कार्य अपेक्षित है तो वह सिवाय उस दशा में जब उसकी यह राय हो कि उचित व्यय से भवन इस प्रकार उपयुक्त बनाये जाने योग्य नहीं है या भूमि में अपेक्षित सुधार उचित व्यय से नहीं किया जा सकता है—यथास्थिति भवन या भूमि के स्वामी पर नोटिस तामील कर सकता है जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाय कि वह पैंतालीस दिन से अन्यून ऐसे उचित समय के भीतर, जो नोटिस में उल्लिखित किया जाय या जो समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जाय भवन को मानव निवास के लिये उपयुक्त बना दे या नोटिस में उल्लिखित सुधार-कार्य भूमि पर करे। नोटिस में उन बातों का भी उल्लेख होगा जिनसे वह भवन सक्षम प्राधिकारी की राय में मानव निवास के लिये उपयुक्त हो जायेगा तथा भूमि पर अपेक्षित सुधार कार्यों और उन बातों या सुधार कार्यों से संबंधित अनुमानित लागत का भी उसमें उल्लेख होगा।

स्पष्टीकरण—१—यह अवधारित करने में कि भवन को उचित व्यय से मानव निवास के लिये उपयुक्त बनाया जा सकता है या नहीं अथवा भूमि पर अपेक्षित सुधार कार्य उचित व्यय से किया जा सकता है या नहीं, भवन को इस प्रकार उपयुक्त बनाने के लिये आवश्यक कार्यों या भूमि पर किये जाने के लिये अपेक्षित सुधार कार्य की अनुमानित लागत का तथा कार्य समाप्त हो जाने या सुधार कार्य किये जाने के पश्चात् भवन या भूमि के अनुमानित मूल्य का ध्यान रखा जायेगा।

स्पष्टीकरण—२—इस उपधारा के प्रयोजन के लिये किसी भवन को मानव निवास के लिये उपयुक्त बनाने के संबंध में 'उचित व्यय' से तात्पर्य ऐसे व्यय से है जो भवन के मूल्य के ५० प्रतिशत से अधिक न हो।

(२) इस धारा के अधीन स्वामी पर नोटिस तामील करने के साथ-साथ, सक्षम प्राधिकारी उसकी प्रतिलिपि की तामील किसी ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी कर सकता है जिसका भवन या भूमि में स्वत्व हो, चाहे वह पट्टेदार या बंधकधारी के रूप में हो या अन्य रूप में।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५—(१) यदि धारा ४ के अधीन दिये गये नोटिस का अनुपालन न किया जाय तो सक्षम प्राधिकारी, नोटिस में निर्धारित या समय समय पर उसके द्वारा बढ़ाये गये समय के व्यतीत हो जाने के पश्चात्, उन समस्त या किसी बातों को, जो नोटिस के अनुसार किये जाने के लिये अपेक्षित हो, स्वयं कर सकता है या ऐसे माध्यम से करा सकता है जिसे उसने तदर्थ प्राधिकृत किया हो।

उस नोटिस का कार्यान्वय जिसमें सुधार कार्यों का किये जाने की अपेक्षा की गयी हो

(२) इस धारा के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये सभी व्यय—जिनके अन्तर्गत मांग के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ऐसी दर से ब्याज भी है, जो नियत की जाय—यथास्थिति, भवन या भूमि पर प्रथम भार होंगे और सक्षम प्राधिकारी उन्हें भवन या भूमि के स्वामी से, जैसी भी दशा हो, मालगुजारी के बकाये के रूप में, ऐसी किस्तों में जो नियत रीति से निर्धारित की जायं वसूल कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जब वह स्वामी सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि :

(क) वह (स्वामी) किराया केवल किसी अन्य व्यक्ति के अभिकर्ता या न्यासधारी के रूप में प्राप्त कर रहा है ; और

(ख) उसके पास, सक्षम प्राधिकारी की कुल मांगें पूरी करने के लिये उस अन्य व्यक्ति के हिसाब में पर्याप्त धनराशि नहीं है,

तो उक्त स्वामी का दायित्व उस कुल धनराशि तक सीमित होगा जो उसके पास अभिकर्ता अथवा न्यासधारी के रूप में हो।

(३) यदि भवन का स्वामी उस व्यक्ति से भिन्न हो जो उस भूमि का स्वामी हो, जिस पर भवन हो, और इस धारा के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया व्यय इन दोनों व्यक्तियों से वसूल किये जाने योग्य हो, तो वह व्यय उन व्यक्तियों से उस अनुपात में वसूल किया जायगा जो सक्षम प्राधिकारी भूमि तथा भवन के आनुपातिक मूल्य को तथा ऐसे अन्य तथ्यों को जो नियत किये जायं, ध्यान में रखकर, अवधारित करे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६—यदि धारा ४ और ५ के उपबन्धों का अनुसरण करके किसी मलिन बस्ती क्षेत्र में किसी भवन में सुधार-कार्य किये गये हों, तो ऐसे सुधार कार्यों के अनुरक्षण के संबंध में या उन सुख-सुविधाओं के उपभोग के संबंध में, जो ऐसे कार्यों से संभव हुई हों, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया व्यय भवन के अध्यासी से मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा। जब अध्यासी एक से अधिक हों, तो प्रत्येक (अध्यासी) को जितना लाभ पहुंचा हो और उसका जितना उपकार हुआ हो उसे ध्यान में रख कर सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अध्यासी से वसूल की जाने वाली धनराशि अवधारित करेगा।

सुधार-कार्य आदि के अनुरक्षण व्यय भवन के अध्यासियों से वसूल किये जायेंगे

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्न संशोधन पेश करता हूं—

"खंड ६ के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

'किन्तु यदि अध्यासी हरिजन मेहतर या अन्य ऐसे व्यक्ति हों जिनकी आर्थिक स्थिति उक्त व्यय का पूरा भार वहन करने के योग्य न हो तो स्थानीय निकाय तदनुसार यदि उचित समझे समय-समय पर उसे कम कर सकता है या छोड़ भी सकता है।'

इस विषय में मुझे ज्यादा नहीं कहना है। जिनके लिये यह सब किया जा रहा है उन्हीं को कुछ और सुविधायें देने की यह बात है। अध्यासी को जितना लाभ पहुंचता है उसे ध्यान में रखकर सक्षम अधिकारी प्रत्येक अध्यासी से वसूल की जाने वाली धनराशि निर्धारित करेगा। इसमें ऐसा है कि सक्षम अधिकारी द्वारा मालगुजारी के रूप में वह सब रकम वसूल की जायगी जो सुधार करने में खर्च हुई हो। ठीक है, वसूल किया जाय। लेकिन अगर किसी की ऐसी क्षमता नहीं है तो उसकी हांडी वगैरह नीलाम कर ली जाय यह ठीक नहीं है। जो भी सक्षम अधिकारी हो यदि वह समझता है कि यह सब सुख सुविधा उसको मिली लेकिन वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि उस व्यय को दे सके तो यह उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाय कि उसे माफ कर दे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर इसमें यह होता कि वह जरूर छोड़ दे तब तो इसका कुछ अर्थ निकलता था लेकिन इसमें तो उसकी इच्छा पर है। तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन्स तो ऐसे हो सकते हैं लेकिन कानून में अनिवार्यता होनी चाहिये और अनिवार्यता इसमें है नहीं इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

***श्री उग्रसेन**—माननीय मंत्री जी तो हरिजनों के बड़े भारी नेता हैं और अपने जीवन में हरिजनों का बहुत काम किया है पर यह जो उन्होंने दलील दी, यह बड़ी लचर है। वह अंग्रेजी के 'ऐडमिनिस्ट्रेटिव' शब्द का इस्तेमाल करते हैं। माननीय त्रिपाठी जी के संशोधन की यह मंशा है कि ऐसे हरिजन लोग जो अक्षम हैं उनके लिये विशेष सुविधा प्रदान कर दें। उनके लिये समय, ऋण या आर्थिक सुविधा प्रदान कर दें। सरकार का एक हरिजन कल्याण विभाग है। उससे हरिजनों को तरह-तरह के अनुदान भी दिये जाते हैं। तो उनके लिये तो इनके पास विशेष कोष है जिससे सहायता दे सकते हैं। माननीय मंत्री जी जो हरिजनों के बड़े हिमायती हैं कम से कम त्रिपाठी जी के इस मासूम संशोधन को मान लें। यदि उनके पास पैसा न हो तो उनको ऋण दें या आर्थिक सहायता दें। यही इस संशोधन की मन्शा है। शब्दों के हेर फेर में मंत्री जी न जायं। इस संशोधन की मंशा को वह जरूर मान लें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, जो माननीय सदस्य ने कहा है उसमें मैं और कुछ जोड़ना नहीं चाहता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, शायद उग्रसेन जी ने समझा नहीं है वास्तव में जहां हरिजनों की बात कही कि वे अपना सुधार करें तो जहां वह कर सकते हैं, करें और वे कर्जा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वहां पर सरकार बीच में नहीं पड़ती। लेकिन जिनकी शक्ति के बाहर की चीज होगी वे कह देंगे कि हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मामला खत्म हो जायगा। दूसरी बात यह है कि अगर हमें कानून में लाना है तो अनिवार्यता होनी चाहिये। इससे कोई मतलब हल नहीं होता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं---

"किन्तु यदि अध्यासी हरिजन, मेहतर या अन्य ऐसे व्यक्ति हों जिनकी आर्थिक स्थिति उक्त व्यय का पूरा भार वहन करने के योग्य न हो तो स्थानीय निकाय तदनुसार यदि उचित समझे समय-समय पर उसे कम कर सकता है या छोड़ भी सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७---कोई भी व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, जो नियत रीति से प्राप्त की जायेगी, किसी मलिन बस्ती क्षेत्र में स्थित किसी भूमि पर न तो किसी नये भवन का निर्माण करेगा और न उक्त भूमि में विद्यमान किसी भवन में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ७-क

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन रखता हूं कि खंड ७ के बाद निम्नांकित नया खंड ७-क जोड़ दिया जाय---

"७-क-यदि गिराये जाने वाले भवन का स्वामी आर्थिक कठिनाइयों के कारणों से उसी भवन के स्थान पर नियत शर्तों अथवा नियमों के अधीन दूसरा निर्माण अथवा सुधार करने में अपनी असमर्थता प्रकट करे तो स्थानीय निकाय के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उसके प्रार्थना-पत्र पर स्वयं उसकी स्थिति से संतुष्ट होने पर यथा संभव ऋण दिलायेगा अथवा देगा और यदि भवन का स्वामी हरिजन, मेहतर या working class, scavanger अथवा अन्य कम आय वाला व्यक्ति है तो उसे स्थानीय निकाय नियत शर्तों अथवा नियमों के अधीन subsidy भी देगा अथवा दिलाने की व्यवस्था करेगा।"

श्रीमन्, मैं इस पर तर्क नहीं देना चाहता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, इस स्कीम में इस तरह से ऋण वगैरह दिलाने की व्यवस्था नहीं है इसलिये यह हमारे लिये प्रैक्टिकेबुल नहीं होगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---श्रीमन्, प्रारम्भ में ही कहा कि इसमें दलील दी हुई है कि और जैसा कि हमारे साथी माननीय उग्रसेन जी ने बताया कि मंत्री जी हरिजनों की सहायता करते आये हैं। जो हरिजन हैं, मेहतर हैं जिनकी जिन्दगी के लिये सब आंसू बहाते हैं। मैंने उनके लिये केवल एक पक्ष रखा है। अगर मंत्री जी नहीं मानते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मैं इसको प्रेस करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, स्कीम के मातहत हजारों की तादाद में मकान बनेंगे। हरिजन थोड़े से होंगे तो उनका तो स्वंय गुजारा हो जायगा। इसलिये अलग से रखने का कोई सवाल नहीं उठता है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि स्कीम के मातहत हजारों मकान बन रहे हैं और यह कहा गया कि हरिजनों के इसमें २-४ मकान होंगे। इसका उनके पास क्या आधार है? इन बस्तियों में क्या टाटा, बिड़ला जैसे लोगों को रहना है। मैं सुझाव रखता हूं कि मंत्री जी जाकर कानपुर में देख आवें कि ये बस्तियां कहां पर हैं। मैंने बार-बार कमेटी में भी कहा है, उस कमेटी का सदस्य रहा। मंत्री जी उन बस्तियों को जा कर देख आयें और जब तक देखेंगे नहीं उनकी आंखें खुल नहीं सकती है और मैं उनकी आंख खोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के बाद निम्नांकित नया खंड ७-क जोड़ दिया जाय—

"७—क—यदि गिराये जाने वाले भवन का स्वामी आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसी भवन के स्थान पर नियत शर्तों अथवा नियमों के अधीन दूसरा निर्माण अथवा सुधार करने में अपनी असमर्थता प्रकट करे तो स्थानीय निकाय के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उसके प्रार्थना-पत्र पर स्वंय उसकी स्थिति से संतुष्ट होने पर यथासंभव ऋण दिलायेगा अथवा देगा और यदि भवन का स्वामी हरिजन, मेहतर या working class, scavanger अथवा अन्य कम आय वाला व्यक्ति है तो उसे स्थायी निकाय नियत शर्तों अथवा नियमों के अधीन subsidy भी देगा अथवा दिलाने की व्यवस्था करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—३८,

विपक्ष में—८२।)

खंड ८

मानव निवास के लिये अनुपयुक्त भवनों को गिराने का आदेश देने का सक्षम प्राधिकारी का अधिकार

८—(१) यदि सक्षम प्राधिकारी को ऐसी सूचना के आधार पर जो उसे प्राप्त हुई हो या अन्य प्रकार से उसके पास हो, समाधान हो जाय कि मलिन बस्ती क्षेत्र में कोई भवन मानव निवास के लिये अनुपयुक्त है और उचित व्यय से उपयुक्त बनाये जाने योग्य नहीं है तो वह भवन के स्वामी पर और प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति पर, जिसके बारे में उसे जानकारी हो कि उसका भवन में पट्टेदार, बंधकधारी या अन्य रूप में स्वत्व है, नोटिस तामील करके उससे नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर यह बताने के लिये कहेगा कि भवन को गिराने का आदेश क्यों न दिया जाय।

(२) यदि वह व्यक्ति, जिस पर उपधारा (१) के अधीन नोटिस तामील किया गया हो, सुनवाई का तथा यदि कोई साक्ष्य हो तो उसे प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् भी, नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान करने में असमर्थ रहे कि गिराने का आदेश न्यायपूर्ण और उचित नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, उन मामलों को छोड़कर जो उपधारा (३) के अधीन आते हों, अथवा जिनके लिये इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था की गई हो, भवन या उसके किसी भाग को गिराने का ऐसा आदेश देगा, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वय के लिये आवश्यक समझे।

(३) उस दशा को छोड़कर, जिसकी व्यवस्था उपधारा (४) में की गई है, उपधारा (१) के अधीन नोटिस का अनुसरण करके किसी भवन को गिराने का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस दशा में पारित नहीं किया जायेगा जब उन

व्यक्तियों में से जिन पर उक्त नोटिस तामील किया गया हो कोई व्यक्ति उसके समक्ष उपस्थित हो और—

(क) वह सक्षम प्राधिकारी का इस बात का समाधान कर दे कि गिराने का आदेश न्यायपूर्ण और उचित न होगा; या

(ख) उसे इस बात का वचन दे कि वह :

(१) ऐसी अवधि के भीतर, जिससे सक्षम प्राधिकारी सहमत हों, भवन से सम्बद्ध ऐसे सुधार-कार्य करेगा जिससे उस प्राधिकारी की राय में भवन मानव निवास के उपयुक्त हो जायेगा ; या

(२) भवन को मानव निवास के लिये तब तक काम में न लायेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि भवन उस प्रयोजन के लिये उपयुक्त बना दिया गया हो, दिये गये वचन को समाप्त न कर दे ।

(४) जब—

(१) उपधारा (३) में उल्लिखित कोई वचन न दिया गया हो ; या

(२) उक्त वचन दिया गया हो किन्तु कोई सुधार-कार्य जिसके सम्बन्ध में वह वचन हो, उल्लिखित अवधि के भीतर, सक्षम प्राधिकारी के समाधान के अनुसार न किया गया हो ; या

(३) भवन का उपयोग किसी भी समय वचन की शर्तों का उल्लंघन करके किया गया हो,

तो सक्षम प्राधिकारी उस भवन को गिराने का आदेश दे सकता है जिसके संबंध में उपधारा (१) के अधीन नोटिस तामील किया गया हो और भवन के अध्यासी को आदेश में उल्लिखित अवधि के भीतर—जो आदेश के तामील होने के दिनाँक से पैंतालीस दिन से कम न होगी—उसे खाली करने का आदेश दे सकता है और उसके स्वामी को, भवन खाली करने के लिये स्वीकृत अवधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात् उसे छः सप्ताह के भीतर गिराने का आदेश दे सकता है ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (३) में भाग (ख) (२) के अन्त में विराम हटाकर चिन्ह व शब्द 'या' रख दिया जाय तथा निम्नलिखित भाग (ग) के रूप में जोड़ा जाय—

"(ग) वह सक्षम अधिकारी को इस बात के लिये आवेदन-पत्र दे कि वह धारा ४ की उपधारा (१) के अन्तर्गत तामील किये गये नोटिस का अनुसरण करने में इस कारण से असमर्थ है कि उसके पास इस हेतु पर्याप्त आर्थिक साधनों का अभाव है, और यदि उसे सरकार या नगरपालिका इस कार्य के हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध कर दे तो वह उसका अनुसरण करने को तैयार है ।"

यह तो खैर, मेरा प्रस्ताव तो है ही । लेकिन मुख्य प्रश्न जो है वह उसके संबंध में मेरा प्रस्ताव आगे आयेगा । उसके ऊपर मेरा उनका झगड़ा होगा ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी भी दशा पहले ही जैसी है । मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

श्री संतसिंह यूसुफ—मुझे कुछ और नहीं कहना है, मैं वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे भी कुछ और नहीं कहना है। जब उन्हीं को कुछ नहीं कहना है तो मैं तो विरोध कर ही रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (३) के भाग (ख) (२) के अन्त में विराम हटाकर चिह्न व शब्द 'या' रख दिया जाय तथा निम्नलिखित भाग (ग) के रूप में जोड़ा जाय—

"(ग) वह सक्षम अधिकारी को इस बात के लिये आवेदन पत्र दे कि वह धारा ४ की उपधारा (१) के अन्तर्गत तामील किये गये नोटिस का अनुसरण करने में इस कारण से असमर्थ है कि उसके पास इस हेतु पर्याप्त आर्थिक साधनों का अभाव है, और यदि उसे सरकार या नगर-पालिका इस कार्य के हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध कर दे तो वह उसका अनुसरण करने को तैयार है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सन्तसिंह यूसुफ—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (४) में भाग ३ के अन्त में निम्नलिखित भाग (४) के रूप में जोड़ा जाय—

"(४) उपधारा (३) (ग) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्राप्त करके तथा उसके संबंध में आवश्यक जांच करके या अपने किसी अधिकारी से करवाकर सक्षम प्राधिकारी ने अपना समाधान कर लिया हो कि आवेदन-पत्र प्रेषक को आर्थिक सहायता के बगैर धारा (४) के अन्तर्गत तामील किये गये नोटिस का अनुसरण करने में असमर्थ है तथा इस उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर उक्त व्यक्ति को यह सहायता प्रदान कर दिये जाने पर भी धारा ४ के नोटिस का अनुसरण न किया गया हो।"

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री संतसिंह यूसुफ—मुझे कोई खास बात नहीं कहना है।

***श्री राधेश्याम** (जिला मथुरा)—उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के संबंध में मैं अपनी राय पेश करता हूं। जो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि गिराने के पहले उनको स्थान दिया जायगा। इसके लिये यह सोचना पड़ेगा कि जिन व्यक्तियों से सक्षम अधिकारी मकान खाली करायेगा या गिरा देगा उनको रहने के लिये सुविधा कैसे मिलेगी। वे पिछड़े लोग हैं, वे गरीब लोग हैं, वे कहां जाकर रहेंगे। यह तो ऐसा संशोधन है जिसको मानने में मंत्री जी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मंत्री जी तो थोड़े दिनों के बाद ही बढ़िया बस्ती बनाकर सुविधा प्रदान करेंगे। जिस समय बरसात या गर्मी में उनसे मकान खाली कराया जायगा तो उस समय वे कहां रहेंगे जब तक कि उनके लिये एक मकान खाली कराकर दूसरा मकान न दिया जाय। यह दलील देना कि मकानों के लिये दूसरा प्रबन्ध इसलिये नहीं कर सकते हैं कि उसके लिये साधन नहीं है तो ऐसी बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इसको मान लें। जिन बस्तियों को खाली कराया जायगा उनके स्थान पर जब तक दूसरी नई बस्तियां न बन जायं तब तक उनके रहने के लिये कोई स्थान न हो तो यह कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है और न किसी शासन के लिये यह अच्छी बात हो सकती है। इस संशोधन को किसी पार्टी के आधार पर गिराने की कोशिश नहीं होनी चाहिये। मुझे आशा है मंत्री जी मेरी बात पर विचार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसी विधेयक में कहा गया है कि अगर वह कर सकेंगे तो वह करने की कोशिश करेंगे लेकिन जहां असंभव हो जाय वहां पर मलिन बस्ती का सुधार न किया जाय तो यह ऐसी बात है जिसको कोई नहीं मान सकता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (४) में भाग (३) के अन्त में निम्नलिखित भाग (४) के रूप में जोड़ा जाय—

"(४) उपधारा (३) (ग) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करके तथा उसके संबंध में आवश्यक जांच करके या अपने किसी अधिकारी से करवाकर सक्षम प्राधिकारी ने अपना समाधान कर लिया हो कि आवेदन-पत्र प्रेषक को आर्थिक सहायता के बगैर धारा (४) के अन्तर्गत तामील किये गये नोटिस का अनुसरण करने में असमर्थ है तथा इस उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर उक्त व्यक्ति को यह सहायता प्रदान कर दिये जाने पर भी धारा ४ के नोटिस का अनुसरण न किया गया हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ९

गिराने का आदेश दिये जाने पर अनुसरणीय प्रक्रिया

९—(१) यदि धारा ८ के अधीन भवन को गिराने का आदेश दिया गया हो और वह तदर्थ निर्दिष्ट समय के भीतर खाली न किया जाय या न गिराया जाय, तो सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति उसे खाली करवा तथा गिरवा सकता है । सक्षम प्राधिकारी भवन को खाली कराने और गिराने के प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जो आवश्यक हो ।

(२) उपधारा (१) के अधीन गिराये गये भवन के मलवे को समक्ष प्राधिकारी सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच सकता है और उसकी बिक्री से प्राप्त धनराशि से भवन के गिराने के व्यय की पूर्ति हो गई समझी जायगी:

प्रतिबन्ध वह है कि यदि भवन का स्वामी नीलाम के पूर्व मलवे को या उसके किसी भाग को उठाना चाहे तो वह समक्ष प्राधिकारी को, उसके द्वारा नियत अवधि के भीतर, भवन को गिराने का समस्त व्यय चुका कर उसे उठा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १०

किसी मलिन बस्ती क्षेत्र को निपातन क्षेत्र घोषित करने का अधिकार

१०—यदि सक्षम प्राधिकारी का, किसी मलिन बस्ती क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में ऐसी सूचना के आधार पर जो उसे प्राप्त हुई हो या अन्य प्रकार से उसके पास हो, यह समाधान हो जाय कि उस क्षेत्र के अधिकतर भवन ऐसे हैं कि वे मानव निवास के उपयुक्त नहीं बनाये जा सकते या उस क्षेत्र की भूमि पर अपेक्षित सुधार-कार्य वहां वर्तमान भवनों को गिराए बिना नहीं किये जा सकते, तो वह सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके उस क्षेत्र को निपातन क्षेत्र घोषित कर सकता है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा बड़ा इन्नोसेन्ट अमेंडमेंट है । मैं इसको उपस्थित करता हूं कि खंड १० के अंतिम विराम को हटा कर उसके पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"परन्तु आदेश प्रकाशित करते समय उक्त क्षेत्र एक नक्शे द्वारा गजट में उन मकानों को स्पष्ट कर के दिखा दिया जायगा जो मनुष्य के रहने योग्य हैं और जिन्हें घोषणा से बरी कर दिया गया ।"

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

हम लोगों के सामने ऐसे केसेज आये हैं कि एक्वीजीशन के लिये प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गयीं, लेकिन बाद में पता चला कि सरकार या उसके अधिकारी सारे प्रयत्न करने के बाद भी जो मकान हैं उससे अच्छे मकान नहीं बना सकते और उसे करना एक हानि की बात होगी। तो इस बात को दृष्टि में रखते हुए यह एक प्रिकाशनरी मेजर है। जिस किसी क्षेत्र को आप घोषित करना चाहते हैं उसमें देख लें कि कोई ऐसा मकान तो नहीं है, कोई ऐतिहासिक इमारत तो नहीं है, मजिस्द या मंदिर या गिरजाघर तो नहीं है, और अगर है तो उसका उल्लेख उस नक्शे में हो जाना चाहिये और यह घोषित हो जाना चाहिये कि वह बरी कर दिया जायगा। मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे और इसको मान लेंगे। यह उन के हाथ में है। इससे उनके कार्य में सुविधा पैदा हो जायगी और कोई देर नहीं होगी।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने पेश किया है वह बहुत ही सीधा सादा संशोधन है। मैं समझता हूं कि कानपुर में ही नहीं, बल्कि सूबे के बहुत से कारपोरेशन्स ऐसे हैं कि जिनमें इस तरह की घटनायें हो गयी हैं कि जो मकान रहने के काबिल हैं उनको भी गिराने का आदेश दे दिया गया है। मैं समझता हूं कि माधोप्रसाद जी ने जो संशोधन दिया है उसे स्वीकार करने में माननीय मंत्री जी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, जो दरिद्र नारायण के सेवक हैं और जैसा कि वह हमेशा एलान किया करते हैं, मेरे ख्याल से इसको अवश्य मान लें। बहुत से गरीब ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने मकान बनवा लिये हैं और बिना किसी नक्शे के आपने पूरा का पूरा मुहल्ला गिराने का आदेश दे दिया है। उससे उन गरीब आदमियों को बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी का संशोधन बहुत दुरुस्त है और उसे मानने में माननीय मंत्री जी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, जहां तक इस भावना का ताल्लुक है, मैं उसका आदर करता हूं और मैं चाहूंगा कि कोई भी मकान जो गिराने लायक न हो, न गिराया जाय। वे राष्ट्र की संपत्ति हैं, हजारों रुपया लगा कर मकान बनते हैं, उनकी कमी है। खामख्वाह नहीं गिराये जाने चाहिये, लेकिन जो संशोधन रखा गया उससे कैसे बचत हो सकती है यह मेरी समझ में नहीं आता। इसमें तो केवल नक्शे में देने की बात है। गिराना होगा तो वह नक्शे में नहीं देंगे। तो इस संशोधन से मकसद हल नहीं होता।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मुझे आश्चर्य है कि मंत्री जी ऐसे विचार व्यक्त करते हैं इस संशोधन पर। जब कोई चीज गजट में प्रकाशित हो गयी तो वह केवल कम्पीटेंट अथारिटी की मरजी पर होगी और उसे कोई रोक नहीं सकता। तो इस विधेयक में कोई ऐसी रोक नहीं है कि जो उन गरीबों को बचा सके अगर सक्षम प्राधिकारी उन के मकानों को गिराना चाहता है तो। तो ऐसी महत्वपूर्ण चीज को केवल उसकी व्हिम पर छोड़ देना ठीक नहीं है। यह इसमें कोई मारेल बाइंडिंग की बात नहीं है। मान्यवर, इस टेक्निकलिटी के स्थान पर मारल बाइंडिंग होना अधिक प्रभावशाली है और यह ठीक भी लगता है।

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि ऐसी चीज आप मेजारिटी की वजह से पास करा लेते हैं। यदि हम शुद्ध बात भी कहेंगे तो चूंकि हम विरोधी दल के हैं इसलिए आप नहीं मानेंगे और कम से कम समय आपका लेते हैं लेकिन फिर भी आप उसको नहीं मानते हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैंने तो सीधी सी बात कही परन्तु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वह भी लोग नहीं समझ पाते हैं। जो शब्द हैं वह इस प्रकार हैं—"परन्तु आदेश प्रकाशित करते समय उक्त क्षेत्र एक नक्शे द्वारा गजट में उन मकानों को स्पष्ट करके दिखा दिया जायेगा जो मनुष्य के रहने योग्य हैं और जिन्हें घोषणा से बरी कर दिया गया।" जो मकान रहने योग्य हैं, अगर नक्शे में नहीं दिखाए जायं जो और मकान रहने योग्य हैं तो कौन सी चीज है

जो बचा देगी। वास्तव में यह जो प्राविजन है यह बिलकुल बचत नहीं करता है। यदि कुछ करना है तो यह करना चाहिये कि पहिले उसे सरकार से सैंक्शन करा लिया जाय और लोगों को रिप्रेजेंटेशन का मौका हो। यदि यह हो जाय तो ठीक है। यदि सक्षम अधिकारी १० को नहीं गिराना चाहते हैं और एक को गिराते हैं तो कौन सी चीज है जो उसे सप्लीमेंट करेगी। मैं तो यह कहता हूं कि इससे वह मतलब हल नहीं होता है जो वह चाहते हैं। यदि उनके पास उसकी काट नहीं तो मुझे उसके लिए दोष देना कहां तक ठीक है ?

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के अन्तिम विराम को हटा करके उसके पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"परन्तु आदेश प्रकाशित करते समय उक्त क्षेत्र एक नक्शे द्वारा गजट में उन मकानों को स्पष्ट करके दिखा दिया जायेगा जो मनुष्य के रहने योग्य हैं और जिन्हें घोषणा से बरी कर दिया गया।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

नये खंड १०—क व १०—खंड

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नए खंड १०—क व १०—ख में यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १० के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड १०—क व १०—ख के रूप में जोड़ दिए जायं—

"१०—क—किसी क्षेत्र को खंड १० के अधीन "निपातन क्षेत्र" घोषित करने के पूर्व स्थानीय निकाय का यह समाधान होना आवश्यक होगा कि भवनों के निपातन से जो व्यक्ति विस्थापित होंगे और जिनके निवास के लिए स्थान नहीं है, उनके निवास के लिए स्थानीय निकाय निपातन के पूर्व समुचित व्यवस्था कर सकेगा और तथा मनुष्य के रहने योग्य मकान बनाने अथवा अपेक्षित सुधार कार्य सम्पन्न करने की आर्थिक क्षमता उसे प्राप्त है इस बात को भी गजट में प्रकाशित कर दिया जायगा।"

१०—ख—यदि निपातन क्षेत्र घोषित होने योग्य एक से अधिक क्षेत्र हों तो स्थानीय निकाय अपनी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों को निपातन क्षेत्र घोषित करते समय उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा जिसमें अधिकांश गरीब हरिजन, मेहतर इत्यादि या अन्य कम आय वाले व्यक्ति रहते हों।

श्रीमन्, मैं आशा करता हूं कि सरकार को यह ज्ञान होगा कि गिराने पर भी बहुत जगह सरकार की योजनाएं थीं वे अपूर्ण रहीं। बहुत जगह जमीन खाली पड़ी है और उसमें कोई निर्माण नहीं हो पाया है। कोई भवन नहीं बन पाए हैं। उसका कारण यह है कि समय पर रुपया नहीं आया, कर्जा नहीं आया। प्लान में हमारे कमी पड़ने का कारण भी रुपया ही है। दूसरी जगह भी ऐसे ही कारण होंगे जो हमारी आर्थिक कठिनाइयों की ओर संकेत करते होंगे। ऐसी परिस्थिति कहीं न हो कि उसे मझधार में ही छोड़ दें। ऐसा कहीं न हो कि आर्थिक कठिनाइयां दिखा कर मकान पड़ा रहे और एग्जीक्यूट न हो। सरकार समझती है कि हमने निपातन क्षेत्र इसलिये घोषित किया है कि उसको गिरवा कर हम शीघ्रातिशीघ्र बनवावें, लेकिन कुछ अड़चनें रखी जा सकती हैं। हमने इसलिये यह संशोधन रखा है ताकि संबंधित व्यक्तियों को यह विश्वास न हो जाय कि आर्थिक कठिनाइयों आदि के कारण हमारा कार्य रुक नहीं सकेगा। जो हमारे हरिजन या मेहतर भाई हैं उन्हीं की कठिनाइयों को ध्यान में रख कर मैंने यह

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

संशोधन रखा है। अगर मकान का निपातन हुआ और उनके रहने के लिये कोई व्यवस्था न हुई तो नतीजा यह होगा कि कोई बम्बई चला जायगा, कोई कलकत्ता चला जायगा, कोई कहीं चला जायेगा, कोई कहीं झोपड़ी डाल कर रहने लगेगा, और फिर जिस सुविधा के लिये यह किया जा रहा है उसका महत्व ही उनके लिये खत्म हो जायेगा। इसलिये सरकार को यह संशोधन मान लेना चाहिये।

जहां तक १० (ख) का संबंध है, उसके बारे में वही तर्क हैं जो मैंने पहले दिये हैं। हो सकता है कि सरकार के पास रुपया हो, उसकी कमी न हो, किन्तु अगर सरकार ने ४ जगह निपातन क्षेत्र घोषित किया है तो उसमें यह हो सकता है कि वहां पर कार्य देर में शुरू हो जहां का जिक्र मैंने संशोधन में किया है। आप पहले कार्य वहां शुरू करिये जिनका उल्लेख मैंने इस संशोधन में किया। मैं अपने तर्कों को पुनः दोहराना नहीं चाहता, आशा है माननीय मंत्री जी इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

श्री नरसिंहनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने रखा है, यह मैं समझता हूं कि समाजवादी सरकार के लिये मानने योग्य संशोधन है। अगर यह सरकार अपने को गांधीवादी सरकार कहती होगी तो उसे इन संशोधनों को मानने में कोई गुरेज नहीं होगा। मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं। दुनिया के जितने भी समाजवादी देश हैं वे जब किसी मकान को गिरवाते हैं या उसे निपातन क्षेत्र घोषित करते हैं तो उस क्षेत्र को लेने से पहले वे दूसरे जगह वहां के रहने वालों लोगों के लिये प्रबन्ध कर देते हैं। यहां यह चीज नहीं है। उन जगहों में वे लोग रहते हैं जो हरिजन हैं, मेहतर हैं या छोटे मोटे कर्मचारी हैं जो किसी तरह से अपना पेट भर लेते हैं और एक छोटी सी झोपड़ी आदि बना कर रहते हैं। इन संशोधनों में यही मांग की गयी है कि ऐसे लोगों के लिये, निपातन से पूर्व, रहने की व्यवस्था कर दी जाय। जितने भी समाजवादी देश हैं, रूस है, चीन है, उन्होंने यही किया है और उससे इस सरकार को सीख लेनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय त्रिपाठी जी के संशोधनों का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार को इनको मान लेने में कोई गुरेज नहीं होगा।

श्री उग्रसेन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बहुत बड़े सिद्धान्त का है जिसे किसी भी जनतंत्रीय सरकार को मानने से इन्कार नहीं करना चाहिये। सिद्धान्त का प्रश्न यह है कि आवास यदि किसी का गिराया जाता है तो जितने दिन लोग बनजारे की स्थिति में हों उतने दिन उनको आवास देने का परम कर्तव्य सरकार का होना चाहिए या नहीं। केन्द्रीय सरकार ने तो ३ करोड़ रुपया माननीय मंत्री जी को दे दिया दूसरी योजना में मकान बनाने के लिए, मगर यहां जमीन का कब्जा लेने में ऐसे कायदे कानून हैं कि हाई कोर्ट तक जाइये, मुकदमाबाजी हो और जब निपातन हो गया तो माननीय मंत्री जी की इच्छा का निपातन बाद में मगर राजा और रानी का निपातन पहले हो गया, वह पहले बनजारे हो गये।

स्वीडन एक मुल्क है जहां समाजवादी पद्धति इस माने में जरूर है कि वहां की आमदनी में १-४ और १-६ से अधिक अन्तर नहीं है। वहां पर हर एक सभ्य सरकार ने लोगों के मकान बनाने का कार्यक्रम बदल दिया है। बरमा में हमने देखा कि एक बस्ती जल गयी और हाउसिंग और लेबर मिनिस्टर जो कि बहुगुना जी के शहर के रहनेवाले यू० रऊफ के भाई यू० रशीद साहब हैं वह स्वयं वहां पहुंचे। हम लोग एशियन समाजवादी कानफरेंस में गये थे। हम भी तमाशा देखने पहुंचे। जिस बस्ती का छार हुआ था वहां उन्होंने अपना घर बना लिया और वहां ३ दिन के अन्दर ३-४ हजार घर बन गये। उस नयी बस्ती का उद्घाटन मंत्री ने किया तब वहां से गये। यूसुफ साहब मौजूद हैं, उनसे पूछा जाय कि कितने निपातन के आदेश उनके शहर में गये हैं। बनारस का भी यही झगड़ा है और लखनऊ में भी यही हालत है। है। आपके कायदे कानून ऐसे हैं कि एक निपातन करके एक नयी मलिन बस्ती बड़ी कर देते

हैं। बम्बई में मैंने देखा कि झोपड़ी वाले एक जगह से हटा दिये जाते हैं और वह जीमखाने के मैदान में, टर्फ में, घुड़-दौड़ के मैदान में दूसरी जगह झोपड़ी बना लेते हैं। तो यह बड़ा भारी सिद्धान्त का प्रश्न है जो कि उस कमेटी में उठाया गया था और माननीय सदस्यों का मतैक्य था कि जब आप तक उनके लिए मुकाबले का आवास न दे दें, सक्षम अधिकारी उनको इस संबंध में आश्वस्त न कर दे कि जब तक सुधार की हुई बस्ती न बन जाय तब तक आप उसी में रहेंगे, जब तक ऐसी व्यवस्था न हो तब तक निपातन के आदेश सक्षम अधिकारी कदापि न दे। वरना यही होगा कि एक बस्ती हटाकर आप हजारों बना देंगे और यह कानून की बड़ी भारी गलती रह जायगी। १५ वर्ष के राज्य में कुछ नहीं कर पाये, न रहने के लिए मकान, न तन ढकने के लिए कपड़ा, न खाने के लिए सूखी रोटी जो कि आजादी के बड़े भारी माने हैं। इसलिए अगर आप लोगों को सभ्य नागरिक बनाना चाहते हैं तो इस संशोधन को अवश्य मान लें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं तो समझा था कि न मालूम इसके अन्दर क्या होगा लेकिन निकला तो बहुत छोटा सा चूहा निकला। जहां तक रुपये का सवाल है, रुपया अभी भी है और जब रुपया होगा तभी यह स्कीम हाथ में ली जायगी। जमीन लेकर खाली छोड़ देना और हजारों रुपया कम्पेन्सेशन का देना, ऐसा विचार नहीं है। दूसरी बात यह कि हमारे सोशलिस्ट भाइयों ने सिद्धान्त पर बहुत जोर दिया, अगर उन्होंने ध्यान से देखा होता तो यह सिद्धान्त इसमें कन्सीड किया गया है। वह धारा १३ (४) को देखने की कोशिश करें। उसमें लिखा हुआ है: यदि इस धारा के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में कोई भवन गिरा दिया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी, यथाशक्य, भवन के अध्यासी को ऐसी रीति से और उस सीमा तक, जो नियत की जाय, अस्थायी वैकल्पिक वास-स्थान अर्पित करेगा

जहां तक सम्भव हो, यह सब किया जायगा। तो उस सिद्धान्त को कन्सीड किया गया है जहां तक कि सम्भव हो। बाकी मकान देने का हमारा जो फर्ज है उसी के लिये तो यह सारा बिल है। अच्छे मकान मिलें, उसी के लिये यह सिरदर्द है वरना यह सारे लेक्चर सुनने की क्या जरूरत थी .....

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं १३ (४) को पढ़ दूं:

"यदि इस धारा के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में कोई भवन गिरा दिया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी, यथाशक्य, भवन के अध्यासी को ऐसी रीति से और उस सीमा तक, जो नियत की जाय, अस्थायी वैकल्पिक वास-स्थान अर्पित करेगा।"

श्री उपाध्यक्ष—अब आप विराजिये। यह बिल सबके पास है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शक्ति के बाहर क्या कोई चीज सम्भव भी है?

श्री उग्रसेन—तब फिर उपधारा (४) की कोई जरूरत नहीं है, जैसा आपका मन होता वैसा करते।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मैंने दफा १३ (४) पढ़ी थी। माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये उसमें दो मत नहीं हैं। मैं यह समझता हूं कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो वह या तो मनुष्य की बुद्धि की उपज हो या किसी दूसरे कानून का सहारा लिया गया हो। इस लिये मलिन बस्ती के संबंध में दूसरे प्रदेशों में जो कानून हैं उनको पढ़ने का मैंने प्रयास किया लेकिन संयोग से कोई दूसरा नहीं मिला लेकिन जैसा मैंने आरम्भ में ही निवेदन किया मैंने मोटी मोटी बातें रख दी हैं इसमें कम्प्लसरी बनाया गया है सरकार के लिये कि पहले वह पैसा कर दें तब गजट कराये, मकान खाली कराये। यथा शक्ति का मतलब यह है कि पहले से ही यह कल्पना कर ली गई कि हमारी शक्ति के बाहर होगा और उसका निर्णय करने वाला भी वही सक्षम प्राधिकारी होगा जो कि सरकार के इशारे पर नाचेगा। आगे चल कर आप देखेंगे कि अंतिम निर्णय

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

सरकार का होगा, यह रखा गया है, यह भी सरकार की राजनीतिक चाल है। उसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन जहां कहीं ऐसे नियम बनाये जाते हैं। जिनसे किसी के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात होता है, किसी का मकान गिरा दिया जायगा तो फिर वहां पर यथाशक्ति नहीं बल्कि मैंडेटरी प्राविजन रखा जाता है, "शैल" शब्द का प्रयोग होना चाहिये यानी सरकार को मकान देना होगा। उस भावना को लेकर मैंने इसको रखा था।

वैसे मैंने १३ (४) को पहले से देखा था। मंत्री जी की नेकनीयती में कोई शक नहीं करना चाहता लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूं कि कानून बनाते समय सुन्दर शब्द कह दिये जायं कि यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव मामला है तो यह मानी हुई बात है कि सक्षम अधिकारी के पास बुद्धि होगी वह इसको देख कर तब करेगा। सक्षम अधिकारी इतने योग्य होंगे, यह पवित्र शब्द उस वक्त काम नहीं करेंगे जब केवल शब्दों का इन्टरप्रिटेशन होने लगेगा। उस समय यह बात नहीं चलेगी कि हमारे मंत्री जी का यह मंशा था या हाउस में इस प्रकार की बात कही गयी थी। आप लोगों को मुझसे कहीं अधिक जानकारी है, इस प्रकार से कानून नहीं बना करते। बनते हैं तो बड़े सूक्ष्म और जैसा कि मैंने पहले कहा जहां मौलिक अधिकारों का प्रश्न आता है वह बड़े ही स्पष्ट होने चाहिये। इसलिये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि यह जो मैंने संशोधन रखा है उसको इस दृष्टि से न देखा जाय। मैं जानता था कि ये संशोधन पास नहीं होंगे लेकिन मेरी एक कल्पना थी, एक भावना थी, उसको अमेंडमेंट के रूप में रखना चाहता था और यह देखना चाहता था कि जो लोग हरिजनों और गरीबों को दुहाई देते हैं वे ऐसे शुद्ध और इन्नोसेंट संशोधनों को भी स्वीकार करते हैं या नहीं। अतः जो संशोधन मैंने दिये हैं उनको फिर प्रेस करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, तिवारी जी की वेदना को देख कर मुझे कुछ निवेदन करने की जरूरत महसूस हुई, नहीं तो मैं उस की कोई आवश्यकता नहीं समझता था। शब्दों को लेकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर केवल बड़ी बड़ी बातों को कहने से हमारा उद्धार हो जाय तो हमारे सारे प्रश्न ही हल हो जायं और तब फिर मैं आखिरी व्यक्ति हूंगा जो इस प्रकार के अधिनियम लाने के लिये तैयार हूंगा। लेकिन ये सारी समस्यायें केवल शब्दों से हल होने वाली नहीं हैं। वास्तविक बात तो यह है कि इतनी सारी सुविधायें देने के बाद भी मलिन बस्ती हट नहीं रही है। महापालिकायें ऋणों को लेने के लिये तैयार नहीं हैं और तब तो हालत और भी खराब हो जायगी जब हम इस प्रकार से उसको असंभव बना देंगे, फिर समझ लीजिये कि ये मलिन बस्ती जैसी की तैसी रह जायंगी और फिर बड़ी बड़ी बातों को करने से कुछ होगा नहीं कि कोई नगरपालिका जब तक मकान न बना देगी तब तक उसमें हाथ न डालेगी। अगर उनको आपको वास्तव में हटाना है तो आपको प्रैक्टीकल व्यू लेना पड़ेगा।

जहां तक सक्षम अधिकारी का सवाल है, यहां वह एक हार्मलेस व्यक्ति है। वह कहीं पिक्चर में नहीं आता। यह तो तय करना होगा नगर महापालिकाओं को। अब इसके करने में कुछ थोड़ी तकलीफ जरूर होगी। अब सवाल यह रह जाता है कि थोड़ी तकलीफ बरदाश्त करें अथवा इन मलिन बस्तियों को कायम रखें। जो अब तक हजारों मकान बनाये गये हैं, उनमें भी कुछ तकलीफ अवश्य हुई है। इसलिये हमें यह देखना होगा कि हम एक ऐसा प्रेक्टीकल व्यू लें जिससे लोगों को सुविधा हो जाय और ये मकान बन जायं। उसके लिये हमें इस प्रकार की शर्तें नहीं लगानी चाहिये। इसलिये व्यावहारिक दृष्टि से जो सब से अधिक ठीक होगा वही किया जायगा। इसलिये मैं इन संशोधनों की मुखालिफत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड १०—क ब—१०—ख के रूप में जोड़ दिये जायं—

"१०—क—किसी क्षेत्र को खंड १० के अधीन 'निपातन क्षेत्र" घोषित करने के पूर्व स्थानीय निकाय का यह समाधान होना आवश्यक होगा कि भवनों के निपातन से जो व्यक्ति विस्थापित होंगे और जिनके निवास के लिये स्थान नहीं है उनके निवास के लिये स्थानीय निकाय निपातन

के पूर्व समुचित व्यवस्था कर सकेगा तथा मनुष्य के रहने योग्य मकान बनाने अथवा अपेक्षित सुधार कार्य सम्पन्न करने की आर्थिक क्षमता उसे प्राप्त है इस बात को भी गजट में प्रकाशित कर दिया जायगा।

१०—ख—यदि निपातन क्षेत्र घोषित होने योग्य एक से अधिक क्षेत्र हों तो स्थानीय निकाय अपनी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुये ऐसे क्षेत्रों को निपातन क्षेत्र घोषित करते समय उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा जिसमें अधिकांश गरीब हरिजन, मेहतर इत्यादि या अन्य कम आय वाले व्यक्ति रहते हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड ११

कारण बताने के लिये नोटिस

११—सक्षम प्राधिकारी, धारा १० के अधीन किसी क्षेत्र के निपातन क्षेत्र घोषित किये जाने के पूर्व, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर, जो उस क्षेत्र के, जिसे निपातन क्षेत्र विज्ञापित करने का प्रस्ताव हो, किसी भवन का स्वामी या अध्यासी हो, एक नोटिस तामील करेगा या तामील करायेगा जिसमें यह प्रकट किया जायेगा कि उस क्षेत्र को निपातन क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव है और उसमें उससे यह भी कहा जायगा कि वह नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर, जो तीस दिन से कम न होगी, यह कारण बताये कि प्रस्तावित आदेश क्यों न दिया जाय। इस धारा के अधीन नोटिस सरकारी गजट और दो स्थानीय समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

आपत्तियों का निस्तारण

१२—(१) धारा ११ के अधीन प्राप्त किसी आपत्ति का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्त्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् करेगा।

(२) यदि सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय करे कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह क्षेत्र को निपातन क्षेत्र घोषित कर देगा और यह निर्णय करेगा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उक्त क्षेत्र के किन भवनों को गिराया जाय।

(३) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (२) के अधीन आदेश की एक प्रति ऐसे विवरण-पत्र के साथ जिसमें निम्नलिखित बातें दी होंगी, तुरन्त राज्य सरकार को भेजेगा :—

(१) उन व्यक्तियों की संख्या जो धारा ११ के अधीन जारी किये गये नोटिस के दिनांक पर, उस क्षेत्र के भवनों में अध्यासीन थे, जिसे निपातन क्षेत्र विज्ञापित करने का प्रस्ताव हो;

(२) उस क्षेत्र के जिन भवनों को गिराना हो उनके आवश्यक ब्योरों सहित उनके स्वामियों के नाम ; और

(३) वे भवन और भूमि जिन्हें क्षेत्र के पुनः विकास के लिये अर्जित करना आवश्यक हो।

(४) राज्य सरकार या तो आदेश को पूर्णतया या ऐसे परिवर्तनों के अधीन रहते हुये जो वह न्याय पूर्ण और समुचित समझे, पुष्टि कर सकती है या आदेश को रद्द कर सकती है।

(५) यदि राज्य सरकार आदेश को पुष्टि करे तो आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा और वह प्रकाशन के दिनांक से प्रवर्ती होगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं निम्न संशोधन पेश करता हूं।

खंड १२ के उपखंड (५) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड (६) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(६) यदि कोई व्यक्ति इस खंड के उपखंड (१) या (२) के अधीन किये गये निर्णय या आदेश से क्षुब्ध है तो वह उस निर्णय या आदेश के ३० दिन के अन्दर उस क्षेत्र से सम्बन्धित जिला न्यायाधीश के पास उसके विरुद्ध अपील कर सकता है, और उसका निर्णय इस विषय में अन्तिम होगा। अपील का निर्णय होने के समय तक तत्सम्बन्धी राज्य द्वारा की जाने वाली सारी कार्यवाही स्थगित रहेगी।"

श्रीमन्, इसके पीछे भी भावना मेरी वही थी कि सक्षम अधिकारी जा सर्वाधिकारी बताया जा रहा है और सर्वहारा के लिये बनाया जा रहा है ,इससे कोई भी गलत बात होगी तो बहुत बड़ी भूल हो सकती है। मुमकिन है वह बहुत योग्य व्यक्ति है लेकिन उससे भी गलती हो सकती है। तो उसके किसी कार्य से कोई व्यक्ति क्षुब्ध हो तो उसके पास क्या इलाज होगा ? यहां खंड १३ में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति उससे क्षुब्ध हो तो उसके पास सिवा इसके कोई दवा नहीं होगी कि वह ऐसे व्यक्ति के पास जाय जहां वह निष्पक्ष निर्णय पा सकता हो। एक और प्राविजन आगे है जिसमें कहा गया है कि किसी आदेश के कारण कोई व्यक्ति क्षुब्ध हो तो वह डिवीज़नल कमिश्नर के पास अपील में जा सकता है। लेकिन मैंने जानबूझ कर इसको रखा है, जैसा कि पहले वाले संशोधन में मैंने निवेदन किया कि सचमुच में यह एक मौलिक अधिकार का प्रश्न है, मकान गिराने का प्रश्न ह। जहां आपने मकान गिराने का अधिकार ले रखा ह वहां आप ने उसको कहीं शरण देने की व्यवस्था नहीं की है। आपने कहा कि हमें सैकड़ों मकान बनाने पड़ेंगे लेकिन इसके पहले जिसके मकान खाली करान पड़ेंग, या गिरान पड़ें उनके रहन की कोई व्यवस्था पहले न करना उनके साथ बड़ा ही अन्याय होगा।

मेरा जो यह संशोधन है वह बहुत ही इन्नोसेंट है इससे सब को निष्पक्ष निर्णय मिलेगा इसलिये सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं, बहुत से तर्क दे सकता सकता हूं लेकिन उन सब को न देकर केवल एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि सक्षम अधिकारी पर कुछभी तो रोक रखें। जहां तक डिवीज़नल कमिश्नर वाली रोक की बात है, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि एक कमिश्नर साहब जिनका मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक कमेटी में यहां आये थे। उनसे जब मैंने केस आर्गुमेंट करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस केस को डिस्पोज़ आफ़ करना है। इस सम्बन्ध में मैंने अपनी राय कायम कर ली है और मैं इस केस को डिसमिस कर दूंगा और उन्होंने उस केस को डिसमिस कर दिया। इसीलिये मैं कहता हूं कि अपील ऐसे अधिकारी के सामने होनी चाहिये जिससे आशा हो कि वह निष्पक्ष निर्णय करेगा। अब तो यह होता है कि उसे अपने जिले से ५०–१०० मील दूर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है जहां उसका कोई अपना जानने वाला नहीं होता तथा इसकी वजह से उसे खर्च भी ज्यादा पड़ता है। फिर उसे अपने जिले में ही अपील किसी न्यायालय में करने की सुविधा क्यों न हो जहां सभी उसके जानने वाले हों और जहां उसका खर्चा भी कम पड़े ? जहां एक आदमी के मौलिक अधिकारों का प्रश्न हो, मकान, खाने, कपड़े की व्यवस्था के तमाम प्रश्न जहां हों और दिन रात मजदूरी करन के बाद अगर कोई रात की दूसरे के टीन के बरामदे में भी लेट जाय तो उसका १०९ में चालान हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर वह न्याय चाहता ह तो उस को सच्चा न्याय अपने जिले में ही दिया जाय और उसके साथ निष्पक्ष न्याय होना चाहिये। इन विचारों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

श्री नरसिंहनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने पेश किया है वह उन गणतांत्रिक परम्पराओं के अन्तर्गत है जिस की चर्चा हमारे माननीय नेता सदन हमेशा अपने भाषण में बाहर और सदन में बराबर किया करते हैं। मैं आप का ध्यान जो १० और ११ दफाय बनी हैं जिनमें कि लिखा है कि किसी मलिन बस्ती क्षेत्र का सुधार और निपातन करने के लिये पहले डिक्लेयर करेगा और शो काज नोटिस देगा लेकिन उसके बाद अगर कोई आदमी क्षुब्ध है तो उसको अधिकार होना चाहिये कि वह न्यायाधीश के सामने जाकर अपने जिले में ही न्याय पा सके। लेकिन आपने कमिश्नर के पास जाने का अधिकार दिया है कि वहां अपील की जा सकती है लेकिन मेरा कहना है कि कमिश्नर तो पूरी प्रक्रिया का एक पार्ट एन्ड पार्सल है, वहां पर क्षुब्ध व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सकता, न्याय तभी मिल सकता है जब कि निष्पक्ष जिला न्यायाधीश के पास मामला जायगा, हम तो हमेशा इसलिए एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी के अलग करने की बात कहते हैं इसीलिये हमारा विचार है कि केवल जिला जज के यहां ही न्याय मिल सकता है। आज कोई भी अपराधी सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अपने लिये न्याय हासिल कर सकता है लेकिन मन्त्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय उन गणतन्त्र परम्पराओं का जरा भी खयाल नहीं किया कि जिन के अन्तर्गत आज भी हमारे नागरिक अपने पेट को काटकर मकान बनाते हैं और उसके बाद आप एक छोटे से कागज से ही उसका निपातन कर देते हैं और उनको यह भी अधिकार नहीं देते कि वह किसी न्याय की अदालत में जा कर अपनी बात कह सके। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार करने में मंत्री जी को कोई संकोच न होना चाहिये और जनतंत्र और विधान की रक्षा के लिये आप इस संशोधन को स्वीकार करें और क्षुब्ध व्यक्ति को जनतांत्रिक अधिकार से वंचित न करें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन गरता हूं।

*श्री राधेश्याम—उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बड़ी समझदारी के साथ पेश हुआ है। मुझे बड़ा दुःख है कि मंत्री जी एक भी संशोधन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बड़ा विचारणीय प्रश्न है, इस तरह की समस्या हर व्यक्ति के सामने आ सकती है। सक्षम अधिकारी कितना ही न्याय प्रिय क्यों न हो लकिन ग़लती तो सब से ही हो सकती है, एक व्यक्ति को इतना बड़ा अधिकार देना कहां तक उचित है? और यदि यह व्यवस्था किसी व्यक्ति के साथ होती है और ग़लती के बावजूद उसका मुक़दमा अदालत तक न जा सके और वह कमिश्नर तक जाय तो मालूम पड़ता है मलिन बस्ती के सुधार के लोभ में या तो मंत्री जी जनतंत्र का गला घोटना चाहते हैं या डर दिखा कर हमसे जबरदस्ती इसको मनवाना चाहते हैं। जब एक सक्षम अधिकारी गलती कर जायगा और न्यायाधीश तक मुकदमा नहीं जायगा, केवल कमिश्नर तक ही जायगा तो आप उसकी दिक्क़तों का अनुभव कर सकते हैं, उसके पास रहने को भी मकान नहीं रहेगा। यदि एक साल वह स्वर्ग नहीं बना तो वह ग़रीब तो बिना मकान के मर जायगा और उसका सर्वस्व नष्ट हो जायगा। जनतंत्र का तकाजा है कि हर व्यक्ति को प्रथम न्यायाधीश की अदालत में जाने का अधिकार दें। आशा है कि मंत्री जी इस संशोधन को मानेंगे जो जनतंत्र की प्रथम इकाई और तकाजा हो सकता है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, एक ग़लतफ़हमी मैं दूर कर दूं। यह समझना मंत्री ने अकेले सब कुछ कर दिया, ग़लत है। इस सदन की ओर से नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति ने सब बातों को समझने के बाद यह सब तर्क वहां भी आये, उसके बाद भी यदि अपने विवेक से यही उचित समझा हो जो इस विधेयक में है तो मेरा क्या कसूर। इसके अलावा इस विधेयक पर अपर हाउस की छाप भी लग चुकी है। इसलिये मेरा कोई दोष नहीं है।

जो पहलू यहां लाये गये हैं उनका अन्दाज कर लिया गया था। यह कहना ग़लत है एक आदमी पर सब कुछ छोड़ दिया गया है। सक्षम अधिकारी जो कुछ करेगा उसके बाद वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

सरकार के पास आयेगा, यहां रिप्रेजेन्टेशन होता है। इसके अलावा सेक्शन २९ के अन्दर सिर्फ़ कमिश्नर के यहां ही अपील हो सकती है ऐसा नहीं है, दूसरे को भी प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। और यदि सरकार समझेगी कि कमिश्नर के यहां जाने से ऐडमिनिस्ट्रेटिव दिक्क़त होती है तो उसका खास प्रावीजन कर सकते हैं, ऐसा प्रावीजन इसमें है। मुझे आशा है अब गलतफ़हमी दूर हो गई होगी और इस संशोधन को प्रेस नहीं किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप इसको प्रेस करते हैं ?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—जी हां। मैं उत्तर में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। इसका जवाब मंत्री जी ने दे दिया और जो दफ़ा १२ में बहुत से अधिकार दिये गये हैं सरकार को, जब सक्षम अधिकारी एक निणय ले तो सरकार को सूचना देगा। मैंने जो संशोधन रखा रखा दो विचार से रखा। एक तो सरकार मनमानी न करने पाये और सक्षम अधिकारी भी न करने पाये कौन सा कंसीडरेशन सरकार के निर्णय में आये इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं सरकार के पास चीज़ आयेगी किन कंसीडरेशन से निर्णय ले, क्या निर्णय ले यह विवादग्रस्त चीज़ है। ऐसी परिस्थिति जानकर ही मैंने जज को रखा है। दफ़ा २९ में सरकार ने लिखा है किसी न्यायालय को, सिविल साइड नहीं लिखी, न्यायाधीश नहीं लिखा, किसी न्यायालय को, चाहे वह एडीशनल कमिश्नर हो या कमिश्नर हो, अपील कर सकता है। फिर जिला न्यायाधीश के लिखने में कौन सी कठिनाई थी।

समय-समय पर जुडीशियरी के बारे में यहां विचार व्यक्त किये जा चुके हैं, उनसे पता चलता है कि वह निष्पक्ष रहती है। फिर हमारी सरकार उससे डरती क्यों है और इस सावधानी के बरतने की क्या आवश्यकता है कि कहीं सरकार की मंशा के विरुद्ध न हो जाय, जनता के हित के खिलाफ न हो जाय। इसलिये उसमें न्यायाधीश को स्थान न दे कर आयुक्त को स्थान दे दिया तो आयुक्त का नाम क्यों रखा गया ? आयुक्त वह व्यक्ति है और उसके बाद किसी और को वह पावर डेलीगेट कर देगा। लेकिन सिविल साइड का कोई आफिसर नहीं होगा। सिविल जज नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होगा। इस सदन के सामने कहते हैं कि दूसरे अधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट जज को ही डेलीगेट कर देंगे। कैसे वह दे देंगे ? जब पावर देने लगेंगे तो हम तो रहेंगे नहीं। तो हमारा विश्वास जीतने के लिये, कानून बनते समय ही डिस्ट्रिक्ट जज को रख दिया जाय तो क्या हर्ज है। "केस शुड बी डिसाइडेड विद्इन सिक्स मंथ्स"। आज आज सिविल साइड के लोगों के सामने प्रश्न है उनके पास काम नहीं है। किसी के पास ६ केस हैं, किसी के पास १० केस हैं। समय इतना है कि कैसेज़ अगर उनके पास जायें तो शीघ्र निर्णय हो सकता है। वह भी गवर्नमेन्ट की पालिसी को समझते हैं। जनता के हित को समझते हैं। जब तक किसी के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होता हम पहले से ही क्यों शंका करने लगें ? तर्क यह उठता था कि जिले के जज को यह केस दिये जायंगे तो वर्षों लग जायंगे। छोटे लोगों के लिये चीज बन रही है। बड़े लोग उसमें आ कर अड़ंगा डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट जज बड़े आदमियों का आदमी है। इतने तर्कों के लिये क्या कहूं ? फिर मैं कहता हूं कि इस सदन में कहे हुए शब्द वहां वजन नहीं रखेंगे। जब प्रेक्टिकल रूप में कानून को कार्यरूप में परिणत किया जायगा तो इन विचारों के साथ मैं बलपूर्वक इसका समर्थन करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूं कि यह ख्याल कि न्यायालय में जाने से हमें डर लगता है बिलकुल गलत है। डर लगता है सिर्फ एक बात से और वह यह कि जिस परपज के लिये यह बिल लाया गया है वह परपज डिफीट न हो जाय। अगर सारा प्रोसीजर लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट का इसमें हम एडाप्ट करते हैं और उसे ज्यादा महंगा व देरी वाला बना देते हैं तो फिर सारा परपज डिफीट हो जाता है। यह उचित नहीं प्रतीत होता। इसीलिये प्रवर समिति ने उसी बात को उचित समझा

और ऊपर वाले सदन ने देरी की वजह से इस न्यायालय की बात को स्वीकार नहीं किया । इसलिये मैं इसे स्वीकार करने में अपनी दिक्कत समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (५) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड (६) के रूप में जोड़ दिया जाय---

"(६) यदि कोई व्यक्ति इस खंड के उपखंड (१) या (२) के अधीन किये गये निर्णय या आदेश से क्षुब्ध है तो वह उस निर्णय या आदेश के ३० दिन के अन्दर उस क्षेत्र से संबंधित जिला न्यायाधीश के पास उसके विरुद्ध अपील कर सकता है, और उसका निर्णय इस विषय में अंतिम होगा। अपील का निर्णय होने के समय तक तत्संबंधी राज्य द्वारा की जाने वाली सारी कार्यवाही स्थगित रहेगी"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

मलिन बस्ती निपातन आदेश

१३---(१) सक्षम प्राधिकारी धारा १० तथा १२ के उपबन्धों के अनुसार किसी मलिन बस्ती क्षेत्र के निपातन क्षेत्र घोषित किये जाने तथा धारा १२ की उपधारा (५) के अधीन उस आदेश के प्रवर्ती हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उक्त क्षेत्र के संबंध में एक मलिन बस्ती निपातन आदेश देगा जिसमें यह आज्ञा होगी कि उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर जो आदेश की तामील के दिनांक से तीस दिन से कम की न होगी ऐसे समस्त भवनों को जिन्हें धारा १२ के निर्णय के अनसरण में गिराना होगा यथास्थिति उक्त भवनों के स्वामी या अध्यासी खाली कर दें तथा उसमें स्वामी के लिये यह निदेश भी होगा कि वह उन भवनों को, उस दिनांक से, जब तक आदेश के अनुसार उनका खाली किया जाना अपेक्षित हो छः सप्ताह के भीतर अथवा ऐसी अधिक अवधि की समाप्ति के पूर्व जो सक्षम प्राधिकारी मामले की स्थिति को देखते हुये निर्दिष्ट करे, गिरा दे।

(२) यदि भवन का स्वामी या अध्यासी उपधारा (१) के अधीन दिये गय आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे खाली न करें तो सक्षम प्राधिकारी उसे खाली करवायेगा तथा वह तदर्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जो आवश्यक हो।

(३) यदि कोई भवन उपधारा (१) के अधीन तदर्थ निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने के पूर्व न गिराया जाय, तो सक्षम प्राधिकारी उसमें प्रवेश कर सकता है तथा उसे गिरा सकता है और उसके मलवे को सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेंच सकता है तथा उसकी बिक्री से प्राप्त धनराशि से भवन के गिराने के व्यय की पूर्ति हो गई समझी जायेगी ;

यदि मलवे की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से भवन गिराने तथा मलवे की बिक्री पर हुआ व्यय काट लेने के बाद कुछ शेष बचे तो उसका भुगतान नियत रीति से भवन के स्वामी को कर दिया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भवन का स्वामी नीलाम के पूर्व मलवे को या उसके किसी भाग को उठाना चाहे तो वह सक्षम प्राधिकारी को, उसके द्वारा नियत अवधि के भीतर भवन को गिराने का समस्त व्यय चुका कर उसे उठा सकता है।

(४) यदि इस धारा के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में कोई भवन गिरा दिया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी, यथाशक्य, भवन के अध्यासी को ऐसी रीति से और उस सीमा तक, जो नियत की जाय, अस्थायी वैकल्पिक वास-स्थान अर्पित करेगा ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि :—

खंड १३ के उपखंड (१) के अन्तिम विराम के स्थान पर चिन्ह कोलन रख दिया जाय तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भवन खाली कराने के पहले, यदि स्वामी या अध्यासी को निवास स्थान प्राप्य न हो और वह चाहे, तो उसके निवास के लिये स्थानीय निकाय या संबंधित अधिकारी को यथासंभव नियत किये हुये के अनुसार व्यवस्था करना आवश्यक होगा ।"

अब मैं विधेयक का १३(१) पढ़ दूं जो इस प्रकार है—

"सक्षम प्राधिकारी, धारा १० तथा १२ के उपबन्धों के अनुसार किसी मलिन बस्ती क्षेत्र के निपातन क्षेत्र घोषित किये जाने तथा धारा १२ की उपधारा (५) के अधीन उस आदेश के प्रवर्ती हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उक्त क्षेत्र के संबंध में एक मलिन बस्ती निपातन आदेश देगा जिसमें यह आज्ञा होगी कि उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर, ज आदेश की तामील के दिनाँक से तीस दिन से कम की न होगी, ऐसे समस्त भवनों को, जिन्हें धारा १२ के निर्णय के अनुसरण में गिराना होगा, यथास्थिति, उक्त भवनों के स्वामी या अध्यासी खाली कर दें तथा उसमें स्वामी के लिये यह निदेश भी होगा कि वह उन भवनों को, उस दिनाँक से, जब तक आदेश के अनुसार उनका खाली किया जाना अपेक्षित हो, ६ सप्ताह के भीतर अथवा ऐसी अधिक अवधि की समाप्ति के पूर्व जो सक्षम प्राधिकारी मामले की स्थिति को देखते हुये निर्दिष्ट करे, गिरा दे ।"

इसी के प्रसंग में यह संशोधन है । वैसे तो बार-बार किसी न किसी रूप में यही संशोधन आता है और जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि सचमुच रोटी, कपड़ा पाने के बाद मकान कितना आवश्यक होता है, उस पहलू को भी जाने दें, पर हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति हो कि हम बैठे हुये हैं, उनके कष्ट का कैसे अन्दाज लगा सकते हैं, हम तो कहते हैं कि जल्दी होनी चाहिये, भले ही सरकार की ओर से कुछ कठिनायी आ पड़ें और उसमें देर हो परन्तु उसको निकालने में जल्दी होनी चाहिये । कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि किसी भेड़ से कहा जाय कि तुम अपने बाल दे दो, हम अ ने लिये कम्बल बनवायेंगे । उसने कहा कि जाड़ा बहुत लगता है, बाद में बनवा लीजियेगा । लेकिन उन्होंने उसके बाल कटवा लिये और कम्बल बनवा लिया पता नहीं बाद में वह भेड़ बची या मर गयी । ठीक वही स्थिति यहाँ भी है कि खाली फौरन करवा लो चाहे उसको रहने का ठिकाना मिले या न मिले । वह मकान के एक अंश में भी एक क्ष ण के लिये नहीं रह सकता । तो कृपा कर के कुछ तो व्यवस्था कर दीजिये ।जब आप स्वयं संतुष्ट हो जायं कि उनको कोई मकान देने वाला नहीं है, उनको कोई अपने बरामदे तक में नहीं रहने देगा तब आप प्रबन्ध कीजिये । अगर कोई डलिया बनाता है तो वह कहाँ बनायेगा, उसकी रोटी कैसे चलेगी ? इसमें लिखा है कि उद्योग-धंधे से न उखड़े लेकिन यहाँ दोनों बातें की जा रही हैं । मकान भी खाली कराया जा रहा है और उद्योग धंधे से भी उखड़ गया । आप झोपड़ी तो बनवा दीजिये । उसे कहीं रहने का स्थान तो दीजिये । एक की जवाब आजकल होता है कि यह तो निर्माण का युग है । एक आदमी का जीवन खत्म हो जाय । फिर उसके लिये मकान बन रहा है तो बने । इन विचारों को रखकर मैंने यह संशोधन पेश किया ।

हो सकता है कि इस की शब्दावली वैसी न हो जैसी कि मंत्री जी चाहते हैं। लेकिन गरीबों के हित की चीज है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि कम से कम सरकार इन विचारों पर ध्यान दे।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह देख रही हूं कि उधर से जितने संशोधन आ रहे हैं वह एक-एक करके गिराये जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी यह नीति हो और चूंकि यह बिल विधान परिषद् से आया है और इसमें कोई संशोधन मान लिया जाता है तो फिर इसे विधान परिषद् में भेजना पड़ेगा। इस कठिनाई के कारण संशोधन गिराये जा रहे हैं। लेकिन इस समय जो संशोधन खंड १३ से संबंधित है, वह ऐसा है जिसे मैं समझती हूं कि हमारे स्वायत्त मंत्री जी को बिना यह ख्याल किये हुये कि फिर से इसे विधान परिषद् में भेजना होगा या देर लगेगी लेकिन इसके फार रीचिंग अफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुये इस संशोधन को मान लेना चाहिये। इलाहाबाद नगर-पालिका की सदस्य होने के नाते और अपने क्षेत्र में जब स्लम क्लियरेंस स्कीम चलाई गई तो जनता का बड़ा विरोध हुआ और हजारों जनता के प्रतिनिधि हमारे दरवाजे पर आये। उन्होंने कहा कि हमें दो बातों का एश्योरेंस हो जाय तो हमें कोई एतराज नहीं होगा और हम सहयोग देने के लिये तैयार हैं। एक तो यह कि जब मकान गिराया जायगा तो निवासस्थान का प्रबन्ध किया जायगा। दूसरा घर गिराने से पहले प्रबन्ध होना चाहिये और जो प्लाट्स बनेंगे वह हमको दिये जायेंगे। अगर यह एश्योरेंस मिल जाता है तो हम आपके साथ सहयोग देने के लिये तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो जन जीवन में काम करती हूं और आप जो सब काम करते हैं उसमें अनुभव करते होंगे कि कोई भी हमारी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि जनता का पूरा-पूरा सहयोग हमें प्राप्त न हो। जब कि यह एक ऐसी योजना है जिसमें हम लोगों को बेघरबार का करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें सुविधा देने जा रहे हैं तो जरूरत है कि हमें उनका पूरी तरह से विश्वास प्राप्त करना चाहिये और उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिये। आप जब गन्दी बस्ती के सुधार करने का प्रयत्न करेंगे और लोगों को दूसरी जगह ले जायेंगे तो उनको वैसी सुविधा नहीं होगी। लेकिन इस आशा में वह इस चीज को बरदाश्त कर सकते हैं कि आगे चलकर उनको अच्छी जगह मिल जायगी। लेकिन कोई भी उनको सुविधा नहीं देते हैं और उनको राह का भिखारी बना देते हैं तो जनता ऐसी स्कीम मानने के लिये कभी भी तैयार नहीं होगी और आपको उसका सहयोग प्राप्त नहीं होगा। जनतंत्र प्रणाली में हम लोग विश्वास करते हैं तो ऐसी चीज जनता पर जबरदस्ती लादी नहीं जा सकती है। आप सोचते हों कि कानून के जरिये, फौज के जरिये या सिपाहियों के जरिये कर लेंगे तो यह कभी नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री जी अपनी प्रेस्टिज का ख्याल न करें और यह भी न सोचे कि यह संशोधन विरोधी पक्ष से आया है, इसलिये मानने में कोई ऐसी बात हो जायगी। मैं समझती हूं कि यह उचित है कि विधान परिषद् ने अगर इस पर विचार नहीं किया है तो हमारे पास अब भी मौका है कि हम इस पर विचार करें। यह सोचना कि इसमें दो तीन महीने की देरी होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें सचमुच गन्दी बस्तियों का जल्द से जल्द सुधार करना है और जनता का विश्वास प्राप्त करना है तो इन संशोधनों को मान लेना चाहिये।

*श्री राधेश्याम--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कांग्रेस पार्टी के इतने भयंकर अनुशासन और दिन को रात और रात को दिन कहने के बावजूद भी, मेरी बहन ने संशोधन का समर्थन किया। मुझे कांग्रेस के अन्दर पार्टीबन्दी की सब बात मालूम है। कांग्रेस पार्टी में दो तिहाई सदस्य इस मत के हैं कि संशोधन माने जायं परन्तु मंत्रियों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम]

डर की वजह से और पार्टी के अनुशासन के कारण कोई नहीं कहता है। कांग्रेस पार्टी के कड़े अनुशासन के बाद भी माननीय सदस्य ने जो जनतंत्र प्रणाली की बात कही, उसके लिये मैं उन्हें बधाई दिये बिना नहीं रह सकता। उसके बाद मैं अपनी बात संशोधन के संबंध में पेश करता हूं। यह तो जनतंत्र का सबसे पहला सिद्धांत है कि अगर किसी से कोई वस्तु ली जाती है, तो जब तक उसके बदले में कोई चीज न दी जाय तब तक उस चीज को लेने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। यह भय दिखाना कि अगर यह विधेयक नहीं पास होगा तो आयेगा ही नहीं, मैं इसकी कभी परवाह नहीं करता। तृतीय पंच वर्षीय योजना की बात कह कर जो काम जनता में हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। भारतवर्ष का जब इतिहास लिखा जायगा तो इतिहासकार कभी भी इस सरकार को माफ नहीं करेंगे। इसकी कथनी और करनी में समानता नहीं है। यथाशक्ति की बात अगर कहना है तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह मंत्रिमंडल छोड़ कर विनोबा जी का अनुसरण करके, जनता में हृदय परिवर्तन का प्रचार करें। कानून में यथाशक्ति की बात, हृदय परिवर्तन की बात नहीं की जाती है। कानून में विश्लेषण सही हुआ करता है और यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि तब तक उससे मकान खाली नहीं कराया जा सकता जब तक कि उसका उसी तरह के मकान में रहने का प्रबन्ध न कर दिया जाय। अगर ऐसा नहीं होगा तो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ होगा। यदि आपको मंत्रिमंडल चलाना है और कानून बनाना है तो उसका विश्लेषण सही कीजिये। जिस व्यक्ति का मकान लिया जाय जब तक उसको दूसरा मकान न दिया जाय तब तक उससे वह मकान नहीं लिया जाना चाहिये, चाहे विधेयक पास हो या न हो। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन की ताईद करता हूं।

श्री काशीनाथ—उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जो विचार व्यक्त किये गये उससे पता चलता है कि उस पक्ष के बैठने वाले बहुत से माननीय सदस्यों के दिमाग में यह बात है कि माननीय शर्मा जी को इस संशोधन को मान लेना चाहिये। आप देखें, आपके द्वारा मैं इसे आदरणीय सदन को बतलाना चाहता हूं, जैसा भी हमारी माननीया बहन ने सदन को इलाहाबाद की बात बतलायी, उसी तरह से इस मलिन बस्ती विधेयक का सवाल हिन्दुस्तान की हर विधान सभा के सामने पेश हो रहा है, इस सरकार का लक्ष्य इस तरह के विधेयकों के पीछे क्या है यह भी मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। अभी बिहार विधान सभा में इसी तरह का विधेयक पास हुआ और उनके बाद पटना की गन्दी बस्तियां जब हटाई गई तो हजारों, लाखों आदमी बेघरबार हुये और उनके लिये कोई इन्तजाम नहीं किया गया। इस सबके पीछे एक ही लक्ष्य है कि जो विदेशी हिन्दुस्तान में आते हैं वह दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ, इलाहाबाद ऐसे शहरों में घुमाये जाते हैं और ऐसे बड़े-बड़े शहरों में यदि वे इन गन्दी बस्तियों को देखते हैं तो उनको हिन्दुस्तान की गरीबी का, उनके नंगे और भूखे होने का कुछ ज्ञान होता है, वह समझने की कोशिश करते हैं कि हिन्दुस्तान कितना गरीब है। विदेशियों पर यह असर न पड़ने पाये कि यह देश गरीब है और एक झूठा असर उन पर डालने के लिये इस तरह के विधेयक हिन्दुस्तान की हरएक विधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेशानुसार पास करने की कोशिश की जा रही है। (व्यवधान) इसीलिये श्रीमन्, संशोधन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सचमुच में अगर शर्मा जी विनोबा जी के अनुयायी हैं, और गांधीवाद में विश्वास करते हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को अवश्य मानें। इस संशोधन में केवल इतनी ही बात कही गई है कि आप जिसका घर लेते हैं उसको घर देने का व्यवस्था तो करें। यथाशक्ति की जहां तक बात है उसमें आप अफसरों को इतना अधिकार दे रहे हैं कि वह जिसको चाहेंगे उसके घर को गिरा देंगे। आप तो बहुत पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति हैं, आप जानते होंगे कि कानून की किसी धारा में यथाशक्ति जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। अंग्रेजों के जमाने के जो कानून बने हुये हैं जिनके सहारे आज बहुत से काम आपके चल रहे हैं उनको आप देखें, सी०आर० पी०सी० और आई०पी० सी० को देखें, ताजीरात हिंद की और सी०आर०

पी०सी० की जितनी धारायें हैं उनमें कहीं भी इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो आप अपने कानन को सुचारु रूप से बनायें जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी के सामने उदाहरण के रूप में रहे कि हमारे कानून बनाने वाले और कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल के सदस्यगण बहुत ही काबिल थे, योग्य थे। इस ष्टि से भी आपसे अपील करूंगा कि आप इस संशोधन को मान लें।

श्री नरसिंहनारायण——आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने पेश किया है वह बहुत ही साफ संशोधन है और मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्या जो अभी उधर से बोली हैं उनके बोलने के बाद माननीय मंत्री जी इसको नहीं मानेंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं इस संशोधन के ऊपर मान्यवर, कि Law is nothing but the will of he people expressed in terms of law. कानून क्या होता है? कानून तो जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब होता है और अगर जनतंत्र में जनता की आकांक्षाओं का इस प्रकार से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी निरादर करें तो मैं समझता हूं कि वह कानून जनता की आकांक्षाओं का तिबिम्ब नहीं हो सकता। इसलिये ऐसा कानून जिसमें कि जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब न हो उस कानून को कानून का रूप देना जनतंत्र की हत्या करना है यह मैं इसलिये कहता हूं कि जब आप किसी के मकान को गिराना चाहते हैं तो इस निर्माण के युग में आपको उसके मकान को गिराने से पहले उसको मकान देना चाहिये। उसको मकान देकर के उसको बसाने की आपके अन्दर भावना होनी चाहिये। आपका जो यह पूरा का पूरा विधेयक है उसमें केवल एक ही बात है कि सारी सत्ता को आप स्वयं केंद्रीयकरण करके अपने हाथ में रखना चाहते हैं और अपने अधिकारियों के हाथ में देना चाहते हैं। आप इस तरह के कानून बनाना चाहते हैं जिससे कि कानून बनने के बाद मलिन बस्ती के रहने वाले लोग उसका लाभ नहीं उठा पायेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि श्रीमन्, आज जो यह संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने पेश किया है इसको स्वीकार किया जाय। यह संशोधन अपनी जगह पर एक ऐसा सीधासाधा संशोधन है जिसके बारे में आज सारे कारपोरेशन में चर्चा है। सारे लोग चाहे वे लखनऊ शहर में रहते हों, चाहे वे कानपुर शहर में रहते हों, चाहे वे आगरा शहर में रहते हों और चाहे किसी और कारपोरेशन के अन्दर रहते हों, उन सब की यह भावना है कि उन गरीब लोगों के घरों को गिराने के पहले सरकार के लिये यह उचित होगा कि सरकार उनके बसाने का पहले प्रबंध करे और तब वे मकान गिराये जायं। इसलिये मैं कहता हूं कि यह संशोधन अपनी जगह पर बहुत सीधा साधा है जिसको माननीय त्रिपाठी जी ने पेश किया है। इसके बाद कांग्रेस दल की ओर बैठने वाली एक माननीय सदस्या, जो इलाहाबाद कारपोरेशन की सदस्या हैं और जिनका अनुभव है, उनके अनुभव को समझकर माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करें क्योंकि वे उनकी तरफ बैठने वाली सदस्या हैं। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा——श्रीमन्, मैंने समझा था कि जो बहस संशोधन खंड १०—(क) (ख) पर हुई और उस पर जो तर्क और दलील दी गई उसके बाद शायद विवाद और ज्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन जब भावना जोर मारती है तो विवेक शिथिल पड़ जाता है। भावना जोर मारती है तो इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इधर से एक बहिन मां होने के नाते वह भी भावना में बह गई। जैसा कि मैंने निवेदन किया था भावना से काम चल जाता तो मैं कभी बाधक न होता। वास्तव में इस विधेयक की मारफत जो उद्देश्य है वह इतना है कि मलिन बस्तियों का जो क्लियरेंस है वह जल्दी हो सके। इससे अधिक नहीं है क्योंकि आज भी कुछ कानून है जिसके मातहत बस्तियां हटाई जा रही हैं और जिसके मारफत ५ हजार के करीब मकान बन चुके हैं। आज भी वह कानून चल रहा है। इस विधेयक की मारफत उन कानूनों को रद्द नहीं कर रहे हैं।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

दूसरी गलतफहमी यह भी नहीं होनी चाहिये कि सरकार कुछ करने जा रही है। सरकार तो सिर्फ इस काम को आसान करने के लिये कुछ कर रही है। अगर यह समझा जाता है और यह माननीय सदन अपने पूरे विवेक के साथ यह निश्चय करता है कि जैसे काम चल रहा है वही ठीक है, तो चलता रहे। मकान बनाये जा रहे हैं। आज भी मकान गिराये जाते हैं और लोगों को हटाया जा रहा है। उनको दूसरा मकान देने की कोशिश की जाती है। अगर कहीं मकान मिलते हैं तो उनको दिये जाते हैं लेकिन उनके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आज अगर आप ऐसा प्रतिबन्ध लगा कर असम्भव कर देते हैं किसी महापालिका के लिये कि इस विधेयक की मारफत वह इस शर्त पर मकान बनायें तो आप चाहे इस विधेयक को बहुत सुन्दर अक्षरों में छाप दें और बहुत बढ़िया अक्षरों में सुनहरी जिल्द बंधवाकर रख लें तो फिर यह पुस्तकालय की शोभा ही बढ़ाता रहेगा। लेकिन जहां तक मलिन बस्तियों को हटाने का सवाल है वह नहीं हटेंगी। वह तो तभी हटेंगी जब कि नगर महापालिका यह समझ सके कि वह यह सब कर सकेंगी। बदकिस्मती यह है कि आज आप या हम उसे कम्पेल नहीं कर सकते हैं। आज नगरपालिकायें कहती हैं कि हम नहीं कर सकती हैं। सरकार तो इतना ही कर सकती है कि हमने यह १,००० रुपया रख दिया है। उसमें ६२५ रुपया अपनी तरफ से अनुदान देते हैं। सिर्फ ३७० या ३७२ रुपया हम उन से आशा करते हैं कि वह दे दें। इतना कम व्यय उठा कर भी वह मलिन बस्तियों को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते। अन्न और कपड़े के बाद इंसान के लिये सब से ज्यादा जरूरी चीज मकान है, लेकिन वह सरकार नहीं बनाती, यह कहा जाता है। सरकार ने तो साढ़े ६२ फीसदी अनुदान दे दिया, बाकी लोन के रूप में देने की सुविधा कर दी और इसके अलावा वह यही कर सकती है कि जमीन एक्वायर करने में अगर दिक्कत हो तो उसमें हम कुछ और आसानी पैदा कर दें। लेकिन इसके अलावा और कैसे मकान बनाये जायं। कैसा भी मकान बनाया जाय, उस के लिये पैसा चाहिये। वह किस स्कीम से आयेगा? क्या हमारे और आप के कहने से पैसा आ जायगा? अगर आसानी से पैसा आ जाय तो हम अवश्य स्वीकार कर लेंगे। अगर यह आप लोग सोचें कि जो योजना आ रही है उसमें हम ३,४ करोड़ रुपया बढ़ा दें और उन को लोन न दे कर ग्रांट ही दे दी जाय तो जरूर हो सकता है। (व्यवधान) मंत्रिपरिषद् क्या करेगी। वह तो बिना सदन की मरजी के एक पैसा भी नहीं खर्च सकती। यदि आदरणीय सदन का मत हो कि हम ग्रान्ट देना ठीक समझते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर सारे प्रश्न रुपये की वसूली से ही हल हो सकें और उससे सारा काम चल जाय तो ठीक है लेकिन केवल भावना से ही प्रश्न हल नहीं हो जाते। जैसा हमारी एक बहिन ने कहा और जोश में आ गयीं, वैसे जोश में और दूसरे भाई भी आ सकते हैं, लेकिन उस से इस तरह के सवाल हल नहीं होते। यह प्रश्न तो तभी हल होगा कि जब महापालिका की सामर्थ्य बढ़े। अगर ऐसा न हुआ तो इस विधेयक के पास करने का कोई फायदा नहीं है। आज तक ५,००० से अधिक मकान इस योजना के अन्तर्गत बन चुके हैं। यह सोचना गलत है कि सरकार मकान बना रही है और सरकार और अधिक उदारता क्यों नहीं करती। यह महापालिका के करने की चीज है और यदि आप इस ऐक्ट को इतना अधिक कठिन बना देंगे तो वह इसको करने के लिये कोई कदम नहीं उठावेंगे और दूसरी तरह से अपना काम करेंगे। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन को इससे आगे और प्रेस नहीं किया जायगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन इस न्यायसंगत संशोधन को देखते हुये मैंने आपसे अर्ज की है। इतने न्यायसंगत संशोधन को भी सरकार न माने, तो फिर क्या कहा जाय। मैं इसे देख कर घबरा रहा हूं कि किसी से मकान खाली कराया जाय और उसे रहने के लिये मकान न दिया जाय। ऐसा हो तो जितने एम०एल०ए० हैं और मंत्री हैं उनकी कोठी और कमरे ले लिये जायं और उन्हें खदेड़ दिया जाय और यह कहा जाय कि तुमको मकान ६ महीने बाद दिया जायगा। वह स्वर्ग बनायेंगे और बहिश्त बनायेंगे, यह कानून मेरी समझ में नहीं आता। हालांकि मैं थोड़ा पढ़ा-लिखा हूं पर थोड़ा पढ़ा लिखा मनुष्य भी यही कहेगा कि पहले मकान का इंतजाम हो बाद में उस बेचारे को निकालने

की बात होनी चाहिये। एक तो रोटी नहीं मिलती और कपड़ा नहीं मिलता उसके बाद आप मकान भी छीन लेना चाहते हैं। यह कहां का न्याय है। जो मलिन बस्ती सुधार के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं मुझ से पहले वे बिलकुल न्यायसंगत हैं और संशोधन न्याय-संगत है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि इस संशोधन के आने की जरूरत ही नहीं थी। केवल इतना ही कहकर मैं आशा करूंगा कि इस संशोधन को मान लिया जायगा और मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब इस विधेयक पर अगले दिन बहस चलेगी।

श्री नेकराम शर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री अध्यक्ष पर कथित आरोप के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री कृष्णानंदराय (जिला गाजीपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बहुत ही आवश्यक बात कहनी है और मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं इस सदन के अवमान का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कृपया आप आज्ञा दें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रख रहा हूं। जब माननीय सदस्य उठे बोलने के लिये तो आपने यह आदेश दिया कि बैठिये, बहस बाद में होगी, तो माननीय सदस्य कैसे खड़े हो गये?

श्री उपाध्यक्ष—ऐसी बात नहीं है। मैंने यह कहा कि अब इस विधेयक पर अगले दिन बहस होगी, उस दिन आपको पूरा मौका मिलेगा और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस समय तो केवल २–३ मिनट का मौका है। मैंने उनको आज्ञा दी है।

श्री कृष्णानंदराय—श्रीमन्, मैं इस सदन के अवमान का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आज सुबह प्रश्नों के बाद हमारे सदन के एक आदरणीय सदस्य, श्री नेकराम शर्मा ने श्री अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि वे स्वयं सदन के नियमों की अवहेलना किया करते हैं और उनके इस रवैये से उनके दल को बड़ी शिकायत है। मैं इस प्रश्न को उसी समय उठाना चाहता था लेकिन उस समय उन लोगों ने वाक आउट करना चाहा और उनकी पूरी बात मैं नहीं सुन सका। अतएव मैंने सोचा कि प्रोसीडिंग्स देखूं। वे शब्द क्या आये हैं। मैंने जाकर प्रोसीडिंग्स देखी (व्यवधान)।

श्री उग्रसेन—यह किस विषय पर बोल रहे हैं। यह नोटिस दे रहे हैं या कुछ और। वरना इस विषय में भाषण की क्या आवश्यकता है।

श्री कृष्णानंदराय—श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री नेकराम शर्मा ने यह कहा था कि अध्यक्ष महोदय, स्वयं नियमों का पालन नहीं करते। यह इस सदन का अवमान है और इसी का मैं नोटिस देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—इस प्रश्न के साथ-साथ सदन का समय भी समाप्त होता है। इसलिये यह प्रश्न ले तो लिया गया परन्तु अगले दिन बहस इस पर होगी।

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे दिन में फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे, सोमवार, ६ अगस्त, १९६२ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३ अगस्त, १९६२।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०४ पर]

क्रम-संख्या	जिले का नाम	हानि का विवरण
१	२	३
१	मथुरा ..	तारीख २७/२८–४–६२ को सायंकाल ६ बजे भीषण आंधी आई और उसके बाद कहीं-कहीं ओला वृष्टि हुई जिसके कारण १ बैल व १ गाय मर गई, जिनकी कीमत अनुमानतः ३०० रु० है।
२	कानपुर ..	उक्त तिथि को जिले की तहसील अकबरपुर व डेरापुर में आंधी आई जिसमें तहसील डेरापुर में केवल वृक्षों पर प्रभाव पड़ा, जो नगण्य था।
३	फतेहपुर ..	आंधी से केवल आम को कुछ क्षति पहुंची जिसकी मात्रा रुपये में १२ नये पैसे से २५ नये पैसे तक थी।
४	इलाहाबाद ..	आंधी से ३ व्यक्तियों की मत्यु हुई और कुछ पेड़ गिर गये। तहसील सिराथू में आम को नुक्सान हुआ जिसकी मात्रा रुपये में २५ नये पैसे रही।
५	जौनपुर ..	आंधी से तहसील केराकत में आम को क्षति पहुंची जिसकी मात्रा रुपये में ६ नये पैसे रही।
६	गाजीपुर ..	आम की फसल को साधारण क्षति पहुंची जिसकी मात्रा नगण्य रही।
७	टेहरी-गढ़वाल ..	जिले की प्रतापनगर तथा देव प्रयाग तहसीलों में दिनांक अप्रैल, २४,२५,२९, १९६२ को हुई उपल वृष्टि से रबी की फसल को हानि हुई जिसकी मात्रा प्रतापनगर तहसील के ३५ ग्रामों में अनुमानतः ७५ नये पैसे से १०० नये पैसे तक, तथा देव प्रयाग तहसील के १९ गांवों में रुपये में अनुमानतः २५ नये पैसे से ९४ नये पैसे तक रही।
८	फैजाबाद ..	आंधी से ८७० रु० के मूल्य की हानि गेहूं की ५ सौ पयाल, धान व भूसा, चना व मटर के जल जाने से हुई।
९	सुल्तानपुर ..	कुछ पेड़ व फूस के छप्पर गिर गये।
१०	प्रतापगढ़ ..	कहीं-कहीं पेड़ को डालियां टूट गईं। आम की फसल को १० नये पैसे से १२ नये पैसे प्रति रुपये की हानि हुई।
११	उत्तर काशी ..	जिले की तहसील राजगढ़ी के १७ गांवों में उपल वृष्टि के कारण फसल को क्षति पहुंची अनुमानित हानि लगभग १,००० रु० है।

नोट:—प्रदेश के अन्य जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार कोई हानि नहीं हुई है।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०५ पर]

गोरखपुर में राप्ती नदी पर पुल निर्माण के संबंध में जनवरी, १९६२ से मार्च, १९६२ तक किये गये खर्च का मद के अनुसार विवरण

कार्य अथवा मद	खर्च रुपये में
Superstructure १—(पियर के ऊपर का भाग)	७२२.५२
Testing of the existing spans. २—(स्पेन की जांच)	३२९३.५७
Miscellaneous Items ३—(प्रकीर्ण भाग)	२४०८.४९
Work charge Tools and Plant Contingencies ४—(वर्क चार्ज और टूल्स और प्लान्ट कान्टोन्जेन्सीज)	६१४८.९७
Centage Charges ५—(किये गये कार्य के व्यय पर ७ १/२ प्रतिशत अतिरिक्त व्यय) ..	१३,४२९.२६
Material at Site Account ६—(सामान जो पुल बनने में प्रयोग होगा)	१,३२,१४७.५५
Other Transactions ७—ठेकेदारों के बिलों से १० प्रतिशत काटे जाने वाला धन ..	१०,२८५.७९
Grand Total कुल योग	१,६८,४३६.१५

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१४ पर]

हीरालाल वैश्य इन्टर कालेज, छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में परीक्षा में बैठने से रोके गये छात्रों की सूची

छात्र का नाम	परीक्षा में बैठने से रोकने का कारण
हाई स्कूल परीक्षा—	
१—श्री आनन्द प्रकाश गुप्ता २—श्री कौशल किशोर दुबे ३—श्री गंगादीन	असंतोषजनक कार्य के कारण।
४—श्री प्रभुदयाल	बोर्ड के विनियम ५।११।
५—श्री हुकुम सिंह यादव	अध्याय १२ के अन्तर्गत।
इण्टर परीक्षा—	
१—श्री चन्द्रभानु सिंह २—श्री सुरेश कुमार सिंह ३—श्री वीरदास जैन ४—श्रीमती किरण किशोरी	उपस्थिति में कमी तथा असंतोषजनक कार्य के कारण बोर्ड के कैलेन्डर के अध्याय १२ के विनियम ५(३) तथा ५(११) के अन्तर्गत।
५—श्री राज बहादुर सिंह राठौर	असंतोषजनक कार्य के कारण।
६—श्री हेमराज सिंह ७—श्री घनीराम जाटव	बोर्ड के विनियम ५ (११) अध्याय १२ के अन्तर्गत।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२० पर]

नक्शा नं० १

क्रम-संख्या	दूकान के स्थान का नाम	दूकान की संख्या
१	नवाबगंज	४
२	सफदरगंज	१
३	जैदपुर	१
४	हैदरगढ़	१
५	कटवा सड़क	१
६	सुमेरगंज	१
७	दरियाबाद	१
८	टिकैतनगर	१
९	रुदौली	२
१०	सुजानगंज	१
११	फतेहपुर	१
१२	गणेशपुर	१
१३	अलयाबाद	१
१४	टिकैतगंज	१
	योग ..	१८

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२१ पर]

अनुसूची

जिला झांसी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सैदपुर फारम रोड, जिसकी लम्बाई ३ मील है, स्वीकृत की गई थी, जो बना दी गई है।

२—द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ५४ मील ६ फर्लांग लम्बी सड़कों के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था, जिसमें से ९ मील का कार्य मध्य सतह तक पूरा हो गया है। द्वितीय योजना काल में जो सड़कें स्वीकृत की गई थीं तथा उनकी अप्रैल, १९६२ तक की प्रगति नीचे दी गई है:

क्रमांक	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई		अप्रैल १९६२ तक की प्रगति
१	२	३		४
		मी०	फ०	
१	वंशी जखौरा ..	९	७	९ मील ४ फ० में मिट्टी का कार्य, ९ मील में पुलियों का कार्य, ५ मी० ६ फ० में सोलिंग की तह तथा २ मील में बीच की तह की कुटाई हो चुकी है। इस के अतिरिक्त ४ मी० १ फ० में सोलिंग की ईंटें, ७ मी० ७ फ० में बीच की तह की गिट्टी और ४ मी० ७ फ० में ऊपरी तह की गिट्टी इकट्ठा की गई है।
२	वंशी वार ..	६	१	३ मील ४ फ० मिट्टी का कार्य, ३ मील में पुलियों का कार्य हो चुका है। इसके अतिरिक्त ३ मी० ६ फ० में सोलिंग की ईंटें और ४ मील में बीच की तह की गिट्टी इकट्ठा की गई है।
३	ललितपुर-देवगढ़ ..	१९	०	१६ मील ८ फ० में मिट्टी का कार्य, १८ मी० में पुलियों का कार्य, ७ मी० ३ फ० में सोलिंग की तह हो चुकी है। इस के अतिरिक्त १२ मी० ३ फ० में सोलिंग के लिये ईंटें, १६ मी० ५ फ० में बीच की तह की गिट्टी और ९ मी० ७ फ० के लिये ऊपर की तह की गिट्टी इकट्ठा की गई है।
४	बानपुर-मेहरौली ..	८	५	८ मी० ५ फ० में मिट्टी का कार्य, ७ मी० में पुलियों का कार्य, ८ मी० ५ फ० में सोलिंग की तह और ३ मील में बीच की तह की कुटाई हो चुकी है। इसके अतिरिक्त ४ मी० ५ फ० में बीच की तह के लिये गिट्टी और ४ मी० ६ फ० में ऊपर की तह की गिट्टी इकट्ठा कर ली गई है।
५	मदौरा-मदनपुर ..	११	५	४ मी० २ फ० में मिट्टी का कार्य, ५ मी० में पुलियों का कार्य हो चुका है। इसके अतिरिक्त ६ मी० में सोलिंग की तह के लिये ईंटें, और १ मी० ५ फ० में बीच की तह के लिये गिट्टी इकट्ठा की जा चुकी है।

नत्थी 'च'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२२ पर]

तहसीलवार पृथक् किये गये लेखपालों की सूची

जिला		तहसील		लेखपालों की संख्या जो पृथक् किये गये	विशेष विवरण
१		२		३	४
सहारनपुर	..	सहारनपुर	..	३	
		रुड़की	..	१	
		नकुर	..	२	
मुजफ्फरनगर	..	मुजफ्फरनगर	..	२	
		बुढ़ाना	..	८	
		जानसठ	..	५	
		कैराना	..	२	
मेरठ	..	मवाना	..	१	
		गाजियाबाद	..	३	
		हापुड़	..	२	
मैनपुरी	..	शिकोहाबाद	..	३	
		मैनपुरी	..	१	
		जसराना	..	१	
		करहल	..	१	
		भोगांव	..	२	
एटा	..	कासगंज	..	२	
		अलीगंज	..	२	
बरेली	..	बहेड़ी	..	५	
		बरेली	..	५	
		नवाबगंज	..	५	
बिजनौर	..	नजीबाबाद	..	१	
		बिजनौर	..	१२	
बदायूं	..	बदायूं	..	१	
		दातागंज	..	७	
मुरादाबाद	..	अमरोहा	..	२	
शाहजहांपुर	..	पुवायां	..	१	
		जलालाबाद	..	२	
पीलीभीत	..	पीलीभीत	..	२	
		कौशलपुर	..	१	
रामपुर	..	..	..	२	
कानपुर	..	घाटमपुर	..	१३	
		अकबरपुर	..	१	
		भोगनीपुर	..	१	
		कानपुर	..	२	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला	तहसील	लेखपालों की संख्या जो पृथक किये गये	विशेष विवरण
१	२	३	४
फतेहपुर ..	खागा ..	२	
बांदा ..	बांदा ..	३	एक लेखपाल अपील द्वारा पुनः बहाल हो कर कार्य कर रहा है।
	करबी ..	२	
	मऊ ..	३	
	बबेरू ..	३	
	नरैनी ..	६	
मिर्जापुर ..	मिर्जापुर ..	१३	
	चुनार ..	१०	
	राबर्ट्सगंज ..	२६	
बलिया ..	बांसडीह ..	५	तीन लेखपाल रिट के परिणामस्वरूप पुनः कार्य कर रहे हैं।
गोरखपुर ..	सदर ..	१	
	बांसगांव ..	१	
	महाराजगंज ..	२२	
	फरेन्दा ..	२०	
आजमगढ़ ..	सदर ..	१	
	फूलपुर ..	५	
	लालगंज ..	१	
	सगड़ी ..	७	
देवरिया ..	..	१९	
रायबरेली ..	डलमऊ ..	१	
हरदोई ..	सण्डीला ..	२	
	हरदोई ..	१	
फैजाबाद ..	सदर फैजाबाद ..	२	
गोंडा ..	गोंडा ..	२	
	बलरामपुर ..	२	
	उतरौला ..	१	
		२६५	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२४ पर]

क्रम संख्या	जिले का नाम		सा० नि० वि० की मोटर सड़कें (मीलों में)		अन्तरिम जिला परिषद् की सड़कें (मीलों में)		योग
१	२		३		४		५
			जनवरी, १९५७	जनवरी, १९६२	जनवरी, १९५७	जनवरी, १९६२	
१	अल्मोड़ा-पिथौरागढ़	..	४७६	६५२	१	१	६५३
				१३६	—	—	१३६
३	टेहरी-उत्तर काशी	..	२३३	१८१	—	—	१८१
				१३४	—	—	१३४
२	गढ़वाल-चमोली	..	२५७	२८८	—	—	२८८
				१४०	—	—	१४०
४	नैनीताल	..	१८४	२८५	—	—	२८५
	योग	..	११५०	१८१६	१	१	१८१७

ऊपर लिखी गई सड़कों की लम्बाई सामयिक (प्रावीजनल) है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२५ पर]

तालिका

सड़क का नाम	कार्य की श्रेणी	लम्बाई	कार्य की प्रगति
१	२	३	४
		मील फ०	
प्रथम पंचवर्षीय योजना—			
१—बलरामपुर–तुलसीपुर ..	नई, पक्की	१७–०	कार्य पूर्ण हो गया है।
२—तुलसीपुर–उतरौला ..	सी०सी०ट्रैक	६–६	मिट्टी का कार्य ९ मील में और नीचे की तह ३ मील में हो गई है, २ मील १ फर्लांग में सी० सी० ट्रैक बन गई है।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना—			
१—तुलसीपुर–इटवा ..	नई, पक्की	१७–४	मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है नीचे की तह १४ मील १ फर्लांग तथा मध्य की तह ५ मील ६ फर्लांग बन गई है।
२—हरिहरगंज–ललिया ..	नई, पक्की	८–०	कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा।
बेकारी दूर करने की योजना—			
१—तुलसीपुर–नैपाल बार्डर ..	नई, पक्की	१४–१	मध्य की तह १४ मील १ फर्लांग और ऊपर की तह ३ मील ४ फर्लांग में बन गई है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चीनी मिल के क्षेत्र में सी० सी० ट्रैक—

१—श्रीनगर जुआ–श्रीनगर महन्त ..	सी०सी ट्रैक	७–०	६ मील, २ फर्लांग बन गई है।
२—भगवानपुर–बिलहारी ..	"	४–०	१ मील, ३ फर्लांग बन गई है।
३—नवचेरा–गनदेवा ..	"	२–५–७	मिट्टी का कार्य १ मील, ५ फर्लांग में और नीचे की तह १ मील बन गई है। मिट्टी और रेत २ मील, ५ फर्लांग में इकट्ठा हो गयी है।
४—हरैया–तुलसीपुर ..	"	३–१–०	कार्य शीघ्र ही चालू किया जावेगा।
५—नकती–नाला क्रासिंग ..	"	०–४–०	
६—सोसाइटी आफिस से मिल तक ..	"	१–१–०	सी० सी० ट्रैक बन गई है।

तृतीय पंचवर्षीय आयोजना—

१—तुलसीपुर–नैपाल बार्डर ..	पक्की	१–०–०	कार्य आरम्भ हो गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२६ पर]

ऐठान ग्राम में हुए अग्निकांड से हुई अनुमानित हानि तथा बांटी गई अहेतुक सहायता का विवरण

क्रम-संख्या	पीड़ितों का नाम	अनुमानित हानि	५४—फेमिन रीलीफ से दी गई सहायता	जिला नेचुरल क्लैमिटी फंड द्वारा दी गई सहायता
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
१	श्री देवीसिंह पुत्र श्री ध्यानसिंह ..	२७,०००	२५	१००
२	श्रीमती हरदेई	३,०००	२५	२५
३	श्री मोहरसिंह पुत्र श्री धानसिंह ..	१६,०००	२५	७५
४	श्री रूपसिंह पुत्र श्री धानसिंह ..	१७,०००	२५	७५
५	श्री भवनसिंह पुत्र श्री धानसिंह ..	१३,०००	२५	७५
६	श्री सरिया पुत्र श्री मोहनसिंह ..	९,०००	२५	७५
७	श्री मोतीराम पुत्र श्री हेमचन्द्र ..	१८,०००	२५	७५
८	श्री साहबसिंह पुत्र श्री कांसीराम ..	१२,०००	२५	७५
९	श्री सूरजनू पुत्र श्री मुरली ..	५,०००	२५	२५
१०	श्री मत्तू पुत्र श्री कांसीराम ..	५,०००,	—	५०
११	श्री सुप्पा पुत्र श्री शंकुरू ..	४,०००	—	५०
१२	श्री धना पुत्र श्री जुगीया ..	४,०००	—	५०
१३	श्री माउत्ता पुत्र श्री मुसीया ..	४,२००	—	५०
१४	श्री जतिया पुत्र श्री असारू ..	४,२००	—	५०
१५	श्री मोहनदास पुत्र श्री प्यारदास ..	४,२००	—	५०
	योग ..	१,४५,४००	२२५	९००

विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२७ पर)

सन् १९६१ के लिये की गई गंगा नदी के धूरधारा की जांच की संयुक्त प्रसूचना

गंगा नदी के धूरधारा की जांच संयुक्त रूप से श्री बी० एल० दास, आई०ए०एस०, परगना अधिकारी, बक्सर तथा श्री मोहम्मद अहमद, पी०सी०एस०, परगना अधिकारी, बलिया द्वारा १८ और १९ अप्रैल, १९६२ को की गई थी। निम्नांकित पदाधिकारी भी साथ में थे :

(१) जिला सर्वेक्षण निरीक्षक, शाहाबाद तथा उनके अमीन,

(२) सदर कानूनगो, बलिया तथा सुपरवाइजर कानूनगो, हल्दी तथा दोयाब।

जांच बक्सर के नाव वाले पुल से प्रारम्भ हुई और सिन्हा घाट पर समाप्त हुई। जांच वाले नक्शों* को जो कि इस प्रसूचना के अंग थे और जिनकी संख्या ६ थी, उनका हम लोगों द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया और परिवर्तनों को उन पर अंकित कर दिया गया। उन ग्रामों को जिन्हें कि एक राज्य के रेवेन्यू रोल से दूसरे राज्य के रेवेन्यू रोल में हस्तान्तरित करना है की सूची अनुसूची में एक तथा दो में संलग्न है।

नक्शों एवं अनुसूचियों पर हमारे तथा पदाधिकारियों के हस्ताक्षर भी लिये जा चुके हैं।

(ह०) मोहम्मद अहमद,
परगना अधिकारी, बलिया।
१९-४-६२

(ह०) बी० एल० दास,
परगना अधिकारी, बिहार, बक्सर,
शाहाबाद।
१९-४-६२

---

*टिप्पणी—नक्शा जिलाधीश के पास उपलब्ध है।

अनुसूची १

उन ग्रामों की सूची जो कि श्री मोहम्मद अहमद, परगना अधिकारी, बलिया और श्री० बी० एल० दास, आई०ए०एस०, परगना अधिकारी, बक्सर द्वारा १९६१–६२ क लिये की गई गगां के धूरधारा की जांच के परिणामस्वरूप जिला बलिया, उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू रोल से जिला शाहाबाद बिहार के रेवेन्यू रोल को हस्तान्तरित किया जाना है ।

ग्राम की सूची	सर्वेक्षण नम्बर या राजस्व सर्वेक्षण नम्बर
१—नौदरार से संबंधित प्रथम हिस्सा	३७३३ सर्वेक्षण नम्बर
२—केलसिफस से संबंधित नौदरार का हिस्सा ..	३७३४ ,,
३—राजकीय पट्टी से संबंधित नौदरार का प्रथम भाग ..	३७३७ ,,
४—सरवन से संबंधित नौदरार का प्रथम हिस्सा ..	३८४२ ,,
५—पलिया से संबंधित गंगबरार धर्मशाला ..	३७५० ,,
६—माली बंगला	१२३० ,,
७—अगरौली	१३३२ ,,
८—शिवपुर दिवरा नम्बरी	१३२२ ,,
९—शिवपुर दिबरा सरजूबरार	.. ,,
१०—शविपुर दिबरा गंगबरार शुमाली	१५१२ ,,
११—शिवपुर दिबरा गंगबरार जनूवी	२८९ ,,
१२—कल्याणपुर	.. ,,
१३—जौनही	१५१३ ,,
१२—हंस नगर	१५१४ ,,
१५—रिकनी छबरा	३२१ ,,
१६—गडिया	.. ,,
१७—बावूवेल	१५२१
१८—सोमवानी से संबंधित (बधोंच)	१३८० ,,

(ह०) मोहम्मद अहमद,
परगना अधिकारी, बलिया (यू०पी०) ।
१९–४–६२

(ह०) बी० एल० दास,
परगना अधिकारी, बक्सर, शाहाबाद, बिहार ।
१९–४–६२

(ह०) के० एन० लाल,
एस० के० सिटी,
१९–४–६२ ।

(ह०) आर० पी० प्रसाद,
एस० के० दोआब,
१९–४–६२ ।

(ह०) एस० एन० सिन्हा,
एस० के० हाल्दी,
१९–४–६२ ।

सदर कानूनगो,
१९–४–६२ ।

जिला सर्वेक्षण निरीक्षक,
१९–४–६२ ।

अवध विधान सभा प्रदेश

अनुसूची २

ग्रामों की सूची जो कि श्री मोहम्मद अहमद, परगना अधिकारी, बलिया और श्री बी०एल० दास, आई० ए० एस०, परगना अधिकारी बक्सर द्वारा १९६१ तथा ६२ के लिये की गई गंगा के धूरधारा के जांच के परिणामस्वरूप जिला शाहाबाद के रेवेन्यू रोल से जिला बलिया उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू रोल में हस्तान्तरित किया जाना है।

ग्रामों की सूची	सर्वेक्षण नम्बर या राजस्व सवक्षण नम्बर
	स० न०
१—बिलासपुर कलां	२८
२—बिलासपुर दिबरा	२९
३—बिलासपुर	२७
४—कुर्नीपुर	२०३
५—सदलपुर	२३०
६—शोभापुर	..
७—माफी अंबीरपुर	..
८—माफी कुटहा	..
९—हरलाल छपरा	..
१०—हरसैदा छपरा	..
११—भीमापुर	..
१२—जवें छपरा	..
१३—माफी नरायनपुर	..
१४—परबोतिमपुर	..
१५—पडेली	..
१६—शिशु आश्रम	..
१७—कीलपति छपरा	..
१८—टोला बड़ा वायु	..
१९—रामपुर चक	..
२०—बंसगोपाल छपरा	..
२१—शुभ नवाही	..
२२—तिवारी चक	..

(ह०) मोहम्मद अहमद,
परगना अधिकारी, बलिया।
१९-४-६२

(ह०) पी० एल० दास,
परगना अधिकारी, बक्सर, शाहाबाद, बिहार।
१९-४-६२

(ह०) के० एन० लाल,
एस० के० सिटी,
१९-४-६२।

एस० के हल्दी,
१९-४-६२।

एस० के दोआब,
१९-४-६२।

(ह०) आर० एन० प्रसाद,
(ह०) एस० एन० सिन्हा,
एस० के० बलिया
१९-४-६२।

जिला सर्वेक्षण निरीक्षक,
१९-४-६२।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३३ पर)

सहायक चकबन्दी अधिकारी के पद के लिये निर्धारित योग्यता—

१—कोर्ट आफ वार्ड्स (Court of Wards) के भूतपूर्व सरबराहकार (Ex-Sarbrahkars)।

या

२—वह भूतपूर्व बन्दोबस्त कर्मचारी (Ex-settlement employees) जो क्षेत्र या सर्वेक्षण निरीक्षक (Field or Survey Inspectors) या सर्वेक्षण दल (Survey experts) रह चुके हों।

या

३—सीजनल कलेक्शन नायब तहसीलदार (Seasonal Collection Naib Tahsildars)—

(अ) वह स्नातक (Graduate) जो ४ फसल तक कार्य कर चुके हों।

(ब) इन्टरमीडियेट उत्तीर्ण जो ६ फसल तक कार्य कर चुके हों।

(स) हाई स्कूल उत्तीर्ण जो १५ फसल तक कार्य कर चुके हों।

परिगणित जाति (Scheduled Caste) के लिए ५ फसल

या

४—कृषि, अर्थशास्त्र, भूगोल या कानून में स्नातक (Graduate)

या

५—वे स्नातक जिनके पास समाज सेवा (Social Service) का डिप्लोमा (Diploma) हो।

चौथे एवं पांचवें क्रम के अभ्यर्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३४ पर)

जिलों की सूची जिनमें इस समय चकबन्दी का कार्य चल रहा है ।

१—मेरठ
२—मुजफ्फरनगर
३—सहारनपुर
४—बुलन्दशहर
५—बिजनौर
६—अलीगढ़
७—मथुरा
८—एटा
९—आगरा
१०—मैनपुरी
११—मुरादाबाद
१२—बदायूं
१३—बरेली
१४—पीलीभीत
१५—शाहजहांपुर
१६—लखीमपुर खीरी
१७—रायबरेली
१८—सीतापुर
१९—उन्नाव
२०—हरदोई
२१—बाराबंकी
२२—बहराइच
२३—फैजाबाद
२४—गोंडा
२५—इटावा
२६—फर्रुखाबाद
२७—कानपुर
२८—इलाहाबाद
२९—फतेहपुर
३०—मिर्जापुर
३१—जौनपुर
३२—गाजीपुर
३३—बलिया
३४—बस्ती
३५—आजमगढ़
३६—गोरखपुर
३७—लखनऊ

विधान सभा प्रदेश उ०प्र०

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३५ पर)

चालू योजना			लम्बाई
१—फरीहा रेलवे फीडर	..	पुनः निर्माण	०—५
२—दीदारगंज एरोला मुहम्मदपुर	..	,,	२०—०
३—मोहम्मदाबाद रेलवे फीडर	..	,,	१—१
४—अमला रेलवे फीडर ..	..	,,	१—२
५—मऊ यूसुफपुर ..	..	,,	६—०

पुल

१—आजमगढ़ में इलाहाबाद-गोरखपुर सड़क पर टोंस नदी पर पुल ।

नई योजना

१—घोसी-मोहम्मदाबाद ..	..	पक्का करना	११—४
२—इलाहाबाद-गोरखपुर सड़क	..	पुनः निर्माण	१०—०

राष्ट्रीय मार्ग पर

१—मऊ में गोरखपुर गाजीपुर सड़क पर टोंस का पुल ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४–५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३५–४३६ पर)

(SEAL)

G.S. BHIST
M.L.A.

No. 272/61
11-8-61.

Subject—**Allotment of Land to the applicants numbering 166 as per list.**

My dear Sri Vishen,

The Government has been declaring that no discrimination will be made in case of people joining co-operative farming and those who do not join it. But, permit me to say that, in Blocks no. 5, 4, 3, etc., of Shanti puri, Thasil Kichha near Railway Station Phoolbagh, I have on my inquiry in the spot, found such discrimination being made. Not only that the persons in favour of co-operative farming (of course for ulterior motive and self gain) have gone out of their way and murdered one Sri Indra Singh. Alas, despite repeated reminders the government agency is fast asleep.

Even under these circumstances I venture to recommend the case of these poor applicants for allotment of land in Tarai and Bhabar. You know more than I do that many lives are being lost every year due to landslides in the Hills. The villages of the applicant are also in the Hills. The villages of the applicant are also in the same position. They hold negligible land or land where very little crop can be grown. Their settlement is necessary. It has come to my notice that the District authorities in Naini Tal are objecting to the certificate of District Magistrate Almora which have been issued during the last year or so. Please order them not to harrass these poor villagers by demanding new certificates. In fact they all should be alloted land without demanding any certificate.

Hope you will please allot land to the applicants given in the attached list.

Thanking you.

Yours sincerely,
(Sd.) G. S. BIST,

Sri Hukum Singh Vishen
Minister for Revenue, Government of U. P.,
Lucknow.

३० जून, १९६२ तक अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई अतिरिक्त भूमि का जिलेवार विवरण

क्रम-संख्या	जिला	धारा १४ के अन्तर्गत अन्तिम रूप से निर्धारित अतिरिक्त भूमि (एकड़ में)
१	देहरादून	१,१३१
२	सहारनपुर	२४९
३	मुजफ्फरनगर	१७९
४	मेरठ	..
५	बुलन्दशहर	१५५
६	अलीगढ़	..
७	मथुरा	७४८
८	आगरा	..
९	मैनपुरी	..
१०	एटा	४४६
११	बरेली	..
१२	बिजनौर	..
१३	बदायूं	..
१४	मुरादाबाद	..
१५	शाहजहांपुर	८०१
१६	पीलीभीत	२,४५९
१७	रामपुर	१,८०८
१८	फर्रुखाबाद	३३८
१९	इटावा	३५७
२०	कानपुर	..
२१	फतेहपुर	१८२
२२	इलाहाबाद	..
२३	झांसी	४२६
२४	जालौन	३६४
२५	हमीरपुर	५०६
२६	बांदा	३,५५१
२७	वाराणसी	३०४
२८	मिर्जापुर	३७९
२९	जौनपुर	७६
३०	गाजीपुर	६१०
३१	बलिया	४४
३२	गोरखपुर	..
३३	देवरिया	१६७
३४	बस्ती	..
३५	आजमगढ़	..
३६	नैनीताल	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिला	धारा १४ के अन्तर्गत अन्तिम रूप से निर्धारित अतिरिक्त भूमि (एकड़ में)
३७	लखनऊ	..
३८	उन्नाव	..
३९	रायबरेली	५७
४०	सीतापुर	३८९
४१	हरदोई	..
४२	खीरी	४८३
४३	फैजाबाद	४२९
४४	गोंडा	६११
४५	बहराइच	..
४६	सुल्तानपुर	..
४७	प्रतापगढ़	८३४
४८	बाराबंकी	१,१७०
		..
	योग ..	१९,२५३

उत्तराखंड कुमायूं भू-राजस्व बन्दोबस्त नियमावली, १९६० के संशोधित नियम ११ (१) तथा १६ की प्रतिलिपि

मिट्टी का वर्गीकरण

११—(१) बन्दोबस्त अधिकारी स्वामियों तथा काश्तकारों को उन सिद्धांतों को समझायेगा जिनके अनुसार वह गांव की मिट्टियों का सीमांकन करना चाहता हो और वह उनकी राय पर उचित ध्यान देगा। वह मिट्टियों के प्राकृतिक अन्तरों तथा अन्य विशेषताओं, लक्षणों, जैसा कि स्थिति आदि का, जिससे कि मिट्टियों के लगानी मूल्य पर प्रभाव पड़ता हो, ध्यान रखेगा।

वृक्षों के सायर

१६—ऐसी भूमि पर, जो जोतों में सम्मिलित हों, बागों के रूप में पाये जाने वाले या अलग-अलग बिखरे हुए वृक्षों या वृक्षों के छोटे-छोटे समूहों से मिलने वाले फलों या इमारती लकड़ी की बिक्री की प्राप्तियों का सायर के रूप में निर्धारण नहीं किया जायगा, किन्तु ऊपर उल्लिखित छूट के अधीन रहते हुए, उस भूमि के संबंध में जिस पर बाग या वृक्ष हों, राजस्व का निर्धारण मिट्टी की समुचित दरों के अनुसार किया जायगा। ऐसे वृक्षों के, जो जोत में सम्मिलित न हों, तथा वनों के उत्पादन जैसे कि ईंधन, लाख, फल, इमारती लकड़ी आदि का सायर के रूप में निर्धारण किया जा सकता है।

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३९ पर)

सूची 'क'

केन सोसाइटी से प्राप्त धन में से सहकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिपराइच, गोरखपुर में किया गया व्यय

	निर्वाह निधि	महंगाई	भवन	केपिटल	खेती	वाचनालय	खेल
१९५९–६०	..	४७६.७५	२०,५००	३,३००	५००	..	..
१९६०–६१	५९६.३७	११७४.०८	२२,०००	१३,०००	२,०००	..	..
१९६१–६२	८४५.५०	२०४०.९९	१२,०००	५,१००	५००	१.४४	४.४४

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४१ पर)

वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में इस प्रदेश में स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों से सम्बन्धित विद्यार्थियों द्वारा भेजे गये प्रार्थना-पत्रों की जिलेवार संख्या

जिले का नाम	आवेदन-पत्रों की संख्या
१—देहरादून	२५
२—सहारनपुर	६३
३—मुजफ्फरनगर	४०
४—मेरठ	१२७
५—बुलन्दशहर	६३
६—अलीगढ़	४७
७—मथुरा	५४
८—आगरा	७९
९—मैनपुरी	३९
१०—एटा	२७
११—बरेली	३७
१२—बिजनौर	४३
१३—बदायूं	१०
१४—मुरादाबाद	५०
१५—शाहजहांपुर	१६
१६—पीलीभीत	२७
१७—रामपुर	४
१८—नैनीताल	१०२
१९—अलमोड़ा	४५
२०—पौड़ी-गढ़वाल	१८
२१—टेहरी-गढ़वाल	६
२२—फर्रुखाबाद	६५
२३—इटावा	९३
२४—कानपुर	२३२
२५—फतेहपुर	१६
२६—इलाहाबाद	२५७
२७—बांदा	१०
२८—हमीरपुर	३१
२९—झांसी	५२
३०—जालौन	३०
३१—वाराणसी	१३०
३२—मिर्जापुर	३७
३३—जौनपुर	७५
३४—गाजीपुर	७८

विधान सभा उत्तर प्रदेश

जिले का नाम				आवेदन-पत्रों की संख्या
३५—बलिया	..	..	..	१२६
३६—गोरखपुर	..	..	..	४४
३७—बस्ती	..	..	..	३१
३८—आजमगढ़	..	..	..	८३
३९—देवरिया	..	..	..	४३
४०—लखनऊ	..	..	..	१३४
४१—उन्नाव	..	..	..	३२
४२—रायबरेली	..	..	..	२६
४३—सीतापुर	..	..	..	५५
४४—हरदोई	..	..	..	२१
४५—लखीमपुर खीरी	..	..	..	१२
४६—फैजाबाद	..	..	..	४५
४७—गोंडा	..	..	..	२९
४८—बहराइच	..	..	..	३८
४९—सुलतानपुर		..	..	१३
५०—प्रतापगढ़	..	..	..	१६
५१—बाराबंकी	..	..	..	२१
५२—पिठौरागढ़	..	..	..	१९
		कुल योग	..	२,८१६

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८०–८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४१ पर)

क्र०सं०	जिले का नाम	स्टेशन का नाम	जिले को सप्लाई किये गये चारे की मात्रा		चारा किस किस को दिया गया
१	२	३	४		५
			मन	सेर	
१	बुलन्दशहर ..	दनकौर ..	१,०४६	३०	२३५ व्यक्तियों के।
		दादरी ..	२५८	१६	
		चौला ..	२६८	२९	
२	मैनपुरी ..	शिकोहाबाद ..	९४९	२०	४९ व्यक्तियों की
३	गाजीपुर ..	गाजीपुर सिटी ..	१२८	२४	प्रिंसिपल रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गाजीपुर को।
४	गोरखपुर ..	सहजनवां ..	७००	०	व्यक्तियों का विवरण जिलाधीश द्वारा एकत्र किया जा रहा है।
		गोरखपुर ..	५००	०	
		कुसम्ही ..	१७०	०	
		सिसवाबाजार ..	२७०	०	
		पीपीगंज ..	७१	०	
		आनन्दनगर ..	४०	०	
५	बस्ती ..	बस्ती ..	२४२	१०	बस्ती, खलीलाबाद, हरैया व नौगढ़ के ५४ व्यक्तियों को।
		खलीलाबाद ..	१२२	०	
		नौगढ़ ..	१३२	०	
६	आजमगढ़ ..	आजमगढ़ ..	९०	०	सगड़ी तहसील के ४८ व्यक्तियों को।
७	लखनऊ ..	लखनऊ चारबाग जंकशन	१०,७६२	१४	शासकीय पशुपालन विभाग फार्म, चक गंजरिया, लखनऊ को।
		योग ..	१५,७५१	२३	

नत्थी 'द'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४२ पर)

फैजाबाद ब्रिज डिवीजन के अन्तर्गत बन रहे पुलों की सूची ।

जिला बहराइच—

१—बहराइच–नानपारा सड़क पर मील नं० ८ में पाइल ब्रिज का पुनः निर्माण	पुल बनकर यातायात के लिये खोल दिया गया है ।
२—बहराइच-भिनगा सड़क पर १६ वें मील में मारवला नदी पर पीपों के पुल का निर्माण ।	पुल तैयार होकर यातायात के लिये खोल दिया गया है ।
३—बहराइच-भिनगा सड़क पर २१ वें मील में राप्ती नदी पर आर० सी० सी० पुल का निर्माण ।	यह पुल १ जुलाई, १९६२ को यातायात के लिये खोल दिया गया है ।

जिला गोंडा—

१—बलरामपुर—तुलसीपुर सड़क पर तीसरे मील में राप्ती नदी पर आर० सी० सी० पुल का निर्माण ।	यह पुल ३१ जुलाई, १९६२ तक पूरा होने की सम्भावना है ।
२—बाराबंकी-गोंडा सड़क पर ३६ वें मील में सरजू नदी पर आर० सी० सी० पुल का निर्माण ।	पुल ३० सितम्बर, १९६३ तक बनने की संभावना है ।

जिला बस्ती—

१—मुखलिसपुर में बचानों नदी पर पुल का निर्माण ।	पुल ३० जून, १९६३ तक परा होने की सम्भावना है ।

जिला फैजाबाद—

१—लखनऊ–गोरखपुर सड़क के ८४ वें मील में सरजू नदी पर आर० सी० सी० पुल का निर्माण ।	पुल ३१ मार्च, १९६५ को पूरा होने की सम्भावना है।

जिला आजमगढ़—

१—इलाहाबाद–गोरखपुर सड़क पर मील नं० १०२ में टोंस नदी के पुल पर आजमगढ़ में पुल का निर्माण ।	पुल ३० जून, १९६३ तक पूरा होने की सम्भावना है ।
२—गाजीपुर–गोरखपुर सड़क पर ६०वें मील में मऊ में टोंस नदी के ऊपर पुल का निर्माण ।	पुल ३० जून, १९६३ तक पूरा होने की संभावना है।

नत्थी 'ध'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४३ पर)

मोहम्मदाबाद गोहना में १ जनवरी, सन् १९६२ से १५ अप्रैल, सन् १९६२ तक दाखिल किये गये तथा निर्णीत मुकदमों का विवरण

क्रम-संख्या	सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र नं०		मुख्यावास		मुकदमें जो दाखिल हुए	मुकदमें जो निर्णित हुए
१	२		३		४	५
१	स० च० अ० १	..	अमिलो	..	९२८	९२८
२	स० च० अ० २	..	सिकठी	..	६८६	६८६
३	स० च० अ० ३	..	भगवानपुर	..	४०१५	४०१५
४	स० च० अ० ४	..	सुतरही	..	१७४४	१७४४
५	स० च० अ० ५	..	सुरहुरपुर	..	१९१३	१९१३
	योग चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र नं० १				९२८६	९२८६
६	स० च० अ० ६	..	सुराई	..	२५९८	३५९८
७	स० च० अ० ७	..	सठियाँव	..	५७२३	५७२३
८	स० च० अ० ८	..	शाहगढ़	..	२६४१	२६४१
९	स० च० अ० ९	..	वजहाँ	..	१८७०	१८७०
१०	स० च० अ० १०	..	जहानाँगंज	..	३२७८	१८००
	योग चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र नं० २				१६११०	१४६३२
११	स० च० अ० १६	..	भोपतपुर	..	२१००	२१००
१२	स० च० अ० १७	..	करमी	..	१९८३	१९८३
१३	स० च० अ० १८	..	सिरसा	..	३१६८	३१६८
१४	स० च० अ० १९	..	छपरा	..	४५७८	४५७८
१५	स० च० अ० २०	..	काझा	..	२३८४	२३८४
	योग चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र नं० ४				१४२१३	१४२१३
	कुल योग	..			३९६०९	३८१३१
१	च० अधिकारी १	..	सठियाँव	..	२७०७	२७०७
२	च० अधिकारी २	..	उमरपुर	..	३३४१	३३४१
३	च० अधिकारी ४	..	घोड़ाड़ीह	..	२३३८	२३३८
	योग	..			८३८६	८३८६

चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र ३ में उक्त अवधि में कोई मुकदमें नहीं प्राप्त हुए ।

नत्थी 'न'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४५ पर)

अनुसूची

सड़क का नाम	स्वीकृति लम्बाई मी०	फ०	प्रगति
जिला झांसी			
प्रथम पंचवर्षीय योजना—			
१—सेदपुर फारम रोड ..	३	०	कार्य पूरा हो गया।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना—			
१—बंशी जखौरा	९	७	२ मील में कार्य पूरा हो गया है, बाकी में हो रहा है।
२—बंशी बार	६	५	कार्य हो रहा है।
३—ललितपुर देवगढ़ ..	१९	०	कार्य हो रहा है।
४—बानपुर महरौनी ..	८	५	३ मील में काम पूरा हो गया है, बाकी में हो रहा है।
५—मदनपुर मदौरी ..	११	५	कार्य प्रगति में है।
तृतीय पंचवर्षीय योजना—			
१—मऊ गरैथा	२४	४	
२—मदनपुर मदौरा ..	३	०	
जिला जालौन			
प्रथम पंचवर्षीय योजना—			
१—हमीरपुर कालपी ..	३२	२	कार्य पूरा हो गया है।
२—उरई राठ	१४	४	कार्य पूरा हो गया है।
३—एट कोटरा	७	६	कार्य पूरा हो गया है।
४—कौंच नदी गाँव ..	१३	४	कार्य पूरा हो गया है।
द्वितीय पंच वर्षीय योजना—			
१—बाँगरा रमपुरा ..	७	५	कार्य प्रगति में है।
२—जालौन कौंच ..	१५	२	७ मील २ फर्लांग में कार्य हो चुका है, बाकी प्रगति में है।
तृतीय पंचवर्षीय योजना—			
१—कोच नदी गाँव ..	१	५	कार्य प्रगति में है।
२—बाँगरा रामपुरा जगमनपुर ..	५	४	कार्य प्रगति में है।
३—बाँगरा गोपालपुरा ..	५	४	कार्य प्रगति में है।

विधान सभा सचिवालय

सड़क का नाम	स्वीकृति लम्बाई	प्रगति
जिला हमीरपुर		
प्रथम पंचवर्षीय योजना—	मी० फ०	
१—उरई राठ	१८ ४	कार्य लगभग पूरा हो गया है।
२—मुस्करा हमीरपुर ..	३० ०	कार्य पूरा हो गया है।
३—गौदाहा मुस्करा ..	१६ ४	१५ मील ६ फलांग में कार्य पूरा हो गया है, बाकी में प्रगति में है।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना—		
१—मौदहा कपला ..	१० ०	कार्य प्रगति में है।
२—धगवान जरिया ..	५–२ १/२	कार्य प्रगति में है।
३—गोहन्द जरिया ..	६ ४	कार्य प्रगति में है।
४—चरखारी मुस्करा ..	१५ ५	३ मील में कार्य पूरा हो गया है और बाकी प्रगति में है।
तृतीय पंचवर्षीय योजना		
१—जैतपुर अजनेर नौगांव ..	१२ ०	
२—मौदहा–जलालपुर ..	२१ ०	
जिला बांदा		
प्रथम पंचवर्षीय योजना—		
१—इलाहाबाद बाँदा ..	८६ ०	८४ मील ६ फर्लांग कार्य पूरा हो गया है, बाकी में कार्य प्रगति में है।
२—चित्रकूट को मिलाने वाली सड़क	२ २	कार्य पूरा हो गया है।
३—अलीहट बेरू ..	१३ ०	कार्य पूरा हो गया है।
४—कर्वी पहाड़ी राजापुर ..	१९ ३	१८ मील में कार्य पूरा हो गया है, बाकी में प्रगति में है।
५—नरैनी कालिंजर ..	१६ ०	कार्य पूरा हो गया है।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना—		
१—चित्रकूट के कामतानाथ हिल ..	१ ७	५ फर्लांग में कार्य हो गया है, बाकी प्रगति में है।
२—बाँदा टिडवारी ..	१४ ४	८ मील में कार्य हो गया है, बाकी प्रगति में है।
३—बाँदा हमीरपुर ..	८ ५	सड़क की दिशा उचित निर्माण न होने के कारण कार्य इस समय स्थगित है।
४—अटर्रा बुजुर्ग बबेरू ..	२० १	कार्य प्रगति में है।
५—बरगढ़ रेलवे स्टेशन से बरगढ़ ..	१ ५	१ मील २ फर्लांग में हो कार्य गया है, बाकी प्रगति में है।
६—पपरेन्दा पैलानी ..	१० ०	कार्य प्रगति में है।
७—सीतापुर बस स्टेशन से रामघाट	० ६	जमीन अभी प्राप्त नहीं हुई है।
तृतीय पंचवर्षीय योजना—		
१—बबेरू कमासीन ..	१३ ४	भूमि प्राप्ति के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

नत्थी 'प'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४६ पर)।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में चलाये गये टेस्ट वर्कों की सड़कों तथा स्थानों की सूची

(१) रौनापार–विलरियागंज सड़क
(२) हाजीपुर–लारघाट सड़क
(३) शिवपुर––शंकरपुर सड़क
(४) बांध से देवारा हाजीपुर तक
(५) बांध से इस्माइलपुर तक
(६) बांध से करसिया तक
(७) बांध से जमुवारी से सरलिया तक
(८) बांध से नैनीजोर तक
(९) बांध से सैदपुर कुंडही तक

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'फ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५३ पर)

गांव की सूची

मऊ गरौठा रोड जिला झांसी

१—मऊ रानीपुर
२—डिमलौनी
३—मैलोनी
४—लक्सर
५—थवाकर
६—रौरा
७—तिलौरा
८—चिकारा
९—बामोरी
१०—लचूरा घाट
११—खान थेरखा
१२—सिजारा खुर्द
१३—बरौरा
१४—सोनकपुर
१५—औनी
१६—वरोठा
१७—इमलौता
१८—मरकुआं
१९—चतुर ताई
२०—केदार ताई
२१—गोरपुरा
२२—मेथेनियां
२३—खदौरा
२४—पसौरा
२५—बंठड़ा
२६—निमगहना
२७—विरौना
२८—विक्रमपुर
२९—शिकरोघा बनीहरी
३०—रून्द गरौठा
३१—गरौठा

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६३ पर)

मी० न०	ठेकेदार का नाम			जुर्माने की रकम	जुर्माने की तिथि
	(१) अमौली चांदपुर बरवा शहवाजपुर				
				रुपया	
४.५	श्री हीरा लाल ..	..	..	१००	२४–३–६२
६	श्री कन्हैया लाल	..	..	२००	७–७–६२
७	श्री बाबू राम ..	..	..	१००	२४–३–६२
८	श्री बद्री प्रसाद	..	..	१००	२४–३–६२
९	श्री बरकत अली	..	..	२००	६–७–६२
१०	श्री राम शंकर मिश्र	.	..	१००	६–७–६२
११/१२	श्री हीरा लाल	..	..	२००	२४–३–६२
१४	श्री लक्ष्मण प्रसाद	..	..	५०	६–३–६२
	चांदपुर लिंक रोड श्री अखलाक अहमद			२०० रुपया	
	(२) जहानाबाद अमौली सड़क				
१	श्री सुधर प्रसाद	..	..	१०	२१–८–६१
६/६	श्री राम जगदीश प्रसाद	..	..	१००	१३–२–६२
७	श्री राम गोपाल	..	..	२१	१३–३–६२
			योग	१,३८१	

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'भ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६५ पर)

श्री बाबूराम अध्यापक द्वारा जैन विद्या मंदिर हायर सेकेन्डरी स्कूल नहर, टौरा, जिला बिजनौर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सूची

१—अध्यापकों के वेतन में से कटौती।

२—छात्रों की फीस माफी होने के कारण रिफन्ड स्टेटमेन्ट पर छात्रों के हस्ताक्षर फर्जी बनाना तथा छात्रों से जबरदस्ती हस्ताक्षर लेना।

३—गरीब छात्रों की फीस माफी न करके अपने बच्चों की फीस माफ करना।

४—परिषद् की परीक्षाओं में अनुचित साधन का प्रयोग।

५—हरिजन छात्रों के साथ छुआछूत।

६—कुछ अध्यापकों के साथ अनुचित रियायत।

७—पांच-पांच साल पुराने अध्यापकों के स्थायीकरण का प्रस्ताव न करना तथा उनको प्राविडेन्ट फन्ड योजना में सम्मिलित होने की आज्ञा न प्रदान करना।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'म'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३०४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६७ पर)

सेवा में,

श्रीमान् चीफ मिनिस्टर महोदय,
लखनऊ ।

सेवा में नम्र निवेदन यह है कि रियोना कलां परगना तहसील फरीदपुर, जिला बरेली ग्राम में ५-५-६२ ई० को १० बजे दिन में आग लग गई जिससे सारा ग्राम जलकर खाक हो गया । आग बुझाने से भी काबू में नहीं आई और न बुझाने से बुझी । जब सारा ग्राम जलकर खाक हो गया तब बुझी, परन्तु अनाज और भूसा की आग दो दिन के बाद में बुझी, आग तेजी से लगने के कारण मलखान पुत्र भवानी उम्र ३२ साल अपनी गाय खोलने के लिये गया परन्तु बाहर नहीं निकल सका तथा मलखान दोनों जलकर मर गये और बहुत से आदमियों को झुलसा दिया है अर्थात् आध जल शरीर को लिये बैठे हैं पास पैसा नहीं है जिससे इलाज करा सकें, क्योंकि सारा गल्ला कपड़ा तथा अन्य सामग्री कुछ भी न बची है । इसके साथ साथ वे भूख से तड़फते हैं । मनुष्य तथा बच्चों की हालत देखी नहीं जाती । मकान नहीं बचा जिसमें बैठकर धूप तथा आंधी पानी से बचा जा सके, हम काश्तकार तथा अन्य आदमी पेड़ों के बीच बैठकर तथा लटकर समय बिताते हैं ।

खरीफ तथा रबी की फसलों का अनाज था वह सब जल गया खाने के लिये परेशान हैं । शरीर पर कपड़ा पहनने के लिये भी नहीं बचा जो कपड़ा पहने थे वे भी आग से जलकर आधे रह गये आग बुझाने पर जल गये ।

गांव के अन्दर कई शादियां हमारी लड़कियों तथा बहिनों की होनी वाली थीं । वे भी बरातें वापस चली गईं । उनको खिलाने पिलाने तथा बैठने तक के लिये जगह नहीं बची, कपड़ा, चारपाई एवं कोई ऐसी वस्तु नहीं बची जिसको प्रयोग में ला सकें । आप की सेवा में रिपोर्ट है ।

आपके अतिरिक्त हम लोगों ने अन्य अधिकारियों को भी सूचनाएं दी हैं, अतः आप उच्च अधिकारी से प्रार्थना है कि हमारी ग्राम वासियों की ओर कृपा की जाय एवं भूमि का लगान एक साल का माफ कर दिया जाय । आपकी महान् कृपा होगी ।

सेवा में रिपोर्ट प्रेषित है ।

हम ग्राम वासी:—

नि०	अ०	तिरमल	नि०	अ०	बिहारी	नि०	अ०	लल्लू
,,	,,	मुरकी	,,	,,	लछमन	,,	,,	सोहन
,,	,,	मुंसी	,,	,,	रज्जू	,,	,,	सरदार
,,	,,	बलदेव						
,,	,,	अग्ने	,,	,,	लाखन	,,	,,	द्वारिका
,,	,,	उपराय	,,	,,	केशरी	,,	,,	हीरा

ग्राम सभा रिमुना कलां के अन्य
निवासी आदि ।

नत्थी 'य'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४८५ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र १९६२ के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री कमलासिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१ का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
२१—क्या यह सत्य है कि गाजीपुर जिले के चकबन्दी विभाग में हजारों दरख्वास्तें प्रत्येक मौजे की चक का रकबा कम होने के कारण नापने के लिये पड़ी हैं, किन्तु उन पर कोई कार्यवाई नहीं हुई ?	२१—तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर में चक नापने आदि के संबंध में अब तक ३,९१७ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं, जिन पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १२० एल० ए०—१९६२—८४५।